खण्ड-252, अंक-5
सोमवार, 16 भाद्रपद, शक संवत् 1886
(7 सितम्बर, 1964 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 252 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	४३९–४४३
सदन में पर्चा बांटने पर आपत्ति	४४३–४४४
प्रश्नोत्तर	४४४–४८०
उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	४८१
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का १९६१–६२ का प्रतिवेदन (मेज पर रखा गया)	४८१
श्री शराफत हुसैन की रिहाई के संबंध में सूचना	४८१
गोंडा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में हुए निर्वाचन के संबंध में चुनाव ट्रिब्यूनल के निर्णय के विषय पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य से संबंधित पत्र ..	४८१–४८४
गोंडा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में हुए निर्वाचन के संबंध में चुनाव ट्रिब्यूनल के निर्णय के विषय पर मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य में कथित तथ्यों को छिपाने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	४८४–४९०
शिक्षा मंत्री द्वारा सदन के सत्र में होने पर भी सदन के बाहर सरकारी नीति की घोषणा किये जाने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	४९०–४९२
सदस्य के भाषण के अंश को कार्यवाही से निकाले जाने के संबंध में आपत्ति ..	४९२–४९४
कतिपय विषय	४९४–४९५
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (वक्तव्य स्वीकृत)	४९५
प्रदेश के विभिन्न जिलों में बाढ़ से क्षति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं	४९५–४९६
यातायात एवम् आबकारी स्थायी समितियों के निर्वाचन के संबंध में परिवर्तित कार्यक्रम	४९६–४९७
कार्यक्रम की सूचना	४९७–४९८
भाषा विधेयक के संबंध में जानकारी	४९८
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९६४ (प्रस्ताव पर कि विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक पर विचार किया जाय––विचार जारी) ..	४९८–५२५
प्रदेश की खाद्य स्थिति पर साप्ताहिक वक्तव्य	५२५–५३२
गोंडा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में हुए निर्वाचन के संबंध में चुनाव ट्रिब्यूनल के निर्णय के विषय पर होने वाली चर्चा पर आपत्ति	५३२–५६३
नत्थियां	५६४–५७१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ७ सितम्बर, १९६४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३७२

[

अक्षयवर्सिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हफीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेश कुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपाल सिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री

गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवाई, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री

परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भोखालाल, श्री
भोमाप्रसाद, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हुसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री

रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजोलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामनारायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथ सिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री

शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सरदारसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकट, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलोमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट :—शिक्षा मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश; गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा गृह उपमंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे।

सदन में पर्चा बांटने पर आपत्ति

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

एक बात बता दूं कि एक मर्तबा जब तय हो चुका है कि हम लोग नियमों का पालन करेंगे तो प्रश्नों के पहले कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं आना चाहिये ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

नहीं आना चाहिये । लेकिन अगर इस तरह की अव्यवस्था होने लगे तो हम लोग क्या करें ?

श्री अध्यक्ष—

बाद में आप उठा सकते हैं ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, रामरतन गुप्ता की तरफ से लीफलेट बांटी जा रही है सदन में और गैलरी में और माननीय दत्ता साहब बांट रहे थे ।

श्री अध्यक्ष—

आप हमारे पास उसको लिख कर भेज दीजिये, हम देख लेंगे ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

ठीक है ।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, ७ सितम्बर, १९६४

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

खांडसारी का स्टाक

**१—श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में उनके अनुमान के अनुसार कितनी खाण्डसारी शक्कर (अ) सरकारी आज्ञा द्वारा freeze की हुई (ब) अथवा अन्यथा released या un-freezed निर्माताओं एवं अन्य व्यक्तियों के पास स्टाक में है और गलावट शक्कर के निर्माण का कितना अनुमान है ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

दिनांक १ अगस्त, १९६४ को अनुमानतः ३९,००० मैट्रिक टन फ्रीज (freeze) की हुई खाण्डसारी निर्माताओं एवं व्यापारियो के पास थी। निर्माताओं तथा अन्य व्यापारियों को ३१ जुलाई, १९६४ तक लगभग २६,००० मैट्रिक टन खाण्डसारी रिलीज (Release) की गई थी। इस रिलीज की हुई खांडसारी में से कितनी मात्रा निर्माताओं तथा अन्य व्यापारियों के पास स्टाक में है, इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है। गलावट शक्कर के निर्माण के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

**२—श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (अनुपस्थित)—

क्या सरकार के पास उद्योग की ओर से ऐसी मांग आई हुई है कि क्योंकि यह शक्कर पिछले वर्षों में अधिकांश मात्रा में निर्यात होती रही है और उसकी खपत की प्रदेश में गुंजायश नहीं है, इसके निर्यात का समय रहते हुये प्रबन्ध किया जाय या निर्यात की पाबन्दी हटाई जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां ।

**३—श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितना स्टाक खांडसारी शक्कर का और किस आधार एवं किस विचार से freeze किया था और उसमें से कितने को सरकार अब तक उपभोक्ताओं को दिलवा सकीं और बाकी frozen stocks अथवा released stocks की अगले सीजन शुरू होने से पहले तक खपत एवं निर्यात की क्या योजना है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

समुचित वितरण और यथोचित मूल्यों पर खांडसारी उपलब्ध हो सके इस विचार से लगभग ७३,००० मैट्रिक टन खांडसारी फ्रीज (freeze) की गई थी। इसमें से दिनांक ३१ जुलाई, १९६४ तक लगभग १,००० मैट्रिक टन उपभोक्ताओं को दिलवाई गई। ३९,००० मट्रिक टन frozen stocks जो इस समय विद्यमान हैं उनमें से लगभग १९,००० मैट्रिक टन

का कोटा उपभोक्ताओं को अलाट (allot) कर दिया गया है। बाकी लगभग २०,००० मैट्रिक टन को प्रदेश में व उसके बाहर आवश्यकता अनुसार खर्च करने का प्रश्न विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त लगभग २६,००० मैट्रिक टन खांडसारी निर्माताओं तथा व्यापारियों को निर्धारित मूल्यों पर प्रदेश में स्वतंत्ररूप से बेचने के लिये छोड़ दिया गया है। इसमें से भी कुछ मात्रा प्रदेश से बाहर भेजने का मामला भी सरकार के विचाराधीन है। शेष ७,००० मैट्रिक टन का विवरण कुछ जिलाधीशों से प्राप्त नहीं हुआ है।

कटिया ग्राम में कथित भुखमरी

**४—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार को पता है कि अभी हाल में खेदू अहीर की विधवा, ग्राम कटिया, पी० एस० उस्का बाजार, जिला बस्ती भूख से मर गई है और इस क्षेत्र में बहुत से लोग फांका कर रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार इसके लिये क्या करने जा रही है ?

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)—

जी नहीं, यह सही नहीं है। वर्तमान खाद्य स्थिति को देखते हुए सरकार ने सस्ते गल्ले की दूकानों से गल्ला वितरण की व्यवस्था कर दी है।

श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

मंत्री जी किस आधार पर कहते हैं कि सही नहीं है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जो हमारे पास रिपोर्ट है और जो जांच की गयी है उसमें कहा गया है कि खेदू अहीर की विधवा, ग्राम कटिया, थाना उस्का की रहने वाली थी। उसकी उम्र लगभग ७० वर्ष से अधिक थी और लगभग १ महीने से पेचिस खूनी बवासीर आदि से बीमार थी जिसके कारण मृत्यु हुई। उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि खेदू अहीर की बहू ने की। ग्राम के प्रधान श्री राम सुभग पाठक, भोला अहीर, नर्बदेश्वर पाठक, उदयराज प्रसाद पांडेय, जो उस गांव में रहते हैं और मान्य व्यक्ति हैं, ने भी इस बात का बयान दिया है कि खेदू अहीर की विधवा का देहान्त ज्वर आदि के कारण हुआ है, भुखमरी से नहीं।

श्री जगदीश प्रसाद पांडेय—

उसके घर की जांच करायी और एक दाना भी अनाज नहीं मिला।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

उसके पास २.५३ एकड़ जमीन है और सस्ते गल्ले की दुकान से गल्ला प्राप्त करने के लिये राशन कार्ड उसके यहां मिला, जैसी पहले रोज इस पर बातचीत हो चुकी है।

श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

मंत्री जी बतायेंगे कि कि किस तारीख को वह मरी और राशन कार्ड किस तारीख से बन रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मरने की तारीख के लिये नोटिस चाहिये।

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

मंत्री जी बतायेंगे कि जो स्त्री मरी है उसकी कहीं पर दवा की व्यवस्था हुई थी और उससे कुछ पता चला कि वह क्या बीमार थी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जो ७० वर्ष की बुढ़िया थी, वह कहीं अस्पताल में नहीं गई थी, जिससे रिकार्ड्स मालूम हो सके कि वह क्या बीमार थी और उसका क्या इलाज चलता रहा ।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने गोरखपुर डिवीजन में कुछ अधिक खाद्यान्न पिछले हफ्तों में भेजने का फैसला किया है ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो बस्ती के बारे में प्रश्न है ।

श्री कल्पनाथसिंह—

गोरखपुर डिवीजन में ही बस्ती है ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां, ३०० टन चावल उस डिवीजन को और दिया गया है ।

श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि मरने से ५ दिन के पहले से उस बुढ़िया को कोई अनाज नहीं मिला था और ३ दिन पहले से वह बरगद की पत्तियां खाकर गुजर कर रही थी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी नहीं, जिन सज्जनों का मैंने नाम लिया है, उन्होंने इस बात की कोई पुष्टि नहीं की है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि राशन कार्ड देने के साथ क्या उनके पास कोई ऐसी भी व्यवस्था है, जिसके द्वारा जिन लोगों के पास राशन लेने के लिये पैसा नहीं है, उनके लिये पैसे की व्यवस्था कर दी जाये ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को हिदायत है कि ऐसे लोगों को ग्रेटुटस रिलीफ में से पैसा दे दें ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

उसके लिये कोई सहायता की गई ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

मुझे इस बात की जानकारी है कि बस्ती जिले का कटिया गांव बहुत बैकवर्ड ऐरिया में स्थित है और यह तीन थानों के जंक्शन पर है, २ तहसीलों का किनारा है, नदियों की बाढ़ आने पर ५-५ मील का क्षेत्र बाढ़ से घिर जाता है, दवा-दारू आदि का कोई प्रबन्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या इस गांव की स्थिति को देखते हुए सरकार व्यवस्था करेगी कि यहां के अन्य लोग जो अब भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, जिनकी हमें सीधी जानकारी है, उनके प्राणों को बचाया जा सके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इसीलिये वहां पर ६ दूकानें खोल दी गयी हैं ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन लोगों नें रिपोर्ट दी है कि उक्त बुढ़िया भूख से नहीं मरी है, उन लोगों ने ऐसी कोई जानकारी सरकार को दी है कि फलां फलां आदमी के पास गांव में खाने के वास्ते नहीं है और उसमें क्या बुढ़िया का भी नाम है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जिन लोगों से रिपोर्ट प्राप्त की गयी है उन्होंने किसी ऐसी बात की सूचना नहीं दी है।

श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे, कि जो ६ दूकानें खोली गयी हैं वह कहां पर खोली गई और उन पर कितना गल्ला दिया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है, सिर्फ जिलाधीश ने सूचना दी है कि दूकानें खोल दी गयी हैं ।

बाढ़ एवं कटावग्रस्त क्षेत्रों के विद्यार्थियों की फीस माफ करने की सिफारिश

**५—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २० मार्च, १९६४ के तारांकित प्रश्न सं० ३ के उत्तर में दिये गये आश्वासनों की पूर्ति हेतु दिनांक २६ अप्रैल, १९६४ का भेजा हुआ आजमगढ़ जिले के कई उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का प्रार्थना-पत्र तालिका के साथ कटाव पीड़ित छात्रों की फीस माफी की क्षति पूर्ति हेतु उन्हें तथा जिलाधीश आजमगढ़ को प्राप्त हुए हैं ? तथा जिलाधीश द्वारा अगस्त के किसी सप्ताह में उक्त विद्यालयों को फीस माफी की क्षति के पूर्ति के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ?

शिक्षा मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

आजमगढ़ जिले के केवल एक विद्यालय अर्थात् सर्वोदय इन्टर कालेज, गाजियाबाद के व्यवस्थापक श्री रामसुन्दर पांडेय से तहसीलदार, घोसी, आजमगढ़ को सम्बोधित उनके २६-४-६४ के पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त हुई थी। इस प्रतिलिपि के साथ उस विद्यालय के कटाव से पीड़ित, छात्रों की फीस माफी के संबंध में एक तालिका संलग्न थी। उक्त तालिका में उल्लिखित छात्रों की फीस माफी आदि के संबंध में जिलाधीश, आजमगढ़ से अभी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिलाधीश, आजमगढ़ से रिपोर्ट के संबंध में कोई पूछतांछ की गयी है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जैसा कि मैंने निवेदन किया, जो मूलपत्र थे वह तहसीलदार को प्राप्त हुए थे, यहां केवल प्रतिलिपि आई थी और यदि उसमें कार्यालय जिलाधीश को कुछ आवश्यकता होती तो वह यहां से आदेश मांगते ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या शिक्षा मंत्री जी फिर से अपने कार्यालय से जानकारी हासिल करने का कष्ट करेंगे कि क्या किसी ने उक्त प्रार्थनापत्र तालिका के संबंध में कोई संस्तुति उनके पास भेजी है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

जरूर, कोई आयी है, तो देखूंगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या माननीय मंत्री जी को विदित है कि बाढ़ ग्रस्त एवं कटाव पीड़ित क्षेत्रों के विद्यार्थी फीस न दे सकने के कारण पढ़ाई छोड़ रहे हैं ? क्या माननीय मंत्री जी संरक्षण कराने की कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश--

यह विषय असल में अभाव विभाग द्वारा तय होता है । वहीं न पर विचार होता है और निर्णय भी होता है । जहां तक मेरी जानकारी है अभाव विभाग जरूर उस पर विचार भी कर रहा है ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न ।]

सयाना तथा सैदपुर क्षेत्रों में अन्नाभाव

*१--श्री कमलासिंह यादव तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

क्या सरकार को ज्ञात है कि विधान सभा क्षेत्र सयाना, जिला बुलन्दशहर तथा विधान सभा क्षेत्र सैदपुर, जिला गाजीपुर में खाद्य समस्या अत्यन्त जटिल हो गई है और जनता को विशेषकर मजदूरों, भूमिहीन लोगों तथा छोटे किसानों को अनाज मिलना दूभर हो गया है और भुखमरी की अवस्था उत्पन्न हो गई है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

प्रश्न में उल्लखित विधान सभा क्षेत्रों में खाद्य समस्या संबंधित जिलों के अन्य क्षेत्रों की भांति ही है, तथा इन क्षेत्रों से भुखमरी की अवस्था उत्पन्न होने की कोई भी सूचना शासन को नहीं मिली है ।

*२--श्री कमलासिंह यादव तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दोनों क्षेत्रों की खाद्य समस्या को दूर करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किया है ? यदि कुछ नहीं किया है, तो क्या तुरन्त करेगी ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

उल्लिखित क्षेत्रों में सस्ते गल्ले की दूकानों द्वारा सभी गरीब व भूमिहीन व्यक्तियों को गल्ला देने में पूर्ण ध्यान रखा जाता है तथा प्राथमिकता करती जाती है ।

श्री कमलासिंह यादव--

क्या यह सही है कि प्रश्न १ के संबंध में माननीय नेगी साहब से मैं मिला और उन्हें पूरी सूचना भी दी । फिर अभी तक २० न्यायपंचायतों में कोई गल्ला नही दिया गया । तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

क्षेत्र सैदपुर, जिला गाजीपुर के संबंध में यह बात सही है कि माह जुलाई के आरम्भ में ८-१० दिन तक गल्ला नहीं मिला लेकिन अब तो दिया जा रहा है।

श्री कमलासिंह यादव---

अगर आप गल्ले का हिसाब लेंगे तो देखेंगे कि वहां पर अभी तक गल्ला नहीं पहुंच पाया है। खरीफ की फसल भी सारी की सारी खराब हो गयी है। यहां तक कि अब तक धान का बीज जो होता है उसका ट्रान्सप्लान्ट नहीं किया जा सका, न वहां पर कोई साधन है। वहां पर ऐसे लोग जो बेकार हैं उनके पास न खाने को है और न कोई साधन है। तो उनको जिन्दा रखने के लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

मैंने जैसा पहले भी कहा उनके लिये जिलाधीश और जिले की खाद्य समिति द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि वे जिस इलाके में भुखमरी या स्केयरसिटी देखें वहां उसको ज्यादा मात्रा में गल्ला दे सकते हैं। अभी हाल में बाढ़ क्षेत्र में ३०० टन गोरखपुर में और ३०० टन वाराणसी में चावल दिया गया है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

विधान सभा क्षेत्र सैदपुर, जिला गाजीपुर में भूमिहीन और मजदूर लोग ३५ से ४० प्रतिशत हैं लेकिन आपने केवल १२॥ प्रतिशत लोगों के लिये राशन की व्यवस्था की है तो माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आपने क्या स्टैन्डर्ड रखा जब कि ४० प्रतिशत में से केवल आप १२॥ प्रतिशत को ही गल्ला देने की व्यवस्था की है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

मुझे उनके साथ सहानुभूति है लेकिन मैंने आपके प्रश्न में भी कहा है कि मैं आपको छोड़ दूं कि किसी में १०,५ व किसी में ८ प्रतिशत कर लें।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि आर० एफ०सीज़ कमिश्नर्स को जितना जितना कोटा मिलता है उसमें पूरा कोटा नहीं पहुंचता है जहां पर ५०० टन कोटा था वहां पर केवल १॥ सौ टन ही गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

मैं इसकी जानकारी कराऊंगा और उसको दिलाने की कोशिश करुंगा।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---

क्या माननीय मंत्री जी को सूचना है कि गाजीपुर की खाद्य समिति का कोई ऐसा प्रस्ताव आया है कि केवल १२॥ प्रतिशत जनसंख्या को ही गल्ला दिया जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

अभी मेरे सामने वह प्रस्तुत नहीं की गयी है। जब आयेगी तो उस पर विचार किया जायगा।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)---

जिला खाद्य सलाहकार समिति द्वारा जितनी दूकानें खोली गयी हैं उतना गल्ला उपलब्ध नहीं है तो खाद्य सलाहकार समितियों के निर्णय को माननीय मंत्री कार्यान्वित करने के लिये क्या कर रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

गल्ला जितना उपलब्ध है उसी को बांटना है। हम यह चेष्टा करते है कि उनको गल्ला मिले और इसके लिये इधर उधर से गल्ला मांगने का प्रयत्न करते है और जितना हमारे पास है उसके अन्तर्गत ही ज्यादा से ज्यादा अच्छा इन्तजाम करना पड़ेगा ।

श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)--

क्या माननीय मंत्री निश्चित रुप से कह सकेते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जिस वर्ग को वह सस्ता गल्ला और जिस वर्ग को मुक्त गल्ला देना चाहते हैं उस वर्ग के राशन कार्ड समस्त जिलों में बन चुके हैं और बट चुके हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जितना गल्ला हमारे पास है उतना तो हम देंगे ही लेकिन जहां तक राशन कार्ड की बात है उसे राशन कार्ड नहीं परिचय पत्र अथवा सूची कहिये उसको बनाने के आदेश दिये जा चुके हैं और एक दो दिन में पता चल जायगा कि किस स्थान पर बने है और किस स्थान पर नहीं बने हैं ।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--

माननीय मंत्री जी ने कहा था कि ८५ परसेन्ट शहरों में और २० परसेन्ट देहातों में गल्ला देने की उनकी योजना है उसके अनुसार सवा करोड़ के करीब देहात में और ८५ हजार शहरों में हिसाब बैठता है, क्या इसी प्रोपोर्शन से देहात तथा शहरों में गल्ला दिया जा रहा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

ऐसा हमारा अन्दाज था और उसी हिसाब से हम बांट रहे हैं ।

श्री कमलासिंह यादव--

नेगी साहब तथा मुख्य मंत्री ने कहा था कि चावल का चूर आने वाला है उसमें से दो हजार टन गाजीपुर जिले को देने के लिये वायदा किया था और चोटा सस्ते रेट पर देने का वायदा किया था तो मैं यह जानना चाहता हूं कि चोटा और चावल का चूर कब तक गाजीपुर जिले में पहुंच जायगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

आने के पहले ही इन एडवान्स ३०० टन गाजीपुर जिले को एलाट कर दिया है । टूटा हुआ चावल अभी पहुंचा नहीं जैसे ही आ जायगा फौरन ही बांट दिया जायगा ।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)--

देहाती क्षेत्रों में गल्ला अधिक उपलब्ध कराने हेतु शहरी क्षेत्रों में एक निश्चित रकम से ऊपर जिनकी आमदनी है उनको फेयर प्राइस शाप्स से गल्ला न दिया जाय क्या सरकार इस तरह की व्यवस्था करने को तैयार है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

मैं भी इस बात पर विचार करता था लेकिन अगर ऐसा किया जाता है तो कीमतें जो पहले ही चढ़ी हुई हैं उनके और अधिक चढ़ जाने का अन्देशा है । इस बात पर भी सरकार को विचार करना है कि कीमतें बढ़ानी है या कीमतों को रोकना है तभी शहरी क्षेत्र से बचा कर गल्ला देहाती क्षेत्र को दिया जा सकता है ।

श्री नवलकिशोर--

८५ परसेन्ट गल्ला शहरी क्षेत्रों में और २० परसेन्ट देहाती क्षेत्रों में देने की जो व्यवस्था है उसको देखते हुए क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि बरेली जिले में ५ परसेन्ट भी देहाती क्षेत्रों में गल्ला नहीं दिया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जून और जुलाई में नहीं दिया गया लेकिन अब दिया जायगा, यह मैं अब कह रहा हूं।

श्री कमलासिंह यादव--

क्या मंत्री जी गाजीपुर जिले की खाद्य समस्या तथा भुखमरी की दशा को जानने के लिये माननीय गेंदासिंह जी को वहां भेजकर सही जानकारी प्राप्त करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

माननीय गेंदा सिंह जी कमेटी के सदस्य हैं। वह जब चाहे तब जा सकते हैं, उनको पूरा अधिकार है।

मथुरा जिले में आटा न मिलना

*३--श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा) तथा श्री केदारनाथ भार्गव (जिला मथुरा)--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को जानकारी में यह बात है कि मथुरा जिले में देहाती क्षेत्र की समस्त गल्ले की दूकानों पर (जिन पर मिल का पिसा आटा बिकता है) आटा समाप्त हो गया है और आगरा तथा पास के अन्य रोलर मिलों ने उसको आटा देने से इंकार कर दिया है, जिससे जिले के ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है ? यदि हां, तो सरकार इस स्थिति को सम्भालने के लिये क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

मथुरा जिले के देहाती क्षेत्रों के लिये आटे के इन्डेन्ट आगरा की मिलों से उचित मात्रा में दूकानदारों को दिये गये और आटा मिलों से दूकानदारों ने आटा उठाया, परन्तु गेहूं का स्टाक मिलों को प्राप्त न हो सकने के कारण समय समय पर कुछ मिलें बन्द रही। फलतः कुछ दूकानदारों को आटा नहीं मिल पाया। परन्तु अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में दूकानों पर आटा उपलब्ध है और उसका वितरण हो रहा है।

मिलों को गेहूं शीघ्रातिशीघ्र भेजा जाय, इसके लिये भारत सरकार से बराबर अनुरोध किया जा रहा है। जिससे सभी ग्रामीण क्षेत्रों को आटा शीघ्र पहुंच सके।

श्री कन्हैयालाल--

श्रीमन्, उत्तर में कहा गया है कि अधिकांश दूकानों पर आटा है जब कि मेरी सूचना है कि केवल २५ प्रतिशत दूकानों पर आटा है तो मैं जानना चाहता हूं कि कितनी दूकानें हैं और कितनी पर आटा मौजूद है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

श्री कन्हैयालाल--

श्रीमन्, मंत्री जी ने कहा है कि केन्द्र से मिलों को गेहूं देने की प्रार्थना की है, मैं यह चाहता हूं कि जब तक केन्द्र से गेहूं आये तब तक प्रदेश के कोटे में से ग्रामीण क्षेत्रों को गेहूं दिलाने की मंत्री जी कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जी हां, कोशिश करेंगे। अगर आटा नहीं मिलता है तो गेहूं मिल जाय।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि हमारे जिले की दूकानों को क्यों तोड़ डाला गया है ? प्रत्येक आदलती क्षेत्र में एक दूकान है और उस पर भी १५ हजार की आबादी लगी हुई है और उस दूकान को कुल २८ बोरी प्रति सप्ताह राशन मिलता है, इस तरह से कौन दूकान करेगा और केवल ८ आदमियों को राशन कार्ड मिलेगा तो भूखे लोग क्या करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जैसा मैंने पहले कहा कि कोई कंट्रोल नहीं है। यह तो ५ प्रतिशत सारे केन्द्र में आता है और उसमें से थोड़ा सा हिस्सा प्रदेश में आता है तो सस्ते गल्ले की दूकान से सारी आबादी को खिलाना संभव नहीं है। इसके लिये खुला बाजार है और जिनके पास गल्ला है उनको बांट देना चाहिये।

श्री राधेश्याम शर्मा--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पहले मथुरा जिले में ३६० दूकानें थीं वहां अब केवल १४१ रह गई हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

यहां से कोई दूकान नहीं तोड़ी है, जिले में उन्होंने प्रबन्ध किया होगा।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--

क्या मंत्री जी को मालूम है कि गर्मी की वजह से यहां की हालत और भी भयंकर हो गई है ? इसलिये क्या वे जिलाधीश को आदेश देंगे कि और दूकानें खोली जायं और पूरी मात्रा में गल्ला दिया जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

खाली दूकानों के खोलने से कोई लाभ नहीं होगा। जिनके पास गल्ला है उनसे माननीय सदस्य निकलवा कर बंटवाने की कोशिश करें तो समस्या हल हो सकती है।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मिलों के आटा न देने की शिकायत और भी जगहों से आयी है और यह भी आयी है कि वे ब्लैक में मांगते हैं ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की जा रही है और उनको सजा करने जा रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

यह बात नहीं है। उनको इन्कार करने का कोई अधिकार नहीं है। वे इन्कार नहीं कर सकते। जब गेहूं नहीं रहता है तो आटा नहीं पीसा जाता। गेहूं की कमी की वजह से वे नहीं दे पाते हैं वरना ऐसी कोई शिकायत हमारे पास आयेगी तो उसके लिये सख्त कार्यवाही की जायगी।

श्री कन्हैयालाल--

अभी देहाती क्षेत्र के लिये आश्वासन दिया गया है। मैं यह अर्ज करता हूं कि नई फसल आने में अभी १५ दिन हैं तब तो किसानों के पास थोड़ा बहुत अनाज आ जायगा। मैं यह चाहता हूं कि फौरन कोई प्रबन्ध होता कि जल्द से जल्द वहां गल्ला पहुंच सके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

उस कोटे के अन्तर्गत मैंने कहा कि आटा नहीं मिलता है तो गेहूं का प्रबन्ध कर दिया जायगा।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

मैं यह जानना चाहता हूं सरकार से कि परगना कछौन्दी राघवपुर, तहसील बिलग्राम में जो दूकानें सरकार की तरफ से खोली गईं उनमें आटा सड़ रहा है, लोगों के पास परिचय-पत्र नहीं है जिससे उसका बटवारा हो सके तो सरकार इसका कोई प्रबन्ध करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह स्थान मथुरा में नहीं है।

श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पंजाब से जो गेहूं का आटा मिलने की व्यवस्था प्रदेश के लिये है उसके लिये व्यक्तिगत परमिट जिलों में दिये जा रहे हैं और कुछ ट्रक आटा आया भी है लेकिन जो आया वह लोगों को नहीं मिल पाता है तो क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जिलेवार पंजाब से आटा मंगाने की व्यवस्था हो जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह पंजाब ने हमारे लिये लिखा है कि वहां मिलों को कोटा न मिलता तो वे आटा न देते मगर अब कुछ दिया जा रहा है। अतएव हमारी सरकार को उन्होंने लिखा है कि इसमें वह कुछ अपनी तरफ से हमारी मदद करेंगे। इसलिये जो हमारे पास आता है हम उसकी मदद कर रहे हैं।

केन्द्र से प्राप्त गल्ला तथा गोरखपुर व वाराणसी डिवीजन का कोटा

*४—श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ जुलाई, १९६४ से आज तक राज्य को केन्द्रीय सरकार ने कुल कितना गल्ला दिया है और राज्य सरकार ने केन्द्र से गल्ले के कितने कोटे की मांग की है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जुलाई माह में केन्द्रीय सरकार से १,००,००० मैट्रिक टन गेहूं की मांग की गई जिसमें से केवल केन्द्रीय सरकार ने ४०,१५० टन दिया। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने २२,६८३ टन कैवाल नगरों, बरेली व मेरठ को दिया तथा ६७,६२० टन मिलों को एलाट किया। अगस्त माह से केन्द्रीय सरकार ने इस प्रदेश का कोटा १,०५,००० टन प्रति माह नियत कर दिया है। जिसमें कैवाल नगर बरेली व मेरठ का तथा मिलों का कोटा भी शामिल है यद्यपि हमारी मांग १,७६,००० टन प्रति माह की रही है।

*५—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर और वाराणसी डिवीजनों के जिलाधीशों ने राज्य सरकार से प्रति माह गल्ले के कितने कोटे की मांग की है और गत जून, जुलाई में इन जिलों को अलग-अलग कितना गल्ला दिया गया है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

वांछित सूचना की एक तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५६४ पर)

श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो प्रदेश की मौजूदा मांग है केन्द्रीय सरकार से उसमें ७१ हजार टन की कमी आ जाती है। पूरे प्रदेश में गल्ले की बड़े पैमाने पर कमी है। जब केन्द्रीय खाद्यान्न मंत्री ने इस प्रदेश का दौरा किया तो उन्होंने इस पर आश्वासन दिया था। आने वाले महीनों में, जो संकट के महीने आने वाले हैं, उनमें यहां का कोटा बढ़ेगा या यह हालत ऐसे ही पड़ी रहेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इसके लिये उन्होंने साफ इस बात को कहा कि हमारी कैपेसिटी इससे ज्यादा नहीं है। दो, चार महीने बाद हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस बीच में नहीं बढ़ा सकते।

श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि पूर्वी जिले के जो स्कैयरसिटी एरिया हैं वहां के जिलाधीशों ने जितनी मांग की है उसका भी ४० फीसदी दिया गया है खाद्यान्न, गोरखपुर और बनारस डिवीजनों में, और ऐसे क्षेत्र भी हैं कि जहां २०, २५ हजार की आबादी में एक भी सस्ते गल्ले की दूकान नहीं है, इसे ध्यान में रखते हुए उस क्षेत्र की सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यादव जी को समझ लेना चाहिये कि अगर उनकी मांग का ५० प्रतिशत गल्ला उनको मिल चुका है तो पूरे प्रदेश की स्थिति को देखते हुए जितनी सहूलियत उनको मिलनी चाहिये थी वह हमने दी है।

श्री चन्द्रजीत यादव—

श्रीमन्, मंत्री जी का स्टेटमेंट कंट्रेडिक्टरी है। प्रदेश की जरूरत का २/३ केन्द्रीय सरकार दे रही है और पूर्वी जिले जो अभाव ग्रस्त हैं उनका मैं उदाहरण हूं कि बस्ती के जिलाधीश ने ५,५५० टन की मांग की लेकिन उसे १,१८६ टन ही मिला, उसकी जरूरत का २० फीसदी और कमोबश यही हालत सारे जिलों की है, तो उधर के हालात की जानकारी रखते हुए वह कम गल्ला क्यों दे रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

हमने यह वितरण कमिश्नरों के जिम्मे कर दिया है कि हर जिले के प्रोडक्शन को देखते हुए, आबादी को देखते हुए वे यह व्यवस्था करें। उनकी मांग ५३,०८० में से २२,००० के करीब उनको मिला है और ४०,००० हमको कुल देना चाहिये था।

श्री भानुप्रतापसिंह—

आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि किसी जिले में २० प्रतिशत भी नहीं दिया गया और कहीं १०० फीसदी से भी ज्यादा दिया गया जैसे जौनपुर में १,४८० की मांग थी और २,५४३ टन दिया गया। तो इस अधिक देने का क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह तो टाउन्स पर डिपेंड करता है।

श्री झारखण्डेराय—

मंत्री जी ने बतलाया कि देश की जरूरत का कुल ५ प्रतिशत गल्ला बाहर से आता है, तो ९५ प्रतिशत गल्ला जो छिपा हुआ है उसे बाहर निकालने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये ? जैसे पंजाब ने भटिंडा और मोगा में, मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर में,

बिहार ने पटना और मुंगेर में और दिल्ली ने कार्यवाही की है और लाखों मन गल्ला बरामद किया है वैसा उस दिशा में सरकार ने कौन सा कार्य किया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

हमारे यहां के गल्ला व्यापारी उन प्रदेशों के व्यापारियों से अक्लमन्द हैं। उसका गल्ला शहर में नहीं रखा है। वह देहातों में है और जितनी उसे आवश्यकता होती है वह मंगाता है। इसलिये देहात को हम देख रहे हैं और लिस्टें बनवा रहे हैं। अभी इलाहाबाद की रिपोर्ट निकली है कि वहां के लोगों ने परसूएशन से बहुत काफी निकाला है। ऐसे ही मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय सदस्य बजाय और काम करने के उनको परसूएड करें और बटवायें तो और ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)--

मान्यवर, क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से बीज के लिए गल्ले की मांग की थी और यदि नहीं तो आगे आने वाली रबी की फसल कैसे बोयी जायगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

२५ हजार टन पंजाब का आना है, कब तक पहुंचे यह पता नहीं है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

क्या यह सत्य है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कन्ज्यूल टाउन्स बरेली तथा मेरठ की डाइरेक्ट सप्लाई करने की जिम्मेदारी ली थी और उनको फीड करने की पूरी जिम्मेदारी ली थी, तो इस बात को देखते हुए कि बरेली और मेरठ में पिछले ४ महीने से कतई नहीं पहुंचा है, सरकार ने जो इस सम्बन्ध में कार्यवाही की हो उससे सदन को जानकारी करायेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

मैंने जानकारी खुद बरेली की बात की थी और हमने ८ किलोग्राम के बजाय ६ किलोग्राम वहां करके देहात को दिया। बरेली में एक महीने के लिए स्टाक आ गया है, बीच में कुछ कमी पड़ी थी।

श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)--

जब हम कहा करते थे कि छिपा हुआ गल्ला क्यों नहीं निकालते तो मंत्री जी कहते थे कि मुझको मालुम नहीं है, अब तो मंत्री जी को जानकारी हो गयी कि कुछ गल्ला देहात में है कुछ बाजार में छिपा हुआ है तो उनको निकालने में क्या कठिनाई हो रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

मैंने बाजार में तो कहा नहीं, मैंने तो देहात में कहा।

श्री नवलकिशोर--

जैसा अभी खाद्य मंत्री ने कहा कि यू० पी० के ट्रेडर्स बहुत होशियार हैं, वह देहात में गल्ला रखते हैं, तो क्या मंत्री जी ने कुछ देहातों में तलाशी ली है या उनका यह अन्दाजा काल्पनिक है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

हमने जो कुछ किया है उसको पब्लिक इंटरेस्ट में बताना उचित नहीं है।

जिला पूर्ति अधिकारियों को हटाना

*६—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत एक माह के अन्दर राज्य के कुछ पूर्ति विभाग ने जिला अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने कार्यवाही की है? यदि हां, तो किस के विरुद्ध किस प्रकार की कार्यवाही की गयी है?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

गत एक माह के अन्दर दो जिला पूर्ति अधिकारियों की सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं। राज्य को उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं थी।

श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या माननीय मंत्री जी उन जिलों के नाम बतायेंगे, जहां जिला पूर्ति अधिकारियों की सेवायें समाप्त की गयी हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

आजमगढ़ और सीतापुर।

श्री चन्द्रजीत यादव—

माननीय मंत्री जी के उत्तर में जो कहा गया है कि आजमगढ़ सप्लाई आफिसर के खिलाफ बहुत बड़े करप्शन के चार्जेज थे जिसकी वजह से विभिन्न जिलों के लोग इनक्लूडिंग 'कांग्रेस—उनके खिलाफ थे। तो क्या उन आरोपों के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सरकार ने अभी इसकी कोई आवश्यकता 'नहीं समझी'। जब आवश्यकता होगी, तब विचार होगा।

श्री झारखण्डेराय—

आजमगढ़ के जिस डी० एस० ओ० की बात हो रही है वह, और सीतापुर के जो सज्जन बरखास्त किये गये हैं वह, क्या इसके खिलाफ सरकार को किसी दल से शिकायत मिली थी या मंत्री महोदय को अपनी किसी सोर्स से कोई शिकायत मिली थी? क्या मंत्री महोदय इस विषय में बताने की कृपा करेंगे?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इनके खिलाफ शिकायत का प्रश्न नहीं होता। यह तो प्रोसीजर की बात होती है। उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं थी, इसलिये उनकी सेवायें समाप्त हो गयीं।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस पूरे प्रदेश के ५४ जिलों में उन्हीं केवल दो की सेवायें समाप्त की गयीं और केवल उन्हीं दो के विषय में आवश्यकता महसूस की गई, तो इसका आधार क्या था आपका?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

वैसे तो हमीरपुर में भी निलम्बित पड़े हैं। लेकिन आपका क्या मतलब है कि अनावश्यक भी निकालते चल जायं।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन पर बहुत गम्भीर आरोप थे भ्रष्टाचार और गबन के इसलिये इनको बरखास्त किया गया? क्या यह सही है?

श्री अध्यक्ष---

वह तो कहते हैं कि उनकी सरविसेज टरमिनेट कीं। इसके अलावा और कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।

श्री हिम्मतसिंह---

टरमिनेशन के पहले आरोप थे, इसलिये क्या उनकी सेवायें समाप्त की गईं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

आरोप थे, लेकिन बात यह है कि उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं थी, इसलिये उनकी सरविसेज टरमिनेट कर दी गई।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)---

हर जिले के पूर्ति अधिकारी के खिलाफ चाजज हैं। तो क्या मंत्री जी ऐसी कोई मशीनरी सेट अप करेंगे जो उनके खिलाफ लगातार जांच करती रहें?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

यह हमारी अपनी मशीनरी है।

उतरौला परगना में अन्नाभाव

*७---श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा)---

क्या सरकार को ज्ञात है कि परगना उतरौला, जिला गोंडा के शाहपुर इटई नगवा तथा पुरैना बलन्द न्याय पंचायत अदालत में वहां की जनता को सस्ता गल्ला नहीं दिया गया और न उनके लिये अभी तक कोई सस्ते गल्ले की दुकान का प्रबन्ध किया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

परगना उतरौला में शाहपुर इटई में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के लिये श्री अब्दुल कयूम ने प्रार्थना-पत्र दिया परन्तु वे एग्रीमेंट के लिये उपस्थित नहीं हुये जिस कारण वहां दुकान नहीं खोली जा सकी। नगुवा में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान खोलने के लिये जिलाधीश ने मांग की है जिसके हेतु आवश्यक आदेश दे दिये गये हैं।

पुरैना बलन्द के लिये किसी भी व्यक्ति ने प्रार्थना-पत्र नहीं दिया है जिससे वहां भी दुकान नहीं खोली जा सकी है। इन कारणों से जनता को गल्ले का वितरण नहीं हो सका।

*८---श्री सूरजलाल गुप्त वकील---

क्या सरकार को पता है कि वहां की जनता में त्राहि-त्राहि मची हुई है? यदि हां, तो क्या सरकार उनके लिये सस्ते गल्ले की दुकानों का प्रबन्ध करने की कृपा करेगी?

श्री हरीदत काण्डपाल---

इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री सूरजलाल गुप्त वकील---

कय्यूम को एग्रीमेंट फार्म भरने की नोटिस कब दी गई?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

मंजूरी के साथ एग्रीमेंट इम्पालाइड होता है।

श्री सूरजलाल गुप्त वकील---

अब्दुल कय्यूम को कब बताया गया कि अर्जी मंजूर हो गई है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

नोटिस चाहिये।

श्री हरीश कुमार गंगवार---

क्या मंत्री जी जांच करायेंगे कि अब्दुल कय्यूम को कोई नोटिस या सूचना भेजी ही नहीं गई ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---

यदि माननीय सदस्य उनसे प्रार्थना-पत्र दिला दें कि इत्तला नहीं दी गई तो जांच करली जायगी।

श्री सूरजलाल गुप्त वकील---

अब्दुल कय्यूम के अलावा और किसी के प्रार्थनापत्र पर भी विचार किया गया या नहीं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

नोटिस की आवश्यकता है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

दुग्धशाला प्रदर्शन क्षेत्र, मथुरा

*१---श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)---

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पशुपालन हेतु जो मथुरा में जमुना-किनारे पर फार्म है इस में कितने एकड़ भूमि है और इस में सन् १९६३ और १९६४ के मार्च तक पशुओं के लिए कितना चारा पैदा हुआ ?

कृषि उपमन्त्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)---

जिला दुग्धशाला प्रदर्शन क्षेत्र, मथुरा में ७८२.३३५ एकड़ भूमि है। १९६३-६४ में ७६,५२३ मन चारा पैदा हुआ।

*२---श्री लखीसिंह---

क्या उक्त फार्म में ट्यूब वेल से सिंचाई होती है ? यदि हां, तो इस फार्म की भूमि साल भर में कितने दिन खाली पड़ी रहती है और क्यों ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

जी हां। खरीफ में खेती पूरे २०० एकड़ भूमि पर जो कृषि योग्य है, की जाती है किन्तु रबी में खेती केवल १५० एकड़ भूमि में ही होती है। शेष भूमि पर खेती इस लिए नहीं होती क्योंकि इसे हाल ही में समतल किया गया है और सिंचाई हेतु आवश्यक नालियां नहीं बनायी जा सकी हैं।

*३—श्री लखीसिंह—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस फार्म के पशुओं का दूध जो बेचा जाता है, उस की आमदनी सन् १९६२ से सन् १९६४ के जून तक सरकार को कितनी प्राप्त हुई और इस फार्म की जांच साल भर में होती है या नहीं ? यदि हां, तो सन् १९६४ में किस महीने में किस अधिकारी ने की ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

दुग्ध पदार्थों की बिक्री से आय निम्नलिखित है।

१९६१–६२	..	..	..	८७,३९१.९१
१९६२–६३	..	..	..	९९,३३८.५५
१९६३–६४	..	..	..	९६,५८७.१८
१–४–६४ से ३०–६–६४	..	..	..	२१,७१२.६४

इस फार्म का निरीक्षण समय-समय पर विभागीय अधिकारी करते रहते हैं तथा महालेखाकार के कार्यालय के निरीक्षकों द्वारा भी इस के लेखे जोखे की जांच सामयिक रूप से की जाती है। इस के अतिरिक्त एक समिति प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में बनी हुई है जो त्रैमासिक मिलती है और जानवरों की जांच, अपने विषय के अनुसार करती है। इस समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं :—

(१) प्रोफेसर, एनीमल जेनिटिक्स एवं ब्रीडिंग।
(२) प्रोफेसर, एनिमल न्यूट्रीशन।
(३) प्रोफेसर, ऐनीमल गायनाकालोजी तथा रिप्रोडक्शन।
(४) रिसर्च आफिसर, एनिमल न्यूट्रीशन।
(५) रिसर्च आफिसर, हैरिटिबिलिटी।
(६) रिसर्च आफिसर, कृत्रिम गर्भाधान।

इस वर्ष (१९६४) में यह मीटिंग जनवरी व अगस्त के महीने मे हुई थी।

श्री लखी सिंह—

क्या मन्त्री महोदय जो बताने की कृपा करेंगे कि उस फार्म के पशुओं के लिए बाहर से भी चारा मंगाया जाता है ? यदि हां, तो कितने का ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

सूचना की आवश्यकता है।

श्री लखी सिंह—

उस भूमि को कृषि योग्य बने कितने साल हुये और कितनी जमीन पर नालियां नहीं बनायी गयीं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

५० एकड़ भूमि समतल तो हो गयी है, लेकिन उस पर नालियां नहीं बनी हैं।

श्री लखीसिंह—

उक्त फार्म तथा दूध की चीजों की गोलमाल की शिकायत क्या मन्त्री जी को मिली ? यदि हां, तो कितनी और क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

कोई शिकायत नहीं मिली।

श्री लखीसिंह---

क्रीम और मक्खन निकला दूध क्या बेचा जाता है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

जी हां, वह दूध या दूध से बना पदार्थ बेचा जाता है।

श्री झारखण्डे राय---

क्या यह पूरा फार्म घाटे पर चल रहा है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

इस फार्म पर रिसर्च का भी काम होता है। घाटे का सवाल नहीं है।

श्री राधेश्याम शर्मा---

२०० एकड़ भूमि में से जो १५० एकड़ पर खेती होती है, क्या सर्वे कराके सारी पर सुचारु-रूप से खेती करावेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

इस की आवश्यकता नहीं है। २०० एकड़ में ही खेती होती है।

श्री झारखण्डेराय---

इस फार्म पर प्राइवेट पशु भी आ कर चरते हैं क्या ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

बाहर वालों के लिए कोई प्राविधान नहीं है।

श्री शिवराजसिंह---

क्या माननीय मन्त्री जी इस फार्म की इस प्रकार की व्यवस्था करने की कृपा करेंगे कि उसके कुछ हिस्से पर इस प्रकार रिसर्च और एजुकेशन दी जाय कि जिससे फार्म कार्मशियल ढंग पर चले और वहां के प्रोफेसर और स्टूडेंट फार्म कार्मशियल ढंग पर चलाना सीख जायं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

यह तो बड़ा कठिन है कि इस फार्म को कार्मशियल ढंग पर चलाया जाय, लेकिन इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री लखीसिंह---

माननीय मन्त्री जी ने बताया कि वह सेपरेटा बेचा जाता है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वह सेपरेटा किस भाव पर बेचा जाता है और किसके द्वारा बेचा जाता है तथा साल में कितने रुपये का सेपरेटा बिकता है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माननीय भूतपूर्व उपमन्त्री श्री शिवराजसिंह ने जो सुझाव माननीय मन्त्री जी के सामने रखा, क्या वह जिस समय मन्त्री पद पर थे, तो उन्होंने अपने सुझाव को कार्यान्वित करने की कोई योजना बनायी थी ?

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री दीपनारायणसिंह--

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात को देखते हुये कि उस फार्म में कुछ गड़बड़ी की आशंका इधर से प्रकट की गयी है उसी जिले के विधायकों की तरफ से, तो उसके लिए एक ऐसी कमेटी विधायकों की बनायेंगे छोटी सी जिसके कि भूतपूर्व कृषि उप-मन्त्री अध्यक्ष हों, और वह छान-बीन करे कि किस तरीके से इस फार्म का उपयोग करके इसका खर्चा बचाया जा सकता है और इसे आदर्श फार्म बनाया जा सकता है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

इस की आवश्यकता नहीं है। फार्म की एक कमेटी पहले से ही बनी हुई है जो इसकी देख-रेख और व्यवस्था करती है।

वाराणसी में अन्नाभाव

*४--श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में जून व जुलाई, सन् १९६४ में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर गल्ला ठीक से नहीं था, जिसकी वजह से हफ्तों दुकानें बंद रहीं ? क्या जून में चावल का दाम ६ रुपये क्विंटल व गेहूं का दाम २ रुपये क्विंटल बढ़ा दिया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और वाराणसी में कितने गल्ले की जरूरत प्रतिमाह सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर है ?

श्री हरीदत काण्डपाल--

जी नहीं।

ऐसी कोई सूचना सरकार को नहीं प्राप्त हुई

चावल तथा गेहूं के बढ़ाये गये दामों के बारे में सूचना माननीय सदस्य को उन के प्रश्न संख्या ४ के उत्तर में दिनांक १७ अगस्त, १९६४ को दी जा चुकी है।

जिला वाराणसी की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर कितने खाद्यान्नों की मासिक आवश्यकता होगी, यह बताना सम्भव नहीं है क्योंकि उनकी मांग समय-समय पर घटती बढ़ती रहती है। फिर भी इन दुकानों द्वारा गत मई, जून व जुलाई मासों में वितरित गल्ले का विवरण इस प्रकार है :--

मास	गेहूं	चावल	आटा
	क्विन्टल	क्विन्टल	क्विन्टल
मई	३५,६७०	८,०३९	१४,२८३
जून	४७,९६७	९,३१५	७,०२९
जुलाई	४८,८२३	१०,६९५	११,३५७

श्री ऊदल--

जिलाधीश, वाराणसी ने इन महीनों के लिए कितने क्विन्टल गेहूं, चावल और आटे की मांग की थी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री ऊदल--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इधर कुछ दिनों से हर सस्ते गल्ले की दुकान पर जो गल्ला बेचा जाता था उस में आधा कर दिया गया है, पचास परसेंट बिकता है, पचास परसेंट की कटौती कर दी गयी है और कुछ राशन की भी कटौती कर दी गयी है, क्या ऐसी सूचना माननीय मन्त्री जी को है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

यह कटौती मई में तो कम हुई, जून में उससे बढ़ी, और जूलाई में उससे बढ़ी। आटे में कटौती नहीं की गयी। देहात का कोटा निर्धारित किया हुआ है।

श्री ऊदल--

क्या सरकार ने फी यूनिट राशन में कटौती कर दी है और यदि ऐसा कर दिया है तो क्या सरकार उस कटौती को पूरा करने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--

देहात में कुछ और हिसाब था, अब ६ किलोग्राम प्रति यूनिट कर दिया गया है और शहर में ८ किलों से घटा कर ६ किलो कर दिया गया है। जो बचत हुई है उससे ही देहात में दिया गया है।

सस्ते गल्ले की लूटी हुई तथा बन्द की दुकानें

*५--श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सस्ते गल्ले की दुकानों पर गल्ला न पहुंचा सकने के कारण, जून, १९६४ के अन्त में तथा जुलाई, १९६४ के प्रथम सप्ताह से उत्तर प्रदेश भर में कितनी सस्ते गल्ले की दुकानों को गल्ला देना जिलेवार बन्द कर दिया गया और यह कि गल्ले की व्यवस्था न हो पाने के लिए जिम्मेदारी किसकी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

अभीष्ट सूचना माननीय सदस्य की मेज पर रक्खी सूची 'क' में अंकित है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५६५ पर)।

*६--श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि १५ जून से लेकर प्रश्न का उत्तर देने तक कितनी सस्ते गल्ले तथा दूसरी किस्म की गल्ले की दुकानें जिलेवार लूटी गयीं और कितनी दुकानों के लूटने की सूचना दूकानदारों ने तथा कितने की अन्य लोगों ने दी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

अभीष्ट सूचना माननीय सदस्य की मेज पर रखी सूची 'ख' में अंकित है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५६६ पर)।

*७--श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में गल्ले की प्राप्ति के लिए कौन-सा कदम उठाया गया ? यदि नहीं उठाया है, तो क्यों ?

नोट--तारांकित प्रश्न ४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--

(१) केन्द्रीय सरकार द्वारा १ लाख ५ हजार टन गेहूं का मासिक कोटा निर्धारित हुआ है।

(२) पंजाब से २५ हजार टन गेहूं तथा १,००० टन चावल खरीदने का प्रबन्ध कर दिया गया है। यह स्टाक वहां से आना भी प्रारम्भ हो गया है।

(३) पंजाब से उत्तर प्रदेश में आटा के आयात पर जो पहिले प्रतिबन्ध था उसे भारत सरकार ने अब हटा दिया है।

(४) पंजाब से ८,००० टन चावल की किनकी मंगाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

(५) ऐन्टी होर्डिंग आदेश लागू कर दिया गया है जिससे बाजार में गल्ले की आमद बढ़े।

जिलाधीश, इलाहाबाद द्वारा गल्ले की मांग

*८--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद के जिलाधीश ने कोई परिपत्र द्वारा जिले में गल्ले की कमी को देखते हुये सरकार से गल्ले की मांग की है? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जी हां। सरकार ने इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जिलाधीश को दे दिये हैं।

*९--श्री कल्याणचन्द मोहिले--

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिले में अब तक कितने यूनिट के कार्ड बने हैं? उनमें जांच होने के फलस्वरूप कितने जाली पाये गये हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

इलाहाबाद शहर में ५ लाख ५३ हजार एक सौ बीस यूनिट के कार्ड बने हुये थे जिनमें से अब तक ५० हजार ४५ यूनिट के कार्ड जाली पाये गये।

रिटेलर्स एसोसियेशन, अल्मोड़ा को खाद्य विभाग के आदेश

*१०--श्री देवेन्द्रसिंह (जिला नैनीताल)--

क्या यह सत्य है कि सरकार के खाद्य विभाग के आदेशानुसार अल्मोड़ा नगर में सन् १९५९ के जुलाई माह में एक रिटेलर्स एसोसिएशन गठित किया गया था? यदि हां, तो क्या सरकारी आदेश की प्रतिलिपि तथा रिटेलर्स एसोसिएशन के मन्त्री के नाम की सूचना सदन के पटल पर प्रस्तुत की जायगी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जी हां।

सम्बद्ध सरकारी आदेश की प्रतिलिपि माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गयी है।

श्री देवी लाल शाह इस असोसिएशन के मन्त्री नियत हुये थे।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५६७ पर)।

*११--श्री देवेन्द्रसिंह--

क्या वह रिटेलर्स एसोसिएशन अब भी पूर्ववत् कार्य कर रहा है? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक वह कार्य करता रहा है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जी नहीं।

रिटेलर्स असोसिएशन केवल सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं या उनके प्रतिनिधियों का ही बनाया गया था। सदस्यों द्वारा रुचि न लेने के कारण रिटेलर्स असोसिएशन भंग हो गया। रिटेलर्स असोसिएशन सन् १९६३ तक कार्य करता रहा।

मंझनपुर तहसील में सस्ते गल्ले की दूकानों का निलम्बन

*१२--श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिले की तहसील मन्झनपुर की ग्राम सभा शाहपुर तथा पालीसिधऊल के लिए सस्ते गल्ले की जो दुकानें हैं क्या वह कुछ दिन पूर्व निलम्बित कर दी गयी थीं तथा फिर कुछ दण्ड देकर पुनः उन्हीं व्यक्तियों को दे दी गयीं? यदि हां, तो किस तिथि को निलम्बित की गयीं तथा पुनः किस तिथि को दे दी गयीं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जी हां।

न्याय पंचायत पाली के दूकानदार श्री मोहम्मद अली की दुकान ३-७-६४ को निलम्बित की गयी तथा ८-७-६४ को पुनः दी गयी। शाहपुर के दूकानदार श्री राम बहोरी सिंह की दुकान ८-७-६४ को निलम्बित की गयी और १५-७-६४ को पुनः दे दी गयी।

*१३--नाथूराम शिक्षक--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिस बीच के काल में वह दूकान नहीं रही उस काल में उक्त क्षेत्र में गल्ला वितरण की क्या व्यवस्था थी? यदि कोई व्यवस्था नहीं थी तो इसके लिये दोषी कौन है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

चूंकि यह दूकानें कुछ ही दिनों के लिये बन्द रहीं, अतः कोई अन्य व्यवस्था नहीं की गई।

आटे की चोरबाजारी में दंड

*१४--श्री सूरजलाल गुप्त वकील--

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनका ध्यान तरुण भारत दैनिक दिनांक १७ जुलाई, १९६४ के पृष्ठ संख्या ३ के कालम २ में प्रकाशित आटे की चोर बाजारी शीर्षक समाचार की ओर गया है? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उस सम्बन्ध में जांच कराकर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जी हां। मामले की जांच की गई तथा सर्व श्री विश्वनाथ प्रसाद ताराचन्द आटा नाम्नी को ४३६ बोरा आटा के गोलमाल करने का दोषी पाये जाने के कारण उनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई है। इस आटे के गोल माल में श्री रणजीत सिंह सप्लाई इन्सपेक्टर को भी दोषी पाया गया। उनको सरकारी सेवा से निष्कासित कर दिया गया है। उपर्युक्त फर्म के मालिक

श्री दुर्गाप्रसाद हैं जिन्होंने दूर्गा प्रसाद परमेश्वर प्रसाद के नाम से सरकारी सस्ते गल्ले की दूकान भी ले रखी थी । इस दूकान का आटा व चीनी बाजार में अधिक मूल्य पर बेचने की शिकायत पाई गई । यह दूकान भी रद्द कर दी गई है ।

बासमती चावल का निर्यात

*१५--श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६२-१९६३ (१-४-६२ से ३१-३-६३) तथा १९६३-६४ (१-४-६३ से ३१-३-६४) तक कितने Export Licence कितनी-कितनी मात्रा के और किन-किन व्यक्तियों के नाम सरकार ने चावल बासमती प्रान्त से बाहर Bombay, Madras, Andhra Pradesh (Hydrabad), Bengal (Calcutta) इत्यादि प्रान्तों को भेजने के लिये दिये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

१९६२-६३ तथा १९६३-६४ में चावल के ४०० परमिट ३९ व्यक्तियों को दिये गये। यह परमिट २ क्वीन्टल से लेकर ६७५ क्वीन्टल के थे । इसके अतिरिक्त ४६९ परमिट इतने ही व्यक्तियों को निजी उपयोग के लिये दिये गये । इनकी मात्रा प्रायः ९ किलोग्राम से ६ बोरी तक थी । जिन व्यक्तियों को उपर्युक्त परमिट दिये गये उनकी सूची बहुत लम्बी है अतः उसको सदन की मेज पर रखना सम्भव नहीं है । यह सूची हमारे कार्यालय में माननीय सदस्य यदि चाहें तो देख सकते हैं ।

*१६--श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि यह चावल किस भाव बाजार में बिक रहा था जब-जब वह भेजा गाया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

भिन्न-भिन्न क्षेत्रों की भिन्न-भिन्न मंडियों में बांसमती चावल का भाव पूछे गये वर्षों के हर एक महीने में अलग-अलग था । यह भाव चारों क्षेत्रों की मंडियों में निम्न प्रकार था :

क्षेत्र	वर्ष	भाव प्रति क्वीन्टल	
		निम्नतम	अधिकतम
मेरठ	१९६२-६३	८३.०६	९३.७७
	१९६३-६४	९३.१०	१०४.१७
लखनऊ	१९६२-६३	६०.२८	६०.२८
	१९६३-६४	६२.९६	६५.६४
कानपुर	१९६२-६३	९२.७८	९७.१२
	१९६३-६४	९९.८०	१२०.५७

मुरादाबाद जिले में गल्ले का वितरण

*१७--श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला मुरादाबाद में गत अप्रैल, मई, जून, जुलाई में कितना गल्ला या आटा ग्रामीण क्षेत्र को सस्ते गल्ले की दूकानों द्वारा दिया गया और कितना शहरी क्षेत्रों को दिया गया ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--

जिला मुरादाबाद में गत अप्रैल, मई, जून तथा जुलाई में ग्रामीण क्षेत्रों में ३,७६५ क्विन्टल गेहूं और १,३३२ क्विन्टल आटा तथा शहरी क्षेत्रों में ६,२०६२ क्विन्टल गेहूं और २६,०६४ क्विन्टल आटा सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा बांटा गया ।

*१८--श्री रियासत हुसैन---

क्या खाद्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि सरकार ने कुल कितना गल्ला इन चार महीनों में अप्रैल, मई, जून, जुलाई में मुरादाबाद जिले को भेजा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

सरकार ने उपर्युक्त चार महीनों में जिला मुरादाबाद को ६५,३८६ क्विन्टल गेहूं तथा २७,३९६ क्विन्टल आटा भेजा ।

*१९--श्री रियासत हुसैन---

क्या खाद्य मंत्री को हजारों किसानों का वह मांग-पत्र मिला है जो उन्होंने गत जुलाई की १५ तारीख को दूर-दूर से आकर जिलाधीश को दिये थे ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जी हां । जहां तक खाद्यान्नों के वितरण का संबंध है जिलाधीश को यह आदेश दे दिये गये हैं कि देहाती क्षेत्रों के प्रति यूनिट प्रति मास ६ किलोग्राम गल्ला निर्धन जनों को देने की व्यवस्था की जाय ।

स्थानीय निकाय, मथुरा में वोटर लिस्ट

*२०--श्री राधेश्याम शर्मा--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला मथुरा के स्थानीय निकाय में अब तक कितने नाम वोटर लिस्ट में बढ़े और कितने नाम लिस्टों में से काटे गये तथा नाम बढ़ाने से सरकार को कितना रुपया प्राप्त हुआ ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)---

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

सकरिया तालाब को वन विभाग में लेना

*२१--श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)---

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला रायबरेली की तहसील सलवन के ग्राम विसइय से सकरिया तालाब को सरकार ने वन विभाग में कब लिया और उसे अधिकार में लेने के कारण क्या थे ?

कृषि मंत्री (श्री चरणसिंह)--

वन विभाग ने दिनांक २४ जून, १९६४ को इस तालाब को माल विभाग से प्राप्त किया । इस तालाब को वन विभाग में लेने का कारण पक्षी विहार बनाने का है ।

*२२--श्री रतीपाल---

क्या यह सही है कि उक्त तालाब से जो भूमि सिंचित होती थी वह वन विभाग ने बन्द करवा दी है जिसस किसानों का भारी नुकसान हुआ है ?

श्री चरणसिंह--

जी नहीं ।

*२३--श्री रतीपाल--

क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि उक्त तालाब के प्रश्न को लेकर सरकार के पास किसानों ने कितने पत्र गत दो वर्षों में भेजे और सरकार ने उन पर क्या निर्णय दिया ?

श्री चरणसिंह--

इस विषय में तीन प्रार्थनापत्र प्राप्त हुये । शासन ने यह निर्णय दिया कि किसानों को वह सुविधायें जो अब तक मिलती थीं वैसी ही मिलती रहें और तालाब को वन विभाग में पक्षी विहार बनाने के हेतु दिया जाय ।

चिलकिया ब्लाक में कथित शिकार

*२४--श्री अखण्ड प्रतापसिंह (जिला फैजाबाद) तथा श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

क्या सरकार को विदित है कि चिल किया ब्लाक में फरवरी, १९६४ के महीने में बगैर परमिट और बगैर फीस दिये हुये शिकार खेला गया ? इन शिकारियों ने वहां के डाक बंगले में ठहरने की फीस दी या नहीं ? अगर हां, तो क्यों और सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री चरणसिंह--

चिलकिया ब्लाक में फरवरी, सन् १९६४ में बिना परमिट और बिना फीस दिये हुये कोई शिकार नहीं खेला गया । उक्त अवधि में जिन शिकारियों को वन विश्राम गृह में ठहरने की आज्ञा दी गयी उनसे नियमानुसार ठहरने की फीस ली गई । आगे प्रश्न नहीं उठता ।

[७ सितम्बर, १९६४ के लिए निर्धारित तांकित प्रश्न]

फार्म अधीक्षक, रामनगर के विरुद्ध जांच

*१--श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)--

क्या यह बात सही है कि रामनगर फार्म बाराबंकी के इंचार्ज ने कुफरी रेड आलू की कुल पैदावार सस्ते भाव पर बेच दी है, जब कि इसे न बेचने के आदेश डिप्टी डाइरेक्टर, हार्टीकल्चर, लखनऊ, सुपरिन्टेन्डेंट, गवर्नमेन्ट गार्डेन्स, फैजाबाद ने दिया था ?

श्री चरणसिंह--

जी हां, सन् १९६३-६४ में ।

*२--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या यह बात सही है कि आलू की कुल पैदावार बिना उच्च अधिकारियों की परमिशन के बेच दी गई है ? क्या उस पर उच्च अधिकारियों ने कोई जवाब तलब किया है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री चरण सिंह--

(क) जी हां ।

(ख) जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी ने इस अनियमितता के लिये फार्म अधीक्षक रामनगर को सख्त चेतावनी दी है ।

*३—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त विषय में जवाब तलब होने पर बिक्री सम्बन्धी कागजातों को नये सिरे से तैयार किया गया है ? और गलत ढंग से की गई बिक्री के मुनाफे को छिपाने का प्रयास किया गया है ?

श्री चरणसिंह—

इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है ।

इलाहाबाद जिले को खाद्यान्न का कोटा

*४—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला इलाहाबाद में कितना गेहूं, चावल, आटा तथा मोटे अनाज तथा चीनी की मांग वहां की खाद्य सलाहकार समिति ने की है ? उसमें से कितना-कितना और कौन-कौन सी चीजें ग्राम क्षेत्रों को भेजी जाती हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जिला खाद्य सलाहकार समिति की दिनांक २९-२-६४ की बैठक में निम्नलिखित खाद्यानों की मांग की गई थी :

१—गेहूं .. .. .. ६०,००० क्विन्टल प्रतिमास

२—आटा .. .. .. ४०,००० क्विन्टल प्रतिमास

३—चावल .. .. .. २०,००० क्विन्टल प्रतिमास

खाद्यान्नों की उपलब्धि के अनुसार उनका वितरण निम्नलिखित महीनों में इस प्रकार हुआ:

माह	गेहूं (क्विन्टल में)	चावल	आटा
फरवरी	१४४०	११७९	१७१४६
मार्च	१४१२	१२४९	२१५२३
अप्रैल	..	..	२१५२३
मई	..	..	१७५८०
जून	..	..	२२१५४
जुलाई	..	..	१९२३४

*५—श्री नाथूराम शिक्षक—

ग्राम क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति द्वारा उक्त सामानों के पाने की क्या व्यवस्था है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

ग्रामीण क्षेत्रों में परिचय पत्र पर प्रति यूनिट प्रतिमास ६ किलो खाद्यान्न गेहूं, आटा, तथा चावल सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा अति निर्धन जनों को देने के आदेश दिये गये हैं । न्याय पंचायत के सरपंच अथवा प्रधानों द्वारा दी गयी पर्चों पर एक व्यक्ति को एक बार में आधा किलो चीनी देने की व्यवस्था है, किन्तु मोटे अनाजों के वितरण की कोई व्यवस्था नहीं है ।

*६—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या यह भी सही है कि ग्राम और नगर में यूनिट राशनिंग की व्यवस्था अलग-अलग है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

खाद्यान्नों की यूनिट राशनिंग ग्राम तथा नगर में अलग-अलग नहीं है, किन्तु चीनी की यूनिट राशनिंग अलग-अलग है ।

ग्राम क्षेत्रों में एक व्यक्ति को एक बार में आधा किलो तथा नगर में १ किलो प्रति यूनिट प्रति मास चीनी दिये जाने की व्यवस्था है, जिसका कारण एक तो यह है कि राज्य का चीनी का मासिक कोटा आवश्यकता से बहुत कम है और दूसरा यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गुड़, राब तथा शीरा का प्रयोग अधिक मात्रा में होता है ।

भूमि और भवन-कर न लगाने के प्रस्ताव

*७--श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि नागर क्षेत्र भूमि एवं भवन कर अधिनियम को वापस लेने के लिये प्रदेश के किन-किन नगरों की जनता के आवेदन-पत्र, प्रस्ताव और नगर कमेटियों (महापालिका, पालिका, टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया, कैन्टूनमेंट) के प्रस्ताव आदि १ फरवरी, १९६३ से ३१ जुलाई, १९६४ तक आये हैं ? क्या सरकार उक्त अधिनियम को जनपद को जान लेने के बाद वापस लेने का विचार कर रही है ? यदि हां तो कब से ? यदि नहीं, तो उसे बनाये रखने का अब आधार क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

१ फरवरी, १९६३ से १ जुलाई, १९६४ तक भूमि और भवन कर न लगाये जाने के प्रस्ताव तथा आवेदन पत्र टाउन एरिया, कुन्दरकी (मुरादाबाद), रुद्रपूर (देवरिया), मनियार (बलिया), सहतवार (बलिया), रामपुर (देवरिया) की तथा आगरा, गोंडा, गोरखपूर, शाहाबाद (हरदोई), अहरोरा (मिर्जापुर), सोरों (एटा), बछुराई (मुरादाबाद), खैर (अलीगढ़) और भदोही (वाराणसी) की जनता से तथा नगरपालिका उरई, टाउन एरिया गोला (गोरखपुर) राजापुर (बांदा), अमिला (आजमगढ़), सुमेरपुर (हमीरपूर), कुन्दरकी (मुरादाबाद), पुखरायां (कानपुर) और छपरौली (मेरठ) से सरकार के पास आये हैं ।

इस कर के लगाने का उद्देश्य पंचवर्षीय योजनाओं के चलाने के लिये आवश्यक धन जुटाना है अतः भूमि और भवन कर को वापस लेने का कोई विचार नहीं है ।

उर्वरक तकावी पर ब्याज

*८--श्री भीखालाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष से विकास खंडों द्वारा किसानों को दी गई रासायनिक खाद पर साढ़े पांच प्रतिशत के बजाय पौने नौ प्रतिशत सूद वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है ?

श्री चरणसिंह--

जी हां । चूंकि सहकारी विभाग कृषकों को उत्पादन कार्यों के संबंध में जो कर्जा देता है उस पर ८ ३/ ४ प्रतिशत ब्याज लेता है, इसलिये समानता के दृष्टिकोण से सरकार द्वारा दी गई उर्वरक तकावी पर भी ८ ३/ ४ प्रतिशत ब्याज कर दिया गया है । ऐसा न करन पर सहकारी विभाग से कृषक कर्जा लेना कम कर देते ।

*९--श्री भीखालाल--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि गत वर्ष जिस समय किसानों को खाद तकावी पर दी गई थी, तो उनसे साढ़े पांच प्रतिशत सूद का बांड भरवाया गया था, परन्तु वसूली के समय बांड के विपरीत पौने नौ प्रतिशत की दर से सूद वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह---

जी नहीं ।

झांसी व बुन्देलखंड क्षेत्रों में स्वर्णकारों को सुविधायें

*१०---श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)---

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि स्वर्ण कानून के लागू होन के उपरान्त झांसी व बुन्देलखंड क्षेत्र में कितने स्वर्णकारों को सरकार द्वारा रुपये की सहायता अथवा नौकरियां, मशीनों की सहायता अथवा सरकारी कंट्रोल की दुकानों की सुविधा दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---

स्वर्ण नियंत्रण कानून के लागू होने के उपरांत झांसी व बुन्देलखंड क्षेत्र में २६ विस्थापित स्वर्णकारों को उद्योगों के लिये ऋण, ६ को नौकरियां और १३ को सरकारी कंट्रोल की दुकानें प्रदान की गयी हैं ।

आजमगढ़ में सड़क निर्माण के लिये जेल की जमीन

*११---श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़) तथा श्री इन्द्रासनसिंह (जिला आजमगढ़)---

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि मुहल्ला रैदोपुर (नई कालोनी), शहर आजमगढ़ की जनता की तरफ से एक प्रार्थना-पत्र जून, १९६२ में जेल मंत्री को दिया गया था कि पक्की सड़क से नई कालोनी को जोड़ने के लिये जेल की केवल पचास कड़ी भूमि जो बीच में पड़ती है, रास्ते के लिये दे दी जाय और सरकार ने सितम्बर, सन् १९६२ में रास्ता दे देने के लिये आदेश दे दिया था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

उक्त प्रर्थना-पत्र पर रास्ता दे देने के लिये सरकार द्वारा अभी कोई आदेश नहीं जारी किये गये हैं ।

*१२---श्री बृजबिहारी तथा श्री इन्द्रासनसिंह---

क्या यह सही है कि सरकार के आदेशानुसार जनवरी, १९६३ में उक्त जेल की भूमि का "डिमार्केशन" भी कर दिया गया और नगरपालिका ओवरसियर तथा जेलर, जिला जेल, आजमगढ़ के हस्ताक्षर भी संबंधित कागज पर हो गये और उस भूमि पर कच्चा रास्ता भी बन गया और बिजली के खंभे भी गड़ गये किन्तु उक्त रास्ते में हायल तीन पेड़ (चिलबिल व नीम) वहीं खड़े हैं और रास्ते में बैलगाड़ी, मोटर आदि सवारियां नहीं जा सकती हैं जबकि रास्ता पन्द्रह फीट चौड़ा डिमार्केट हुआ है और जेल अधिकारी पेड़ हटाने में रुकावट पैदा करते हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

उक्त भूमि का डिमार्केशन तो किया गया था किंतु वह भूमि अब भी जेल विभाग के कब्जे में है और उस पर खड़े हुए पेड़ों के हटाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

*१३---श्री बृजबिहारी तथा श्री इन्द्रासनसिंह---

क्या यह सही है कि जेल अधीक्षक तथा अध्यक्ष, नगरपालिका में मुआविजे के संबंध में कुछ विवाद चल रहा है ? यदि हां, तो वह विवाद क्या है ? और सरकार ने अनेकों अनुरोधों पर उस विवाद को निबटाने में क्या कार्यवाही की ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

जी नहीं ।

कानपुर जिले में कथित भुखमरी से मृत्यु

*१४--श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कानपुर, तहसील घाटमपुर के अन्तर्गत ग्राम मकरंदपुर के गैंदो केवट नामक व्यक्ति की मृत्यु भुखमरी से हुई ? यदि हां, तो सरकार कानपुर जिले में फैलती हुई भुखमरी और अकाल को रोकने के लिये कौन-सा कदम उठा रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जी नहीं । वर्तमान खाद्य स्थिति को देखते हुए जिले के शहरी क्षेत्र की जनता तथा ग्रामीण क्षेत्र की गरीब और भूमिहीन जनता को सस्ते गल्ले की दूकानों द्वारा गल्ला देने का प्रबंध कर दिया गया है ।

जौनपुर जिले को सीमेंट का कोटा

*१५--श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में सीमेंट वितरण का कोटा नवम्बर, १९६३ के अगस्त, १९६४ तक हर महीने कितना-कितना तहसीलदारों और जिले के बी० डी० ओ० को बांटने के लिये दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

सूचना संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५६८-५६९ पर)

विधूना सीड स्टोर में रासायनिक खाद में घपला

*१६--श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)--

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले में डी० पी० ओ० तथा कृषि अधिशासी द्वारा रासायनिक खादों में घपला करने की कोई शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उनके संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री चरणसिंह--

जी हां । इटावा जिले के विधूना सीड स्टोर पर रासायनिक खादों के वितरण में गड़बड़ी की एक रिपोर्ट मिली है जिसकी जांच की जा रही है ।

ग्रामीण क्षेत्र में राशन

*१७--श्री दीपनारायणसिंह--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार ने देहाती क्षेत्रों को भी राशनिंग एरिया घोषित किया है ? यदि हां, तो किन-किन जिलों के किन-किन इलाकों को और कब ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जी नहीं । ग्रामीण क्षेत्रों की अति निर्धन जनता को राशन कार्ड द्वारा ६ किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति मास देने की व्यवस्था के लिये आदेश दिय गये हैं ।

देवरिया जिले में कथित भुखमरी

*१८--श्री कृष्णा (जिला देवरिया)--

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिला के अन्तर्गत थाना देवरिया के ग्राम मुजहना लाला में दिनांक २४ जुलाई, १९६४ को दुइजी उर्फ कोशली नामक औरत की भूख से मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो सरकार देवरिया जिला में फैली हुई भुखमरी और अकाल को रोकने के लिये कौन-सा कदम उठा रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जी नहीं । वर्तमान खाद्य स्थिति को देखते हुए देहाती क्षेत्रों के प्रति निर्धन व्यक्तियों के लिये सस्ते गल्ले के वितरण का समुचित प्रबंध कर दिया गया है ?

फर्रुखाबाद जिले में अन्नाभाव

*१९--श्री होरीलाल यादव--

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले के देहात में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर आटा या गल्ला बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है जिससे देहाती गरीब जनता में घोर असंतोष है ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने जा रही है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जी नहीं, ऐसी बात नहीं है । समस्त देहाती क्षेत्र की दुकानों को आटा दिया जा रहा है ।

बांदा जिले में उर्वरक तकावी पर ब्याज

*२०--श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)--

क्या कृषि मंत्री को यह जानकारी है कि हमीरपुर तथा जालौन, झांसी में कर्जा लेने पर खाद देने का नियम १० रु० प्रति सैकड़ा है, तो जिला बांदा में २५ रु० सैकड़ा क्यों है ?

श्री चरणसिंह--

कृषि विभाग संपूर्ण तकावी उर्वरक की शक्ल में देता है ।

*२१--श्री मतोलासिंह--

क्या सरकार बांदा जिले के असिंचित क्षेत्र में जबरन खाद देने की प्रणाली में सुधार करने को तैयार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह--

कृषि विभाग द्वारा जबरन खाद देने का कोई आदेश नहीं दिया गया है ।

*२२--श्री सहदेवसिंह--

[हटा दिया गया ।]

रेंट कन्ट्रोल मुक्त गोविन्दनगर

*२३--श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)--

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर के गोविंदनगर क्षेत्र में रेंट कंट्रोल नियम लागू न करने का क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

सन् १९५४ में डेवलपमेंट बोर्ड, कानपुर ने गोविंद नगर क्षेत्र को रेंट कंट्रोल ऐक्ट से मुक्त करने के लिये राज्य सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव रखा था। उक्त बोर्ड ने सरकारी कर्जे से ३,५९७ क्वार्टर्स बनवाये थे परन्तु उक्त बोर्ड को किराया ठीक से वसूल न हो पाता था जिससे बोर्ड सरकारी कर्ज का भुगतान करने में असमर्थ था। साथ ही गैर कानूनी किरायेदारों को निकालने में भी बोर्ड को दिक्कतें होती थीं जिन्हें दूर करने के लिये राज्य सरकार ने प्रश्नगत क्षेत्र से रेंट कंट्रोल ऐक्ट हटा लिया।

उसका बाजार को सीमेंट

*२४--श्री जगदीशप्रसाद पांडेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती में विकास खण्ड, उसका बाजार में गत मई, जून, जुलाई में कितना सीमेंट दिया गया ? क्या उनके वितरण का विवरण सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

†सूचना संलग्न है।

*२५-२६--श्री बृजबिहारी--

[७वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

अमरोहा नगरपालिका में अनियमितताएं

*२७--श्री विश्वनाथप्रसाद (जिला वाराणसी)--

१६ दिसम्बर, १९६३ के लिये निर्धारित श्री बिपिनबिहारी तिवारी द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९९-१०० के उत्तर से संबंधित क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आयुक्त की रिपोर्ट आ गई है ? यदि हां, तो रिपोर्ट क्या है तथा क्या सरकार द्वारा उस पर कार्यवाही की गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

जी हां। आयुक्त ने जिलाधीश, मुरादाबाद के उत्तर को अग्रसारित करते हुए लिखा था कि संबंधित शिकायत को नत्थी कर दिया जाय। उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर शिकायत को नत्थी कर दिया गया।

जिला पूर्ति कार्यालय, बस्ती के पुराने कर्मचारी

*२८--श्री जगदीशप्रसाद पांडेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती में सप्लाई विभाग में कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो चार वर्ष से ज्यादा की सेवा उपरोक्त जिले में कर चुके हैं ? क्या उनका स्थानान्तरण सरकार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जिला पूर्ति कार्यालय, बस्ती, में ६ कर्मचारी ऐसे हैं जो उपरोक्त जिले में ४ वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं। उनके विरुद्ध कोई विशेष शिकायत न होने के कारण उनके तबादले का अभी प्रश्न नहीं उठता।

---

†छापी नहीं गई।

अकबरपुर तहसील में सीमेंट का वितरण

*२९—श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद में सीमेन्ट का अभाव है जिसके कारण वहां की जनता को मकान बनवाने तथा मकान की मरम्मत करवाने के लिये सीमेन्ट नहीं मिल रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां, सीमेन्ट का अभाव तो सभी जगह है ।

*३०—श्री रणबहादुरसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसीलदार अकबरपुर द्वारा १ मार्च, १९६४ से ३० जून, १९६४ तक सीमेन्ट की कुल कितनी परमिटें लोगों को दी गईं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

५५२ ।

*३१—श्री रणबहादुरसिंह—

क्या सरकार उन ३० आदमियों के नाम बताने की कृपा करेगी जिनको उक्त अवधि में सबसे अधिक सीमेन्ट के परमिट दिये गये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ५७० पर) ।

रीजनल फूड कन्ट्रोलर कार्यालय के चौकीदारों का वेतन

*३२—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के सभी रीजनल फूड कन्ट्रोलरों के कार्यालयों के चौकीदारों का ७० रु० का मासिक वेतन घटाकर ४५ रु० मासिक किया जाने का विचार है और क्या जून, १९६४ का वेतन भी १ अगस्त, १९६४ तक इन्हें नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

ऐसा कोई विचार नहीं है । कार्यालयों के चौकीदारों का जून का वेतन यथासमय जुलाई में दे दिया गया ।

नगरपालिका, नवाबगंज, गोंडा का क्षेत्र संबंधी प्रस्ताव

*३३—श्री इन्द्रासनसिंह तथा श्री ईश्वरशरण (जिला गोंडा)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका नवाबगंज, गोंडा ने अपने क्षेत्र में उसके नजदीक की शुकर मिल और कुछ गांव मिलाने का जो प्रस्ताव सरकार को जिलाधीश के द्वारा ७—८ माह पूर्व भेजा था, क्या सरकार को प्राप्त हुआ या नहीं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार जिलाधीश से इस संबंध में पूछ-ताछ करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

संबंधित प्रस्ताव जिलाधीश गोंडा के माध्यम से सरकार को अगस्त, १९६४ में प्राप्त हो गया है ।

*३४–३५––श्री शुगनचन्द मजदूर (जिला मुजफ्फरनगर)––

[७वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*३६––श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)––

[७वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*३७–३९––श्री महमूद हसन खां (जिला मुरादाबाद) तथा श्री रियासत हुसैन––

[७वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

बरहलगंज टाउन एरिया में मेहतरों को वेतन न मिलना

*४०––श्री कैलाश (जिला देवरिया) तथा श्री कल्पनाथसिंह––

क्या स्वायत्त शासन मंत्री को इस बात की सूचना है कि बरहलगंज टाउन एरिया, जिला गोरखपुर के मेहतरों को गत तीन मास से तनख्वाह नहीं मिली है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा––

जी हां, टाउन एरिया कमेटी बरहलगंज के मेहतर कर्मचारियों का वेतन माह मई, जून, जुलाई, १९६४ का बकाया था । जिसमें से मई तथा जून के वेतन का भुगतान करा दिया गया है और माह जुलाई के वेतन के भुगतान का भी प्रयत्न किया जा रहा है। इस संबंध में परगनाधीश बांसगांव द्वारा टाउन एरिया ऐक्ट की धारा ३५ के अन्तर्गत बकाया करों की वसूली की जा रही है ।

*४१––श्री कैलाश तथा श्री कल्पनाथसिंह–

क्या सरकार को पता है कि इन मेहतरों ने तनख्वाह न मिलने के विरोध में कोई हड़ताल करने की नोटिस दी है ? यदि हां, तो उसमें क्या-क्या मांगें रखी गई हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा––

(६) जी नहीं ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

सेन्ट्रल जेल, फतेहगढ़ में चोरी

*४२––श्री होरीलाल यादव––

क्या कारागार मंत्री प्रश्न संख्या ५५ दिनांक १० फरवरी, १९६४ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि क्या माल की फेहरिश्त सूचना देने वाले की मौजूदगी में बनाई गयी थी और सील मोहर की गयी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा––

जी नहीं ।

*४३––श्री होरीलाल यादव––

क्या सरकार इस मामले की जांच प्रान्तीय विजलेन्स कमीशन द्वारा करवाने की कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा––

जी नहीं, अभी ऐसा कोई विचार नहीं है ।

*४४--श्री पूरजलाल गुप्त वकील तथा सरदार बलदेवसिंह (जिला गोंडा)--

[७वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

कन्नौज वाटर वर्क्स

*४५--श्री होरीलाल यादव--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका कन्नौज के अध्यक्ष एल० एस०, जो० ई० डो० द्वारा तैयार तथा बोर्ड द्वारा स्वीकृत कन्नौज वाटर वर्क्स के ले आउट को बदलने की कार्यवाही कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

जी हां, कन्नौज में जिस स्थान पर जल टंकी एवं स्टाफ क्वार्टर का कार्य स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग द्वारा सम्पन्न करना था उस स्थान पर न्यायालय द्वारा प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। इसीलिये जल टंकी व स्टाफ क्वार्टर का स्थान अध्यक्ष, नगरपालिका, कन्नौज से स्वीकृति लेकर बदलना पड़ा ।

वाराणसी जिले में चावल मिलें

*४६--श्री ऊदल--

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वाराणसी जिले में कितनी चावल की मिलें हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

वाराणसी जिले में कुल २२ चावल की मिलें हैं ।

नगरपालिका अमरोहा के खिलाफ शिकायतें

*४७--श्री विश्वनाथप्रसाद--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका अमरोहा, जिला मुरादाबाद के खिलाफ वहां की जनता द्वारा माननीय मंत्री जी के पास सितम्बर, १९६३ से ३१ जलाई, १९६४ तक कुल कितने शिकायती-पत्र प्राप्त हुए ? उनमें मुख्य बातें क्या हैं तथा सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

९ शिकायती-पत्र प्राप्त हुए । उनमें मुख्य बातें निम्नलिखित हैं ।

(१) नगरपालिका के कुछ सदस्यों तथा कर्मचारियों द्वारा बोर्ड के धन तथा कर्मचारियों के प्रावीडेन्ट फन्ड का गबन ।

(२) नगरपालिका के सदस्यों में पार्टीबन्दी ।

(३) कर्मचारियों को समय पर वेतन न मिलना ।

(४) बोर्ड तथा उसके अध्यक्ष के विरुद्ध भ्रष्टाचार, पक्षपात, साम्प्रदायिकता, जनता की सुविधाओं की अवहेलना, बोर्ड तथा सरकारी धन का अपव्यय, अदक्षता, सड़कों की खराब दशा, सफाई तथा रोशनी का समुचित प्रबन्ध न होना आदि के आरोप ।

(५) अध्यक्ष एवं सदस्यों के रिश्तेदारों को नगरपालिका में नौकर रखना ।

उपरोक्त ९ शिकायती पत्रों में से ५ शिकायती-पत्रों पर जिलाधीश, मुरादाबाद से रिपोर्ट मांगी गई, २ पर जिलाधीश से आवश्यक कार्यवाही करने को कहा गया और शेष दो में से एक को नत्थी कर दिया गया और दूसरे पर निर्णय लिया जा रहा है ।

असिस्टेन्ट वाइल्ड लाइफ वार्डन, लखनऊ की ड्यूटी

*४८—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो असिस्टेन्ट वाइल्ड लाइफ वार्डन, लखनऊ में तैनात हैं पिछले तीन वर्षों में कितने शिकार के नाजायज मामले उन्होंने पकड़े तथा वे लखनऊ में क्या काम करते हैं ?

श्री चरण सिंह—

जो असिस्टेन्ट वाइल्ड लाइफ वार्डेन लखनऊ में हैं उनकी नियुक्ति यहां २४ सितम्बर, १९६१ को हुई थी। १६ मार्च, १९६३ को उन्हें बहराइच भेजा गया जहां वे २ नवम्बर, १९६३ तक रहे। उन्होंने लखनऊ में ४ नाजायज शिकार के मामलों की सूचना पुलिस को दी और बहराइच में २० नाजायज शिकार के जुर्म पकड़े।

असिस्टेन्ट वाइल्ड लाइफ वार्डेन की ड्यूटीज का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ५७१ पर।)

कुलपहाड़ तथा खरेला टाउन एरियाज की ग्राम सभा में परिणत करना

*४९—श्री मदनपालसिंह (जिला हमीरपुर)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला हमीरपुर में ग्राम सभा, कुलपहाड़ तथा ग्राम सभा, खरेला की जनसंख्या के आधार पर टाउन एरिया घोषित किया गया था परन्तु कुछ दिन पश्चात् उपरोक्त दोनों टाउन एरियाज को पुनः ग्राम सभाओं में परिणित होने की घोषणा गजट द्वारा की गई ? यदि हां, तो ऐसा करने का क्या कारण है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां।

ग्राम सभा, कुलपहाड़ तथा ग्राम सभा, खरेला ने प्रस्ताव पारित करके इस बात की मांग की कि इन दोनों ग्रामों की टाउन एरिया समाप्त करके पुनः ग्रामसभा घोषित किया जाए। खरेला ग्राम के निवासियों ने भी इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिया। जिला परिषद्, हमीरपुर ने इस मांग का समर्थन किया। इस मांग में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि बुन्देलखन्ड के पिछड़े हुए क्षेत्र में स्थित होने के कारण इन ग्रामों की गरीब जनता टाउन एरिया कमेटी के करके भार को वहन करने में असमर्थ रहेगी। फलस्वरूप टाउन एरिया कमेटी द्वारा इन ग्रामों में नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था तथा विकास असम्भव हो जायगा, क्योंकि टाउन एरिया कमेटी में परिवर्तित होने के कारण जिला परिषद् तथा विकास विभाग से मिलने वाली आर्थिक सहायता भी बन्द हो गई है। शासन ने इस पिछड़े हुए क्षेत्र की गरीब जनता की कठिनाइयों तथा टाउन एरिया कमेटियों को होने वाली क्षीण आय आदि तथ्यों पर पुनः विचार करके उक्त ग्रामों के विकास तथा जनता के हित में इन ग्रामों में टाउन एरिया को समाप्त करके पुनः ग्राम सभाओं में परिणित कर दिया।

गोरखपुर जिले में सस्ते गल्ले की दूकानें

*५०—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के बाढ़ क्षेत्रों में फरेंदा महाराजगंज, सदर तथा बांसगांव तहसील में बाढ़ केन्द्रों पर कहां-कहां सस्ते गल्ले की दुकानें खोली हैं, और ये चालू हैं या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

प्रत्येक तहसील की दूकानों की सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है। इन बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों की दूकानों को प्राथमिकता के आधार पर बराबर गल्ला मिलता रहा। अतः चालू न रहने का प्रश्न नहीं उठता।

ऐन्टी होर्डिग आर्डर के अन्तर्गत खाद्यान्न

*५१--श्री शिवराजसिंह--

क्या खाद्य मंत्री उन जिन्सों के नाम बताने की कृपा करेंगे कि जिन पर हाल में जारी किया गया Anti hoarding Order लागू होता है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--

Anti hoarding Order निम्नलिखित खाद्यान्नों तथा उनके उत्पादन पर लागू होता है :

१--गेहूं ।
२--चावल ।
३--चना ।
४--ज्वार ।
५--बाजरा ।
६--मक्का ।
७--धान ।
८--मटर ।
९--जौ ।

गौरी बाजार के निकट अवैध गल्ला पकड़ा जाना

*५२--श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिला के गौरी बाजार नामी स्थान पर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ता, श्री नूर मुहम्मद व बसन्तलाल ने उस बाजार से बाहर जाते हुए एक ट्रक गल्ले को दिनांक, २ अगस्त, को रोक कर पुलिस के हवाले किया है ? यदि हां, तो इस पर कौन-सी कार्यवाही की गई ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--

जी हां। पुलिस ने एसेन्शियल कमोडिटीज ऐक्ट की धारा ७ के अन्तर्गत एक मुकद्दमा कायम किया है तथा मामले की जांच कर रही है।

*५३--श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ३१ जुलाई का उठा सस्ते गल्ले का बसन्तपुर का बोरा गल्ला गौरी बाजार में ३ अगस्त को उमा नामी किसी इंस्पेक्टर द्वारा छिपवाने का प्रयत्न करते हुए उक्त संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ताओं ने अपने अन्य १२-१३, साथियों के साथ पकड़ा है ? यदि हां, तो जिस दूकान का गल्ला है उस दूकान, उस दूकानदार इंस्पेक्टर व संबंधित व्यापारियों के विरुद्ध कौन-सी तात्कालिक कार्यवाही की जा रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नगी--

जांच करने पर यह ज्ञात हुआ कि यह गल्ला सरकारी सस्ते गल्ले के दूकानदार सेन्टर बसन्तपुर का था जिसको वह अपने सेन्टर पर ले जा रहा था। शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

*५४--श्री कल्पनाथसिंह--

[हटा दिया गया।]

*५५-५७--श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)--

[७वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

हरिद्वार नगरपालिका में शिक्षा संस्थायें

*५८--श्री मूलचन्द शास्त्री (जिला मेरठ)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हरिद्वार म्युनिसिपल बोर्ड को कितने इण्टर कालेज तथा हाई स्कूल चलाने की आज्ञा दी गई है? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

हरिद्वार नगरपालिका को दो इन्टर कालेज (पी० बी० म्युनिसिपल इन्टरमीडिएट कालेज तथा श्री आनन्दमयी सेवा सदन म्युनिसिपल इन्टरमीडिएट कालेज, हरिद्वार) और एक हाई स्कूल (ज्वालापुर म्युनिसिपल हाई स्कूल, ज्वालापुर) चलाने की अनुमति दी हुई है।

उपरोक्त दोनों इन्टर कालेज तब से चल रहे हैं जब नगरपालिका को प्रदेशीय सरकार से ऐसी शिक्षण संस्था चलाने की पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं करना होता था। नगरवासियों के आग्रह एवं शिक्षा आवश्यकता की पूर्ति हेतु शासन ने म्युनिसिपल जूनियर हाई स्कूल, ज्वालापुर को हाई स्कूल स्टैन्डर्ड में परिवर्तित (up gradation) करने की स्वीकृति २७-६-१९६४ को प्रदान की है।

*५९--श्री मूलचन्द शास्त्री--

क्या यह सही है कि उक्त बोर्ड कोई डिग्री कालेज भी खोलना चाहता है? यदि हां, तो क्यों और क्या सरकार ने उसे आज्ञा दे दी है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

जी हां। ऐसा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जो शासन के विचाराधीन है।

सहायक जेलरों के तबादले

*६०--श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६४ में कितने तबादले असिस्टेंट जेलरों के हुये, उनमें से कितनों के स्थगित हो गये और क्यों?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

सन् १९६४ में कुल ९२ सहायक जेलरों के तबादले के आदेश हुये जिनमें से ११ के तबादले जनहित एवं प्रशासकीय आधार पर स्थगित किये गये।

आजमगढ़ जिले में अन्नाभाव

*६१—श्री बृजबिहारी—

क्या सरकार को ज्ञात है कि आजमगढ़ जिले में शीत लहरी तथा पाले के कारण पिछली रबी की फसल बहुत कम हुई थी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

जी हां।

*६२—श्री बृजबिहारी—

क्या सरकार को मालूम है कि आजमगढ़ जिले की बहुत-सी सस्ते गल्ले की दूकानें गत जून, जुलाई में बन्द कर दी गई थीं और जो चल भी रही हैं उन पर भी गत महीनों में इस मास में बहुत कम गल्ला भेजा जा सका है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

दूकानदारों की अनियमितताओं के कारण कुछ दूकानें जून, जुलाई में रद्द की गई थीं। उन स्थानों पर पुनः दूकानें खोली जा रही हैं। जहां तक चालू दूकानों पर गल्ला देने का प्रश्न है उनमें गल्ले की आमद के साथ वृद्धि हो रही है।

*६३—श्री बृजबिहारी—

क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त महीनों में जो दूकानें बन्द कर दी गयी थीं बार-बार मांग करने पर भी उनमें से बहुत कम पुनः वसूल की जा सकी हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जैसा कि उक्त प्रश्न संख्या ६२ के उत्तर में कहा जा चुका है, दूकानों का पुनः चालू होना गल्ले की आमद पर निर्भर है, और उसी के अनुसार जहां दूकानें बन्द कर दी गई थीं पुनः उन स्थानों पर दूकानें खोली जा रही हैं। अब तक ३२ बन्द की गई दूकानों में से २४ पुनः चालू की गई हैं।

अतारांकित प्रश्न

बन्दरों पर अत्याचार

१—श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री प्रेम सिंह (जिला बहराइच)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो लोग उत्तर प्रदेश में बन्दरों को विदेश में भेजने के लिये पकड़ते हैं या पकड़वाते हैं क्या वे सरकार की इजाजत से पकड़े जाते हैं ?

श्री चरणसिंह—

केवल सरकारी बनों में बन्दर पकड़ने के ठेके देने के लिये सरकारी आदेश हैं।

२—श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री प्रेम सिंह—

क्या सरकार को मालूम है कि बन्दरों को पकड़े जाने के पश्चात उनको पकड़ने वाले उनकी देखभाल भली प्रकार से नहीं करते हैं और उनको भूखा भी मारते हैं ? क्या उनको इस जुल्म से बचाने के लिये एनीमल वेलफेयर बोर्ड ने राज्य सरकार से कुछ सिफारिशें की हैं ? यदि की हैं, तो वे क्या हैं और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की ?

श्री चरण सिंह—

सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है। ऐसी कोई सिफारिश सरकार के जानकारी में नहीं है। अन्य प्रश्न नहीं उठते।

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में प्रख्यापित संशोधन*

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)--

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं, उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र, जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में, राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३३४७/१-क-५५२-डी०-६४, दिनांक ११ अगस्त, १९६४ के अधीन प्रख्यापित संशोधन को, उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र, जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ की धारा ८६ की उपधारा (६) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का १९६१-६२ का प्रतिवेदन*

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्ष १९६१-६२ के वार्षिक प्रतिवेदन को उसके ज्ञापन-पत्र सहित 'भारत के संविधान' के अनुच्छेद ३२३ के खंड (२) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री शराफत हुसैन रिजवी की रिहाई के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष--

मुझे एक सूचना प्राप्त हुई है जिलाधीश मुरादाबाद से वह इस प्रकार है--

"इस कार्यालय के पत्र संख्या मीमो जे० ए०, दिनांक २४ अगस्त, १९६४ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह सूचित करना है कि श्री शराफत हुसैन, कम्युनिस्ट, विधान सभा सदस्य जो दिनांक २४ अगस्त, १९६४ को प्रातः ११-४५ पर बन्दी कर लिये गये थे, उनके विरुद्ध १०७/११७ दण्ड विधि संग्रह की कार्यवाही परगनाधीश, अमरोहा के आदेश दिनांक १ सितम्बर, १९६४ के अनुसार समाप्त कर दी गयी है तथा उनको उसी दिन ५ बजे सायकाल बन्दीगृह, मुरादाबाद से रिहा कर दिया गया है।"

वे यहां मौजूद भी हैं। स्वागत है।

गोंडा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में हुए निर्वाचन के संबंध में चुनाव ट्रिब्यूनल के निर्णय के विषय पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य से संबंधित पत्र

श्री अध्यक्ष--

इस आदरणीय सदन को मैं सूचना देना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री ने जिन पत्रों का उल्लेख अपने वक्तव्य में किया था उन पत्रों की प्रतिलिपियों को मेरे पास भेज दिया है। एक पत्र उसके साथ भी लिखा है। उसको मैं पढ़ देना चाहता हूं। वह पत्र अंग्रेजी में है, इसलिये उसका तर्जुमा मैं बाद में कर दूंगा। वह इस प्रकार है :--

"On the 3rd of September, 1964, when I made a statement in the House regarding the judgement in the Gonda Election Petition case, the members of the Legislature made a demand that the letters of the then Prime Minister of India and the then Chief Minister, from which extracts were quoted in my statement, should be placed on the table of the House.

---

* छापे नहीं गये।

[श्री अध्यक्ष]

Though you gave a ruling that the letters need not be placed on the table of the House, I would like that these be placed on the table of the House. Herewith please find enclosed copies of the letters. There is noletter from the Prime Minister prior to 18th March, 1962 on this subject in the file."

अर्थात् ३ सितम्बर, १९६४ को जब मैंने, उस निर्णय के सम्बन्ध में वक्तव्य दिया जो गोंडा निर्वाचन याचिका के संदर्भ में था तो इस विधान सभा के सदस्यों ने यह मांग की थी कि माननीय प्रधान मंत्री का पत्र और इस राज्य के तत्कालीन मुख्य मंत्री का पत्र, जिनका उद्धरण मैंने अपने वक्तव्य में दिया था, को सदन की मेज पर रखा जाय। यद्यपि श्री अध्यक्ष का यह निर्णय हो चुका है कि उक्त पत्रों को सदन में रखने की आवश्यकता नहीं है तो भी मैं चाहती हूं कि सदन की मेज पर वह पत्र आयें, अतः मैं उन पत्रों की प्रतिलिपि भेज रही हूं, जिनको सदन की मेज पर रख दिया जाय। इस सन्दर्भ में यह भी कह देना उचित है कि इस सम्बन्ध में इस विषय का पत्रावली में कोई भी प्रधान मंत्री का पत्र १८ मार्च, १९६२ के पूर्व का नहीं है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

श्रीमन्, इससे आपकी आज्ञा की अवहेलना हुई है।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

श्रीमन्, माननीया मुख्य मंत्री ने इस पत्र में लिखा है कि आपने यह व्यवस्था दी थी कि पत्र उपस्थित करने की आवश्यकता नहीं है जब कि आपने अपनी व्यवस्था में यह नहीं कहा था। आपने तो यह कहा था कि यदि किसी को इसकी शिकायत थी तो उसी वक्त इस सवाल को उठाना चाहिये था। तो जो पत्र लिखा गया है वह अनुचित है।

श्री अध्यक्ष—

मैं बतला हूं, मैंने यह आदेश दिया था कि चूंकि व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न है तो यह तत्कालील ही उठ सकता था और यद्यपि उस नियम की दृष्टि से उन पत्रों के सम्बन्ध में यह आग्रह नहीं हो सकता कि माननीया मुख्य मंत्री उन पत्रों को यहां सदन में रखे, लेकिन मेरे आदेश के बावजूद उनको अधिकार है कि उन पत्रों को वे सदन के सामने रख सकती हैं। मैं समझता हूं कि कदाचित् उसी सन्दर्भ में माननीया मुख्य मंत्री ने यह पत्र यहां भेजे हैं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि केवल दो पत्र ही आपके सामने आये हैं सदन में प्रस्तुत करने के लिये। मेरा आपसे निवेदन है कि पंडित जवाहरलाल जी के पत्र तथा चुनाव होने के पश्चात् से जब तक यह एलेक्शन पिटीशन का फैसला आया है, सारे पत्र-व्यवहार हमारे सामने प्रस्तुत होने चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपसे निवेदन किया कि उन्होंने लिखा है कि १८ मार्च, १९६२ के पूर्व का कोई पत्र माननीय प्रधान मंत्री का फाइल में नहीं है जो तत्कालीन मुख्य मंत्री को लिखा गया हो।

श्री नेकराम शर्मा—

उनका कहना है कि फाइल में नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वह पत्र फाइल के बाहर कहीं हो, या किसी कमरे में या जेब में पड़ा हुआ हो। आप इस भाषा को देखें कि " फाइल में कोई पत्र नहीं है।"

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

मेरा एक निवेदन है, जैसा कि कार्यक्रम में छपा है, माननीय मुख्य मंत्री ने जो वक्तव्य दिया था ४ बजे के बाद इस विषय पर विवाद होना है, तो आप कृपा करके उन दोनों पत्रों- स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा तत्कालीन मुख्य मंत्री के--उनको छपवा कर हम लोगों के बीच में ४ बजे तक बटवा दें, ताकि उनको पढ़ कर हम लोग विवाद में हिस्सा ले सकें। यदि आप ऐसा कर दें तो हमारे साथ न्याय होगा, यही निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष--

जैसा कि माननीय उग्रसेन जी ने कहा कि इनको छपवा कर बटवा दें, कदाचित् यह सम्भव न होगा। अगर आप चाहें तो मैं उनको पढ़ कर सुना दूं।

(व्यवधान)

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

मैं भी जरा निवेदन कर दूं। उस दिन माननीय मुख्य मंत्री ने जो वक्तव्य दिया था उसमें माननीय कमलापति त्रिपाठी व माननीय विचित्र नारायण शर्मा द्वारा किये गये जांच की भी चर्चा थी। साथ ही यह भी कहा गया था कि श्री निगम द्वारा किये गये गलत कामों की इन्क्वायरी के लिये एक कमेटी बैठी थी, तो उन दोनों की रिपोर्ट भी हमें मिलनी चाहिये। अगर ये दोनों रिपोर्ट्स भी सारे कागजात के साथ शामिल कर ली जायं तो हम लोगों को सही बात जानने में आसानी होगी।

श्री अध्यक्ष--

अगर मुख्य मंत्री जी देना चाहें तो दे दें और देना हो तो ४ बजे के पहले दे दें।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)--

चाहे आप एक घंटे के लिए सदन एडजर्न कर दें लोगों को उसकी आवश्यकता होगी। आप उसको छपवा कर दिलवा दें या सदन में उनको एक-एक कर के पढ़ दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

कोशिश करायेंगे, अगर हो सका तो दिला देंगे।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

श्रीमन्, आप ने कहा था कि जो फैसला इस केस का छपा हुआ आया है वह सदन की मेज पर रखा जायगा लेकिन अभी तक किसी को प्राप्त नहीं हो पाया है, वह किसी ने नहीं देखा है।

श्री अध्यक्ष--

देखा जरूर है, श्री जेड० ए० अहमद, श्री नेकराम शर्मा, श्री दीनदयाल सिंह आदि सब ने देखा है।

श्री दीपनारायणसिंह--

नहीं देखा है, आप के कमरे में...

श्री अध्यक्ष--

वह रखा है, आप देख लें।

श्री नेकराम शर्मा—

दो दिन तक हमने मांगा लेकिन वह नहीं मिला, वह हमें इलाहाबाद से, भेज कर प्राप्त हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, आप तो रिसोर्सफुल आदमी हैं।

गोंडा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में हुए निर्वाचन के संबंध में चुनाव ट्रिब्यूनल के निर्णय के विषय पर मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य में कथित तथ्यों को छिपाने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब नेकराम शर्मा ने एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है जो उस वक्तव्य से सम्बन्धित है जो माननीया मुख्य मंत्री ने ३ तारीख को इस सदन में दिया था। इस सम्बन्ध में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, आदरणीय सदन उस पर विचार कर ले . . .।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

पहले पत्र क्या है वह तो पढ़ दें।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

वह विशेषाधिकार का जो नोटिस है उसको कम से कम आप पढ़ दें, सदन को मालूम नहीं है कि वह है क्या?

श्री अध्यक्ष—

अभी आप बैठ जायं। मैं निवेदन कर दूं कि यदि मैं उस सूचना की स्वीकृति-पक्ष में अपनी राय दूंगा तो अवश्य पढ़कर सुनाऊंगा और यदि मैं कोई स्पष्टीकरण माननीय सदस्य से लूंगा तब भी अवश्य पढ़ कर सुनाऊंगा, परन्तु इस समय मैं सन् १९५२ से ६२ तक के जो अध्यक्ष पद से दिये गये निर्णयों का संकलन है उसके पृष्ठ ३४३ से एक अंश पढ़ कर सुना देना चाहता हूं। यह ६६ नम्बर पर है जिसमें १२ सितम्बर, १९५८ को एक विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर निर्णय देते हुये श्री अध्यक्ष ने कहा :

"श्री लक्ष्मी रमण आचार्य जी ने श्री गोविन्द सिंह विष्ट के भाषण देते रहने के बारे में एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने का नोटिस दिया था परसों और यह आज ११ बजे बाद मेरे पास भेजा है। तो बहुत देर हो गई है उसके लिये। वह तत्काल ही दूसरे रोज आना चाहिये था, लेकिन २ रोज तक वे रास्ता देखते रहे। मैं अब इसको बहुत देर हो जाने की वजह से स्वीकार नहीं करता हूं। इसका कोई कारण नहीं है कि कल आप ने क्यों नहीं दिया।" तो ३ तारीख का वक्तव्य था। माननीय नेकराम जी तथा अन्य सदस्य जिन्होंने विशेषाधिकार का प्रश्न उस वक्तव्य के संबंध में उठाया है वह ४ तारीख ही को उठाना चाहिये था।

दूसरी बात यह है कि माननीय नेकराम शर्मा ने अपने विशेषाधिकार की सूचना में पृष्ठ ४, १, २ वक्तव्य के जो हैं उनके प्रति ध्यान आकृष्ट किया है। उनको चाहिये था कि

नियम ६४, ६५ के अन्दर उन लेख्यों को भी इसके साथ भेजते जिनका उल्लेख है। यह उन्होंने नहीं किया। ऐसी सूरत में तीनों विशेषाधिकार के प्रश्न को अनुमति नहीं देता हूं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, जहां तक डाक्यूमेंट्स का सवाल है वह सदन की प्रापर्टी हो गये हैं और आपके पास हैं। हां, ऐसा डाक्यूमेंट जो हाउस की प्रापर्टी न हो, जो मुख्य मंत्री के पास न हो और आप के पास न हो तब उनको संलग्न करने की आवश्यकता है। आपने खेर साहब की व्याख्या पढ़ी, अगर कोई मेम्बर प्रश्न उठाता है तो समय-समय पर आपने कहा, लिखकर दीजिए। यह इतना महत्वपूर्ण है कि माननीय मुख्य मंत्री ने तथ्य छिपाये हैं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय शर्मा जी, एक पार्लियामेंटरी पद्धति है। मैं चाहूंगा कि जो प्वाइंट ऐट इश्यू है उसी तक सीमित रहें। एक तो यह है कि आपने नियम ६५ का पालन नहीं किया इसलिये यह सूचना अपूर्ण है और हम स्वीकार नहीं कर सकते। दूसरा प्रश्न यह है कि यह विलम्ब से आया है। हम मेरिट्स पर बहस नहीं कर रहे हैं, हम तो प्रीलीमिनरी प्वाइंट्स पर निवेदन कर रहे थे कि इन कारणों से आपकी विशेषाधिकार की सूचना अस्वीकार है।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, नियम ६५ के संबंध में मुझे यह कहना है....

श्री अध्यक्ष —

मैं एक निवेदन कर दूं कि जो पत्र आये हैं इनको हम साइक्लोस्टाइल करा रहे हैं। यथाशक्ति १ घंटे में आ जायेंगे।

श्री नेकराम शर्मा—

वक्तव्य सदन में हुआ माननीय सदस्य जानते हैं। सुबह जब आपके पास गया तो आप बाथ-रूम में थे, और विभाग से मुझे यह सूचना मिली कि ये डाक्यूमेंट्स सदन की प्रापर्टी है, इसलिये डाक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं है। यदि आवश्यक हो, तो मेरे पास मौजूद है, लेकिन चूंकि मुझसे कहा कि हाउस की प्रापर्टी है, माननीय मुख्य मंत्री का स्वयं वक्तव्य है और सब ने पढ़ लिया है। जहां तक दूसरी बात है वह भी काफी महत्वपूर्ण है। माननीया मुख्य मंत्री ने जो ट्रिब्युनल का हुआ फैसला उसके संबंध में कहा कि "इट इज ए मोस्ट डिप्लोरेबिल ऐक्ट आफ दी ट्रिब्युनल।"

श्री अध्यक्ष—

आप तो मेरिट्स पर आ रहे हैं।

श्री नेकराम शर्मा—

तो ट्रिब्यूनल पर आक्षेप करना, ट्रिब्युनल का कंटेम्प्ट करना, सारे तथ्यों को छिपाना, गुप्ता जी का गोंडा जाना, टेलीफोन पर बातें होना .....

श्री अध्यक्ष—

आप तो मेरिट्स पर आ रहे हैं।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)--

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था में व्यवस्था नहीं होती । आप कृपया बैठें ।

श्री नेकराम शर्मा--

यह सारा मामला ....

श्री अध्यक्ष--

(एक सदस्य के खड़े होने पर) आप जो व्यवस्था का प्रश्न उठायेंगे वह यही है कि उनको मेरिट्स पर नहीं बोलना चाहिये । मैं उनको स्वयं रोक रहा हूं ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल--

जो कुछ माननीय नेकराम शर्मा जी ने कहा है यह आपकी रूलिंग को चैलेंज करना है ।

श्री नेकराम शर्मा--

जो व्यवस्था दी कि उसी दिन उठना चाहिये इस संबंध में आपकी व्यवस्था है । आप जरा १९६३ और १९६४ की व्यवस्था स्वयं देखें । आपने कहा है कि हमेशा लिखकर देना चाहिये । तो मैंने फर्स्ट अपारचुनिटी पर ही इसे उठाया ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

हमने, माननीय मुख्य मंत्री के विरुद्ध जो, विशेषाधिकार का प्रश्न आपको दिया है कृपया उसे आप यहां पढ़ दें और वह क्यों महत्वपूर्ण है, वह मुझसे सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

मैं पढ़ रहा हूं, बताये देता हूं ।

श्री नेकराम शर्मा--

आज बात हुई, तीन तारीख को स्वीकार हुआ और आपकी यह व्यवस्था है कि जब-जब प्वाइंट आफ आर्डर उठायें....

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--

आपने अपनी व्यवस्था दे दी है कि इस बारे में कोई चर्चा न छेड़ी जाय और आपको पहले सुन लिया जाय, लेकिन शर्मा जी बोले जा रहे हैं और आप उन्हें नहीं रोक रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

मेरी व्यवस्था इस प्रकार की हो जाने के बाद भी यदि मैं चाहूं कि एक आदमी कुछ कहना चाहता है तो उसको भी ध्यान में रख कर सुनूं । मेरी समझ में आयेगा कि ठीक कह रहे हैं तो मैं आगे और बोलने की अनुमति दे दूंगा और यदि उस कथन को ठीक नहीं समझता हूं तो बोलने की अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)--

बार-बार कहते हैं कि मैं नहीं कहूंगा फिर वही दोहरा कर कहते हैं, रिपीटीशन हो रहा है, फिर वह प्रोसीडिंग में आता है । इसलिये इस पर मुझको ऐतराज है, इस तरह से बढ़ावा नहीं होना चाहिये ।

श्री दीप नारायणसिंह (जिला फतेहपुर)--

मैं उनके कहने के औचित्य पर.....

श्री अध्यक्ष--

(श्री नेकराम शर्मा से) दो मिनट में आप खत्म कर लें। आप बैठ जाइये। माननीय नेकराम जी खत्म कर लें, मैं उन्हें २ मिनट दे रहा हूं।

श्री दीपनारायणसिंह--

मुझे बोलने दिया जाय, मेरी बात सुन ली जाय। हो सकता है कि मेरे प्रश्न को सुनने के बाद किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़े तो क्या अच्छा हो। मेरा प्रश्न यह है कि आपने एक निर्णय १७ मई, १९६२ को दिया था, जो कि मुल्ला साहब के जजमेंट के बारे में था। आपका निर्णय था....

श्री बैजनाथसिंह वैद्य--

एक व्यवस्था के प्रश्न पर दूसरी व्यवस्था के प्रश्न की इजाजत आपने फिर दे दी।

श्री दीपनारायणसिंह--

आपका निर्णय था कि यह विषय विशेषाधिकार में नहीं आता....

श्री अध्यक्ष--

आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री दीपनारायणसिंह--

आपका कहना है कि ट्रिब्यूनल के फैसले पर कुछ आपत्ति की मुख्य मंत्री ने। इसलिये यह विशेषाधिकार का प्रश्न है। आर्टीकिल २११, सुप्रीम कोर्ट....

श्री अध्यक्ष--

आपने पढ़ा नहीं है, आपको कुछ मालूम नहीं है, आप कृपया बैठ जाइये। आपने पढ़ा नहीं, वह उग्रसेनजी ने उठाया है, उन्होंने (श्री नेकराम शर्मा ने) नहीं उठाया है। मेरा तो कहना है कि समय के अन्दर प्रस्ताव नहीं आया।

श्री दीपनारायणसिंह--

आप पहले कान्टेन्ट सुना दें।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये।

*श्री नेकराम शर्मा--

श्रीमन्, आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है। यह विषय ऐसा है कि ३ तारीख को माननीय मुख्य मंत्री जी ने वक्तव्य दिया। उसके संबंध में हमने कुछ उद्धरण मांगे। उस समय आपने कहा कि क्योंकि मुख्य मंत्री महोदया को उसी समय नहीं टोंका, उनको भी इसकी मांग हो सकती है। उस पर मैंने कहा कि लेटर्स की कापी पेश हो सकती है, यह दलील मैंने दी और उसी दलील के अनुसार आज यह पत्र प्रस्तुत है। ३ तारीख को जो वक्तव्य दिया था वह आज भी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नेकराम शर्मा]

कान्टीन्यूटी में है, क्योंकि उसपर आज ४ बजे तक डिबेट होने वाली है। अगर डिबेट खत्म हो जाती तब कोई प्वाइंट नहीं उठता। मैंने लिखकर दिया कि यह सारी कार्यवाही इन कान्टीन्यूएशन चल रही है--३ सितम्बर से और आज साढ़े ६ बजे शाम तक जब तक डिबेट चलगी तब तक यह मामला सदन के सामने है और इस पर यहां विचार किया जा सकता है। मामला सदन के सामने अभी पेश है, उस पर बहस अभी क्लोज नहीं हुई, इसलिये मेरा अधिकार है और मैं इसको प्रस्तुत कर सकता हूं, लेकिन व्यवस्था देने के पहले जो संकलन से आप माननीय खेर साहब और टंडन साहब को रूलिंग आपने दी है, उसमें है, पढ़ कर सुना सकते हैं, इसलिये आप कम से कम उसको पढ़ कर सुना दें और मुझे अवसर दें ताकि मैं दोनों डाकूमेंटों को प्रस्तुत कर दूं। मैंने कहा था कि यह ले लिया जाय तो मुझसे कहा गया कि यह तो हाउस की प्रापर्टी है। इसलिये कम से कम इसको पढ़कर सुना दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

अब यह प्रश्न ४ रोज से हमारे सामने आ रहा है और कहा जाता है कि कन्टीन्युइंग प्रोसेस है। मैं कई मर्तबा कह चुका हूं और फिर कहता हूं कि जो वक्तव्य माननीया मुख्य मंत्री ने दिया वह नियम ५२ के अन्तर्गत था। वह विषय समाप्त हो गया है। अब नियम ५३ के अन्तर्गत यह मांग की गयी है कि इस पर बहस हो और आज बहस हो रही है, तो यह कन्टीन्यूड प्रोसेस एक ही चीज का है, यह मैं नहीं मानता हूं। अब माननीय उग्रसेन जी ने एक आपत्ति की है और एक माननीय नेकराम जी को भी है कि ट्रिब्युनल पर आक्षेप हुआ है। यह आक्षेप अनुचित है और इस वजह से विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है। माननीय उग्रसेन जी के लेख के संबंध में मैं निवेदन कर दूं कि जब माननीया मुख्य मंत्री ने इसको पढ़ा, तो माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी ने उस पर फौरन आपत्ति की कि मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह है कि कोर्ट पर आक्षेप है। जब माननीय श्री पालसिंह जी ने यह प्रश्न उठाया था और माननीय शरण जी ने भी यह बात कही थी कि यह मामला अपील में जा सकता है, तो उस समय मैंने यह कहा था कि यह होते हुए भी जो सरकारी पक्ष है उसको सरकार रख ही सकती है। अब सरकारी पक्ष अपनी बात रख रहा है कि जहां तक निर्णय का प्रश्न है यह निराधार है। अतः वह प्वाइंट आफ आर्डर उठाया गया और व्यवस्था के प्रश्न उठाने पर मैंने निर्णय दे दिया। अब यह प्रश्न विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बन सकता। नियम ३०० में दिया हुआ है कि व्यवस्था का प्रश्न विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बन सकता है। अतः विशेषाधिकार के जो और नोटिस हैं, मैं उनको स्वीकार नहीं करता हूं।

श्री उग्रसेन--

श्रीमन्, मैंने इतना ही निवेदन किया है कि मुख्य मंत्री ने उस पर टीका करते हुए लिखा है कि उनका निर्णय....

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जाइये।

श्री उग्रसेन--

आप कृपया मुझे सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष--

जो प्रश्न उठाया गया है वह यही है कि अदालत पर आक्षेप है। २११ आप पढ़ सकते हैं।

गोंडा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में हुए निर्वाचन के संबंध में चुनाव ट्रिब्यूनल के निर्णय ४८६ के विषय पर मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य में कथित तथ्यों को छिपाने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उग्रसेन--

भारत के संविधान की धारा २११ में लिखा हुआ है कि उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्त्तव्य पालन में किये गये आचरण के विषय में राज्य विधान मंडल में कोई चर्चा नहीं होगी। जो माननीय मुख्य मंत्री ने कहा वह अनुचित और खेदजनक है। क्या माननीया मुख्य मंत्री यह कह सकती हैं कि जो फैसला हुआ है वह अनुचित है। क्या कोई अपील उनके समक्ष है या उच्च न्यायालय की वे अध्यक्ष हैं। क्या उन्होंने सर्वोच्च सत्ता हथिया ली है ?

श्री अध्यक्ष--

कृपया आप बैठ जाइये।

श्री दीपनारायणसिंह--

ट्रिब्युनल कोई सुप्रीम कोर्ट अथवा हाईकोर्ट नहीं है। यहां २११ लागू नहीं होगा। ट्रिब्युनल कोर्ट नहीं है। कंटेम्प्ट आफ कोर्ट ट्रिब्युनल का नहीं होता है।

श्री उग्रसेन--

कोर्ट की परिभाषा क्या है जहां वादी हो, प्रतिवादी हो और मैजिस्ट्रेट हो।

श्री अध्यक्ष--

अगर हम इस बहस को मान लें तो जरा आप अनुच्छेद २०८ को देखें। २०८ का शीर्षक है "साधारण प्रक्रिया"। इस जनरल प्रोसीजर के अन्तर्गत २०८, २०९, २१०, २११ और २१२ आते हैं और २०८ के अन्तर्गत हमने नियमावली बनायी है और २११ और २१२ इसी अध्याय के अंश हैं, इसी शीर्षक के अन्तर्गत हैं। जहां पर प्रक्रिया संबंधी कोई अतिक्रमण हो तो वह केवल व्यवस्था का प्रश्न हो सकता है और उसी समय वह ठीक हो सकता है जब कि उसका अतिक्रमण हो। तो इस दृष्टि से मैं निवेदन कर रहा था कि यह प्रश्न व्यवस्था का उठाया गया और उसी समय मैंने उसको रूल आउट कर दिया। उसके साथ-साथ एक बात माननीय शरण जी तथा दीपनारायण जी ने कही कि २११ में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, जहां-जहां पर हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हों या किसी के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन हो अर्थात् किसी के अधिकारों को सीमित अथवा मर्यादित किया जाय वहां पर शब्दों को रिजिडली, स्ट्रिक्टली इंटरप्रिट करेंगे। उनका निर्वचन उतना ही करेंगे जितना कि शब्दों का हो सकता है, उससे ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। यहां शब्द है उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्त्तव्य पालन हेतु किये गये आचरण के विषय में राज्य के विधान मंडल में कोई चर्चा नहीं होगी। तो उस उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय अर्थात् सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के संबंध में यह रेस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर रखा गया है जिसकी हम कद्र करते हैं। इसलिये नहीं कि अगर हम उसकी कद्र न करें तो हम पर कोई दोष आरोपित होगा बल्कि इसलिये कि यह हमारे ऊपर स्वयं आरोपित नियंत्रण है और इसीलिये हम उसकी चर्चा नहीं करते, उसका आदर करते हैं।

श्री उग्रसेन--

आपने भाष्य कर दिया है तो हमको भी अधिकार है भाष्य करने का। ट्रिब्युनल को अगर कोर्ट की पावर दी गयी है तो ट्रिब्युनल को भी वही अधिकार हैं जो हाई कोर्ट को हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हो चुकी है।

*श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, आपने दोनों विशेषाधिकार के प्रश्नों को टेक्निकल ग्राउन्ड्स पर रिजेक्ट कर दिया, लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री से अपील करूंगा कि इन टेक्निकल ग्राउन्ड्स की वह शरण न लें। जिस प्रकार से हिम्मत के साथ उन्होंने इससे संबंधित तमाम पत्र आपकी रूलिंग के बावजूद सदन की मेज पर रख दिये उसी प्रकार मेरा उनसे अनुरोध है कि वे इस प्रश्न को स्वीकार कर लें और अपनी सफाई देने की कृपा करें और हम लोगों को भी जो कुछ हमें कहना है, कहने का मौका दें। इससे उनका गौरव बढ़ेगा। मैं समझता हूं कि वह बहुत ही फेयर माइंडेड हैं और वह ऐसी छोटी-छोटी टेक्निकल बातों की शरण लेना नहीं चाहेंगी और साहस के साथ सदन को फेस करेंगी।

श्री अध्यक्ष—

अगर उनकी उदारता है और चाहती हैं कि विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाय तो मैं जरूर सुनूंगा। लेकिन टेक्निकल ग्राउंड्स पर नहीं। वह मैरिट्स पर देखूंगा। लेकिन ऐसी उदारता की आप मांग न करें तो ज्यादा अच्छा हो। मैं 'पार्लियामेंट ऐट वर्क' किताब पढ़ दूं। यह 'हेन्सन एण्ड वाइजमैन' की है। इसमें आप देखेंगे कि छोटी-छोटी टेक्निकल ग्राउंड्स पर विशेषाधिकार के प्रश्नों को अस्वीकृत किया गया है यद्यपि आब्जेक्शंस हुए कि यह अवहेलना बहुत गंभीर है, लेकिन उत्तर में कहा गया कि प्रिविलेज का मोशन भी बहुत गंभीर चीज होती है। इसलिये इसको हलकी तरह से नहीं लेते हैं।

शिक्षा मंत्री द्वारा सदन के सत्र में होने पर भी सदन के बाहर सरकारी नीति की घोषणा किये जाने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय शारदाभक्त सिंह जी ने एक प्रश्न माननीय कैलाश प्रकाश जी के विरुद्ध उठाया है।

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

श्रीमन्, मैं यह मानता हूं कि शायद यह विशेषाधिकार की मर्यादा में न आता हो लेकिन मैंने ध्यान दिला दिया है कि ऐसी परम्परा है।

श्री अध्यक्ष—

आप ठीक कहते हैं। मैंने स्वयं इस आदरणीय सदन में कहा है और सभी विधान सभाओं और विधान मंडलों में यह प्रथा स्वीकृत है कि जब सदन बैठा हो तो कोई मंत्री महत्वपूर्ण नीति की घोषणा सदन के बाहर नहीं करेंगे। यद्यपि यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता है जैसे कि स्वयं माननीय नेता, विरोधी दल ने कहा है लेकिन प्रतिष्ठा और सदन का गौरव इस बात का तकाजा करता है कि महत्व की नीति को सदन में पहले घोषणा होनी चाहिये। माननीय कैलाश प्रकाश जी ने इस प्रतिष्ठा और गौरव को ध्यान में रखते हुये मुझे एक पत्र ५ सितम्बर को लिखा है। उसे मैं आपको पढ़कर सुना दूं। उसके पूर्व कि मैं उसको पढ़ूं, माननीय शारदाभक्त सिंह जी के पत्र को मैं पढ़ कर सुनाये देता हूं। वह इस प्रकार है कि—

"प्रदेश के शिक्षा मंत्री माननीय कैलाश प्रकाश द्वारा दिनांक ५ सितम्बर, १९६४ को लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित 'अध्यापक दिवस' समारोह की अध्यक्षता करते हुये यह घोषणा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किये जाने से कि सरकार अध्यापकों के लिये लाभात्रयी योजना (ट्रिपिल बेनीफिट स्कीम) लागू करने जा रही है, सदन को प्राप्त विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है।"

उन्होंने इसी को फोरसी करते हुए मुझे एक पत्र लिखा है ।

श्री शारदाभक्तसिंह—

श्रीमन्, मेरा पूरा पत्र पढ़ने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

नियमतः एवं परम्परानुसार यह स्पष्ट है कि जब विधान मंडल का सत्र चल रहा हो उस समय सरकार द्वारा कोई भी महत्वपूर्ण नीति संबंधी घोषणा पहले सदन में ही करनी चाहिये। ४ सितम्बर, १९६४ को विधान मंडल का उपवेशन हुआ। आज ७ सितम्बर को हम फिर बैठने वाले थे। उसके बाद भी ५ सितम्बर को माननीय मंत्री जी ने इस महत्वपूर्ण नीति की घोषणा सदन के बाहर एक सभा में की है। हम माननीय शिक्षा मंत्री की उक्त घोषणा का स्वागत करते हैं तथा इसके लिये उनका अभिनन्दन करते हैं परन्तु नियमों की अवहेलना करने से सदन की स्पष्ट अवमानना हुई है। उन्होंने नीति संबंधी घोषणा की है वह मेरी व्यक्तिगत जानकारी है। अब उन्होंने इस सदन की भावना का आदर करते हुए मुझे लिखकर भेजा था ५ सितम्बर के प्रातःकाल....

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

अभी आपने मेरा एक विशेषाधिकार का प्रश्न टेक्निकल ग्राउंड पर रिजेक्ट कर दिया। मैंने सदन में मांग की थी कि उसको पढ़ा जाय, लेकिन आपने उसको नहीं पढ़ा और अभी एक विशेषाधिकार की सूचना को आप पढ़ रहे हैं। तो आपका यह दो तरह का व्यवहार यहां पर है नहीं तो, आप मेरी सूचना को भी पढ़कर इस सदन में सुनायें।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—

अभी आपने यह कहा था कि जिसको स्वीकार करेंगे उसको पढ़ा जायगा और जिसको स्वीकार नहीं किया जायगा उसको नहीं पढ़ा जायगा। अभी इस प्रश्न को आपने स्वीकार नहीं किया, लेकिन फिर भी पढ़कर यहां पर सुना दिया। तो आपने यहां पर स्वयं ही नियम का उल्लंघन किया है ।

श्री अध्यक्ष—

अगर मैं यह समझूंगा कि वास्तव में मुझसे ऐसा हो गया है तो मैं माफी मांग लूंगा।

(व्यवधान)

श्री शारदाभक्तसिंह—

मैंने प्रारम्भ में ही कहा था कि हो सकता है यह विशेषाधिकार की परिधि में न आता हो लेकिन मैंने रूलिंग खंड २००, पृष्ठ ४४५ की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया ।

श्री अध्यक्ष—

जिस बात की उन्होंने शिकायत की है उस बात को मैंने स्वीकार किया। उन्होंने कहा है कि नीति संबंधी घोषणा सदन के बैठते हुये बाहर नहीं होनी चाहिये। इस शिकायत को मैंने स्वीकार किया। स्वीकार करने पर मेरा कर्त्तव्य यह हो गया कि मैं आपको बताऊं कि उन्होंने क्या शिकायत की है और वह शिकायत जायज है। यह होते हुए मेरा कर्त्तव्य है कि मैं यह ताकीद

[श्री अध्यक्ष]

कर दूं कि सरकार को कोई नीति संबंधी घोषणा सदन के बैठे हुये बाहर नहीं करनी चाहिये। मैं केवल यह बतला रहा हूं कि उन्होंने क्षमा याचना इस सदन से की है। उन्होंने लिखा है कि :—

"आपको भी ज्ञात होगा कि आज राष्ट्रपति का जन्म-दिवस है जो शिक्षक-दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षकों की एक मांग बहुत दिनों से लाभत्रयी योजना के विषय में चल रही थी जिसमें प्रावीडेंट फंड, पेन्शन, बीमा व्यवस्था उपलब्ध होती है। कुछ प्रदेशों में यह योजना लागू है। उत्तर प्रदेश में भी यह योजना आज से लागू की जा रही है। इसका निर्णय कल बहुत देर से हुआ है इस कारण मैं सदन में यह सूचना नहीं दे सका, क्योंकि आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है इसलिये इस दिवस के उपलक्ष्य में हम चाहते हैं कि यह योजना घोषित कर दी जाय। आज शाम की बैठक में यह घोषणा करनी है मैं आपकी सेवा में भी यह सूचना में भेज रहा हूं।"

*श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

मैं आपके द्वारा माननीय कैलाश प्रकाश जी से यह पूछना चाहता हूं कि टीचर्स की और मांगों के सम्बन्ध में वह कब तक घोषणा करने वाले हैं ? अब इसकी तो घोषणा हो गई और दूसरी घोषणा वह कब करेंगे ? अगर वह इस सम्बन्ध में और घोषणा कर दें तो आगे सदन में उनके विरुद्ध इस तरह के प्रस्ताव लाना नहीं पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष—

वह सदन में बैठे हुये हैं। अगर चाहेंगे तो कह देंगे।

सदस्य के भाषण के अंश को कार्यवाही से निकाले जाने के संबंध में आपत्ति

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय मैं आपका ध्यान एक अत्यन्त आवश्यक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अभी जो सदन में कार्यवाही का संचालन हो रहा है उसमें आपने दो प्रकार के रिमार्क इस सदन में किये हैं। एक तो जब माननीय नेकराम जी बोल रहे थे अपने ब्रीच आफ प्रिविलेज के प्रश्न पर, तो आपने उनके तथ्य के अंश को असंगत समझ कर उनसे यह बात कही कि पुनरावृत्ति न करें। वे फिर बोलने लगे और सदन में अपने उन्हीं तथ्यों को रखने लगे तो आपने उनसे कहा कि यदि आप पुनः इस बात पर बोलेंगे तो यह रिकार्ड नहीं किया जायगा। आपने यह कहा कि अगर वह इस तरह की बात करेंगे तो वह रिकार्ड नहीं किया जायगा। आपने उस पर प्रतिबन्ध लगा दिया जो कुछ वह कहते वह असेम्बली की कार्यवाही का पार्ट नहीं होगा। दूसरी बात जो उग्रसेन जी ने कही उस पर आपने यह कहा कि उनके यह कहने का अंश रिकार्ड का हिस्सा नहीं बनेगा।

श्री अध्यक्ष—

यहां पर प्रोसीडिंग्स में सब लिखा जाता है। उसको मैं रिमूव करता हूं। ये लोग तो सब लिखते हैं। (व्यवधान)

*श्री चन्द्रजीत यादव—

दूसरे आपने कहा कि माननीय उग्रसेन का पूरा भाषण रेकार्ड का हिस्सा नहीं बनेगा और स्पंज कर दिया जायगा। मैं संविधान की कुछ धाराओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करना चाहता हूं जो प्रोसीजर जनरल के संबंध में है धारा २०८ से २१२ तक और जिनके अनुसार सदन की कार्यवाही होती है । उन के अनुसार हर सदस्य का यह मौलिक अधिकार है कि सदन में वह जो कुछ उचित समझता है कहे, और आर्टिकिल २०८ के अन्तर्गत बने नियमों में केवल दो धारायें ऐसी हैं, २९१ और ३०४ कि जिनके आधार पर आप माननीय सदस्यों के भाषण में से कुछ अंश अथवा भाषण निकाल सकते हैं अथवा भाषण रोक सकते हैं । नियम २९१ में है कि "अध्यक्ष ऐसे सदस्य के जो बार-बार असंगत बातें करे या स्वयं अपनी या अन्य सदस्यों द्वारा वाद विवाद में प्रयुक्त युक्तियों की अरुचिकर पुनरावृत्ति करे, व्यवहार की ओर सभा का ध्यान दिलाने के उपरान्त उस सदस्य का भाषण बन्द करने का निदेश दे सकेंगे" । तो अगर वह पुनरावृत्ति कर रहा है या असंगत भाषण कर रहा है तो आप सदन का ध्यान दिला कर उसे आगे भाषण करने से रोक सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

रोकने पर वह न माने तो ?

श्री चन्द्रजीत यादव--

उसके लिये और नियम बने हुये हैं । आप उनको सदन छोड़ने के लिये कह सकते हैं, न छोड़ने पर इंगित कर सकते हैं, लेकिन यह आप नहीं कर सकते कि सदस्य जो कुछ कहेंगे वह रेकार्ड नहीं किया जायगा । फिर केवल ३०४ में आप पूरे का पूरा भाषण नहीं, उसका कुछ अंश स्पंज कर सकते हैं । वह धारा ३०४ इस प्रकार है "यदि अध्यक्ष की राय हो कि वाद-विवाद में कोई ऐसा शब्द या ऐसे शब्द प्रयुक्त किये गये हैं जो मानहानिकारक या अशिष्ट या असंसदीय या अभद्र हैं तो वह स्वविवेक से, आदेश दे सकेंगे कि ऐसा शब्द या ऐसे शब्द सदन की कार्यवाही में से निकाल दिये जायं" । तो यदि आप समझते हैं कि किसी ने इस प्रकार के शब्द प्रयुक्त किये हैं तो केवल उनको निकालने का आदेश देना ही आप के लिये काफी नहीं है । आपको कहना पड़ेगा कि ये शब्द मानहानिकारक, अशिष्ट, तथा असंसदीय हैं और सदन के गौरव के प्रतिकूल हैं । केवल इन दो नियमों में आपको अधिकार है तो मैं समझता हूं कि आपका यह आदेश हमारे मौलिक अधिकारों पर बड़ा आघात है । देश के सब से बड़े कोर्ट को भी अधिकार नहीं है कि वह हमारे ऊपर भाषण में कही गयी किसी बात पर मुकदमा चला सके । यह अधिकार हमको संविधान ने दिया है । तो जब आप किसी सदस्य को रोकते ह तो आपको नियमावली का काशस तरीके से प्रयोग करना चाहिय । आप बराबर पुरानी खेर साहब तथा टंडन जी की व्यवस्थाओं को कोट करते रहते हैं और उनके साथ अगर आपकी यह व्यवस्था बनी रहेगी तो कोई भी सदस्य निर्भीकतापूर्वक अपनी बात कह नहीं सकेगा । यह एक गंभीर प्रश्न है और इसलिये मेरा अनुरोध है कि आप उनके भाषण के उक्त अंश को न निकलवायें और यदि भविष्य में इस तरह के आदेश न दें तो हम लोगों को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार रहेगा । इस ओर मैं आपका ध्यान दिलाता हूं ।

*श्री वीरसेन (जिला मेरठ)--

अध्यक्ष महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न माननीय चन्द्रजीत जी ने उठाया है और उन्होंने बताया कि केवल दो नियमों के अनुसार आपको किसी सदस्य को रोकने या उसके भाषण के किसी अंश को स्पंज करने का अधिकार है । माननीय चन्द्रजीत यादव ने जो नियम पढ़े उनके अतिरिक्त दूसरे नियम की ओर ध्यान नहीं दिया । मैं आपका ध्यान नियम २८७ की ओर आकर्षित करना चाहूंगा--"जब कोई सदस्य बोलने के लिये खड़ा हो तो अध्यक्ष उसका नाम पुकारेंगे । यदि एक ही समय पर एक से अधिक सदस्य खड़े हो जायं तो जिस सदस्य का नाम पुकारा जायगा उसी को बोलने का अधिकार होगा ।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

यह कोई बहस का विषय तो बनेगा नहीं कि वह कहां बहस होगी, यह बहस का विषय नहीं है ।]

श्री वीरसेन--

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि किसी भी सदस्य को इस सदन में बोलने का अधिकार तभी प्राप्त होता है जब आप इजाजत दे दें और जब तक न दें तब तक किसी को बोलने का अधिकार नहीं है और जो कहता है वह अनधिकृत है, इसलिये प्रोसिडिंग से निकालने का आपका अधिकार है ।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)--

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो निर्णय दिया है वह इस सदन में बने रहना चाहिये । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

जो अधिकार आप मांग रहे हैं और जिस अधिकार को माननीय चन्द्रजीत यादव चाहते हैं कि सुरक्षा मिले, उसी अधिकार को आप चाहते हैं कि माननीय कल्पनाथसिंह न इस्तेमाल करें।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

मेरा निवेदन है कि यह तो आपकी व्यवस्थाओं की संस्तुति कर रहे हैं, वह हमने सुन लिया, अब यह बैठ जायं ।

*श्री कल्पनाथसिंह--

मैं निश्चयपूर्वक कहना चाहता हूं कि अध्यक्षासन से जो व्यवस्था होगी वह इस सदन के सदस्य के नाते मुझे शिरोधार्य है । माननीय खेर साहब ने २५ अगस्त, १९५९ को श्रम मंत्री माननीय हेमवतीनन्दन बहुगुणा के एक प्वाइंट आफ आर्डर पर यह व्यवस्था दे दी है कि अगर मेरी आज्ञा के बगैर बोले हैं तो वह सदन की कार्यवाही में नहीं आयेगा, लेकिन अगर मैं बीच में बोलने के लिये इजाजत दे देता हूं तो उनका शेष भाषण कन्डीन हो जायगा और सदन की कार्यवाही में रहेगा । मतलब यह है कि जब तक आप किसी को आज्ञा न दें बोलने की, तब तक उसको बोलने का अधिकार नहीं है और यदि बोलता है तो वह अंश कार्यवाही का भाग नहीं बन सकता है ।(व्यवधान)

कतिपय विषय

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

अध्यक्ष महोदय, एक बात शिक्षा मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो त्रिलाभ का ऐलान अध्यापकों के लिये माननीय मंत्रियों ने किया है तो उसमें प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापक भी शामिल किये जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह लिखकर भेजियेगा ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । तीन विशेषाधिकार के प्रश्न आये, एक उग्रसेन जी का, एक मेरा और एक काशीनाथ जी का। तो आपने नेता, विरोधी दल के विशेषाधिकार के प्रश्न

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

को रिजेक्ट किया और सदन में पढ़ दिया । हमने भी एक मांग की । आप स्वयं फैसला कर लें । एक अपनी व्यवस्था के विरुद्ध आपने एक तो इजाजत दे दी पढ़ने की जब उन्होंने उठाया कि टेक्निकली रिजेक्ट कर दिया गया है लेकिन आप पढ़कर सुना दें यदि आपने स्वीकार कर लिया हो ?

श्री अध्यक्ष--

मैंने स्वीकार नहीं किया है । जो प्रश्न आपने उठाया था, उसको मैंने कहा, माननीय नेता विरोधी दल ने उठाया था । वह विशेषाधिकार का नहीं लेकिन महत्वपूर्ण है । वह प्रश्न ऐसा है कि जिसके संबंध में माननीय मंत्रीगण और सरकार ख्याल रखे कि भविष्य में ऐसा न हो ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

माननीय रामसुन्दर, माननीय श्यामलाल जी के कामरोको प्रस्ताव आये हैं। इनको मैं कामरोको प्रस्ताव के रूप में स्वीकार न कर, माननीय खाद्य मंत्री को भेज रहा हूं कि वे अपना वक्तव्य दे देंगे ।

प्रदेश के विभिन्न जिलों में बाढ़ से क्षति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम ५२ के अन्तर्गत मैंने स्वीकार किया है माननीय उग्रसेन का, माननीय रामकिशोर त्रिपाठी का और माननीय मुकुटबिहारी लाल का । ये बाढ़ के संबंध में है। मैं चाहूंगा कि राजस्व मंत्री जी इस संबंध में अपना वक्तव्य परसों दें।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--

परसों, समय नहीं है । इसकी इत्तिला मंगाना पड़ेगी। न मिलेगी तो लोगों को सैटिसफैक्शन नहीं होगा ।

श्री अध्यक्ष--

मेरा निवेदन यह था कि यथाशक्ति जो सूचना मिल जाय उसके अनुसार ही ....

श्री हुकुमसिंह विसेन--

लेकिन फिर लम्बी जिरह न हो ।

श्री अध्यक्ष--

अच्छा, लम्बी जिरह नहीं होगी । माननीय उग्रसेन जी समझदार व्यक्ति हैं, जल्दी संतुष्ट हो जायेंगे ।

अब मैं माननीय उग्रसेन जी के लोक महत्व के प्रश्न पर जो लिखा है सुनाता हूं--"गत एक सप्ताह की भीषण वर्षा से आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, तथा बस्ती की घाघरा, राप्ती, छोटी गण्डक, बड़ी गंडक, कुआना, तरना, आदि नदियों में भीषण बाढ़ आ गई है । सरकार ने अपनी नावें अधिकांश स्थानों से हटा ली थीं, अतः बाढ़ क्षेत्र के गांव समुद्र के टापू बने हुये हैं । घोसी तहसील आजमगढ़, सलेमपुर सदर (देवरिया), हरैया, खलीलाबाद (बस्ती) तथा बांसगांव तहसील गोरखपुर की लाखों जनता का जीवन संकटापन्न स्थिति में है। इससे एक विषम स्थिति उत्पन्न हो गई है ।

[श्री अध्यक्ष]

माननीय रामकिशोर त्रिपाठी का है--"बाराबंकी जिले में घाघरा की बाढ़ तथा तहसील हैदरगढ़ में अवर्षण से त्राहि-त्राहि मच गई है । घाघरा तथा उसकी सहायक चौका, शिमली और सोरा आदि में गत बुधवार से पानी का बढ़ाव जारी है । यहां रालिगन ब्रिज पर घाघरा का पानी ३५० फुट संकट बिन्दू से दो इंच बढ़ गया है। फलस्वरूप लगभग १२५ गांव में भीषण बरबादी का दृश्य छा गया है । इस बाढ़ में अब तक ५ पशु और ४९५ मकान बह चुके हैं और १,१४४ एकड़ भूमि कटाव में आगई है, ८८,५०० एकड़ जमीन जिसमें ५८,००० एकड़ में खरीफ की फसल बोई हुई थी बाढ़ के पानी में जलमग्न हो गई है ।"

इसी प्रकार से तहसील हैदरगढ़ का दिया है ।

माननीय मुकुट बिहारी लाल का बाराबंकी के संबंध में है ।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)--

जब माननीय मंत्री महोदय खुद मौजूद थे तो उन्हें क्षमा याचना करना था, उन्हें खुद कहना था ।

श्री अध्यक्ष--

पत्र जो उन्होंने लिखा था इसी दृष्टि से दिया था कि मैं हाउस का रिप्रेजेन्टेटिव रहता हूं। जिन दिनों हाउस बैठा होता ।

श्री हुकुमसिंह विसेन--

श्रीमन्, यह हैदरगढ़ में अवर्षण का भी है ?

श्री अध्यक्ष--

नहीं । सिर्फ सैलाब के बारे में आपको बयान देना है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन--

तो एक दिन का और बढ़ा दीजिये....

श्री अध्यक्ष--

मेरा मतलब यह था कि जहां तक मैं समझा हूं, ९ को शायद हम उठ रहे हैं । तो उस सूरत में मैं चाहता था कि यथाशक्य जो कुछ हो ९ तक दे दें ।

श्री हुकुमसिंह विसेन--

बहुत सम्भव है कि तब तक मैं पुरी इत्तिला न मंगा सकूं ।

श्री अध्यक्ष--

जितना हो सकेगा उतना दे दीजियेगा । (व्यवधान)

यातायात एवं आबकारी स्थायी समितियों के निर्वाचन के संबंध में परिवर्तित कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष--

सचिव ने मुझे यह सूचना दी है कि यातायात स्थायी समिति तथा आबकारी स्थायी समिति के लिये १-१ सदस्य के निर्वाचनार्थ प्राप्त नाम-निर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा दिनांक, ४ सितम्बर, १९६४ को नियत समय पर की गयी और सब नाम-निर्देशन पत्र ठीक पाये गये हैं। उक्त निर्वाचन सम्बन्धी नामों की वापसी का समय ९ सितम्बर, १९६४ के सायंकाल ५ बजे

तक और मतदान, यदि आवश्यक हुआ, के लिये ११ सितम्बर, १९६४ के १२ बजे से ५ बजे तक का समय नियत था । किन्तु अब माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार उक्त कार्य-क्रम इस प्रकार परिवर्तित कर दिया गया है कि यदि उल्लिखित स्थायी समितियों में अतिरिक्त नाम दिनांक ८ सितम्बर, १९६४ के सायंकाल ४ बजे तक वापस न ले लिये गये तो निर्वाचन सम्बन्धी मतदान दिनांक ९ सितम्बर, १९६४ को विधान वाचनालय में १२ बजे से ५ बजे के बीच होगा ।

कार्य-क्रम की सूचना

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

मैं यह जानना चाहता हूं कि सदन का कार्य-क्रम क्या है और यह सदन कब से उठ रहा है ?

मुख्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)--

जैसा कि पहले सप्ताह में घोषित किया जा चुका है उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक ७ सितम्बर, सन् ६४ से प्रारम्भ होकर उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९६४ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है उस पर विचार एवं उसका पारण होगा और उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, १९६४ पर विचार एवं उसका पारण होगा । ९ तारीख तक इन पर विचार करके बाद में यह सदन उठ जायगा ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

श्रीमन्, विधान सभा का जो कार्यक्रम है वह इतनी गड़बड़ी के साथ चलता है और मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि हम साढ़े सात करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं....

श्री अध्यक्ष--

आप कहना क्या चाहते हैं ? कमेन्टरी आप बाद में करें, पहले जो कहना चाहते हैं वह कह दें ।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

मेरा कहना यह है कि जो हमको प्रोग्राम बताया जाता है उसमें बहुत जल्दी-जल्दी गड़बड़ी कर दी जाती है और उसे बदल दिया जाता है । जन्माष्टमी की छुट्टी के बारे में मैंने शुक्रवार को पूछा था तो माननीय उपनेता सदन ने कहा था कि केवल सोमवार को ही छुट्टी जन्माष्टमी की रहेगी, लेकिन बाद में मंगलवार को भी छुट्टी कर दी गई । इसी प्रकार हम लोगों के पास जो प्रोग्राम पहुंचा हुआ है वह १४ तारीख तक का है लेकिन ९ को ही सदन बन्द करने का निश्चय कर लिया गया । इससे हमको बड़ी असुविधा होती है । हम लोग साढ़े सात करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस प्रकार से प्रोग्राम बदलें तो इसका और सबके ऊपर क्या असर पड़ेगा ? पार्लियामेंट में इतनी जल्दी प्रोग्राम नहीं बदलते । इससे हमको बहुत ही असुविधा होती है । हमें क्षेत्रों में जाना होता है, बड़ी परेशानी की बात यह हमारे लिये है । श्रीमन्, आप एक बार इनसे कहें कि कम से कम यहां की जो प्रतिष्ठा है, उसको कायम रखें ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने स्वयं पूछा था माननीय उपनेता सदन से सबेरे पूर्वान्ह में, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई खबर नहीं है । लेकिन ४-५ बजे यह सूचना दे दी गयी । मैं यह मुनासिब नहीं समझता हूं कि सायंकाल ४ बजे घोषणा की जाय कि अमुक दिन सदन नहीं बैठेगा । कुछ पहले सूचना दे देनी चाहिये ।

[श्री अध्यक्ष]

दूसरी बात आपने उठायी है उस प्रोग्राम के बारे में जो आपके पास भेजा जाता है । वह टेंटेटिव होता है, अन्तिम नहीं होता । अब यह कार्यमंत्रणा समिति के सामने गया । उसके निर्णयानुसार अब यह सदन का कार्य ९ तारीख तक समाप्त हो जायगा ।

भाषा विधेयक के संबंध में जानकारी

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)---

श्रीमन्, भाषा विधेयक के संबंध में समाचारपत्रों में आया है तथा उसमें ऐसा कहा गया है कि सरकार ने किसी फारमूले को मानकर उस विधेयक को समाप्त करने के बारे में तय कर लिया है । इससे सारा प्रान्त आन्दोलित हो रहा है । माननीया मुख्य मंत्री इस बारे में स्पष्ट कर दें कि वास्तविक परिस्थिति क्या है ।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---

अध्यक्ष महोदय, चूंकि भाषा विधेयक के बारे में उत्तर प्रदेश में बहुत बेचैनी थी और मेरे पास बहुत से रिप्रेजेन्टेशन आये थे तथा बहुत से एम० एल० ए० साहबान भी मुझसे मिले थे । हम लोगों ने उसके ऊपर बैठ कर विचार किया कि अगर कोई दूसरा रास्ता इसके बारे में निकल सके तो उसको देख लें । हमने बीच में भी सलाह की तथा दिल्ली के नेताओं से इस विषय में कन्सल्टेशन किया गया कि अगर कोई दूसरा रास्ता निकल सकता है तो इस विधेयक को वापिस ले लिया जाय । इसलिये फिलहाल यह सदन के सामने नहीं रखा जा रहा है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

सरकारी पक्ष की ओर से यह घोषणा हो जाय कि किस माह में हम फिर बैठने वाले हैं ?

श्री अध्यक्ष---

यह आपको बाद में बता दिया जायगा ।

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलटीज (संशोधन) विधेयक, १९६४ (क्रमागत) †

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)---

अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९६४ जो इस सदन में प्रस्तुत किया गया है उसके सिलसिले में पिछले दिन कुछ बातें मैंने कही थीं । विशेषरूप से एक बात यह है कि जो म्युनिसिपैलिटियां हैं उनकी आर्थिक हालत बहुत ही शोचनीय है । जिन म्यूनिसिपैलिटीज की आर्थिक हालत कमजोर है, वे गांव सभाओं की तरह बनी हुई हैं । बिना पैसे के शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा आदि के कार्य कैसे हो सकते हैं ? जो स्वायत्त संस्था सफाई, रोशनी आदि का प्रबंध नहीं कर पाती, वह जनता के प्रति अपने कर्त्तव्य का पूर्ण पालन नहीं कर सकती । जिन म्यूनिसिपैलिटियों को पिछले दो तीन सालों में डिक्लेयर किया गया है, उनके बारे में सरकार एक कमीशन बैठाये ताकि उनकी आर्थिक व्यवस्था और आर्थिक ढांचे का पूरे तरीके से विचार किया जा कर, किन-किन म्युनिसिपैलिटियों को कितनी-कितनी आर्थिक सहायता की आवश्यकता हैं, उसके देने पर सरकार विचार करे । बिना इनके जो लोकल बाडीज संस्थायें हैं वे जनता के प्रति अपने कर्त्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन करने में असमर्थ हैं ।

(इस समय १ बजकर ११ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायणराय पीठासीन हुए)

---

† ४ सितम्बर, १९६४ की कार्यवाही से ।

जहां तक सर्विसेज का ताल्लुक है, एक्जीक्यूटिव आफिसर, हैल्थ आफिसर, सैनिटरी इंस्पेक्टरर्स के किस्म की सर्विसेज हैं जिनका प्रबन्ध प्रान्तीय सरकार प्रादेशिक स्तर पर करती है, इन पर म्यूनिसिपैलिटियों को बिलकुल ढीला छोड़ दिया गया है कि वे जिस तरह से चाहें किसी को एक्जीक्यूटिव आफिसर नियुक्त करें, जिस तरह से चाहें मेडिकल आफिसर नियुक्त करें, जिस तरह से चाहे सेनीटरी इन्सपेक्टर नियुक्त करें इस तरह की बातों से अव्यवस्था फैलती है। मेरा सुझाव यह है कि एक्जीक्यूटिव आफिस के पोस्ट को प्राविसंसियलाइज कर दिया जाय और उनका चुनाव पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिये हो जो योग्य व्यक्तियों द्वारा उन स्थानों की पूर्ति कर सके। इससे सारी म्युनिसिपैलिटियों का कार्य सुचारु रूप से चल सकता है।

दूसरी बात यह है कि जिन कारणों से इन म्यूनिसिपैलिटियों का निर्माण किया गया है क्या उन कारणों की पूर्ति हो रही है या जो नियम या बाई लाज ह उनकी अवहलना की जा रही है, इस पर भी प्रादेशिक सरकार का ध्यान जाना आवश्यक है। श्रीमन्, मैं सरकार स कहना चाहता हूं कि एक म्यूनिसिपैलिटी में किसी दूसरे तरीके से कार्य होता है। किसी में नियमों के अनुकूल कार्य होता है तो किसी में नियमों के विपरीत कार्य होता है और इसका पता प्रादेशिक सरकार को तथा उच्च अधिकारियों को बहुत देर से होता है। और इस तरह से जिलाधिकारी ठंडे रहते हैं। यदि कोई बजट पेश हुआ या सप्लिमेन्टरी बजट आया तो वह भी छः महीने तक ऐसे ही पड़ा रहता है सैन्कशन के लिये और वह कार्य पूरा नहीं हो पाता जो जनहित के लिये परमावश्यक है। इसलिये आप एक आदेश जारी करें कि जो म्युनिसिपैलिटीज अपना बजट या सप्लीमेंटरी बजट या जो भी बातें जनहित की हों जिन्हें बोर्ड स तय करके भेजें उनके ऊपर जिलाधिकारी ज्यादा से ज्यादा १५ दिन में अपना निर्णय ले लें ताकि जनहित का कार्य न रुक सके।

एक बात और है। इस चुनाव पद्धति का जहां तक संबंध है, कारपोरेशन में एक प्रकार का चुनाव है, म्युनिसिपैलिटीज में दूसरे प्रकार का चुनाव ह, ब्लाक्स व परिषदों म तीसर प्रकार का चुनाव है और टाउन एरियाज में चौथे प्रकार का चुनाव है। एक जगह एक साल के के लिये मेयर रहता है, एक जगह पूरे टर्म के लिये रहता है, एक जगह सदस्य चुनाव करते हैं, जैसे कारपोरेशन में, म्युनिसिपैलिटीज में ब्लाक्स व परिषदों में सदस्य चुनाव करते हैं जब कि टाउन एरियाज में आम जनता चुनाव करती है। तो लोकल बाडीज की जो परिभाषा है उसके अनुसार सब जगह एक ही प्रकार का चुनाव होना चाहिये। अगर सदस्यों द्वारा चुनाव किया जाता है तो हर जगह सदस्यों द्वारा चुनाव होना चाहिये। अगर एक जगह बालिग मताधिकार द्वारा चुनाव हो तो हर जगह बालिग मताधिकार द्वारा चुनाव होने चाहिये और जो फर्क है उस फर्क को पूरा करने का प्रयत्न होना चाहिये। पिछली बार बोलते समय भी मैंने इस संबंध में कुछ निवेदन किया था। अन्त में मुझे सरकार से यह निवेदन करना है कि जो बात जरूरी है फाइनेंस, सर्विसेज, इनकी तरफ मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया कि उस तरफ विशेष ध्यान देकर इन म्युनिसिपैलिटियों को भी आप जिन्दगी देंगे। इन म्युनिसिपैलिटीज को सरकार ऐसी जिन्दगी दे ताकि उनके अन्तर्गत रहने वाले नागरिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य यानी, चिकित्सा, रोशनी, सफाई, रास्तों की सुविधा आदि का उचित प्रबन्ध हो सके। अगर किसी नगरपालिका की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो कर्ज और अनुदान के विषय में उनको प्रायर्टी मिलना चाहिये, इसलिये यह आवश्यक है कि एक छोटा-सा कमीशन मुकर्रर करके प्रदेश की थोड़ी-सी नगरपालिकाओं, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है उनकी जांच करा लें, उनके फाइनेंन्सेज को दिखलवा लें और उनके बारे में जो निर्णय कमीशन का हो उसके अनुसार आदेश दे दें। बस इतना ही मुझे कहना था।

*श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश म्युनिसिपेलिटीज (संशोधन) विधेयक के ऊपर जो संयुक्त प्रवर समिति बनी थी उसका सदस्य होने का गौरव मुझे भी प्राप्त हुआ था परन्तु मुझे खेद है कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मैनेजरसिंह]

जो प्रवर समिति की संस्तुति आई उसमें मैं अपनी विमति टिप्पणी न दे सका और इस विषय में मैं अपना अफसोस जाहिर करना चाहता हूं और आप के माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि उनका जो यह विभाग है उसने मुझे बैठक की सूचना देने में असावधानी की है और इसके लिये मैं खेद प्रकट करता हूं। मैं लखनऊ एक कार्य के संबंध में आया था और मैंने उस वक्त जानना चाहा कि प्रवर समिति की बैठक कब होगी ताकि मैं अपना कार्य-क्रम स्थिर कर सकूं। मैंने विधान सभा सचिव से मालूम किया तो कहा गया कि इस विषय में आप नगर-पालिका विभाग से मालूम करें वहीं आप को सही सूचना मिलेगी। फिर जब मैं एल० एस० जी० सचिव के पास गया तो वह उस समय अनुपस्थित थे, उनके पी० ए० से मालूम किया तो उसने कहा कि आप विभाग के अधीक्षक से मिले लें वह अवश्य बता देंगे कि कौन तिथि मीटिंग की निश्चित हुई है लेकिन अधीक्षक ने बहुत ही बदतमीजी से बात की और जब मैंने उसकी शिकायत डिप्टी सेक्रेटरी महोदय से की तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी ही बात थी कि उनको नहीं बताना चाहिये था। मैंने उस दिन भी कहा और सचिव विधान सभा से आग्रह किया कि इस तरह की बात है और डिप्टी सेक्रेटरी तक ने बड़े अनुचित ढंग से इस बात को लिया। इस संबंध में मैं यह भी कहूंगा कि जो बैठक नैनीताल में हुई उस समय यह तय हुआ था और माननीय उपमंत्री जी वहां थे कि अब जुलाई में एक बैठक होगी और उस समय हम पूर प्रतिवेदन पर एक बार फिर विचार करेंगे लेकिन मुझे खेद है कि मैं बलिया से बंगलौर के लिये १६ को रवाना हुआ और मेरे पास गांव के या बलिया के पते से कोई सूचना उस वक्त तक नहीं पहुंची और जब मैं बंगलौर से आया तो मालूम हुआ कि उस समिति की १८ व २० को २ बैठकें हुईं और उनकी उपस्थिति से मैं वंचित रह गया। अगर मुझे समय से सूचना मिलती तो मैं उनमें अवश्य सम्मिलित होता और बंगलौर का कार्यक्रम स्थगित कर देता और अपनी राय के अनुसार अपनी विमति टिप्पणी भी देता। इसलिये मैं इस विभाग के ऐसे रवैये के खिलाफ शिकायत करता हूं और उसका घोर विरोध करता हूं और मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस विभाग के अधिकारियों का दिमाग ठीक करने की कोशिश करेंगे।

मैं उपमंत्री जी तथा स्वशासन मंत्री जी को और उनके सभा-सचिव, माननीया अग्रवाल जी के प्रति मैं सम्मान प्रकट करना चाहता हूं कि उन लोगों ने प्रवर समिति में सहयोग के वातावरण में कार्य करने का मौका दिया और हम लोगों के बहुत से सुझाव उन लोगों ने स्वीकार किये और कोई ऐसी बात नहीं आयी जबकि हमको कोई कष्ट अनुभव हुआ हो। बहुत सी बातें जो मनवा सकते थे मनवाये और उन्होंने कृपा पूर्वक उन बातों को स्वीकार भी किया। जो मूल प्रस्तावित विधेयक था वह विधेयक ही त्रुटिपूर्ण था और स्थान-स्थान पर कुछ संशोधन से उसके पूरे विकार को नहीं विचार सकते थे। इसलिये हम अब भी इससे सहमत नहीं हैं। जिस प्रकार से भालू के नाखून तोड़ देने से, या मुंह पर चमड़े का बंधन लगा देने से उसकी भयंकरता या उससे जो मानव को खतरा है वह दूर नहीं हो सकता है उसी प्रकार से यद्यपि मंत्री जी ने हमारे बहुत से संशोधन स्वीकार किये और इसके विष को कम करने की कोशिश की, मगर फिर भी इस विधेयक में काफी विष है।

मुझे खेद है कि आज इस विकेन्द्रीकरण के जमाने में इस प्रदेश की सरकारी मशीनरी का दिल दिमाग बदल नहीं रहा है। आप क्षेत्र समिति विधेयक जो बना, उसकी भाषा को देखें, एक-एक धारा पर गौर करें तो ऐसा मालूम होगा कि सारे अधिकार एक जगह केन्द्रित होते जा रहे हैं। मैं उसको विकेन्द्रीकरण का अधिनियम नहीं मानता। उसी प्रकार यह विधेयक हमें सरकारीकरण की तरफ ले जाता है। इसके उद्देश्य और कारणों की तरफ जब हम ध्यान देते हैं तो एक बात प्रमुख रूप से सामने आती है कि आज का जो मौजदा म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट है उसमें कोई ऐसा प्रभावकारी अधिकार सरकार के पास नहीं है कि नगरपालिका पर या उसके पदाधिकारियों पर कोई जबरदस्त अंकुश रख सके। मूल उद्देश्य

इस विधेयक का यही है कि सरकार जबरदस्त अंकुश चाहती है। आज विकेन्द्रीकरण के जमाने में जब देश के राष्ट्र नायक विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं तो केन्द्र के नीचे उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा बदकिस्मत प्रदेश है और ऐसा राक्षसीवृत्ति वाली सरकार है जो आज भी सरकारी करण की बात करती है। आज भी पंचायतों पर तथा अन्य स्थानीय निकायों पर अंकुश लगाने की बात करती है और वह अंकुश किसका होगा ? कमिश्नर का और कलेक्टर का। हमारे यहां चार अनुभवाचार्य कमिश्नर है जो अनुभव के आधार पर तरक्की पाकर कमिश्नर हुए हैं। एक तो लखनऊ में हैं, श्री राम सहाय, दूसरे साहब का किस्सा सारा देश गा रहा है, मेरा मतलब श्री निगम से है और एक टन्डन जी हैं। पता नहीं टंडन जी बनारस डिवीजन का पिन्ड छोड़ेंगे भी कि नहीं। अगर ऐसे ही काबिल हैं तो क्यों नहीं मंत्री जी उनको अपने विभाग में बुला लेते, या मुख्य मंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्र में उनको कमिश्नर बना कर भेज देतीं ? तो वह अनुभवाचार्य जो कमिश्नर है और अधकचरे जो कलेक्टर आज कल बनते हैं, आई ए० एस० या पी० सी० एस० अफसर जो आपकी खुशामद करते हैं, आपके लिये नाजायज काम करते हैं वही तरक्की पा जाते हैं। आई० ए० एस० जो पास करके आते हैं जिनको प्रशासन का पूरा अनुभव भी नहीं होता। पर जिससे आप खुश हो गये उसको तीन साल बाद तुरन्त ही कलेक्टर बना देते हैं और सड़ियल दिमाग के कमिश्नर को आप अधिकार देना चाहते हैं और आप कहते हैं कि चुनी हुई नगरपालिकाओं पर आप अंकुश लगा दें। मैं कहना चाहता हूं कि आप ऐसा करके उत्तर प्रदेश के खतरे की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, जमाने के विपरीत कदम बढ़ा रहे हैं और यदि सरकार का दिल दिमाग नहीं ठीक हुआ तो जमाना उत्तर प्रदेश की सरकार का दिमाग ठीक करेगा। आज आपकी केन्द्रीय सरकार जो आपकी पार्टी की सरकार है, ने भी कहा है कि स्वायत्त संस्थाओं को अधिक अधिकार दिये जाने चाहिये। आपके दिवंगत नेता पंडित जवाहर लाल नेहरु ने एक बार नहीं अनेक बार कहा है, आप उनके भाषणों को पढ़ें—उन्होंने कहा है मैं मानताहूं कि इन पंचायतों के पंच गलत हैं गलती कर सकते हैं और करते हैं, लेकिन मुझे एक उच्च विचार को सामने रखकर एक बड़े उद्देश्य को सामने रखकर काम करना है और हम इसके लिये रुकेंगे नहीं, क्योंकि कोई जन्म से ही तैराक नहीं होता। मनुष्य नदी में कूदता है और तैरना सीखता है। पंचायतों के पंचों तथा स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारियों का प्रारम्भ में काम ठीक नहीं होगा, लेकिन वह यदि कोशिश करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे तो एक दिन वह अपना काम अवश्य ठीक से चलायेंगे।" तो मैं नहीं समझता कि उत्तर प्रदेश में ऐसे लोग रहते हैं, जो चुने हुए लोगों पर अंकुश लगाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि पंचायत की जो संस्थायें हैं ग्राम पंचायत, क्षेत्र समिति, जिला परिषद और नगरपालिका नगर पंचायत, हमारे आदरणीय नेता बलवन्त राय मेहता जो आपके दल के सदस्य हैं, जो कि गुजरात के मुख्य मंत्री हैं, वह बार बार कहा करते हैं और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में भी चर्चा की है और गुजरात की रिपोर्ट में इस प्रकार की चर्चा है कि नगरपालिकाएं, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया यह भी जिन जिन जगह पर हैं, नगर और कस्बों की पंचायतें हैं। ऐसा कहा जाये तो ज्यादा अच्छा होगा। इन पंचायती संस्थाओं को अधिक से अधिक अधिकार और जिम्मेदारी दें और सारे अधिकार और जिम्मेदारी हमें पंचायत के लोगों पर छोड़नी होगी।

आपके गांव का एक साधारण पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा ईमानदार है, पढ़े लिखे लोगों से वह ज्यादा सोचता है अपने गांव और नगर के बारे में बनिस्बत एक अन्य पढ़े लिखे व्यक्ति या अफसर के। तो आज इस पंचायती राज्य के जमाने में उत्तर प्रदेश के कर्णधार इस बात को चलायेंगे तो क्या यह उल्टी गंगा बहाने का कार्य उन्हें सफलता या यश दिलायेगा ? मैं एक बात और कहना चाहता हूं। कहा गया कि म्युनिसिपैल्टीज की संख्या कम की जाये, कुछ कम भी कर दी गई है। मैं इस राय का नहीं था कि म्युनिसिपैल्टीज की संख्या कम कर दी जाये। जब ढाई सौ पंचायतों में १५, १५ सदस्य रख सकते हैं और जब नगरपालिकाएं जो ३–४ हजार आबादी पर हो, उनकी सदस्य संख्या हम कैसे कम रख सकते हैं ?

[श्री मैनेजरसिंह]

तो मैं उसकी मूल भावना की तरफ जाना चाहता हूं। कहा गया कि संख्या कम करने से इसके चुनाव में जो जातिवाद चलता है जो पैसा खर्च कर उसका प्रभाव पड़ता है, वह कम हो जायेगा। जातिवाद के कारण पैसे के बल पर बुरे लोग आ जाते हैं और संख्या ज्यादा रहती है। मैं इसको नहीं मानता हूं, मैं इसके खिलाफ राय रखता हूं। छोटे निर्वाचन क्षेत्र में एक एक उम्मीदवार के बारे में प्रत्येक मतदाता को जानकारी रहती है। जब कि बड़े बड़े निर्वाचन क्षेत्र में ज्यादा क्षेत्र होने के कारण सब मतदाता उम्मीदवार के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते ह और जब जानकारी नहीं रखत ह तो वह लाउड स्पीकर आदि से अपना प्रचार करते हैं, और मतदाताओं को प्रलोभन भी दिया जाता है। बहुत से मतदाता ऐसे हैं जो केवल पैम्फलेट, लाउड स्पीकर और प्रचार साधनों की बहुलता में फंस जाते हैं और उम्मीदवार के बारे में कोई जानकारी न रखते हुए एक गलत आदमी को चुन लेते हैं। जब कि जो उम्मीदवार लाउड स्पीकर, पैम्फलेट और नारे बाजी की शरण नहीं ले पाते हैं, सही आदमी होते हुए भी जनता को उनकी जानकारी न होने के कारण वह नहीं चुने जा पाते हैं। इस प्रकार से बड़े बड़े निर्वाचन क्षेत्र में बहुत सही आदमी नहीं चुने जा पाते हैं। जहां ४ आदमी होते हैं, सब अपने अपने को ईमानदार कहते है, जब कि उसमें से ३ बेईमान ही होते हैं, मतदाता यह निर्णय नहीं कर पाता ह कि कौन ईमानदार ह। साधारण मतदाता नहीं समझता है कि ४ में से कौन ईमानदार है, कौन योग्य है, कौन अयोग्य है। जब छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं तो उम्मेदवार सब लोगों को समझते हैं और उसका निर्णय १०० फीसदी सही होता है। यदि मतदाता गलत होगा तो गलत आदमी चुना जाएगा और अगर मतदाता सही हो तो सही आदमी चूना जायगा। इसलिये मैं समझता हूं कि इस विधेयक में जो बात रखी गयी है इस आधार पर कि बड़े निर्वाचन क्षेत्र में सही चुनाव होगा, ऐसी बात नहीं है। बड़े क्षेत्र में प्रचार प्रभाव पर चुनाव होगा। इसलिये मैं खिलाफ राय जाहिर करना चाहता हूं। एक बात और कही जाती है कि इसमें ऐसी व्यवस्था कर दी जायगी कि चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर और मेडिकल आफिसर उनका कैडर स्टेट स्तर पर बन जायगा ताकि उनकी नियुक्ति का स्टेट स्तर पर प्राविधान हो और कोई कानून बन सके और उनका तबादला भी हो सके। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी को, इस सुझाव को जो उन्होंने माना है, के लिये बधाई देता हूं।

आज हालत ऐसी बिगड़ गयी है कि बहुत से ऐसे चीफ एक्जीक्युटिव आफिसर्स हैं जो अपने दफ्तरों में बैठकर म्युनिसिपैलिटी की राजनीति को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि अभी मैं दिल्ली गया तो वहां से मैं गाजियाबाद गया, क्योंकि मैंने सोचा कि देखूं कि वहां की क्या समस्यायें हैं। वहां पर गया और वहां के लोगों से बातचीत की। गाजियाबाद के एक पुराने कांग्रेस कार्यकर्त्ता हैं जो अभी भी कांग्रेस के सदस्य हैं और जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग भी लिया था। इन कांग्रेसी महाशय के यहां मैं एक डेढ घंटे बैठा रहा। गाज़ियाबाद की समस्या के बारे में जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि यहां जो एक्जीक्यूटिव आफिसर हैं वे वहां की राजनीति को नचाते हैं। यही नहीं, ये एक ऐसे एक्जीक्युटिव अफसर हैं जो यहां के एडमिनिस्ट्रेटर को उखाड़ते हैं। जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर है वह नियमों के अनुसार कार्य करता है और उसकी घपलेवाजी को बन्द कर रखा है। वहां पर म्युनिसिपिलैटी सुपरसीडेड है। वहां पर मुझे यह भी बताया गया कि माननीय मंत्री जी भी वहां पर गये थे और वे भी देख गये हैं। जो इस समय एडमिनिस्ट्रेटर हैं वे कोई अधिकारी हैं और उन्होंने उस घपले पर अंकुश कर दिया है और वे किसी अनियमित कार्य को नहीं करने दे रहे हैं। उसका नतीजा यह हुआ कि स्थानीय अखबारों में अपनी तरफ से पैसा देकर या अपने दलालों से दिला कर उस एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ अखबार में निकलवाया प्रौपेगन्डा करवाने के लिये। ये ही महाशय कुछ प्रभावशाली लोगों को लेकर लखनऊ आये उस एडमिनिस्ट्रेटर को हटवाने के लिये। वहां के एडमिनिस्ट्रेटर नियमों से कार्य करते हैं। सही कार्य करते हैं और वहां के एक्जीक्युटिव आफिसर ने बीडा उठाया हुआ है। इसी प्रकार स्टेट

की अन्य नगरपालिकाओं में भी वहां के एक्जीक्यूटिव आफिसर राजनीति में हिस्सा लिया करते हैं । इसलिये जब इन पदों का प्रान्तीयकरण हो जायगा तो हमारी म्युनिसिपैलिटीज में सुधार के लिये बहुत बड़ा कदम होगा ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि नजूल लैन्ड की बड़ी चर्चा हुई । आज नजूल लैन्ड की बड़ी दुर्दशा है इस प्रदेश में, क्योंकि उनका बड़ा दुरुपयोग हो रहा है, मैं बलिया का उदाहरण देना चाहता हूं । वहां जो नजूललैन्ड है वह प्रभावशाली व्यक्तियों के हाथ में है । जिलाधीश आते हैं उनको नेता लोग पटा लेते हैं और वहां से बन्दोबस्त लिखवा कर यहां भिजवा दिया जाता है जो यहां मंजूर हो जाता है । बहुत से मकान बने हैं कलेक्टरेट के हाते में जिससे कि कलेक्टर का प्रांगण खराब हो रहा है । इसी तरह से बलिया तहसील के पिछवाड़े और नायब तहसीलदार के बंगले के पीछे की जमीन जो सड़क के किनारे है उसे कलेक्टरेट के कर्मचारियों को बन्दोबस्त कर दिया गया और कांग्रेसी सज्जन हैं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उन्होंने वह बन्दोबस्त किया और वहां आलीशान बिल्डिंग खड़ी कर ली । जिस व्यक्ति की ४७ से पस्ले लकड़ी की गुमटी पर चाय की दूकान थी आज वह लखपती हो गया । एक किता नहीं ४ किता इमारत खड़ी की है और वह भी खरीदी हुई जमीन पर नहीं है, नजूल लैन्ड पर है और नगरपालिका की सड़कों, पटरी और गली की जमीन पर खड़ी है । कांग्रेस के एक बड़े नेता जो राज्य सभा के सदस्य हैं उन्होंने ६ कट्टा जमीन म्युनिसिपैलिटी से प्रस्ताव पास करा कर कलेक्टर साहब को पटा कर ली और जो प्राइमरी स्कूल है उसमें खेल की जमीन नहीं रखी अगर यह हालत रही तो राज्य काज कैसे चलेगा प्रजातंत्रमें ? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा कैसे होगी ? अगर रक्षक ही भक्षक हो जायगा, हम जन सेवक कहलाने वाले और सरकारी कर्मचारी जो रक्षक हैं वे ही भक्षक हो जायंगे तो फिर देश और प्रदेश का क्या होगा ? अगर जनसेवी एक पैसे की बेईमानी करेंगे तो सरकारी कर्मचारी हजारों रुपये की बेईमानी करेंगे । इसीलिये सरकारी कर्मचारियों में खुलकर भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है । आपको इस विधेयक में कुछ ऐसा परिवर्तन करना चाहिये, जिससे किसी पब्लिक कार्यकर्त्ता के लिये, किसी अधिकारी के लिये नजूल की जमीन मिलने पर अंकुश लग जाय । शायद बलिया के संबंध में एल० एस० जी० विभाग ने ऐसा आदेश जारी भी किया है । बहुत से आवेदन-पत्र आये नजूल के बारे में तो यह आदेश दिया गया कि नीलाम में जिसकी बोली सबसे ऊंची हो उसे दे दिया जाय । यह न्याय संगत है । मैं तो यह चाहता हूं कि नजूल की जमीन किसी को एक बिस्वा भी न दी जाय ।

मैं इस में कोई न्याय नहीं समझता कि आप सरकारी प्रयोजन के लिए तो बलिया म्युनिसिपैलिटी के पड़ोस में बसे हुये किसानों की जमीन को मुफ्त में लेते हैं यानी बहुत कम नाम मात्र की कीमत देते हैं और सरकारी जमीन को इस तरह से देते जा रहे हैं । जिस जमीन की कीमत १० हजार रुपये होती है उस की कीमत आप केवल १००,२०० रुपये एकड़ किसान को देते हैं और सरकारी जमीन मुफ्त में नेताओं, अधिकारियों और सेठों को दे देते हैं । यह कहां का न्याय है ? इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे प्रदेश के लिए आज्ञा प्रसारित करें कि नजूल की भूमि किसी को न दी जाय ।

श्री कृष्णचन्द (जिला झांसी)—

क्या सार्वजनिक कार्य के लिए भी नजूल की जमीन न दी जाय ?

श्री मैनेजरसिंह—

श्रीमन्, मेरा निजी मत यह है कि सरकारी योजनायें चल रही हैं जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है, उस को दी जाय और यदि इस के अलावा फालतू भूमि हो तो सार्वजनिक कार्य के लिए भी दे दी जाय । मुझे इस में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रायरिटी सरकारी स्कीमों के लिए दी जाय ।

[श्री मैनेजरसिंह]

दूसरी बात यह है कि जहां तक सार्वजनिक मार्ग और गली का सवाल है उस की एक इंच भूमि किसी को न दी जाय। चाहे सरकारी काम हो या सार्वजनिक काम हो, उस का उपयोग न किया जाय। बलिया जिला तीन बार गंगा जी की भीषण कटान से बरबाद हुआ और फिर अंग्रेजों के द्वारा बहुत अच्छे प्लान के साथ बसाया गया और उसका बहुत सुन्दर नक्शा है, लेकिन पिछले १० साल में उस को बिगाड़ा गया है। बहुत सी गलियां बन्द हो गयी हैं और पटरियों की जमीनें लोगों को दे दी गयी हैं। सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक कार्यकर्ताओं ने ऐसा किया है और खास तौर से जिला कांग्रेस करेटी के सदर अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए ऐसा कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि मन्त्री जी इस की जांच करा लें और जो उसका नतीजा निकले उसके अनुसार उचित कदम उठावें, ताकि इन जमीनों का कोई दुरुपयोग न हो।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, समय की कोई सीमा नहीं है ?

श्री अधिष्ठाता—

समय की कोई सीमा नहीं है। परसों तक इस पर विवाद होता है, लेकिन मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि वह जल्दी करें।

श्री मैनेजरसिंह—

श्रीमन्, मैं अधिक समय लेना नहीं चाहता हूं। अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि इस संशोधन विधेयक की भाषा त्रुटिपूर्ण है और इससे सरकारी गंध आती है, इस लिए इसकी भाषा में सुधार करें और प्रवर समिति में जिस तरह से उन्होंने कार्य संचालन किया और हमारे कई सुझावों को माना उसके लिए मैं मन्त्री जी को बधाई देता हूं। एक शब्द कहना चाहता हूं कि अभी मुख्य मन्त्री जी ने हिन्दी विधेयक को समाप्त करने के लिए कहा है, लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश की सरकार तत्पर नहीं है, हिन्दी भाषा के लिए भले ही मुख्य मन्त्री जी ने बार-बार कहा है, जैसा कि यह म्युनिसिपैलिटी संशोधन विधेयक आया है, अच्छा तो यह था कि पूरे ऐक्ट का हिन्दी रूपान्तर करें और इस संशोधन के साथ ही जो इसका मूल ऐक्ट है उसका पूरा हिन्दी रूपान्तर करें और ऐसे संशोधनों के साथ ही इस को स्वीकार कर लिया गया होता तो बहुत कार्य में सुविधा होती, रूप में भी सहूलियत होती और जो एक अंग्रेजी का ऐक्ट है उसका हिन्दी रूपान्तर हो गया होता। मैं चाहता हूं कि यदि इस प्रकार का अभी भी अवसर हो तो जो इस में संशोधन है उनको आप स्वीकार कर लें और साथ ही साथ इस पूरे ऐक्ट का एक संशोधित अधिनियम हिन्दी रूपान्तर के साथ आजाय और अगले सेशन में उस को स्वीकार कर लें, ताकि एक कदम इस प्रदेश में हमारे माननीय बुजुर्ग स्वशासन मन्त्री उठायें और यह इस प्रदेश में अगुवाई करें मंत्रि परिषद् के साथियों की और अपने प्रदेश में हिन्दी समर्थकों का समर्थन प्राप्त करेंगे।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

मैं श्रीमन्, आप से एक प्रार्थना करना चाहता हूं। इस में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गयी है, उस को अगर आप दुरुस्त कर दें तो अच्छा है। इस विधेकय के खंड ४ के उपखंड ३ में खंड (ड) गलती से छप गया है। यह खंड (जी) होना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

यह संशोधन कर दिया जायगा। यह प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसका सुधार कर दिया जायगा।

श्री जगदीशनारायण सिनहा (जिला सहारनपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मुझे रुड़की म्युनिसिपैलिटी में ११ वर्ष अध्यक्ष पद पर सेवा करने का मौका मिला हुआ है। उस नाते जो मेरे कुछ अनुभव हैं मैं चाहता हूं कि जो (संशोधन) विधेयक पेश हुआ है उस के सम्बन्ध में, मैं उन को अर्ज कर दूं। जो विधेयक में छपे हैं उनमें मैंने कुछ संशोधन दिये हैं। जब खंडवार बहस होगी, तब मैं उन्हें आप के सामने रखूंगा। इस विधेयक को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि काफी चीजें ऐसी हैं जो रह गयी हैं। मैं आप के माध्यम से मन्त्री महोदय तक यह पहुंचाना चाहता हूं कि अगर उन सुझावों को वह यह समझें कि इन से कुछ भला होना है तो वह कृपया स्वीकार करेंगे और स्वीकार कर के उनका समावेश इसमें करने के लिए तैयार होंगे।

सब से पहले तो यह है कि आज प्रजातन्त्र के युग में यह कहा जाता है कि सब को मौका मिलना चाहिये, किसी का प्रतिनिधित्व रह न जाय। कोई भी व्यक्ति ऐसा न रहे जो यह महसूस करे कि वह वंचित है। परन्तु जो उद्देश्य इस विधेयक में छपे हैं उन को मैंने पढ़ा और पढ़ने से पता लगा कि इस में सदस्यों की संख्या में कमी करने के बारे में कहा गया है। इस में यह कहा गया है कि भ्रष्टाचार और जातिवाद रोकने के लिए वार्ड्स कम हों और सदस्यों की संख्या कम हो जो आज की प्रणाली के विपरीत मुझे लगा, क्योंकि आज म्युनिसिपैलिटीज की जो पापुलेशन है वह दिन ब दिन बढ़ रही है। जो उसका क्षेत्र है वह बढ़ रहा है। आज से १० वर्ष पहले जो उन की सीमा थी वह उस से आज काफी बढ़ गयी है; जब ये दोनों चीजें बढ़ी हैं तो चाहिये तो यह था कि सदस्यों की संख्या को कुछ और बढ़ाते और अगर वह बात भी न हो तो जो इस वक्त तक निर्धारित संख्या थी तो उतने तक उस संख्या को रहना चाहिये था, पर उनको इस हद तक कम कर दिया गया है कि कहीं-कहीं पर तो उन की संख्या १०, ६ अथवा ४ को कमकर दी गयी है। मुझे इस सम्बन्ध में केवल यह कहना है कि सरकार का सब से बड़ा काम यह है कि वह जनता को शिक्षित करे। जनता का दिमाग वह इस तरह का बनाये, इस तरह की प्रवृत्ति उन में पैदा करे, कि जिस से वह बुरे रास्ते पर न चलें। नगरपालिका का भी यह काम है कि वह अपने यहां के लोगों को अच्छी आदतें सिखाये ताकि वे अच्छे नागरिक बन कर अपने अधिकारों का सही प्रयोग कर सकें। आज भी जो वार्डस् (wards) हैं उन में एक-एक में १,०००, १,५०० और २,००० वोटर्स तक हैं और मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में वोटरों के होने पर लोग गलत काम कर के चुनाव नहीं जीत सकते। आज नगरों की जनता काफी समझदार हो गयी है और वे समझते हैं कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हुआ है वह कैसा है। इस लिए मैं समझता हुं कि संख्या जो कम की गयी है वह नहीं होनी चाहिये, बल्कि उसे तो कुछ बढ़ाने की बात होनी चाहिये। अगर अधिक न की जाय तो जो संख्या फिलहाल है उसे तो बरकरार ही रहने देना चाहिये।

सेक्शन ३१७ को बिकुल नहीं छुआ गया है। जैसी आबादी बढ़ रही है, क्षेत्र बढ़ रहा है, उस के साथ-साथ बहुत से इन्क्रोचमेंट होते जा रहे हैं। माननीय मैनेजर्सिंह जी ने कहा कि गलियां बन्द होती जा रही हैं, लोग सड़कों पर जमते जा रहे हैं और नगरपालिका केवल चालान करने का अधिकार रखती है। चार, छः महीने बाद उसका नम्बर आता है और जुर्माना होता है २, ४ या ६ रुपया। दुबारा चालान होने पर फिर ६ महीने का समय टल जाता है। इस के लिए मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि धारा ३१७ के मुकदमे निपटाने के लिए नगरपालिका के अपने मैजिस्ट्रेट होने चाहिये जो उसका तुरन्त फैसला कर सकें। इसी तरह से पुलिस की बात है। लिखने पर पुलिस मिलती है। पता लगता है कि इमर्जेंसी ड्यूटी में लगी है, वह आ नहीं सकती और इसका नतीजा यह होता है कि इन्क्रोचमेंट पूरी तरह से हटाया नहीं जा पाता। इस के लिए यह जरूरी है कि नगरपालिका के पास अपने से attached स्टाफ में पुलिस कांस्टेबिल, मैजिस्ट्रेट आदि हों, और वे इस के अतिरिक्त दूसरे काम भी देखें। आजकल अबादी बहुत बढ़ रही है और जमीन खींच कर बढ़ायी नहीं जा सकती। जो आस पास के खेत हैं उन को लोगों ने अधिक कीमतें लेकर बेच दिया है हालांकि यह व्यवस्था है कि उस जमीन के लिए म्युनि सिप

[श्री जगदीशनारायण सिनहा]

बोर्ड से परमिशन लेनी होगी, ले आउट कराना पड़ेगा, प्लान पास होगा, लेकिन जो उस पर पैसा खर्च कर चुका होता है, जमीन की कीमत दे चुका होता है। फिर प्लान्स सामने आते हैं तो नगरपालिकाओं के सामने बड़ी पेचीदगियां हो जाती हैं। मेरा सुझाव यह है कि जब तक म्युनिसिपल बोर्ड का एक क्लियरेंस सार्टिफिकेट न मिल जाय तब तक रजिस्ट्रेशन सेल डीड का नहीं होना चाहिये। उस से जो ऊबड़-खाबड़ बस्तियां बस रही हैं और ऐसा लगता है कि नगर की सुन्दरता खत्म हुई जा रही है वह चीज समाप्त हो जायगी।

कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जिनका होना नगरपालिका में बहुत जरूरी है, जैसे सैनिटरी इन्स्पेक्टर, मेडिकल आफिसर, इन्जीनियर, ओवरसियर। मेडिकल आफिसर तो सरकार भेजती है। लेकिन डाक्टर तो डिस्पेंसरीज, हास्पिटल्स में नहीं हैं तो म्युनिसिपैलिटीज में तो और भी परेशानी है। अगर मिलते भी हैं तो दो महीने बाद ट्रांस्फर की बात हो जाती है। जहां तक अन्य अधिकारी हैं वह इन्क्रीमेंट्स मांगते हैं कि मिले तो नौकरी करें। उन को स्वीकार करने का अधिकार सरकार को है। जब मांग जाती है तो उसका टाइप किया हुआ जवाब तैयार रहता है कि सरकार मुनासिब नहीं समझती। तो इस प्रकार की सर्विसेज तो बाजार में हैं नहीं इस लिए ऐसा होता है कि इन्जीनियर, ओवरसियर बरसों तक नहीं मिल पाते। जब आप चाहते हैं कि बोर्ड इतने सेल्फ सफीशियेंट हो जांये जैसे कि दूसरे देशों में है तो लोकल बाडीज की इन अड़चनों को भी आप को दूर करना होगा।

एक धारा में जिक्र है कि रूल्स (rules) सरकार बनायेगी सर्विसेज का काडर बनाने के लिए। मेरा कहना यह है कि रूल न बनाकर लेजिस्लेशन से काडर सर्विसेज का बनाया जाय ताकि वह सुदृढ़ और ढंग का बन सके और एक्जीक्यूटिव आफिसर और इन्जीनियर जैसे कैडर्स को आप लेजिस्लेशन से बनायें।

एक बात यह कहनी है कि म्युनिसिपल बोर्ड के जो चपरासी, क्लार्क, एकाउन्टेंट हैं उन की तनख्वाहें सरकारी कर्मचारियों से बहुत कम हैं, डी० ए०, टी० ए० बहुत कम मिलता है। इस लिए किसी को कहीं काम नहीं मिलता तो म्युनिसिपलटियों में आता है। कैसा उन का मेंटल सेट-अप होगा यह आप समझ सकते हैं। मैं समझता हूं कि इन कर्मचारियों को भी वही वेतन और भत्ता मिले जो सरकारी कर्मचारियों को मिलता है तो कि वहां भी काम करने के लिए लोग मिल सकें। अभी सरकार ने मंहगाई के कारण अपनी सर्विसेज के डी० ए० और तनख्वाहों के बारे में कमीशन बैठाया है। मैं मन्त्री महोदय से आप के माध्यम से अर्ज करना चाहता हूं कि उसमें लोकल बाडीज के कर्मचारियों को भी शामिल कर लिया जाय ताकि उन की भी भलाई हो सके। फिर आप देखेंगे कि कार्य में इतनी अच्छी तब्दीली आ जायगी कि जो दिक्कतें आप महसूस करते हैं वह नहीं रहेंगी क्योंकि वहां पर भी सन्तुष्ट और ठीक प्रकार के शिक्षित लोग मिल सकेंगे।

जो विधेयक में बताया है कि एक्जीक्यूटिव अफसर जो हैं ५० के बजाय ७५ और शहरों में ७५ के बजाय १२० तक appointment कर सकेंगे। लेकिन प्रेसीडेंट को ५० व ७५ के ऊपर का अधिकार है। तो जब तक कि पे स्केल रिवाइज नहीं करेंगे, मैं समझता हूं कि प्रेसीडेंट के हाथ से ताकत निकल ही गयी। क्योंकि ७५ और १२० वाले लोग जो हैं वह वही लोग हैं जैसे सैनिटरी इन्स्पेक्टर और ओवरसियर वगैरह। तो इस वक्त की दशा को देखते हुये, हालत यह है कि प्रेसीडेंट को यह भी पावर नहीं रहेगी।

एक यह है कि आप ने अपने इस विधेयक में बहुत-सी ताकतें एक्जीक्यूटिव आफिसर को दीं। उसमें ड्रेन (drain) की बात का जिक्र नहीं है। नालियां आम तौर से बाजारों की बन्द हैं। उनके ऊपर चबूतरे आदि बन गये हैं। अच्छी क्लीनिंग नहीं हो पाती। तो वह भी पावर एक्जीक्यूटिव आफिसर को देना चाहिये ताकि उन्हें हटाने में भी उस को शक्ति मिल सके और जो बहुत सी बुराइयां पैदा हो रही हैं, वह खतम हो सकें।

अन्त में मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि मैं ने जो सुझाव प्रस्तुत किये हैं, उनको जो भी तरीके विधेयक में हैं, लाने का प्रयत्न करें ताकि नगरपालिकाओं का कार्य सुचारुरूप से चल सके और उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके ।

*श्री श्यामलाल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो उत्तर प्रदेश म्युनिम्पैलिटी संशोधन विधेयक पेश किया गया है, उसमें कुछ संशोधन रखना चाहता हूं । उन संशोधनों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

बिल में संशोधन करना चाहते हैं ?

श्री श्यामलाल—

कुछ और संशोधन जनरल में रखना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

अभी जनरल पर चल रहा है । आपको जनरल पर कहना हो तो कहें ।

श्री श्यामलाल—

वह चीज यह है श्रीमन्, कि प्रजातन्त्र की बहुत बड़ी विशेषता है कि पावर का विकेन्द्रीयकरण हो—डिसेन्ट्रलाइजेशन आफ पावर । डिसेन्ट्रलाइजेशन में हम यह सब चीजें देखते हैं, जैसे हमारे यहां विधान परिषद् हैं, विधान सभा है, जिला परिषद है, फिर उसके बाद म्युनिसिपल बोर्ड है, उसके बाद विकास खण्ड आते हैं, पंचायतें आती हैं, आदि-आदि, ये सब हैं । लेकिन हमें यह कहते हुये रंज हो रहा है कि दर असल हम हिन्दुस्तानी प्रजातन्त्र के बहुत ज्यादा लायक नहीं हैं । हम सभी विकेन्द्रीयकरण का स्वागत करते हैं, लेकिन हम सब अपने पावर्स का दुरुपयोग करने लगते हैं तभी प्रजातन्त्र की जड़ें हिल जाती हैं, श्रीमन् । ये म्युनिसिपैलिटीज जितनी हैं, अफसोस है कि उनको आटोनामस बाडी करार दिया गया है ।

म्युनिसिपल चेयरमैन यह समझते हैं कि हम तो आटोनामस बाडी हैं, डिक्टेटर हैं, तानाशाह हैं, चाहे जो कुछ कर सकते हैं, स्टेट की तरफ से कोई दखलन्दाजी नहीं होगी । हम लोग यहां जो प्रश्न करते हैं तो वे अस्वीकार हो जाते हैं कि म्युनिसिपल बोर्ड के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे । बस्ती के चेयरमैन सुनने को तो सुन लेते हैं लेकिन उसे कार्य रूप में परिणित नहीं करते । अभी एक साहब ने कहा कि म्युनिसिपल कर्मचारियों के वेतन बढ़ने चाहिये । हम तो उनसे भी एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं कि ठेले वालों, चपरासियों और मेहतरों के वेतन भी बढ़ने चाहियें । आज ३० रुपये मास उन्हें मिलता है । भला बतलाइये कि ४, ६ बच्चे होते हुये कैसे ३० रुपये में इस महंगाई के युग में गुजर हो सकती है ? ये लोग आधारभूत हैं प्रजातंत्र के । म्युनिसिपैलिटीज में भिन्न-भिन्न किस्म के कानून लागू हैं । वहां के चौकीदारों से और चपरासियों से २४, २४ घंटे काम लिया जाता है ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, जरा कोरम का भी ध्यान रखा जाय ।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री श्यामलाल--

मैं कह रहा था कि म्युनिसिपल बोर्डों के चपरासियों और चौकीदारों को आराम करने का भी समय नहीं मिलता है। नौजवानी में ही उनके गालों में झुर्रियां पड़ जाती हैं। बस्ती में ठेले वालों को ३० रुपये वेतन दिया जाता है जो बच्चों को स्कूल ले जाते हैं। आज की महंगाई को देखते हुये यह नहीं के बराबर है। वहां के चेयरमैन अपने को डिक्टेटर समझते हैं, तानाशाह समझते हैं। हमारे जिले में पारसाल मेहतरों ने हड़ताल की नोटिस दी। उन्होंने कहा कि सरकारी जो० ओ० के अनुसार वेतन, महंगाई, क्वार्टर आदि की सुविधायें हमें मिलनी चाहियें। यहां भी प्रश्न पूछे गये थे। चेयरमैन को हम हत्यारे की संज्ञा देते हैं, मनुष्य की नहीं। जिस मनुष्य में मानवता का अंश नहीं तो वह हत्यारा नहीं, तो क्या है? जिस समय मेहतरों ने हड़ताल की नोटिस दी तो उस ने कोतवाल से मिल कर सब को बन्द करा दिया। त्रिपाठी जी ने बस्ती जिले में कहा था कि तुम अपनी हड़ताल वापिस लो तो तुमको काम पर वापिस ले लेंगे, लेकिन आज तक बस्ती जिले में तमाम मेहतरों को काम नहीं दिया गया है। हम तो कहेंगे कि ऐसी नगरपालिका को गवर्नमेंट सुपरसीड कर दे। म्युनिसिपैलिटी का यह भी काम है कि वह सरकारी जो० ओज० के अनुसार काम करें। बस्ती ने नहीं किया तो उसे सुपरसीड होना चाहिये। जहां २, ४, ६ नगरपालिकायें इस प्रकार से सुपरसीड हुयीं तो सभी म्युनिसिपैलिटीज ठीक रास्ते पर आ जावेंगी। मेहतर, चपरासी, ठेले वाले, प्रजातन्त्र की वे ईंट हैं जो सब से नीचे हैं। हम चाहते हैं कि क्लर्कों की तनख्वाह भी बढ़े, लेकिन इन लोगों की बढ़ना बहुत जरूरी है। स्टेट लेविल पर सब की तनख्वाहें होनी चाहियें। बस्ती जिले के जो मेहतर अभी तक बेकार हैं, म्युनिसिपल बोर्ड को मजबूर किया जाय कि उन्हें काम पर वापिस ले। अगर म्युनिसिपल बोर्ड नहीं मानता है तो सरकार का कर्त्तव्य हो जाता है कि उसे मनवाये या सुपरसीड कर दे। मगर मेहतरों को काम मिलना चाहिये।

एक चीज और मैं बतलाता हूं। यह कहां का न्याय है कि जिला परिषद् तो अपने यहां पढ़ने वाले हरिजन बच्चों को वजीफे देता है, उनकी फीस माफ करता है, लेकिन म्युनिसिपल एरिया के अन्दर पढ़ने वाले हरिजन बच्चों के लिए वजीफे की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या आप यह समझते हैं कि म्युनिसिपल एरिया के अन्दर रहने वाले हरिजन लखपति और करोड़पति हैं और देहात के रहने वाले हरिजन ही गरीब हैं? जिस तरह से देहात का हरिजन गरीब है उसी तरह से शहर का भी गरीब है। दोनों की गरीबी में किसी प्रकार का कोई अन्तर नहीं है। जिस तरह से हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी सिक्स्थ क्लास तक के बच्चों को स्कालरशिप देती है, उनकी फीस माफ करती है और किताबें भी देती है उसी तरह से म्युनिसिपल एरिया में भी जितने बच्चे पढ़ते हैं उन की भी फीस माफ होने की व्यवस्था होनी चाहिये और म्युनिसिपलटीज को इसके लिए कम्पेल करना चाहिये। इस तरह का जी० ओ० और सर्कुलर जाना चाहिये कि उनकी भी फीस माफ होनी चाहिये। हमारे पास एक ऐसी हरिजन विधवा आयी जो घास काट कर अपना और अपने दो तीन बच्चों का पालन पोषण किसी तरह से करती थी। हमारे पास आकर उसने कहा, नेता जी, हमारा बच्चा दर्जा तीन में पढ़ता है, पढ़ने में बहुत तेज है, किसी तरह से इसको कुछ आर्थिक सहायता दिला दीजिये। मैंने बहुत कोशिश की उसके लिए, लेकिन सब बेकार सिद्ध हुये। इस लिए कि अधिकारियों ने बताया कि म्युनिसिपल एरिया में हरिजन बच्चों को वजीफा देने का कोई हमारे पास नियम नहीं है। तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है और इन्हीं आधारों पर मैं यह कहता हूं कि ये म्युनिसिपल बोर्ड्स के चेयरमैन हत्यारे हैं, निकम्मे हैं। और हत्यारे हों क्यों नहीं? जितने भी ये म्युनिसिपल बोर्ड्स के चेयरमैन हैं वह सब स्टेट गवर्नमेंट के किसी न किसी रूप में एजेन्ट का काम करते हैं, उनके एजेंट हैं, ऊंचे तबके के आदमी हैं, जिन लोगों ने कि हरिजनों को, शोषितों को, मजदूरों को, युगों से गुलाम बनाया है आज भी वह इन छोटे छोटे कर्मचारियों को गुलामी के बन्धन में जकड़े हुये हैं। अगर कोई, शोषित वर्ग का नागरिक इन कुर्सियों पर बैठता है तो उसके हृदय में उनके लिए पीड़ा होती है, लेकिन जिन वर्ग ने सदियों तक इस वर्ग को गुलाम बनाया, उनकी अस्मत को लूटा, उनसे हम

क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वह इन गरीबों के लिए कुछ कर सकेंगे ? ये जितनी भी म्युनिसिपैलिटीज हैं वह गरीबों के हित के लिए कोई काम नहीं कर रही हैं। मैं स्टेट गवर्नमेंट से प्रार्थना करूंगा कि दर असल सभी म्युनिसिपल बोर्डों का प्रोविंशियलाइजेशन हो जाना चाहिये। हम मानते हैं कि चुनाव तो होना चाहिये, मैं यह नहीं कहता कि स्टेट गवर्नमेंट डिक्टेटर हो जाय, लेकिन अधिकार अपने हाथ में रखे। ये जितने आफिसर्स हैं, एक्जीक्यूटिव आफिसर हैं, सैनिटरी इन्स्पेक्टर इत्यादि इनका ट्रांस्फर एक म्युनसिपैलिटी से दूसरी म्युनिसिपैलिटी में होना चाहिये.....

श्री अधिष्ठाता—

वह तो इस बिल में होने जा रहा है।

श्री श्यामलाल—

सैनिटरी इन्स्पेक्टर्स के बारे में मेरा बड़ा कटु अनुभव है। इस महंगाई के जमाने में बढ़िया तेल उनको मिल जाता है, बढ़िया घी पा जाते हैं, लेकिन आम जनता की क्या हालत है ? आम जनता को कचरा तेल मिलता है, एक दिन खा लेने पर पांच छः दिन तक बीमार रहना पड़ता है। घी अच्छा कहीं नसीब नहीं हो सकता है चाहे ८ रुपये सेर का ही क्यों न खरीदें ? सैनिटरी इन्स्पेक्टर को हर चीज अच्छी से अच्छी मिल जाती है, क्योंकि उसके हाथ में पावर्स हैं और इस के अलावा हर दूकान से उस की मन्थली इन्कम बंधी हुई है। कहीं से ४० रुपया महीना, कहीं से ३० रुपया, कहीं से ५० रुपया महीना वह लेता है और उनका सुपरवीजन करता है। कह देता है धड़ल्ले से जो चाहो बेचो (डू व्हाटेवर यू लाइक, आई हैव गाट नो आब्जेक्शन)। हमारी तरफ से कोई एतराज नहीं है। चाहे वे तेल में जहरीला पदार्थ ही मिलाकर क्यों न बेचें, क्योंकि उनको तो उनसे कुछ न कुछ मिल ही जाता है।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। आज गोंडा निर्वाचन क्षेत्र के विषय में माननीय अध्यक्ष द्वारा ४ बजे से बहस स्वीकार की गयी है....

श्री अधिष्ठाता—

जो बहस चल रही है, उसके सम्बन्ध में कोई व्यवस्था का प्रश्न आप उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। गोंडा के चुनाव की बात इस बिल से सम्बन्धित नहीं है।

श्री लखपतराम शर्मा—

मेरी इन्फर्मेशन यह है कि मिस्टर निगम को सस्पेंड कर दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि आप सकरार को और मुख्य मन्त्री जी को आदेश दें कि हम लोगों को वे जानकारी करायें कि उनको किस-किस चार्ज में मुअत्तिल किया गया है और किन-किन चार्जेज में इन्क्वायरी की जा रही है ?

श्री अधिष्ठाता—

यह व्यवस्था का प्रश्न इस समय नहीं उठाया जा सकता।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

अधिष्ठाता महोदय, म्युनिसिपैलिटी बिल, जिसका प्रस्ताव माननीय मन्त्री जी की ओर से किया गया है, उसके लिए मैं माननीय मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं। यह विधेयक सन् १९१६ में पास किया गया था। तब से अब तक अनेकों रद्दोबदल हो चुकी हैं, उसमें आज से बहुत पहले संशोधन हो जाना चाहिये था। काफी देर हो चुकी है, फिर भी माननीय मन्त्री जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं।

[श्री बृजबिहारी]

मेरा स्थानीय निकायों से ३४–३५ साल से बहुत निकट का सम्बन्ध रहा है। म्युनिसिपल बोर्ड्स में आपसी गुटबन्दी बहुत उग्र रूप धारण कर चुकी है। उसके लिए इस विधेयक में यह प्राविधान किया गया है कि क्षेत्रों को बढ़ाकर सदस्यों की संख्या को कम कर दिया जाय। एक सम्मानित सदस्य ने इसका भी विरोध किया है, लेकिन मेरे विचार से यह बहुत ही अच्छा कदम है। चुनाव के समय नाना प्रकार के जातिगत प्रश्न पैदा होते हैं और चूंकि चुनाव का दायरा बहुत कम होता है, जाति बिरादरी का प्रश्न गंभीर रूप में उपस्थित कर दिया जाता है। उस का फल यह होता है अच्छे-अच्छे आदमी चुनाव में हार जाते हैं और अयोग्य लोग चुन लिये जाते हैं। इसलिये यह जो क्षेत्र को बढ़ाकर सदस्यों की संख्या कम करने का संशोधन उपस्थित किया गया, वह उचित ही है। इसका स्वागत होना चाहिये।

दूसरा इसमें जो "सरचार्ज" का प्राविधान किया गया है, वह भी बहुत अच्छा है। यह हम सभी लोग जानते हैं, कि म्युनिसिपल अधिकारी नाना प्रकार के "वेस्टेज" करते हैं। अब इस सरचार्ज के डर से वे लोग भयभीत रहेंगे और धन का दुरुपयोग न होकर सदुपयोग ही होगा। बोर्ड की कुछ सेवायें ऐसी हैं, जिनका प्रान्तीयकरण करने का प्राविधान इसमें किया गया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह भी एक बहुत ही पुरानी मांग रही है। मेरा तो सुझाव माननीय मंत्री जी से यह होगा और मैं चाहूंगा कि इसमें ऐसा प्राविधान कर दिया जाये कि एक्जीक्यूटिव आफिसर या सेक्रेटरी या इंजीनियर या और जो बड़े-बड़े ओहदे वाले अधिकारी कर्मचारी हैं, उनकी सेवाओं का प्रान्तीयकरण अवश्य हो जाना चाहिये और एक म्युनिसिपल बोर्ड के एक्जीक्यूटिव अफसर या सेक्रेटरी या इंजीनियर का दूसरी जगह उसी तरह से स्थानान्तरण होता रहना चाहिये जैसे और उच्च सरकारी अधिकारियों का होता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अथवा डिप्टी कलेक्टर वगैरह का स्थानातरण होता है। ३ वर्ष या ५ वर्ष कोई उनके लिये भी अवधि निर्धारित कर दी जाये कि इतने समय तक वह वहां रह सकता है और बाद को वहां से उनका स्थानान्तरण अवश्य हो जाना चाहिये। इसका नतीजा यह होगा कि म्यूनिसिपैलीटीज के अधिकारी जो अपनी मोनोपाली समझने लगते हैं जो अपना एकछत्र राज्य समझते हैं और ऊपर के आदेशों का भी ठीक से पालन नहीं होता, उसमें टाल मटोल की बातें होती है, इसके लिये यह जो प्राविधान इसमें किया जाने वाला है, इसका मैं समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि इसमें यह संशोधन अवश्य कर दिया जाये कि कर्मचारी या अधिकारी को उस निर्धारित समय के अन्दर स्थानान्तरण अवश्य ही कर दिया जायेगा।

(इस समय २ बजकर २७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए।)

एक बात और कही गई और कई माननीय सदस्यों ने इसका संकेत भी किया है कि "नजूल लैन्ड" का बहुत दुरुपयोग होता है। मैं इसको मानता हूं। इसमें प्राविधान इस बात का होना चाहिये कि नजूल लैन्ड की व्यवस्था ठीक हो। नजूल लैन्ड में हमारे जिलाधीशों को जो अधिकार है और म्युनिसिपैलीटीज को जो अधिकार है, उसमें कुछ दुरुपयोग हो जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके लिये यह आवश्यक है कि उसमें सख्ती की जाये ताकि उसका उपयोग ठीक तौर पर हो, यह परम आवश्यक है। इसके लिये कोई न कोई प्राविधान इस विधेयक में या आगे कोई नियम बनाकर अवश्य किया जाना चाहिए, उसमें सख्ती अवश्य की जानी चाहिये।

मैं एक बात निवेदन करूंगा, उसकी तरफ माननीय मैनेजर सिंह जी ने भी सदन का ध्यान दिलाया। उन्होंने खासतौर से बलिया जिले की ओर संकेत किया और कुछ लोगों के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने नजूल की जमीनें ले ली हैं, जिससे उन्हें दुख हुआ है। यह बलिया की ही बात नहीं है जितनी म्युनिसपल बोर्ड हमारे सूबे में हैं सबके सामने यह प्रश्न है। बहुत से लोग अपने पक्ष में निर्णय कराकर नजूल लैन्ड को ले लिया करते हैं, यह सर्वथा अनु-

अनुचित है। इस पर कोई न कोई आपको सख्त कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप इस पर कोई कार्यवाही नहीं करते हैं तो नजूल लैन्ड जो बर्बाद हो रहा है उसको आप नहीं बचा सकेंगे और थोड़े दिनों बाद सारा का सारा नजूल लैन्ड वार्ड के हाथ से निकल जायेगा। इस प्रकार का मुझे भय है। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि इसकी समुचित व्यवस्था हम कर।

एक बात उसके साथ में और चाहूंगा जो इस विधेयक में होनी चाहिये। म्युनिसिपल बोर्ड में जो कर्मचारी हैं, उनके पास आवास की बड़ी कमी रहती है। कुछ म्युनिसिपैलिटीज में तो मैंने देखा है कि उनके आवश्यक कर्मचारी जैसे मेहतर आदि हैं उनक लिये कुछ क्वार्टर आदि बने हुए हैं, लेकिन अधिकतर ऐसे बोर्ड हैं जहां पर इस प्रकार के क्वार्टरों आदि की बिलकुल ही व्यवस्था नहीं है। कर्मचारियों के आवास के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। यदि आप उनके आवास के लिये भी कोई व्यवस्था नहीं करते तो उनसे यह आशा करना कि वह दिनरात समाज की सेवा का काम करें जो अत्यन्त कठिन काम है, जिसे हमारे समाज का अन्य कोई वर्ग नहीं करना चाहता, वे सब काम करें और उनके आवास की भी व्यवस्था हम न करें, यह सर्वथा अनुचित बात है। तो मैं चाहता हूं कि इसी संशोधन विधेयक में कोई ऐसा प्राविजन कर दिया जाय। उसके लिये स्टेट गवर्नमेन्ट को भी कुछ कंट्रिब्यूशन म्युनिसिपैलिटियों को देना चाहिये। मैं जानता हूं कि म्युनिसिपैलिटियों की आर्थिक स्थित अच्छी नहीं है। अगर हम उन्हीं पर छोड़ दें या नियम बना दें कि अमुक धारा के अनुसार प्रत्येक म्युनिसिपैलिटी के लिये आवश्यक होगा कि वह अपने कर्मचारियों के लिये आवास की व्यवस्था करें, केवल इस तरह का प्राविजन कर देने से ही यह मसला हल नहीं होगा। इसके लिये आवश्यक है कि प्रादेशिक सरकार अपने कोष में से एक निर्धारित रकम निश्चित रूप से उस काम के लिये दे और उसके साथ ही यह नियम बना दे कि हर म्युनिसिपैलिटी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह अपने कर्मचारियों के लिये आवास अवश्य बनवाये। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी दशा जिसका हम बार बार यहां सदन में वर्णन किया करते हैं कैसे सुधरेगी। हम लोगों ने एक प्रतिज्ञा की है कि इन कर्मचारियों की दशा को अवश्य सुधारेंगे। अगर उनके आवास की भी व्यवस्था हम नहीं करते हैं तो फिर उनकी दशा को कहां तक हम सुधार सकेंगे ?

इसके अतिरिक्त मैं दो तीन सुझाव और भी देना चाहता हूं जिनके ऊपर मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी विचार करेंगे। जैसे कोई म्युनिसिपैलिटी कुछ कर्मचारियों को कोई रिम्युनरेशन देना चाहे या किसी कर्मचारी को कोई ऐडवांस देना चाहे, या किसी को कोई इन्क्रीमेन्ट देना चाहे तो आज ऐसा होता है कि उसके लिये आवश्यक है कि वह सरकार की स्वीकृति ले, सरकार की स्वीकृति के बिना वार्ड यह सब नहीं कर सकते हैं। माननीय मंत्री जी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि इसके लिये सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। अध्यक्ष पर ही आप न छोड़ें अगर म्युनिसिपल बोर्ड किसी कर्मचारी को उसके काम के लिये कुछ रिम्युनरेशन देने का प्रस्ताव पास कर दें या किसी कर्मचारी को ऐडवांस देने का निश्चय करें या किसी को इन्क्रीमेंट देना चाहें, तो उसके लिये आवश्यक नहीं होना चाहिये कि प्रादेशिक सरकार के आदेश के बिना वे ऐसा न कर सकें।

एक सुझाव और भी है। धारा ७ और ८ के अन्तर्गत जो कुछ भी खर्चा होता है उसके अतिरिक्त कुछ खर्चा होने पर आवश्यक होता है कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी से उसकी स्वीकृति लेनी पड़ जाय। यदि स्वीकृति नहीं मिलती है तो खर्चा नहीं किया जा सकता। मेरा नम्र अनुरोध है कि यह मामूली खर्चा होता है और अगर म्युनिसिपैलिटी इसकी आवश्यकता समझती है तो 'प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी की स्वीकृति लेने की क्या आवश्यकता है ? इसका नतीजा यह होता है कि वह प्रस्ताव ज्यों का त्यों पड़ा रहता है और प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी की स्वीकृति न मिलने के कारण आवश्यक होते हुये भी उस कार्य के होने में काफी विलम्ब हो जाता है और वह कार्य नहीं हो पाता है।

[श्री बृजबिहारी]

एक बात और है। धारा २६५ में प्राविधान है कि जो इन्क्रोचमेंट होगा उसे एक्जीक्यूटिव आफिसर नहीं हटवा सकता। उसके लिए दावा करना पड़ता है। यदि आप देखें तो यह पायेंगे कि ऐसी कोई म्युनिसिपैलिटी नहीं है जिसके अन्तर्गत रातों दिन इन्क्रोचमेंट न हो रहे हों। मेरा यह अनुरोध है कि इस विधेयक के अन्दर कोई ऐसा 'प्राविजन' किया जाना चाहिये कि अगर इन्क्रोचमेंट हो तो एक्जीक्यूटिव आफिसर को अधिकार हो कि वह इन्क्रोचमेंट को हटवा सके। आप चाहें तो उसके लिये दो, चार या पांच वर्ष का टाइम लिमिट कर दें ताकि इतने वर्ष के अन्दर के ही इन्क्रोचमेंट को हटाया जा सकता है।

श्री कृष्णानन्दराय—

अगर कोई अपनी पूरी बिल्डिंग बना ले तो क्या पूरा मकान ही गिरा दिया जाय?

श्री बजबिहारी—

किसी को यह अधिकार नहीं है कि इन्क्रोचमेंट करके पूरी बिल्डिंग उठवा ले। श्रीमन् मैं समझता हूं कि.....

श्री उपाध्यक्ष—

अगर यह हो जायगा तो वह तय कर दें कि इन्क्रोचमेंट है या नहीं।

श्री बृजबिहारी—

मैं समझता हूं कि ऐसा प्राविजन होना चाहिये क्योंकि इस कदर इन्क्रोचमेंट हो रहे हैं कि जिस रास्ते पर भी किसी नगरपालिका में जाओ बिना डर के न्क्रोचमेंट मिलेंगे और जो सिविल सूट का हाईकोर्ट तक का प्राविजन है उसमें १०–१५ साल लग जाते हैं और बड़ी परेशानी उससे हो जाती है। माननीय कृष्णानन्द राय जी कह रहे हैं कि तत्काल ही होना चाहिये, इन्क्रोचमेंट न हों उनको रोका जाय, एग्जीक्यूटिव अफसर का कर्त्तव्य होता है लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे बअसर होते हैं यह मेरी जानकारी में है कि वे लोग २ दिन या १ दिन में इमारत बनाकर खड़ी कर देते हैं। फिर आप कहते हैं कि दावा करेंगे, उसमें १५ साल लगेंगे और मुआवजे आदि के तमाम प्रश्न आ जायेंगे। अगर ऐसा प्राविधान कर दिया जाय एक्जीक्यूटिव आफिसर को अधिकार होगा कि इन्क्रोचमेंट को हटवा दें तो इसका नतीजा यह होगा कि उसके डर से इन्क्रोचमेंट नहीं होगा इसलिये मेरा सुझाव है कि इसकी व्यवस्था माननीय मंत्री जी विधेयक में अवश्य करें।

अन्त में एक बात मैं और निवेदन करूंगा कि जिस तरह माननीय जगदीशनारायण जी ने संकेत किया कि नगरपालिका के अध्यक्ष के लिखने पर भी सुपरिंटेंडेंट पुलिस कह देते हैं कि पुलिस के भेजने का मौका नहीं है। मैजिस्ट्रेट्स के यहां बरसों मुकदमों में लग जाते हैं और मामलों के फैसले नहीं होते। ऐसा प्राविधान होना चाहिये कि नगरपालिकाओं के पास अपनी पुलिस और मैजिस्ट्रेट भी हों। वह वहां के मुकदमों का फैसला करें और इन्तजाम करें।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करूंगा कि मंत्री जी मेरे सुझावों पर ध्यान देंगे और विधेयक में इन बातों का प्राविधान करेंगे।

*श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे भी बोलने का मौका दिया। यह विधेयक जो लाया गया है इसके लिये मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

उपाध्यक्ष जी, सदन में कोरम नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--

मंत्री जी कोरम के लिये ह्विप्स को ताकीद करें।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री सूरजलाल गुप्त वकील--

मैं मंत्री जी को बधाई दे रहा हूं, परन्तु मुझे अफसोस है कि संशोधन लाने में बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर अच्छी तरह से विचार नहीं किया गया और बहुत सी खामियां रह गयीं। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी या तो इस संशोधन विधेयक को वापस ले लें या जो संशोधन हम लोगों की तरफ से आ रहे हैं उन पर अच्छी तरह से विचार करके तब इस विधेयक को पारित करें। जनतंत्रीय राज्य में स्थानीय निकायों को मुकम्मिल आजादी देनी चाहिये। परन्तु इस विधेयक में देखता हूं कि म्युनिसिपल बोर्ड पर सरकार का काफी कंट्रोल होने वाला है। कंट्रोल होना चाहिये लेकिन जिस तरह पर कंट्रोल रखा है उसका परिणाम यही होता है कि जो आज हमको मिर्जापुर और फैजाबाद में देखने को मिल रहा है जहां कांग्रेस का प्रेसीडेंट नहीं है। उनको या तो सरकार ने सुपरसीड कर दिया है या डिजाल्व कर दिया है। मेरा सुझाव है कि अगर कोई बोर्ड के अन्दर गड़बड़ी पायी जाय या प्रेसीडेंट गड़बड़ करे तो एक ट्रिब्युनल बैठाया जाय और जो कुछ उनके खिलाफ कार्यवाही हो, जब ट्रिब्युनल पास कर दें तभी सरकार को चाहिये कि उसके आधार पर डिजाल्व करें। अक्सर देखा गया है कि म्युनिसिपल बोर्ड्स की आर्थिक दशा बहुत खराब है, उनके पास इतना बजट नहीं होता जिससे वह शिक्षा, पब्लिक हेल्थ आदि का काम अच्छी तरह से चला सकें। मैं अपने जिले गोंडा की बात बताऊं कि वहां की हालत इतनी खराब है कि १०,१५ दिन तक सड़कों पर कड़ा पड़ा रहता है, वहां का ड्रेनेज सिस्टम बहुत खराब है जिसकी वजह से नालियों में पानी सड़ता है। वहां के बोर्ड ने कहा कि धन सरकार दे, सरकार को देना चाहिये। अगर नहीं देती तो ड्रेनेज सिस्टम और भी खराब होगा जिससे अनेक बीमारियां फैलेंगी। अभी हमारे यहां चेचक का प्रकोप रहा, कालरा भी था, लेकिन सरकार ने बोर्ड की मांग पर ध्यान नहीं दिया। इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि जो सेल्स टैक्स सरकार वसूल करती है उसमें से कुछ अंश म्युनिसिपैलिटीज को दिया करे ताकि जब भी बोर्ड बजट बनावे उसको निश्चित मालूम रहे कि कितना धन मिलने वाला है। उसी अनुरूप अपने काम करे। होता अभी यह है कि धन की अनिश्चितता के कारण कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता। बोर्ड के कर्मचारियों की तनख्वाहें बहुत कम हैं। मैं चाहूंगा कि अन्य सरकारी कर्मचारियों के बराबर ही बोर्ड के कर्मचारियों को तनख्वाह मिलनी चाहिये। बाज बाज कर्मचारी तो ऐसे हैं जो २४ घंटे काम करते हैं, जैसे प्रेसीडेंट के यहां चौकीदारी, या लड़कों को स्कूल ले जाना और लाना। मेहतरों की भी हालत हमारे यहां बहुत खराब है। उनके लिये जो सामान या ड्रेस दी जाती है उसका बुरा प्रबन्ध है। पैसे की कमी के कारण सड़कों की हालत यह है कि बरसात में उन पर कीचड़ हो जाती है।

जिस तरह से क्षेत्र विकास समिति या जिला परिषद् में एम०एल०ए० और एम०एल०सी० उसके मनोनीत सदस्य होते हैं इसी प्रकार से म्युनिसिपैलिटीज में भी एम० एल० एज और एम०एल०सीज का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिये ताकि वे म्युनिसिपल बोर्ड का जो रिश्ता है, उसको सरकार तक पहुंचा सकें।

*श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत संशोधक विधेयक का बहुत ही स्वागत करता हूं। मान्यवर, इसमें कुछ नयी धाराओं का जो समावेश किया गया है, वह बहुत ही स्वागत योग्य है। सबसे पहले धारा ९ जो इसमें जोड़ी गयी है, जिसमें प्राविधान किया गया है कि सदस्यों की कुछ कमी करने का। इससे जो क्षेत्र हैं चुनाव क्षेत्र वे कुछ बड़े हो जायेंगे तो जो चुनाव के संबंध में करप्शन फैलता था जात बिरादरी के नाम पर, छोटा क्षेत्र होने की वजह से उसमें कमी आयेगी और हमारे चुनाव सुचारु रूप से हो पायेंगे।

दूसरी श्रीमन्, इसमें दफा ७१ है उसमें जो सर्विसेज का सेन्ट्रलाइजेशन का प्राविधान किया गया है, उसका हृदय से स्वागत करना चाहिये। आज जो हमारे म्युनिसिपल बोर्ड के इम्पलाइज उनकी दशा हैं, बड़ी खराब है। उसमें कुछ एम्पलाइज ऐसे हैं जो अधिकारी कहे जाते हैं जैसे वाटर वर्क्स इंजीनियर, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, एक्जीक्यूटिव आफिसर। ये कुछ अधिकारी ऐसे हैं कि उनको चेयरमैन या बोर्ड यकायक सजा नहीं दे सकता है और न उनके साथ कोई सख्ती कर सकता है क्योंकि इसमें २/३ मैजारिटी से जब तक उनके खिलाफ बोर्ड प्रस्ताव नहीं करेगा तब तक उनको सजा नहीं दी जा सकती है और न ही उनको सर्विसेज से अलग किया जा सकता है। इसलिये ये लोग, जिनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए २/३ मैजारिटी की आवश्यकता है, एक तरह से बोर्डों में निरंकुश हो गये हैं। इस प्राविधान से जबकि सेंट्रलाइजेशन हो जायगा इन अधिकारियों की निरंकुशता में कमी आयेगी और वे मिलकर शहर के हित में, जनता के हित में, वहां के प्रतिनिधियों के अनुरूप जनता की सेवा कर सकेंगे।

दूसरा जो कर्मचारी वर्ग है, जिसको चेयरमैन या एक्जीक्यूटिव आफिसर एप्वाइन्ट करता है और वही अलग कर सकता है, वह वर्ग बिलकुल नपुंसक हो गया है। वह कुछ कार्य ही नहीं कर सकता है। उसका नतीजा यह होता है कि न तो सफाई ठीक हो सकती है, न कर वसूल हो पाते हैं, न इन्क्रोचमेंट हो पाते हैं। हर जगह पर जो मेम्बर साहबान हैं कर्मचारियों के हृदय में भय छाया रहता है। ७१ वीं धारा के जुड़ जाने पर दोनों का मिलान ठीक से होगा। जो छोटे कर्मचारी हैं उनको हिम्मत मिलेगी काम करने की। जो बड़े कर्मचारी हैं उनके दिमाग नीचे आयेंगे। ऐसी इस धारा से आशा की जा सकती है।

तीसरी धारा ८१ के संबंध में, जिसमें सरचार्ज का विषय है। इससे पहले भी सरचार्ज हमारे ऐक्ट में था लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूं वह धारा मेम्बरों तक लागू थी। अब उसके जुड़ जाने से चेयरमैन, एक्जीक्यूटिव आफिसर, अधिकारीगण और कर्मचारी सभी आ गये हैं। पहले उन पर सरचार्ज का विषय लागू नहीं होता था जिससे वे काम करने में दिलचस्पी नहीं लेते थे। इस धारा के जुड़ जाने से एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार की बहुत कुछ आशा है। एक धारा १८८-ए जुड़ गयी है, उसका मैं स्वागत करता हूं। इससे म्युनिसिपैलिटी और सिटी बोर्ड की आमदनी पर असर पड़ेगा स्टाम्प ड्यूटी पर टैक्स दो परसेंट बढ़ा दिया गया है। इससे म्युनिसिपलिटीज के फाइनेंसेज अच्छे होंगे और जो धनाभाव के कारण म्युनिसिपैलिटीज बहुत सी स्कीम्स जनहित के कार्य रूप में परिणत नहीं कर पाती थीं, अब आमदनी का जरिया हो जाने से उनको इस दिशा में काम करने का अवसर मिलेगा।

इसके साथ मेरा एक सुझाव और है कि इंटरटेनमेंट पर भी म्युनिसिपैलिटी एक लेवी लगाये। इससे भी काफी आमदनी उसको हो सकेगी क्योंकि हर नगर में सिनेमाघर और इन्टरटेनमेंट के दूसरे साधन बढ़ते चले जाते हैं। यह भी कहा गया कि म्युनिसिपैलिटी के अन्दरूनी मामलों में दखल नहीं दिया जा सकता लेकिन मेरा सुझाव है कि कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें गवर्नमेंट को दखल देना चाहिये तभी वह सुधर सकती हैं वर्ना वहां का जो इन्तजाम होता है वह मेम्बरों के हाथों में होता है और स्वार्थ के टकराने से, दूसरों के प्रभाव से काम नहीं चला पाते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसके अलावा नजूल लैन्ड का बड़ा दुरुपयोग हो रहा है । इन्क्रोचमेंट दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है । १९१३ में म्युनिसिपैलिटीज का सर्वे हुआ था । ५० साल से ऊपर हो गये हैं इसलिये जल्दी से जल्दी नजूल लैन्ड का पुनः सर्वे कराया जाय तथा नक्शे बनाये जायं । एक्जीक्यूटिव आफिसर को कुछ पावर्स मिलनी चाहिये इन्क्रोचमेंट रोकने के लिये । आज हालत यह है कि अगर वह नोटिस देना चाहे तो नहीं दे सकता । पहले उसे बोर्ड से प्रस्ताव पास कराना होता है और बोर्ड की मीटिंग १५ दिन में, महीने भर होती है । तब तक इन्क्रोचमेंट करके पूरी इमारत वह बना लेता है और फिर मुकदमेबाजी हुआ करती है । श्रीमन्, मैं मंत्री जी से आप के द्वारा निवेदन करूंगा कि इस धारा में सुधार की जरूरत है। एक्जीक्यूटिव आफिसर को कम से कम नोटिस देने का और उसको रोकने का अधिकार होना चाहिये । आगे चलकर कुछ भी हो । ई०ओ० को नपुंसक नहीं बना देना चाहिये ।

श्रीमन्, बहुत सी म्युनिसिपैलिटीज में कालोनी बनी हुई हैं । लेकिन छोटी म्युनिसिपैलिटीज में नहीं है । इससे छोटे कर्मचारियों को अपनी ड्यूटी में बड़ी तकलीफ होती है और मैं तो यहां तक कहूंगा कि बड़े अधिकारियों के लिये भी म्युनिसिपल कालोनीज होनी चाहिये । बहुत सी म्युनिसिपैलिटीज में म्युनिसिपल कर्मचारियों को नजूल लैन्ड बहुत कम कीमत पर मकान बनाने के लिए दी जाती है । कुछ दिन सर्विस करने के बाद उसको जमीन मिलती है और फिर ८/१० साल बाद वह मकान बनाता है और फिर कुछ दिन बाद वह रिटायर हो जाता है और वह उसका खुद का मकान हो जाता है । इसलिये मैं चाहूंगा कि कम कीमत पर म्युनिसिपल कर्मचारियों को जमीन नहीं दी जानी चाहिये । इसका हल यह है कि म्युनिसिपल कालोनीज बना दी जायं और जब तक वे म्युनिसिपैलिटी की सेवा में रहें उनमें रहें । इसलिये इस परिपाटी को खत्म करना चाहिये ।

सैनिटरी इंसपेक्टरों की बहुत ज्यादा आमदनी होती है और जो उनकी फर्स्ट ड्यूटी सफाई की होती है उसकी ओर वे ध्यान नहीं देते हैं । इसका कारण यह है कि उनको सैम्पिल भरने का अधिकार दे दिया गया है । मैं निवेदन करूंगा कि सब सैनीटरी इंसपेक्टरों को यह अधिकार नहीं देना चाहिये । पहले म्युनिसिपैलिटीज में केवल एक फूड इंसपेक्टर होता था । वह काफी सीनियर और तजुरबेकार तथा इंटेगिरिटी का होता था और वही सैम्पिल लिया करता था । लेकिन आज हर सैनिटरी इंसपेक्टर लेता है । इसका नतीजा यह होता है कि सैनीटरी इन्सपेक्टर का वेतन १००/१२५ रुपये होता है और वह दो हजार रुपये तक जुरमाना करा सकता है । यह सोचने की बात है कि कहां तक यह चीज ईमानदारी से चल सकती है । इसलिये इस परिपाटी को खत्म किया जाय और केवल एक फूड इंस्पेक्टर रहे और वही सैम्पिल ले । इसका नतीजा यह होगा कि सैनीटरी इंसपेक्टर्स सफाई का काम करने लगेंगे ।

श्रीमन्, यह देखा गया है कि म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत कम प्रभाव जनता के ऊपर होता है । अगर कोई गलत काम करता है और म्यूनिसिपैलिटी उसके अदालत में जाती है तो फैसले में २–३ साल लग जाते हैं तो वह एक नगण्य सी चीज हो जाती है । इसलिये जैसा एक माननीय सदस्य ने प्रपोजल दिया था कि हर म्यूनिसिपैलिटी में एक मजिस्ट्रेट होना चाहिए तो काम में जल्दी होगी और लोगों के ऊपर ज्यादा असर पड़ेगा और गलत काम करने की प्रवृत्ति में कमी होगी और लोग डरेंगे भी अगर हर म्यूनिसिपैलिटी में एक मैजिस्ट्रेट नहीं हो सकता है, कोई साधन की कमी हो तो मैं आप से निवेदन करूं कि अभी आपने उनकी सर्विसेज को सेंट्रलाइज किया है वह गवर्नमेंट सर्विसेज हो जायंगी । इन एक्जीक्युटिव आफिसर्स को तनख्वाह की दृष्टि से कहीं ५००, कहीं ७०० और कहीं पर ८०० रुपये मिलते हैं । तो वह पावर मैजिस्ट्रेट को इनको दे दी जाय उस पर्टीकुलर क्षेत्र के लिये तो इससे उसके एडमिनिस्ट्रेशन में जो गलत काम करने की प्रवृत्ति है वह रुक सकती है और जल्द काम हो सकता है। गलत काम म्युनिसिपैलिटी के अन्दर जो होते हैं वह रुक सकते हैं ।

श्रीमन्, एक आखिरी बात मैं एल०एस० जी० ई० डी० के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । एल० एस० जी० ई० डी० के मातहत बहुत से काम म्यूनिसिपैलिटी के अन्दर होते है ।

[श्री कन्हैयालाल]

एल० एस० जी० ई० डी० के एक्जीक्युटिव इंजीनियर अच्छे ग्रेड के होते हैं। इस बात की अक्सर शिकायत की गई है कि वह चेयरमैन से कोआपरेशन नहीं ले पाते हैं। उसका नतीजा यह होता है कि जितना भी एल० एस० जी० ई० डी० का काम होता है और जितना भी उसमें रुपया लगता है वह सब रुपया व्यर्थ जाता है। मैं अपनी मथुरा म्यूनिसिपैलिटी की बात आपको बतलाऊं कि वहां पर ३०, ३१ लाख की लागत से वाटर वर्क्स की स्कीम है। उस स्कीम में १८ लाख रुपया अब तक लग चुका है और १३ लाख रुपया लगने को शेष है। १८ लाख रुपया लगने के बाद भी मथुरा म्युनिपैलिटी के वाटर वर्क्स की यह दशा है कि लोगों को पानी नहीं मिल पाता है और इतनी कमी पानी की हो गई है तो पिछले २० साल में भी नहीं थी जबकि वहां पर इतना रुपया लग चुका है। ३१ लाख की वहां पर वाटर वर्क्स की स्कीम है और १। लाख की आबादी मथुरा की है। हर आदमी पर उसकी २५ रुपये लागत आती है और १० आदमी के परिवार के लिये २५० रुपये लागत आती है। इतनी लागत से एक परिवार के लिये कुआं बन सकता है जिससे वह हमेशा पानी लेता रहे, लेकिन इतना रुपया खर्च करने के बाद भी और इतनी बड़ी स्कीम होने के बाद भी आज मथुरा में पानी की क्राइसिस इतनी बढ़ गई है कि जितने पिछले ५० साल में भी नहीं हुई थी। इसका कारण केवल यही है कि एल० एस० जी० ई० डी० में और म्यूनिसिपलिटी में कोई आपस में कोआपरेशन नहीं है। इसके लिये मैं यह सुझाव दूंगा कि यदि मंत्री जी मानें तो हर जिले में जहां पर एल० एस० जी० ई० डी० क एक्जीक्युटिव इंजीनियर का दफ्तर है वहां पर एक एडवाइजरी कमेटी बना दी जाय, जिसमें लोकल एम० एल० ए० हों, म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन हों, एक्जीक्युटिव इंजीनियर हों और दो एक वहां के प्रतिष्ठित नागरिक हों जो अपना सुझाव दे सकें। यहां से इस तरह की हिदायत हों कि वह एडवाइजरी कमेटी के मातहत काम करें। इससे एल० एस० जी० ई० डी० की जितनी भी बुराइयां हैं वह कम हो सकती हैं। मैं इन सुझावों के साथ पुनः इस संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूं।

*श्री ब्रह्मदत्त मायर—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले तो माननीय मन्त्री जी को बधाई देता हूं इस बात के लिये कि उन्होंने जो सेलेक्ट कमेटी बनाई थी इस सदन में और जो काम इस सदन ने उसके सुपुर्द किया था उसके अन्दर हमारे मन्त्री जी ने जिस सहानुभुति पूर्वक हमारी बातों को सुना और माना काफी हद तक उसके लिये हम लोग बहुत आभारी हैं। जितना कोआपरेशन हम एक्स-पैक्ट नहीं करते थे उससे अधिक हमको मिला लेकिन वहां पर कुछ बातें ऐसी उपस्थित हुई जिनके बारे में माननीय मन्त्री जी ने यह यकीन दिलाया था कि वह सदन के समक्ष रखेंगे। लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि न जाने किन परिस्थितियों में वह बातें मन्त्री जी सदन के समक्ष रखने में असमर्थ रहे हैं। पहली चीज तो यह है कि उस कमेटी ने काफी बातचीत के बाद यह निर्णय लिया था कि कम से कम विधान सभा के वे सदस्य जो उसी कांस्टीट्युएन्सी के हैं, और वहां रहते भी हैं, उस म्युनिसिपल बोर्ड के सदस्य समझे जायंगे। श्रीमन्, आप जानते हैं कि जिला परिषद् में वे सदस्य विधान मंडल के जो वहां से चुने गये हैं तथा लोक सभा के सदस्यों को सदस्यता प्राप्त है। मैं नहीं समझ पाया कि क्यों मंत्री जी पूर्ण रूप से आश्वासन देने के बाद भी, उसे सदन के सामने रखने का वायदा करने के बाद भी, उस चीज को यहां नहीं ला पाये।

दूसरी चीज यह कि उस कमेटी में एक कठिनाई पैदा हो गयी थी। यह बतलाया गया कि बहुत से केसेज में नगरपालिकायें तथा उनके अध्यक्ष इंक्रोचमेंट आदि के केसेज में जो नोटिस देती है उनमें मामूली सा हरजाना लेकर उन केसेज को कंपाउन्ड कर लेते हैं और वह इंक्रो-चमेंट, जिस के लिये नोटिस दी गयी है, हट नहीं पाता। माननीय मंत्री जी ने उस चीज को समझा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है और सरकार की राय है और होना भी चाहिये कि ऐसे केसेज को कम्पाउन्ड नहीं करना चाहिये जब तक कि जो आफेंस किया गया है वह अनडन न कर दिया जाय। लेकिन या तो सरकार इस चीज को लागू नहीं कर पायी है या सरकार की राय उसे लागू करने की नहीं है। मैंने उदाहरण के लिये सहारनपुर नगरपालिकाध्यक्ष और उनके द्वारा भेजे गये उन केसेज का जिक्र किया था। वहां सड़कों पर मकान बनते जा रहे हैं। घंटाघर चौक में एक होटल बना। वह केस अदालत में गया, और दूसरे बहुत से केसेज अदालत में गये, लेकिन दुख की बात है कि उनको अध्यक्ष महोदय ने कम्पाउन्ड कर लिया और वह इंक्रोचमेंट ज्यों का त्यों बना रहा। एक केस में जो अध्यक्ष महोदय ने अपनी कार, जो चार साल पहले १३,००० रु० की खरीदी गयी थी, १४,००० रु० में उस व्यक्ति को बेच दी जिसके खिलाफ केस था और उसका केस समाप्त कर दिया गया। मैं समझता हूं कि ऐसे केसेज में सरकार जांच करे और उस अध्यक्ष के अथवा उसके लिये जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ इस संबंध में कार्यवाही होनी चाहिये। यह सरकार का फर्ज है।

एक सवाल है नजूल लैन्ड का। मैं नहीं जानता किन कारणों से नगरपालिका के अधिकारी अध्यक्ष की राय से कागजात बना कर, कांस्पेरेसी से लोगों के खिलाफ नोटिस जारी कर कर देते हैं और थोड़े से पैसों के एवज में ५, १० रुपये साल की लीज पर उसे सेटिल कर देते हैं। इसका उन्हें अधिकार नहीं है और न होना चाहिये। ऐसी लाखों की संपत्ति थोड़े से पैसों के एवज में लीज आउट कर के लोग अनुचित लाभ उठाते हैं। हमारे यहां ऐसी जमीन बहुत थी और अब भी है और अगर सरकार एक कानून के मातहत ऐसी व्यवस्था कर दे कि सारी नजूल लैन्ड का नक्शा बन जाय और वह एक जगह कंसालिडेट फार्म में दिखायी पड़ सके तो रोजाना जो म्युनिसिपल बोर्ड को अपने काम के लिये एग्रीकल्चर लैन्ड एक्वायर करनी पड़ती है वह बच सकेगी और नजूल लैण्ड का इस्तेमाल किया जा सकेगा। वह जमीन भी काम आ जायगी, लाखों रुपया भी बच जायगा और गरीब आदमियों को जिनकी जमीनें म्यूनिसिपैलिटी द्वारा पब्लिक परपज के लिये एक्वायर की जाती हैं उनको रोजी से वंचित भी न होना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर यहां लखनऊ में हैवलक रोड पर नाला जहां खत्म होता है, वहां नाले की पटरी नजूल लैन्ड है। यहां के नगरपालिका के कुछ अधिकारियों ने कुछ पैसे के एवज में तय कर लिया और वहां आम रास्ता है। बहुत से लोगों के मकानों के दरवाजे खुलते हैं, उस जमीन पर अनअथराइज्ड कांस्ट्रक्शन जारी है। आज मैंने देखा हजारों व्यक्तियों का आना जाना है, दो मंदिर हैं जिनमें रोजाना स्त्री-पुरुष सुबह शाम जाते हैं और उनका रास्ता बन्द हो गया, अपने घर तक पहुंचने का रास्ता बन्द हो गया और वह जमीन ७ रुपया साल के एवज में उठायी जा रही है। इस उदाहरण को देखते हुए मंत्री जी इस प्रकार के भ्रष्टाचार को रोकें जिससे लाखों रुपया म्युनिसिपैलिटीज़ का बच जाय और गरीब लोगों की जमीन, काश्तकारों की जमीन जिनकी ज़मीन कुछ पैसों में एक्वायर कर ली जाती हैं वह बच सकते हैं। यह प्रान्त की बड़ी भारी सेवा होगी अगर इसके लिए उचित व्यवस्था विधेयक में करें।

एक चीज की चर्चा और कमेटी के सामने हुई थी और मंत्री जी ने मंजूर किया था कि लोकल एम० एल० एज० अगर वहां रहें तो म्यूनिसिपैलिटी की जितनी भी कार्यवाहियां हैं—उचित और अनुचित उनके बारे में उन्हें जानकारी रह सकती है और उसके लिए सरकार के पास वह एक लिंक के तौर पर काम कर सकता है और उससे पब्लिक और म्यूनिसिपैलिटी दोनों को लाभ पहुंच सकता है। अगर वहां कोई भ्रष्टाचार या अनुचित कार्यवाही होती हो तो सरकार को उससे अवगत करा सकता है। आज नगरों में रहने वाले लोगों को ज्यादा तकलीफ म्युनिसिपैलिटी से होती है। उसी से उनका संबंध रहता है। अगर वहां का एम० एल० ए० मेम्बर नहीं होगा तो न तो उसे जानकारी ज्यादा हो सकती है और न वह जनता का दुख निवारण करने के लिये कुछ कर सकता है। मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि लोगों की उचित राय

[श्री ब्रह्मदत्त मायर]

जानने के बाद अगर यह उचित होगा तो उसको कार्यान्वित किया जायगा। इस ओर भी ध्यान दिया जाय।

एक बात और है। मैं नहीं जानता हूं कि १९५४ में जो फैसला किया गया था कि प्रेसीडेंट का चुनाव सीधा जनता द्वारा होना चाहिये, लेकिन चूंकि कांग्रेस के लोग ज्यादा म्युनिसिपैलिटीज में हार गये इसलिए कांग्रेस ने यह देखा कि इस तरह आम जनता उन लोगों का समर्थन नहीं कर पा रही है जिन्हें वह इन पावर रखना चाहते हैं तो तुरन्त उस व्यवस्था को बदल दिया दूसरे इलेक्शन में। मेरा निवेदन है कि उस व्यवस्था को जनहित में दोबारा लागू किया जाय। और प्रेसीडेंट का चुनाव जैसे टाउन एरिया और नोटीफइड एरिया में होता है, उसी प्रकार करवाया जाय तो ज्यादा मुनासिब होगा। इस पर डिस्कशन नहीं हुआ था और मन्त्री जी ने उसे नाजायज नहीं कहा। तीसरी बात श्रीमन्, यह ठीक है कि हम म्यूनिसिपैलिटीज के मेम्बरों की तादाद को कम करने जा रहे हैं, उचित बात है, लेकिन वार्ड्स के सिलसिले में, हम वार्ड्स भी कम करने जा रहे हैं। पिछले १०–१५ वर्षों में जितने नगर हैं, काफी बढ़ गये है। एक-एक वार्ड्स से २–२,३–३ मेम्बर चुने जाते हैं। तो यह जनता के लिये बड़ी दिक्कत हो जाती है कि किसे अपनाये और किसे न अपनाये। श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि सिंगल मेम्बर कान्स्टीटुयेन्सी हो जाय जिससे जनता का संबंध अपने मेम्बर से सीधा रहे। सीधा संपर्क होने से कोई भी मेम्बर जनता की सेवा में तत्पर रह सकेगा और कोई टालमटोल नहीं कर पायेगा।

इन तमाम चीजों को देखते हुए, मन्त्री जी ने जो आश्वासन दिया है उस पर पुनर्विचार करें और अगर इस संशोधन के अन्दर वह नहीं कर सकते हैं तो इसकी व्यवस्था करें कि दूसरा संशोधन लाकर या किसी अन्य तरीके से इन तमाम चीजों को मानने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मायर साहब अभी आप कितना समय लेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

श्रीमन्, मैं अब ज्यादा समय नहीं लूंगा। अन्त में मैं फिर मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि फिर इन तमाम चीजों पर गौर करें और सदन की राय जानने के लिये, उन चीजों को हाउस में रखें और जो भी फायदा हो सके, उससे लाभ उठायें।

श्री कृष्णचन्द—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वशासन मन्त्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत परामर्श के बाद और सेलेक्ट कमेटी से सलाह-मशविरा करने के बाद यह संशोधित ऐक्ट यहां पर लाये हैं। मेरा ऐसा विचार है कि इस संशोधित अधिनियम के द्वारा वे प्रशासन में कुछ प्रगति करने में समर्थ होंगे। श्रीमन्, जब अगले अक्तूबर-नवम्बर में नगरपालिकाओं के चुनाव पुराने अधिनियम के द्वारा ही सम्पन्न होने वाले हैं तो श्रीमन्, यह आशा की जाती थी और यह अधिक श्रेष्ठ होता कि यदि माननीय मंत्री जी समस्त सदन के समक्ष एक बहुत काम्प्रेहेंसिव बिल यहां पर उपस्थित करते और उस प्रकार के अधिनियम के द्वारा उन सारी कठिनाइयों और कमियों को जो आज प्रशासन में सब लोगों को दृष्टिगोचर हो रही हैं, हटाया जा सकता। श्रीमन्, अधिनियम में संशोधन की कहानी बहुत पुरानी है। पिछले ३० वर्षों में इसमें निरन्तर संशोधन होते चले आये हैं और यदि माननीय सदस्यों को स्मरण हो, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक समय प्रदेशीय सरकार ने बहुत क्रान्तिकारी परिवर्तनों को लाने की चेष्टा की थी और उस प्रयोजन के लिये भगवतनारायण भार्गव की अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण हुआ था जिसने सुझाव दिये थे स्थानीय स्वशासन में क्रान्तिकारी परिवर्तनों के। उन सुझावों के अनुसार नगरपालिकाओं को यह अधिकार देने की भी व्यवस्था थी कि वह अपनी पुलिस रख सकें, वह अपनी मैजिस्ट्रेसी रख सकें और उनके साधन अधिक व्यापक बनाये जायं। और

भी उसमें सुझाव थे। हमारे प्रजातंत्रीय सेट अप में नगरपालिकायें, नगर महापालिकायें, जिला परिषद् और गांव सभायें एक स्थायी अंग हमारे संविधान की बन गयी हैं और इसलिए निरन्तर हमारा यह प्रयत्न होना चाहिये कि ये स्थानीय निकाय जो कि वहां जनता के हितों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, सबल हों, स्वस्थ हों और अच्छी तरह से प्रशासित हों। सबसे अधिक जो कठिनाई नगरपालिकाओं को होती है वह अपने साधनों के सम्बन्ध में होती है, प्रति वर्ष इसी सदन में उनको अनुदान देने के लिये अनुमति ली जाती है और हर वर्ष यह अनुदान दिया जाता है। मैं समझता हूं कि इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। जब हम इस परिणाम पर पहुंच गये हैं कि नगरपालिकाओं के साधन इतने पर्याप्त नहीं हैं कि वह अपने कार्य अच्छी तरह से सम्पन्न कर सकें, तो उस समय हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम कोई ऐसी स्थायी व्यवस्था कर दें जिससे कि उनके साधन पूरे हो सकें।

आज जिस तरह से नगरपालिकाओं को अपनी मांगों को पूरा करने के लिये धन प्राप्त होता है वह उनकी बड़ी ही दीन हीन दशा का परिचायक है। बड़ी ही दीन हीन दशा में वह यह अनुदान प्राप्त करती हैं। जब हम उनको यह अनुदान देते ही हैं तो क्यों नहीं हम यह निश्चय कर लेते कि जितना हमारी प्रदेशीय सरकार और केन्द्रीय सरकार टैक्सों के रूप में उनसे उगाही करती है उसमें से एक अंश उनको दे दें। जब तक हम उनको सेल्फ सफिश्येंट नहीं बना देंगे, उनके हृदय से दीनता और हीनता की भावनाओं को समाप्त नहीं कर देंगे तब तक स्थानीय स्वशासन अपने पैरों पर कदापि खड़ा नहीं हो सकता है। और श्रीमन्, इसके साथ-साथ मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि भार्गव कमेटी की रिपोर्ट जिसमें कि पुलिस और मैजिस्ट्रेसी इनको देने की सिफारिश की गई है, उसका समावेश भी वह इसमें करें। अगर इस समय वह सम्भव नहीं हो सकता तो एक कोई काम्प्रीहेंसिव बिल इसके लिए हमारे सदन के सामने आना चाहिये। माननीय सिनहा ने दो बातें कहीं। पुलिस की कमी की वजह सेनगर पालिका से इन्क्रोचमेंट नहीं रोक पातीं और मैजिस्ट्रेसी की कमी की वजह से नगरपालिकाओं क आदेशों का कार्यान्वियन नहीं हो पाता। इसलिए इनका समावेश इसमें होना चाहिये।

दूसरा सुझाव चेयरमैन को हटाने के सम्बन्ध में है जहां पर उसका प्राविधान किया गया है और अविश्वास के प्रस्ताव के बाद जो प्रक्रिया का वर्णन किया गया है उसके संबंध में है। प्रक्रिया के द्वारा सरकार किसी चेयरमैन को हटा सकती है। लेकिन उसको किसी अदालत में अपील का अधिकार नहीं होगा। जहां अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा चेयरमैन हटता है वहां की प्रक्रिया यह है कि प्रस्ताव पास होने की सूचना मिलने के तीन दिन बाद या तो वह इस्तीफा दे दें या इस्तीफा नहीं देता है तो वह स्थान रिक्त समझा जायगा। बशर्ते कि चेयरमैन जिसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास हुआ है, सरकार को प्रतिवेदन दे कि बोर्ड को सुपरसीड कर दिया जाय। एक तो अविश्वास का प्रस्ताव पास होना ही बहुत मुश्किल होता है। इसीलिये ९० प्रतिशत अविश्वास के प्रस्ताव फेल हो जाते हैं और शेष १० फीसदी भी बड़ी कठिनाई के साथ पास होते हैं।

जनतंत्रीय आधार पर जब कोई अध्यक्ष अपना विश्वास खो दे, माननीय सदस्य नगरपालिका को अपने पद से मुक्त कर दें, तब उसको यह सुविधा कदापि नहीं होनी चाहिये कि वह सरकार के पास इस बात का प्रतिवेदन करे कि इस बोर्ड को सुपरसीड कर दिया जाय यानी हम तो हटते हैं हो लेकिन यारों को भी ले डूबेंगे। अब सरकार के पास यह डिस्क्रिशन है कि वह चेयरमैन को हटा दें या बोर्ड को सुपरसीड कर दें। जिस चेयरमैन को प्रजातंत्रीय आधार पर हटा दिया गया है उसके हाथ में यह बहुत बड़ा अधिकार है। दूसरी तरफ यदि सरकार किसी चेयरमैन को आचरण के अधार पर पद से मुक्त करती है तो वहां वह उसको यह भी अधिकार नहीं देती है कि वह अदालत में आपके आर्डर के खिलाफ अपील भी कर सके। यहां मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दलबन्दी के आधार पर जहां पर बड़े से बड़े लोगों का अपमान कर दिया जाता है और खराब से खराब व्यक्तियों को तख्तेताऊस पर बैठा दिया जाता है, वहां पर किसी चेयरमैन को अपील में जाने के लिये प्रतिबन्ध लगा देना कोई अच्छी बात नहीं है। एक तरफ तो अविश्वास के द्वारा

[श्री कृष्णचन्द]

जो चेयरमैन हटाया जाता है, उसको बोर्ड को सुपरसीड कराने का अधिकार है तथा वह हाईकोर्ट तक जा सकता है। ललितपुर म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष के विरुद्ध दो बार अविश्वास का प्रस्ताव पास हुआ, वह रिट में चला गया। तीन महीने तक सारी सरकार की मशनिरी उसे हटाने में असफल रही जब तक कि हाई कोर्ट ने ही नहीं कह दिया कि दोबारा का अविश्वास का प्रस्ताव ठीक है, तब चेयरमैन को हटना पड़ा। एक तरफ तो अविश्वास द्वारा हटाये जाने वाले अध्यक्ष को इस प्रकार के अधिकार दिये गये है और दूसरी तरफ यदि पार्टीबन्दी से एस० डी० ओ० अध्यक्ष के आचरण को शिकायत कर दें, क्लेक्टर और कमिश्नर उसको स्वीकार कर लें, सेक्रेटेरियेट से भी वह सैक्शन हो जाय और दुर्भाग्य से मिनिस्टर साहब भी उसको स्वीकार कर लें, तब तो अध्यक्ष का भविष्य बिलकुल अन्धकारमय है, वह कहीं अपील भी नहीं कर सकता। इसके अलावा अभी तो ऐक्ट में 'सैंडिंग आफ दि इन्टीमेशन' शब्द है। लेकिन अब सैंडिग के बजाय रिसीविंग शब्द कर दिया गया है। अगर ऐसा हो गया तो जब जज उसको नोटिस भेजेगा तो वह उसको स्वीकार हीं न करेगा। एक महीने तक वह बाहर रह सकता है और हाई कोर्ट और सुप्रीमकोर्ट में अपील में जा सकता है। इस प्रकार से इस नो कान्फीडेंस मोशन का कार्यान्वयन बिलकुल असंभव हो जायगा। इस प्रकार वह सारी प्रजातन्त्रीय प्रकिया को असफल कर सकता है, उसको खत्म कर सकता है। इसलिये यह संशोधित होना चाहिये, इस पर रोक लगनी चाहिये। जब किसी चेयरमैन के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाये तो वह उसी समय से शेष काम बन्द कर देगा और उसे अधिकार नहीं होगा कि वह इस प्रजातन्त्रीय निर्णय के विरुद्ध कहीं अपील कर सक। दूसरी तरफ यह प्राविधान भी होना चाहिये कि जिस चेयरमैन को नगरपालिका की अध्यक्षता से सरकार की तरफ से हटाया जाता है, उसको यह अधिकार होना चाहिये कि वह सरकार के उस निर्णय के खिलाफ अपील कर सके।

श्रीमन्, एक मेरा सुझाव है प्रस्काइब्ड अथारटी के सम्बन्ध में। मुझे श्रीमन्, डर लगता है, जहां-जहां पर प्रेस्काइब्ड अथारटी का जिक्र आ जाता है, मैं नहीं जानता हूं कि वह प्रेस्काइब्ड अथारटी क्या है? वह निर्णीत की जायेगी। श्रीमन्, इस सदन में स्पष्ट घोषणा होनी चाहिये कि वह प्रस्काइब्ड अथारिटी कौन है—सक्रटरी, मिनिस्टर, कलक्टर—कौन है। मेरा सुझाव यह है कि वह प्रेस्काइब्ड अथारिटी जहां तक हो सके वह एक गैर सरकारी व्यक्ति होना चाहिये। वह इस प्रेस्काइब्ड अथारिटी गैर सरकारी व्यक्ति का हेड क्वार्टर यहां ही होना चाहिये और वह यहीं से अपना कार्य संचालित करे, अभी प्रस्काइब्ड अथारटी के सारे अधिकार आप कलेक्टर, जिलाधीश को देते चले जा रहे हैं, कमिश्नर को देत चल जा रहे है, और यह कमिश्नर, और जिलाधीश का, श्रीमन्, माफ करें तो कहूंगा, यह अनफिट हैं स्थानीय संस्थाओं का संचालन करने में, उनको सहयोग देने में, उनको समर्थन देने में। इसलिय श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि प्रेस्काइब्ड अथारिटी कम से कम कलक्टर और कमिश्नर न रहे। स्थानीय स्वायत्त शासन जनता का शासन है, जनता का प्रशासन है और उस पर चैक्स और बैलेन्स को उस तरह से वाच करना यह अच्छी बात नहीं है। स्थानीय स्वशासन में प्रेस्काइब्ड अथारिटी एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हो, सहदय व्यक्ति हो, सार्वजनिक कार्यकर्त्ता हो, जिसे स्वशासन के सिद्धान्तों को हृदयांगम करने की शक्ति हो, नगरपालिकाओं के स्वशासन पर जिसका अटूट विश्वास हो, जिसकी आस्था हो। ऐसे व्यक्ति को ही प्रस्काइब्ड अथारिटी बना कर रखना चाहिये।

लेजिस्लेचर के सदस्य नगरपालिकाओं के सदस्य हों अपने पद के हिसाब से, इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यह बहुत अच्छा सुझाव है। माननीय मायर जी का मैं समर्थन करना चाहता हूं कि स्थानीय एम० एल० ए० जो उस क्षेत्र से चुने गये हों अथवा जो उन जगहों पर रहते हों, वह जरूर नगरपालिकाओं के सदस्य हो जायें। यह खुशी की बात ह, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं इसका समर्थन एक प्रतिबन्ध के साथ करूंगा और वह प्रतिबन्ध यह ह कि ऐसे सदस्यों को, विधायकों को चेयरयैन को बनाने में या बिगाड़ने में कोई अधिकार नहीं होना चाहिये। यहसम्पूर्ण अधिकार नगरपालिका के सदस्यों को होना चाहिये, क्योंकि यह ८–१०

सदस्यों का जो वहां पहुंचेगें, एक बैलेन्सिग ग्रुप होगा जो कि अपनी शक्ति से अध्यक्ष को बना अथवा मिटा सकता है । इसलिये यह अधिकार उन्हें देना उचित नहीं होगा । चेयरमैन को चुनने में और उसके विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव के पास होते समय उनको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिये ।

श्रीमन्, दूसरी बात वार्डों में सदस्यों को कम करने के सम्बन्ध में है । यह जो सदस्यों को कम किया है, इसके लिये माननीय मंत्री जी के पास बहुत ठोस कारण होंगे, उन्होंने सेलेक्ट कमेटी का सलाह मशविरा लिया है और सलाह से ही संख्या में कमी की गई है और जरूर इसके लिये कोई ठोस कारण होंगे । लेकिन श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं मंत्री जी से कि असेम्बली के सदस्यों की संख्या तो बढ़ती चली जा रही है और पार्लियामेंट की संख्या बढ़ती चली जा रही है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जो अब जिला परिषद् हुये हैं, उसकी संख्या बढ़ती चली जा रही है बिना किसी प्रतिबन्ध के तो फिर नगरपालिकाओं पर यह कोप क्यों है ? श्रीमन्, जनसंख्या बढ़ रही है और अगर अच्छे, ठीक भले आदमी चाहे वह ज्यादा हों, नगरपालिका में आ जाते हैं तो इससे प्रबन्ध और अच्छा ही होगा । इसलिये मैं यह सुझाव रखता हूं कि कम से कम यह चुनाव जो होने जा रहा है इसमें इस बार उतनी ही संख्या रखें जितनी कि पहले थी और अगर कम करने की बात हो तो उस पर गम्भीरता से विचार करने के बाद, उसे तौलने के बाद ही उन संख्याओं को घटाना चाहिये ।

एक बात कोआप्शन की है । जब मैं कहता हूं कि कोआप्ट किया जाय, नामिनेट किया जाय तो मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे इधर के भाई मुझे अप्रजातांत्रिक व्यक्ति न समझ बैठें । लेकिन मैं समझता हूं कि अप्रजातांत्रिक व्यक्ति तभी कोई आदमी हो सकता है जबकि सही माने में प्रजातंत्र के हितों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास उसके द्वारा किया जाय । मेरा जो सुझाव है वह यह है कि उन तत्वों को जो चुनाव में नहीं आ सकते या जो चुनाव के झंझटों में नहीं पड़ना चाहते या जो किसी वजह से नहीं आ सकते, उनका समावेश करने के लिये कोई व्यवस्था यहां होनी चाहिये । जिला परिषदों में ३–४–५ आदमियों को कोआप्ट किया जा सकता है, दस-दस आदमियों तक को कोआप्ट किया गया है, कुछ सदस्यों का नामिनेशन भी हुआ है । जब उक्त प्रक्रियाओं में वहां प्रजातांत्रिक भावना रही है तो अगर यहां उनका समावेश हो जायगा तो अप्रजातांत्रिक भावना कैसे होगी ? मैं कह देना चाहता हूं कि कुछ प्रतिबन्धों के साथ उनका समावेश होना चाहिये । जो सही माने में कलाकार हों, जो सही माने में सार्वजनिक कार्यकर्त्ता हों, जो सही माने में योग्यता रखते हुये भी न आ सकते हों, जैसे महिलाओं का आना बहुत मुश्किल है, नगरपालिकाओं में उनका प्रतिनिधित्व चुनाव के जरिये नहीं हो सकेगा, तो इस तरह का कोई प्रावीजन होना चाहिये जिससे इस में महिलायें भी आ जायं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया और मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे इन सुझावों पर विचार करेंगे ।

*श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि इतना कम समय होने के बावजूद भी आपने मुझे समय देने की कृपा की । श्रीमन्, मैं बाहरी बात तो नहीं करना चाहता लेकिन दो दिनों के अन्दर मुझे इस विधेयक को पढ़ने का मौका मिला और शुरू से आखिर तक इस विधेयक को पढ़ने के बाद मुझे इतनी निराशा हुई कि मैं समझता हूं कि ऐसे विधेयक को वेस्ट पेपर बास्केट में फेंक देना चाहिये । सबसे पहले मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस बात की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं कि कांस्टीट्यूशन के खिलाफ कोई भी कानून आप नहीं बना सकते । जब इस विधेयक की धारा १०२ की तरफ मेरा ध्यान जाता है तो मेरी समझ में नहीं आता कि यह सरकार कहां तक इस सदन को ले जाना चाहती है या जो एम० एल० एज को पावर है उसे गवर्नमेंट को देने जा रही है, यह कितनी गम्भीर बात है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कमला सिंह यादव]

आज गवर्नमेंट से या लेजिस्लेशन पावर से काम होता है। सदन को मौका मिलता है कि वह किसी विधेयक पर बहस करके उस पर अपनी स्वीकृति दे। गवर्नमेंट जो भी आर्डिनेंस जारी करती है वह ६ हफ्ते तक लागू रहता है। अगर उसके पहले सदन उस पर अपनी सील लगा दे तो वह खतम हो जाता है, लेकिन जब इस विधेयक को मैं देखता हूं तो धारा १०२ के अन्तर्गत सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि इस विधेयक के किसी सेक्शन को ऐक्ट के रूप में अमेंड करने के लिये आर्डर कर दे तो उसका इनफोर्समेंट १२ महीने तक रहेगा। यह देख कर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि गवर्नर से भी अगर यह सरकार डर गयी माननीया मुख्य मंत्री सुचेता जी के राज्य में, तो यह बहुत ही हास्यास्पद बात होगी। मैं समझता हूं कि अगर गवर्नर को भी सब कुछ करना है तो इस सदन की ही कोई जरूरत नहीं है। इससे तो मालूम होता है कि सरकार की नीयत ही ऐसी होती जाती है कि जो पब्लिक के नुमाइन्दे हैं उनको इस कार्य से बिलकुल अलग ही कर दिया जाय। माननीय कृष्णचन्द जी ने अभी अभी कहा कि पावर्स अगर किसी को देते हैं तो यह स्वाभाविक है। जब सरकार का इन्टेंशन ऐसा है और सरकार अपने हाथ में कानून बनाने, रूल्स बनाने और उनको संशोधन करने का अधिकार लेना चाहती है तो फिर इस सदन की जरूरत ही क्या है। अभी एक सदस्य ने बताया कि वहां पर जिन्दगी कम की जा रही है, अगर यही चीज इस तरह से जारी रही तो यह सदन भी किसी दिन खत्म हो जायगा, जो कुर्सी पर एक बार बैठ गया उसी की सरकार हमेशा बनी रहेगी और कम्युनिस्ट सरकार की तरह, एक डिक्टेटरशिप की तरह, माननीय झारखण्डे राय जी का असर उधर अधिक बढ़ रहा है और यह केवल नाममात्र को ही अपने को प्रजातन्त्र सरकार कहते हैं। हम चाहते हैं कि जो नुमाइन्दे जनता के हों वही यहां आयें और उन्हीं को प्राथमिकता दी जाय लेकिन चिराग तले अन्धेरा, वस्तुस्थिति यह है कि चीजें दूसरी होती हैं।

दूसरी जो कमेटी दोनों सदनों की बैठी थी उसके सामने यह चीज नहीं लाई गयी। बहुत सी बातें इस बिल में बैकवर्ड क्लासेज और शिड्यूल्ड कास्ट्स के बारे में कही गयी हैं कि उन की प्रगति का खयाल रखा गया है। लेकिन जब हम इस के सेक्शन ८५ को देखते हैं तो उसमें लिखा है, मंत्री जी का ध्यान भी इस ओर गया होगा। उस में लिखा है कि अगर स्वीपर ठीक काम नहीं करेगा, या अपने काम को छोड़ देगा तो उस के लिये अधिक पेनाल्टी रखी गई है, पहले २० रुपया जुर्माने की बात थी जो अब बढ़ाकर २५० रुपया कर दी गई है। मैं मंत्री जी का ध्यान संविधान की धारा १५ की तरफ दिलाऊंगा। उसमें लिखा है कि "धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के नाम पर कोई विभेद नहीं होगा।" मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि चूंकि मेहतर एक छोटा आदमी है और वह झाड़ का, सफाई का काम करता है, गन्दा काम करता है और छोटा आदमी है इसलिये आपने उस एक वर्ग के साथ संविधान की मंशा के खिलाफ अधिक सजा का प्राविजन किया है, आप उसको सख्त से सख्त सजा देना चाहते हैं। अगर वह रिजाइन करे या किसी तरह से भी काम से हटे तो आप उसको इतनी बड़ी सजा देना चाहते हैं, इससे गन्दी और बात क्या हो सकती है कि आप एक वर्ग को जो दबा हुआ है और दबाना चाहते हैं। अगर मंत्री जी चाहते हैं कि यह बिल संविधान की धारा १५ की जद में न आये जैसे कि इसी ऐक्ट में पहले एसेंशियल सर्विसेज के नाम पर पहले संशोधन किया गया था। जहां एसेंशियल सर्विसेज का नियम है वहां जो कठिनाइयों को दूर करने का अधिकार दिया है उस में लिखा है १०२-(१) में कि "राज्य सरकार, किन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजनार्थ विशेषकर मूल अधिनियम के उपबन्धों से इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम के उपबन्धों में संक्रमण करने के संबंध में आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि उपर्युक्त प्रकार से संशोधित मूल अधिनियम, इस अधिनियम के प्रचलित होने के पश्चात् अगले बारह महीने की अवधि में ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुये

चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, प्रभावी होगा, जिन्हें वह आवश्यक तथा इष्टकर समझे।" तो आप अगर मेहतर डिसओबिडिएंट हैं तो उसको आप कास्ट के नाम पर सजा नहीं दे सकते। तो इस तरह की पेनाल्टी जो धारा ८५ में है वह एक क्लास के लिये नहीं होना चाहिये।

दूसरे यह जो एक कौम को क्रश करने की भावना है अगर मंत्री जी देखें तो वह हर जगह काम कर रही है, नगरपालिका में, टाउन एरिया में, कार्पोरेशन में सब जगह आपत्ति हो रही है। आजकल आबादी सब जगह बढ़ रही है लेकिन कहीं भी आप देखें कि इन मेहतरों की संख्या बढ़ती जाती है, इन की आबादी बढ़ती जाती है, उन का न वेतन बढ़ता है, न रहने के लिये उन्हें जगह दी जाती है। मैं चाहता हूं कि अगर आप उनसे इतना आवश्यक काम लेते हैं जिसको कोई वर्ग करने को तैयार नहीं है तो आप उनको जिन्दगी की जरूरी सुविधायें दें, उनका वेतन बढ़ायें, उनको रहने के लिये स्थान दें और उनकी परिस्थिति पर ध्यान दें। अगर सरकार का ध्यान इस ओर जायगा तो हो सकता है कि उनको फेसिलिटीज मिलें और उनको रिलीफ मिल सकती है और जिस कानून के अन्तर्गत उनको क्रश करना चाहते हैं वह कुछ हद तक उसको बरदाश्त कर सकते हैं।

जहां तक मास्टर प्लान का सवाल है बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि यह काम कोर्ड के डिस्क्रीशनरी फंक्शन्स में रखा गया है जबकि इसको उसकी ड्यूटी में रखना चाहिये। क्योंकि जितनी कम्प्लेन्ट्स मैं सुन रहा हूं सब ने इंक्रोचमेंट की बात कही है। सबसे पहले ड्यूटी हर बोर्ड की होनी चाहिये, टाउन एरिया या कार्पोरेशन की होनी चाहिये कि पहले सर्वे हो जाना चाहिये और जो जो म्युनिसिपैलिटीज की जगहें हैं उन पर पत्थर लगा देने चाहिये ताकि हर एक को मालूम हो जाय कि इंक्रोचमेंट हुआ है या नहीं। अगर ऐसा हो जाय तो इंक्रोचमेंट नहीं होगा और यही ज्यादा उपयुक्त तरीका है।

दूसरी चीज यह है कि माननीय ब्रह्मदत्त मायर से आज पता लगा है कि एक कोई श्री गोहरा साहब हैं टाउन प्लानर, उनकी हरकत यह है कि कहते हैं इतना एरिया रिक्वीजीशन किया जायगा, लैंड ऐक्वीजीशन ऐक्ट में और इस परपज के लिये। नतीजा यह है कि बारगेनिंग हो रही है, लाखों रुपया इस तरह से पैदा कर रहे हैं। अगर मास्टर प्लान का यह हाल है तो इस तरफ मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये तभी कुछ सफलता हो सकती है अन्यथा नहीं। इसलिये मास्टर प्लान बहुत बढ़िया है, जो मकान बने हैं उनको रहने दें और जो नये मकान बन रहे हैं हर म्युनिसिपैलिटी में इसका ठीक से इंफोर्समेंट कर देना कि कोई मकान गलत न बनाये जांय।

इसके अलावा म्युनिसिपैलिटीज में ऐजूकेशन, मेडिकल, और रोड्स डिपार्टमेंट हैं। मैं देखता हूं कि बड़ी डिफिकल्टी होती है, कोई रोड मेंटेन नहीं कर पाता है, अस्पताल में दवाई नहीं रहती। इसलिये मैं चाहूंगा कि शिक्षा को शिक्षा विभाग को दे दें और अस्पताल को मेडिकल विभाग को दे दें और सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग को दे दें इससे बोर्ड का ऐड-मिनिस्ट्रेशन कुछ हद तक ठीक हो सकता है। एक सदस्य ने कहा कि एग्जीक्यूटिव अफसर को मैजिस्टीरियल पावर्स दे दीजिये। अगर सरकारी पक्ष से ऐसी चीज आवे तो मैं नहीं समझता कि यह कहां तक उचित होगा। इसका परिणाम बहुत बुरा होगा।

सेनीटरी इंस्पेक्टर्स तथा फूड अडल्ट्रेशन के बारे में लोगों ने कहा। मैं देखता हूं कि बहुत से सेनीटरी इंस्पेक्टर्स ईमानदार भी हैं और बेईमान भी हैं, और जो बेईमान हैं वह निहायत दर्जे के बेईमान हैं। पर अगर सरकार यह कर दे, जैसे तेल वगैरह है कि जहां पर मैन्यूफैक्चर होता है वहीं पर सेम्पिल वगैरह ले कर भेज दें तो फूड अडल्ट्रेशन बहुत हद तक कम हो जायगा। लेकिन होता क्या है कि मिक्स्ड तेल बनते हैं और पब्लिक में जब वह चीज आती है तो बेचने वाला छोटा दुकानदार फंसता है। इसलिये जहां लार्ज स्केल पर मैन्यूफैक्चर होता है वहां ऐसी चीज करने की कोशिश करें ताकि अडल्ट्रेशन की दिक्कत दर हो सके।

[श्री कमलासिंह यादव]

टैक्सेशन का जहां तक सवाल है मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि भूमि भवन-कर इसी सदन में आया और पास हुआ और म्युनिसपैलिटीज, टाउन एरियाज को भी टैक्स लगाने का अधिकार है तो अगर डबल टैक्सेशन होगा तो यह भी जनता पर अधिक भार पड़ेगा। एक भूमि भवन-कर और दूसरा स्थानीय निकाय टैक्स। एक सरकार का और दूसरा म्युनिसिपैलिटी का। तो ये गन्दी चीज है। म्युनिसिपल बोर्डों की दशा सुधारने के लिये टैक्सेशन की जो आइटम्स हैं उन पर सरकार का कोई टैक्सेशन नहीं होना चाहिये। बल्कि उनको पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिये कि वे उस पर लगा सकें। दूसरे म्युनिसिपल बोर्ड की जो दशा है उससे म्युनिसिपल बोर्डस की हालत गिरती जा रही है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि कम से कम वह रुपया जो आपने भूमि भवन-कर से लिया है उसे म्युनिसिपल बोर्ड को देने की कृपा करें ताकि उनकी दशा सुधर सके।

दूसरे इन्टरटेनमेंट का रुपया जो सरकार लेती है उसका कुछ हिस्सा अपने उस टाउन एरिया या म्युनिसिपल बोर्ड को परमानेन्टली अवश्य दें ताकि उनकी आर्थिक दशा में सुधार हो सके।

दूसरी बात जो है वह नजूल लैंड के बारे में बहुत से आक्षेप किये गये हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इलाहाबाद के नजूल लैन्ड की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उसके बारे में माननीय मंत्री जी सी० आई० डी० के द्वारा या किसी और के जरिए पता लगा लें कि किस प्रकार से वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने एस० डी० एम० से कहकर नजूल लैन्ड को अपने नाम से करा लो है और अब उस पर लाखों रुपये के मकानात बने हैं। सरकार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पर रिलाइन्स करती है तो मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस बात का पता लगा लें कि इलाहाबाद में जो नजूल लैंड है वह किस-किस अधिकारी को दिया गया। वे कौन अधिकारी हैं और किस-किस अधिकारी की रिकमेंडेशन पर दिया गया है। मुझे आशा है माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे।

इलेक्शन के बारे में यह देख रहा हूं कि एक बड़ी गलत प्रणाली इस प्रदेशीय सरकार और केन्द्रीय सरकार की ओर से करायी जा रही है। जो भीषण परिणाम गोंडा में हुए वे भी सब के सामने हैं। जो इलेक्शन होता है उसमें भी डिस्टिक्शन किया जाता है। कहीं पर अगर मेम्बर्स का इलेक्शन होगा तो मेम्बर्स पेटीशन करेगा लेकिन अगर वोटर करेगा तो कम से कम १० वोटर्स से कम नहीं होंगे। और अगर प्रेसीडेन्ट का इलेक्शन होता है तो उसमें सिर्फ एक वोटर करेगा। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से डिस्टिक्शन नहीं करना चाहिये। दूसरी चीज सिविल जज, एडीशनल जज की ट्राइब्युनल के रूप में नियुक्ति के संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सिविल जज को ट्राइब्युनल की पावर उस जगह दे रहे हैं जहां पर कोई डिस्ट्रिक्ट जज नहीं है। अगर कोई भी पैटीशन इलेक्शन का वह इन्टरटेन कर सकता है तो वह ट्रिब्युनल न करे। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि ट्राइब्युनल के एप्वांन्टमेंट में भी जहां ऐडीशनल जज हो वहां सरकार सतर्कता बरते।

इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना कहुंगा कि माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे और जब उन पर विचार करेंगे तो हम आइटमवाइज करेंगे।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)--

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल का महत्व इससे जाहिर होता है कि हमारे मंत्री महोदय को विरोधी दल की ओर से भी बधाई मिली है। यह बिल ४० वर्ष के बाद दुबारा पेश हो रहा है। वर्तमान बिल १९१६ में बना था। तब से बड़े परिवर्तन हो गये हैं। समय का तकाजा भी यह था कि इसमें परिवर्तन होने चाहिये थे। यह जो म्युनिसिपैलिटी बिल है सबसे पहले इसे लार्ड रिपन इसी ध्येय से लाये थे कि इस देश में स्थानीय स्वराज्य स्थापित हो। १८८० में म्युनिसिपैलिटीज बनाई गयीं थीं जिसके द्वारा हमको स्थानीय स्वराज्य मिला। वर्तमान

नगरपालिकाओं का ध्येय है कि समाज का स्वास्थ्य, शिक्षा, अस्पताल आदि की देखरेख वे कर। उनके लिये नगर की सीमा केभीतर सड़कें बनावे, रोशनी, पानी का प्रबन्ध करें। इसके अलावा सरकार को यह भी देखना होगा कि सभी नगर पालिकाओं के साथ एक सा व्यवहार न किया जाय और उन पर सख्ती के साथ जो नियम हैं वे लागू न किये जायं। कोटद्वारा एक छोटा सा कस्बा है। वहां नगरपालिका की उत्पत्ति कैसे हुई? सरकार ने हाथ जोड़ कर लोगों को बलाया और बसाया। वहां मलेरिया होता है। जमीन दे कर लोगों को बसाया गया। बड़ी यंत्रणा सह कर, बड़ी कठिनाइयों के बाद लोग वहां बसे। अगर सेक्शन १२८ और १२९ इन छोटी-छोटी नगरपालिकाओं पर भी लागू कर दिये जायेंगे तो उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा, इसलिये उनको उस मामले में छूट दी जाय। इसी तरह से हल्द्वानी और काठगोदाम की नगरपालिकायें हैं। उनको भी छूट मिलनी चाहिये।

नगरपालिकाओं में पागल कुत्ते और सांड़ घूमा करते हैं। उन पर नगरपालिकाओं को नियंत्रण रखना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी आप और बोलेंगे, इसलिये अगले दिन बोलियेगा।

प्रदेश की खाद्य स्थिति पर साप्ताहिक वक्तव्य

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

मेरा निवेदन है कि फूड पर डिबेट न हो कर गोंडा वाले मामले पर ही डिबेट हो।

श्री उपाध्यक्ष--

अकेले आपके कहने से ऐसा नहीं होगा।

एक सदस्य--

गोंडा में बड़ी भयंकर खाद्य की समस्या है, इसलिये खाद्य मंत्री का वक्तव्य होना नितान्त आवश्यक है।

श्री नौनिहालसिंह चौधरी (जिला इलाहाबाद)--

श्रीमन्, माननीय खाद्य मंत्री अपना वक्तव्य दे दें। इसके बाद और कार्यवाही शुरू हो।

*खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)--

उपाध्यक्ष महोदय, अतिवृष्टि के कारण सहारनपुर में २५ प्रतिशत ज्वार, बाजारा और मक्का की फसल नष्ट हो गई है। परन्तु स्थिति चिन्ताजनक नहीं है। खुले बाजारों में खाद्यान्न निम्नलिखित भाव पर स्वतंत्रता पूर्वक मिल रहा है--

१--गेहूं ८७.२५ रुपये प्रति क्वींटल, चना ७९ रुपये, मक्का, ६९.२५, चावल श्रेणी १, १०७.५०, और चावल श्रेणी २, ९७.५० रुपये। गेहूं और चावल कभी भी क्रमशः सहारनपुर जिले में ३८ और ४० रुपये प्रति ४० किलोग्राम की दर से नहीं बिका है।

बन्दरगाहों से विदेशी गेहूं की आमद में कमी होने के कारण राशन की मात्रा में कमी करनी पड़ी। सहानरपुर में भी इसी कारण से १६ अगस्त, १९६४ से सस्ते गल्ले की दुकानों से उभोक्ताओं को ३ किलोग्राम, प्रति यूनिट प्रति पखवारे के स्थान पर २ किलोग्राम दिया जा रहा है जिससे उपलब्ध स्टाक से सबको यथोचित गहूं दिया जा सके। स्टाक स्थिति ठीक होते ही पुरानी राशन की मात्रा दी जाने लगेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

सरकार के पास जो चावल का स्टाक है, उसे हर जिले की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये जिलों में बांटा जा रहा है। इस परिस्थिति में यह सम्भव नहीं है कि सहारनपुर के गोदामों में जो सरकार के पास चावल है, वह सब सहारनपुर में ही वितरण कर दिया जाय। खुले ब जारों में चावल की उपलब्धता बढ़ाने और उसके भाव को नीचे गिराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने १३ जुलाई, १९६४ से चावल पर से लेवी हटा ली है। इसलिये व्यापारियों के पास जो चावल है उस पर अब सरकार लेवी नहीं ले रही है।

यह कहना सत्य नहीं है कि अनाज की कमी की वजह से मजदूर बेकार हो गये हैं और सरकार अनाज न बांट कर लोगों को भुखमरी की तरफ ढकेल रही है। सरकार सस्ते गल्ले की दुकानों से अधिक से अधिक गल्ला बांटने के लिये प्रयत्नशील है। सहारनपुर में पंजाब से आटा काफी मात्रा में आने लगा है और वहां से मक्का भी आना शुरू हो गया है। खाद्य स्थिति सम्भल रही है।

*खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, लखनऊ में जारी किये गये राशन कार्डों के यूनिट आबादी की अपेक्षा अधिक हैं। अतः उनकी घर-घर जांच की व्यवस्था की गई है, ऐसा देखा गया कि जाली राशन कार्ड वाले लोग जांच के समय उपस्थित नहीं रहते और बाद में कार्ड खो जाने का बहाना कर डुप्लीकेट कार्ड बनाने के लिये प्रार्थना-पत्र देते हैं। अतः घर-घर जांच की व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिये यह आवश्यक हो गया है कि नये कार्डों के बनने पर प्रतिबन्ध रखा जाय। नये कार्ड बनना बंद नहीं हुये हैं बल्कि बड़ी जांच-पड़ताल के बाद बनाये जाते हैं। यह ध्यान रखा जाता है कि जिन लोगों को सचमुच आवश्यकता हो उनको कार्ड प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो। घर-घर जांच व्यवस्था समाप्त होते ही नये कार्डों के लिये प्राप्त आवेदन-पत्रों पर पुनः विचार किया जायगा और कार्ड बन जायेंगे। इलाहाबाद स्थित दोनों आटा मिलों को बन्दरगाहों से विदेशी गेहूं प्राप्त न हो सकने के कारण वहां के देहाती क्षेत्रों की सस्ते गल्ले की दुकानों पर केवल २७ अगस्त, १९६४ से आटा वितरण स्थगित करना पड़ा। अब कानपुर से २,००० बोरी आटा आयात किया जा चुका है। इलाहाबाद जिले के देहाती क्षेत्रों के भूमिहीनों और अति निर्धन व्यक्तियों की सूची बना ली गई है और उसे ग्राम सभापतियों और सस्ते गल्ले के दुकानदारों को वितरण कार्य तुरन्त आरम्भ करने के लिये दे दिया गया है। तहसील करछना और सोरांव की दुकानों पर पिछली बार क्रमशः २४ व २६ अगस्त को प्रत्येक दुकानदार को १५ बोरी आटा एक हफ्ते के लिये दिया गया था।

२७ अगस्त, १९६४ को इलाहाबाद मिलिंग कम्पनी के लिये बन्दरगाह से १० बैगन विदेशी गेहूं भेजा जा चुका है। दूसरी प्रयाग रोलर फ्लावर मिल को शीघ्र से शीघ्र गेहूं भेजने के लिये केन्द्रीय सरकार को २८ अगस्त को तार द्वारा लिखा जा चुका है। आशा की जाती है कि इलाहाबाद जिले में आटा की पूर्ति में शीघ्र ही सुधार हो जायगा।

यह सही है कि फतेहपुर के खागा, किशुनपुर और जहानाबाद टाउन एरिया में शहरी क्षेत्रों की भांति राशन कार्ड पर गल्ला दिया जाता था परन्तु जैसा कि बताया जा चुका है कि केन्द्रीय सरकार ने प्रदेश के विदेशी गेहूं के कोटे में भारी कटौती कर दी है, इस कारण सभी लोगों को पूर्ववत् राशन देना संभव नहीं होगा। फतेहपुर की उक्त तीनों टाउन एरिया कृषि प्रधान क्षेत्र हैं और उनकी आबादी निम्न प्रकार है :

खागा	..	..	..	४,२४४
किशुनपुर	..	..	..	३,३५०
जहानाबाद	..	..	..	८,५४०

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यहां के अधिकांश लोगों के पास खेती है या वे गल्ले के बड़े व्यापारी हैं। यहां जिले की प्रमुख गल्ला मंडियां भी हैं। अतः जिला खाद्य सलाहकार समिति ने अपने १६ अगस्त, १९६४ की बैठक में सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पास किया कि उक्त तीनों टाउन एरिया में देहाती क्षेत्रों की भांति ही गल्ला वितरण किया जाय। अतः १ सितम्बर, १९६४ से केवल उन्हीं लोगों के कार्ड पुनः प्रमाणित किये गये हैं जो भूमिहीन और अति निर्धन हैं।

इस नई स्कीम के विरुद्ध सिवा किशुनपुर के और किसी जगह से आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुये। किशुनपुर के लोगों ने भी केवल कार्डों के पुनः प्रमाणित करने में उदारता दिखाने की मांग की थी। उन्हें जिला खाद्य सलाहकार समिति के निर्णय से अवगत करा दिया गया और वे सन्तुष्ट प्रतीत हुये। कार्डों के पुनः प्रमाणित करते समय यह ध्यान रखा गया है कि कोई वास्तविक जरूरतमन्द व्यक्ति छूट न जाय। सरकारी सस्ते गल्ले की उपलब्धता को देखते हुये जिला खाद्य सलाहकार समिति का उक्त निर्णय न्याय संगत जान पड़ता है।

उक्त तीनों टाउन एरिया में न तो कोई भूखा मरा है और न भुखमरी की स्थिति ही है। सभी पुराने कार्ड ३१ अगस्त, १९६४ तक मान्य थे और उन पर गल्ला दिया गया।

प्रदेश की खाद्य स्थिति कठिन बनी हुई है और खाद्यान्नों के भाव खुले बाजार में अब भी ऊंचे हैं। जनता सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से पूरा लाभ उठा रही है। इन दुकानों पर गल्ला बिना किसी कठिनाई के मिलता है और राशन की निश्चित मात्रा आसानी से मिल जाती है....

(इस समय ४ बजकर १० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

सरकारी गोदामों में खाद्यान्नों के स्टाक की स्थिति में भी सुधार हुआ है। सरकार सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा ज्यादा से ज्यादा गल्ला वितरण करने का प्रयास कर रही है। प्रदेश में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा देहाती क्षेत्रों में सस्ते गल्ले की दुकानों की संख्या अधिक है और यहां गल्ला गरीब जनता को आवश्यकतानुसार बराबर दिया जा रहा है। यह सही नहीं है कि लोग भूख से मर रहे हैं या भुखमरी की स्थिति है। एन्टी होर्डिग आर्डर के अन्तर्गत अभी हाल में देवरिया जिले में कुछ गल्ला पकड़ा गया है। इसका परिणाम अन्य व्यापारियों पर अच्छा पड़ा है और आशा की जाती है कि जखीरेबाजी कम हो जायगी। खरीफ की फसल आ जाने पर आशा की जाती है कि यहां के बाजारों में खाद्यान्नों के भावों में कमी होगी।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि खाद्य समस्या के समाधान के लिये, संकट के निवारण के लिये सरकार ने जो एंटी होर्डिग आर्डर पास किया था इस आशा से कि उससे गल्ला निकलेगा, जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और दिल्ली की सरकारों ने अनाज निकलवाया है, वैसे ही कोई कार्यवाही क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी की है? यदि हां, तो उससे कितना गल्ला प्राप्त हुआ है और खाद्यान्न के भाव कितने नीचे गिरे हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैं पिछले सप्ताह आपको बता चुका था कि रायबरेली और देहरादून में कुछ गल्ला पकड़ा गया है। इलाहाबाद में भी आपने अखबार में देखा होगा कि वह उन्होंने स्वयं देहातवालों में वितरित कर दिया। देवरिया में भी ऐसा ही हुआ, तो जब मेरे को तमाम जिलों से इत्तला प्राप्त हो जायगी, मैं दे सकूंगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि क्या कारण है कि गल्ले की महंगाई बढ़ती जा रही है? दाल और जौ आदि के भाव भी क्यों बढ़ गये ह?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जिस समय एन्टी होर्डिग आर्डर पास हुये थे उस समय भाव ३, ४ रुपये नीचे गिरे थे, लेकिन फिर ऊपर चढ़ना शुरू हो गये और उसका कारण मेरी समझ में यह आया कि इस बीच में कहीं बारिश बहुत ज्यादा हो गयी और कहीं सूखा पड़ गया और इससे काश्तकार ने अपना अनाज निकाला नहीं यह सोच कर कि पता नहीं आगे कैसी फसल हो। मैं समझता हूं कि इस बार पानी बरसने से यह प्रतिक्रिया होगी कि माल बाहर आयेगा और भाव गिरेंगे।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

मंत्री जी सदन में ५ बातें हर बार कहते हैं कि बन्दरगाहों से गल्ला नहीं आया, साधनों की कमी है या भुखमरी कहीं भी नहीं है। तो वे जानबूझ कर ऐसी बाते कहते हैं और आज ७० लाख टन गल्ला उत्तर प्रदेश के जखीरेबाजों के पास मौजूद है, उसे निकलवाने के लिये उन्होंने क्या व्यवस्था की है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अध्यक्ष महोदय, अगर मेरे स्वीकार कर लेने से जो भूख से मर गये हैं वापस लौट आयेंगे तो मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन अगर वह लौट नहीं सकते तो झूठी बात को कैसे हां कर दूं।

(व्यवधान)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

यह हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। यह क्या जवाब है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैं अर्ज कर रहा था कि जितना गल्ला हमारे पास है, केन्द्र से मिलता है मुख्य मंत्री जी पंजाब से लिखकर मंगा पाये हैं और दूसरे प्रदेशों से भी लिखा-पढ़ी कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा कि ७० लाख टन जमा है, उसका उत्तर दे दीजिये।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

उसका जवाब यह है कि आपका ऐन्टी होर्डिग आर्डर पास हो गया। उसके बाद एक हफ्ते तक कोई व्यापारी १०० क्विन्टल गल्ला रख सकता है। उसके ऊपर किसी भी दूकानदार के पास गल्ला नहीं है और अगर यह मान भी लिया जाय कि १०० क्विन्टल हर दूकानदार से ले कर हम जमा कर दें तो वह केवल एक महीने तक चलेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय राधेश्याम जी, आपने सवाल किया, अगर उत्तर गलत समझते हैं तो फिर आपको मौका देंगे सवाल करने का, बीच में न रोकिये।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अगर मान लीजिये सब बाजार में कब्जा कर लें तो ७०,००० टन मुश्किल से मिलेगा जो कि १५ दिन के लिये भी काम नहीं आयेगा, लेकिन हमें सारे साल भर को खिलाने की जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि हमने सारा माल जब्त कर लिया तो हमारी जिम्मेदारी हो गयी और इस तरह से टोटल राशनिंग आ जायगा।

श्री राधेश्याम शर्मा—

हमारे सवाल का अनर्थ कर दिया। मेरा निश्चित मत है कि ७० लाख टन गल्ला जखोरेबाजों ने बन्द कर रखा है, उसको तो आपको हवा भी नहीं लगी है, उसको निकलवाने के लिये आपकी सरकार क्या कर रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मेरे पास अगर लिस्ट भेज देंगे तो मैं कार्यवाही करूंगा।

श्री उग्रसेन—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो सहारनपुरी चावल नम्बर २ तात्कालिक खाद्य आयुक्त ने गड़बड़ी करके गुजरात, कलकत्ता, बम्बई भेज दिया और ८५ रुपये पर बेकवा दिया, उससे जो भुखमरी पैदा हो गयी, उसकी जांच उन्होंने की ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां, जांच की है। ३ साल पहले की बात है जबकि कंट्रोल भाव और बाजार भाव में कोई अन्तर नहीं था। उस वक्त कुछ चावल पुराना हो गया था, उसको निकलवाना जरूरी था, इसलिये निकाला गया और वह हमारे कंट्रोल भाव से ऊंचे पर बिका।

श्री रघुवीरसिंह (जिला एटा)—

खरीफ की फसल उनकी सूचना के अनुसार पिछले साल से कितने फीसदी कम है, यह माननीय मंत्री जी बतायगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

फीसदी तो मालूम नहीं, लेकिन १६ लाख टन कम हुई है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

यह जो प्रदेश की सूची दी गयी है यह कौन-सी तारीख की है और किस मार्केट की ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह तो सहारनपुर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने भेजी है और आपने जो परसों सवाल दिया उसका जवाब हाल ही में आया है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या मंत्री जी साहरनपुर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के झूठ को खुलवाने के लिये किसी और व्यक्ति द्वारा तुरन्त वहां से फिर जांच करवायेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जब जांच करवायेंगे तो तारीख बदल जायगी।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

मेरा प्रश्न था कि कितनी इलाहाबाद की दूकानें पिछली २७ तारीख से बन्द हैं ? यह दूसरा सप्ताह चल रहा है और वक्तव्य से यह भी स्पष्ट नहीं होता कि कब अनाज मिलेगा। कहा गया है कि बन्दरगाह से भेजा जा रहा है, फिर मिलों में पहुंचेगा, फिर आटा बनेगा तब आयेगा लेकिन मेरे क्षेत्र में भुखमरी है। क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि वहां तत्काल आटा पहुंचे और देहात को जनता की दूकानें खुलें, नहीं तो कानपुर से मंगाये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

२६ तारीख को आटा बांटा गया १५-१५ बोरी और २ हजार बोरी चली गयी हैं, २ हजार रखी हुई है, उठाने वाले हैं।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

आपने बताया कि सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों से बहुत आसानी से गेहूं मिलता है, लेकिन अपना कटु अनुभव तो यह है कि इतना लम्बा-चौड़ा क्यू लगता है कि एक रुपये का आटा खरीदने के लिये काफी समय खड़ा रहना पड़ता है। सारा दिन खड़े रहते हैं और उनको आटा नहीं मिल पाता तो क्या आप ऐसी व्यवस्था करेंगे कि ऐसे छोटे-छोटे किसानों को जो एक-एक रुपये का आटा खरीदते हैं और जिसके लिये उनको सारा सारा दिन खड़े रहना पड़ता है उनको आसानी से एक या डेढ़ घंटे में सामान मिल जाय ? उनको मजबूरन मार्केट में खड़े रहना पड़ता है। उनका सारा दिन बरबाद हो जाता है।

श्री अध्यक्ष—

यह बहस का समय नहीं। कृपया आप जो प्रश्न करना चाहते हों, उसे कर लें।

श्री श्यामलाल—

तो मेरा प्रश्न यह है कि यह जो एक रुपये का एक सेर आटा बिक रहा है, उसके भाव में गिरावट के लिये कौन से सक्रिय कदम उठाने जा रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

माननीय सदस्य के पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि देहाती क्षेत्रों में परिचय-पत्र बनाये जा रहे हैं, सूचियां बन रही हैं। उसी हिसाब से लोग आयेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। उसके लिये अलग-अलग व्यवस्था कर दी गई है।

श्री नौनिहालसिंह चौधरी —

इलाहाबाद के चायल क्षेत्र में २०-२५ रोज गल्ला नहीं भेजा गया जिस कारण वहां के लोग बहुत परेशान हैं। क्या माननीय मंत्री जी इसकी कुछ व्यवस्था करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैंने फ़ाइडे को फोन कराया है। दो हजार बोरे सामान उनको दे दिया गया और अब और दिया जा रहा है।

श्री नौनिहालसिंह चौधरी—

श्रीमन, मैं वहां का रिप्रेजेन्टेटिव हूं। मैं अपनी जानकारी से कहता हूं कि अभी परसों की बात है, हजारों आदमी मुझको मिले। वहां १६-१७ दूकानों में गल्ला नहीं आ रहा है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

मैं अभी जौनपुर से आया हूं। जिलाधीश ने वहां पर १५६ अथौराइज्ड शाप्स को कट करके १०५ कर दिया है जिसकी वहज से परेशानी बढ़ गई है। खुले बाजार में एक रुपये का १४ छंटाक गेहूं और ८ छंटाक की दाल बिक रही है। ऐसी विषम परिस्थिति जो पैदा हो गई है, उसको रोकने के लिये मंत्री जी क्या करने जा रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

इस संबंध में मैं पहले कह चुका हूं कि गोरखपुर, बनारस, इनको मैंने ज्यादा दिया है क्योंकि इनकी ज्यादा शिकायत थी। पूर्वी जिले वाले हल्ला ज्यादा मचाते हैं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी हल्ला की बात नहीं है। जिनको तकलीफ हो, हमें उनको सुनना है। माननीय केशरी प्रसाद जी का प्रश्न यह है कि जौनपुर में १५६ दूकानें थीं और अब १०५ कर दी गईं। यानी ५१ तोड़ दी गईं नं० एक। नं० २, वह कहते हैं कि बाजार भाव इतना ऊंचा है कि एक रुपये का १४ छटांक गेहूं और ८ छंटाक दाल मिल रही है।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि जहां तक जरूरत है भाव को दबाया जाता है--बाई सप्लाई। जितनी ज्यादा सप्लाई की मात्रा कर सकते हैं, वह कर रहे हैं। जहां तक दूकानें घटने का मामला है, यह तो वहां की खाद्य समिति ने अपने जिले के अन्तर्गत किया होगा। जहां तक सामान न पहुंचने का प्रश्न है, मैंने तो बन्द नहीं किया, अपने आप किसी कारण बन्द होगा।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

बनारस मंडल में विभिन्न जिलाधीशों ने हिसाब लगाकर कमिश्नर को दिया कि इतना गल्ला चाहिये। तो मंत्री जी ने फी आदमी के पीछे १ सेर महीना से ज्यादा क्यों नहीं किया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

१,६०,००० टन गल्ला जो हमारे पास आया वह सब बांट दिया। जौनपुर के लिये सुबह ही माननीय भानुप्रतापसिंह जी ने सवाल किया था कि मांग १ हजार टन की आई और आपने २ हजार क्यों दे दिया, पक्षपात किया। कोशिश करने के बावजूद भी अगर कमी रह जाती है तो सिवाय अफसोस जाहिर करने के और क्या कर सकते हैं।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय खाद्य मंत्री ने जितना गल्ला देने का वायदा किया था वह सब दे दिया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

उन्होंने १,०५,००० टन देने का वादा किया था जो दिया।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--

क्या १,०५,००० टन में केन्द्रीय सरकार कुछ कमी करने की सोच रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

ऐसा मालूम हुआ है २५,००० टन जो प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री के प्रयत्नों से पंजाब से मिला है उसे शायद केन्द्रीय सरकार हमारे कोटे से काटने का विचार कर रही है।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

क्या सरकार खाद्यान्न की कमी को देखते हुये उत्तर प्रदेश में आलू के कोल्ड स्टोरेज को एक्वायर करके सस्ता बिकवाने की कृपा करेगी ताकि लोग आलू उबाल कर खाकर जीवित रह सकें ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

हमने सभी चीज पर कि वेयर हाउसेज में कितना है, विचार कर लिया है। जो कार्यवाही मुनासिब हो सकती है वह कर रहे हैं।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि प्लानिंग से २ करोड़ रुपया निकाल कर नयी फसल में गल्ले की खरीद पर लगा दिया जाय जिससे सबसिडाइज्ड गल्ला ३, ३।। सेर का जनता को मिल सके और होर्डेड गल्ला बाहर निकले ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

आगे का भी सोचना है कि कैसे गल्ला मिले। तो प्लानिंग और उसका कहां संबंध आवेगा, यह भी सोचना है।

श्री नवलकिशोर--

क्या प्रदेशीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कोई प्रोटेस्ट की है कि वह हमारा कोटा कम न करे और उनसे साफ साफ कह दिया है कि कटौती होने पर हम नहीं सम्भाल पावेंगे ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--

हाल में यह खबर आई थी कि केन्द्रीय सरकार हमारे कोटे में कटौती करने की सोच रही है, तो उससे हम बहुत चिन्तित हुये। पहले ही हमको कम मिल रहा है। सुनते ही मैंने प्रधान मंत्री को फोन किया और तार भेजा और फूड मिनिस्टर को भी तार भेजा। यह प्रोटेस्ट किया कि अगर कोई कटौती की गई तो हमारे लये सिचुएशन को संभालना मुश्किल हो जायगा।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)--

यह माननीया सुचेता जी की सरकार ऐन्टी होर्डिग कानून को कब से लागू करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

उसी दिन से लागू हो गया और उस पर कार्य भी हो रहा है।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)--

जो प्रोटेस्ट केन्द्र को भेजा उसका क्या जवाब आया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

दो दिन पहले ही भेजा था। अभी जवाब नहीं आया है।

गोंडा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में हुए निर्वाचन के संबंध में चुनाव ट्रिब्यूनल के निर्णय के विषय पर होने वाली चर्चा पर आपत्ति

श्री अध्यक्ष--

अब गोंडा लोक सभा निर्वाचन-क्षेत्र में हुये निर्वाचन के संबंध में.....

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

श्री निगम को और जो ५, ६ और अफसर हैं उन्हें ससपेन्ड किया या नहीं, माननीय मुख्य मंत्री जी बतान की कृपा करें ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

जजमेन्ट में जो स्ट्रिक्चर्स हैं उन्हीं के बेसिस पर उन्हें ससपेन्ड कर दिया है। दूसरे अफसरों के केसेज की जांच हो रही है। अगर उनका भी केस बनता है तो उनके भी ससपेन्शन आर्डर्स जारी होंगे।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है कि....

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

सदन में कोई कार्यवाही इस समय पेश नहीं है, तो यह काहे पर प्वाइंट आफ आर्डर उठा रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—

जो आइटम १३ मैंने कहा है उस पर वह कह रहे हैं।

श्री नवलकिशोर—

उसके डिसकशन पर मेरी वैधानिक आपत्ति है कि....

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

मैंने एक प्रस्ताव रखा है, अभी दे आया हूं कि ३१५ के अन्दर २८९ निलम्बित रखा जाय इस चर्चा के सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष—

माननीय दीपनारायण जी, आपका जो प्रस्ताव है उसका मतलब यह है कि २८९ का खंड (२) इस बहस में बाधक हो रहा है इसलिए उसको निलम्बित किया जाय।

श्री दीपनारायणसिंह—

स्वतंत्रतापूर्वक बहस में बाधक हो सकता है और तरीके की बहस में नहीं।

श्री नवलकिशोर—

मेरा प्रस्ताव यह है कि आज की बदली हुई वस्तुस्थिति में जबकि इस जजमेंट के खिलाफ जो कि गोंडा के चुनाव के सम्बन्ध में है, अपील दायर हो गई है और यह मसला सब-जूडिस है, वह अपील हाईकोर्ट की एक बेंच ने ऐडमिट कर ली और उसकी नोटिस ....

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मैं आपसे सूचना चाहता हूं कि किस हैसियत से आदरणीय सदन को यह सूचना नवलकिशोर जी दे रहे हैं, पैरोकार हैं या लीगल ऐडवाइजर हैं, किस हैसियत से यह सूचना वह दे रहे हैं? उनको यह हक नहीं है। रामरतन गुप्ता से इनका क्या सम्बन्ध है?

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपको नहीं बुलाया है। माननीय नवलकिशोर जी बोल रहे हैं, आप बिलकुल गलत बात कर रहे हैं ...। (शोर)....

श्री अध्यक्ष—

अगर सदन इस कार्यवाही को चलाना चाहता है तो सदन का कर्त्तव्य यह है कि खामोश बैठे। जो बोलना चाहते हैं वह बोलें और उनकी बात सुनी जाय। और अगर आप सुनना नहीं

[श्री अध्यक्ष]

चाहते तो मजबूरी है। माननीय नवलकिशोर जी बोल रहे हैं, वह सुन लें और फिर उत्तर दें। मगर बीच में बोलना उचित नहीं है।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है। (व्यवधान) इस बीच में माननीय काशीनाथजी ने जिन अनुचित शब्दों का प्रयोग किया है वह शब्द प्रोसीडिंग्स से निकलवा दिये जायं।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कह दिया कि वह अनियमित है और वह प्रोसीडिंग्स म नहीं आयेगा।... (शोर) आप लोग शान्त रहें। अगर बहस करना चाह तो करिये और अगर नहीं करना चाहते हैं तो मजबूरी है। इस तरह से कोलाहल में बहस नहीं हो सकती।

श्री नवलकिशोर—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था, मेरे साथी जोश में आ गये। (व्यवधान) मैं यह अर्ज कर रहा था कि क्योंकि यह मसला सबजूडिस है इसलिये यह सदन इसके ऊपर बहस नहीं कर सकता। मेरी इत्तिला यह है कि इस जजमेंट के खिलाफ एक अपील दायर हो गई है। वह ऐडमिट भी हो गई है। उसकी नोटिस श्री डांडेकर के वकील को भी दे दी गई है और दोनों पार्टीज हाईकोर्ट के सामने हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने स्वयं अपने कुछ नियम बनाये हैं जो हमारे ऊपर लागू हैं। उससे हम बंधे हुए ह। नियम ६० आप देखें (व्यवधान)....

श्री काशीनाथ मिश्र—

केशवसिंह वाले केस में नियम कहां था ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय काशीनाथ जी, या तो आप एक मर्तबा बोल लीजिये जो कुछ आपको बोलना हो। (व्यवधान) आप क्यों परेशान होते हैं, आपको समय मिलेगा।

एक सदस्य—

५ बजे के बाद समय बढ़ा दीजियेगा।

श्री अध्यक्ष—

समय बढ़ा हुआ है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

जब तक यह सदन सब के विचार न सुन ले तब तक सदन चलता रहे, यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष—

ऐसी बात न करिये। ऐसा रूल नहीं होता है। रूल यह है कि निश्चित समय के लिये सदन का समय बढ़ता है, इस तरह का प्रस्ताव ही हो सकता है।

श्री नवलकिशोर—

नियम ६० इस प्रकार है—

"न्यायाधिकरण आयोग आदि के विचाराधीन विषयों पर चर्चा के लिये प्रस्ताव—साधारणतया ऐसे प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी जायगी जो किसी ऐसे विषय पर चर्चा उठाने के लिए हों जो किसी न्यायिक या अर्द्ध–न्यायिक कृत्य करने वाले किसी संविहित न्यायाधिकरण या संविहित प्राधिकारी के या किसी विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिये नियुक्त

किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने लम्बित हों" इसके बाद मान्यवर, नियम ९३(५) को आप देखें। ये हैं संकल्प की ग्राह्यता की शर्तें। इसमें लिखा है—"उसका किसी ऐसे विषय से सम्बन्ध नहीं होगा, जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय-निर्णय के अन्तर्गत हो।" यदि किसी न्यायालय के सामने कोई प्रश्न उपस्थित है तो उस पर बहस न होगी। उसके बाद मैं नियम ९५ पढ़ना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री नवलकिशोर—

उसके बाद नियम १०८ (७) को देख लिया जाय, फिर नियम २८५ (२) देखा जाय। इसी प्रकार से प्रश्नों के सम्बन्ध में नियम २९(८) को देखा जाय। इसमें आप देखेंग कि प्रश्न या मोशन या चर्चा उस विषय के सम्बन्ध में न हो सकेगी जो विषय न्यायालय में विचाराधीन होगा। मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस की १६ वीं एडीशन के पेज ३५९ को देख।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

आपने पिछली बार यह कहा था कि इस पर बहस हो सकती है, अदालत हमें उसके लिये नहीं रोक सकती, कोई कारण नहीं हो सकता। इसलिये श्रीमन्, इस प्रकार से प्वाइंट आफ आर्डर उठाकर समय नष्ट न किया जाय। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि जो बात आप कह चुके हैं उस पर आप दृढ़ रहें और उसको वापस न करें। इन व्यवस्थाओं से काम चलने वाला नहीं है। न्याय अपनी जगह पर होगा। अन्याय की व्यवस्थाओं के कारण स्थिति नहीं बदली जा सकती।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मैं माननीय नवलकिशोर से उनकी सूचना का आधार जानना चाहता हूं।

श्री नवलकिशोर—

अध्यक्ष महोदय ने यह नहीं कहा कि कुछ भी हो, लेकिन बहस हो सकती है। मैं नम्रता से दो बातें कहना चाहता हूं। जहां तक मेरी याददाश्त है, आपने यह कहा था कि कोई अदालत हमारी बहस को नहीं रोक सकती। सही बात है। अदालत हमारी किसी बहस को रोक नहीं सकती है, लेकिन हमारे भी तो कुछ नियम बने हुए हैं। उन नियमों से यह सदन जितना बंधा हुआ है उतने अध्यक्ष महोदय भी बंधे हुये हैं। इसलिये मैं आपका ध्यान नियमों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री काशीनाथमिश्र—

यह सदन का अपमान है। एक व्यवस्था के बाद दूसरी व्यवस्था नही हो सकती।

श्री नौनिहालसिंह चौधरी (जिला इलाहाबाद)—

हम लोगों को यह मालूम है कि हाईकोर्ट में अपील हो जाने से यहां पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती, लेकिन आपने यह आश्वासन दिया था कि हाईकोर्ट में अपील हो जाये तब भी हम यहां पर बहस कर सकते हैं। आपने यह आश्वासन दिया था।

श्री अध्यक्ष—

आप ठीक कहते हैं, आप बैठें। मैं आपके सामने जो कार्यवाही हुई है, उसको पढ़कर सुनाये देता हूं, ताकि सदन को यह मालूम हो जाये कि मने क्या कहा है? म प्रोसीडिंग्स रहा हूं।

श्री नेकराम शर्मा--

आप पहले न पढ़ें । नवलकिशोर जी पहले यह बता दें कि जो वह कहते हैं कि अपील हुई है, तो क्या श्री रामरतन गुप्ता ने या उनके वकील ने ऐसा लिखकर भेजा है। समाचार पत्रों के आधार पर इस सदन में आपने मेरे और श्री जड० ए० अहमद के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था, इसलिये जब तक सदन को यह पता न लग जाये कि अपील हो रही है तब तक यह प्वाइंट आफ आर्डर उठ ही नहीं सकता ।

श्री अध्यक्ष--

वह तो मेरे पास मौजूद है । माननीय भानु प्रताप सिंह जी ने मुझसे पूछा था, तो मैंने श्री कन्हैया लाल मिश्र से कहा और उन्होंने मुझे अपील की कापी भेज दी है । आप पहले नवल किशोर जी के प्वाइंट आफ आर्डर को सुन लें । सूरत इस समय यह है कि एक तो श्री नौनिहाल सिंह जी ने कहा कि मैंने यह कहा कि हर हालत में बहस होगी, ऐसी मेरी व्यवस्था हो चुकी है, उस सम्बन्ध में मैं उस उद्धरण को पढ़ देना चाहता हूं । आप कृपा करके खामोश रहें ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

पहले आप सबको सुन लीजिये तब पढ़ियें ।

श्री अध्यक्ष---

तो आप बीच में न रोकिये ।

श्री नवलकिशोर---

मैंने स्वयं उस अपील को पढ़ा है । मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पेज ३५९ के नम्बर ६ पर देख, जिसमें लिखा हुआ है कि कौन से सवाल लिये जायेंगे। उस पर नम्बर ६ म इस प्रकार है :

Examples of inadmissible questions

'Reflecting on the decision of a court of law, or being likely to prejudice a case which is under trial (*k*) including a case tried by court-martial before confirmation (1).

The speaker has ruled privately the questions relating to a sentance passed by a judge, and to the circumstances under which rules of court were made and issued by the Lord Chancellor, were inadmissible.'

श्री राधेश्याम (जिला मथुरा)---

यह तो सिद्धांत की बात है कि कोई भी अदालत में जब मुकदमा होता है, तो उस पर बहस नहीं होती है, तो इस पर माननीय नवल किशोर जी हमें क्या पढ़कर बता रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---

कहिये तो मैं हाथ उठाकर पूछ लूं कि अदालत में मुकदमा चला गया है तो उस पर बहस हो सकती है या नहीं ।

श्री दीपनारायणसिंह---

फिर आपकी रूलिंग का क्या होगा? हाईकोर्ट के जजेज के ऊपर उनके निर्णय के ऊपर माननीय नवलकिशोर जी हमला कर रहे थे तब यह नियम और मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस कहां चली गई थी ?

श्री अध्यक्ष---

आप वकील होकर यह प्रश्न कर रहे हैं।

श्री नवलकिशोर--

माननीय दीपनारायण सिंह जी जो बात कह रहे हैं, जो स्टैन्ड मेरा उस समय था, वही आज भी है, और मुझे खुशी है कि वही स्टैन्ड माननीय दीप नारायण सिंह जी का भी था, अब बदल गया हो तो नहीं कह सकता।

श्री काशीनाथ मिश्र--

आप नवलकिशोर जी का समय बांध दें ।

श्री अध्यक्ष--

आप खामोश रहें तो वह ५ मिनट में समाप्त कर देंगे ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

मैं एक शब्द में निवेदन करना चाहता हूं ।

[* * *]

श्री अध्यक्ष--

आपकी यह सब बातें असंसदीय हैं।

श्री मैनेजरसिंह--

उसके विरोध में मैं सदन से जा रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष--

आप जाइये ।

(श्री मैनेजर सिंह सदन छोड़ कर चले गये ।)

श्री नवलकिशोर--

मान्यवर, मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पेज ४०० पर दिया हुआ है--

"*Matters pending judicial decisions*—A matter, whilst underadjudication by a court of law, should not be brought before the House by a motion or otherwise. This rule does not apply to bills."

(व्यवधान)

इसके माने यह हैं कि कोई ऐसा मामला जो किसी न्यायालय के विचाराधीन हो उसके ऊपर सदन में कोई चर्चा नहीं की जा सकती । इसके बाद उसी के पेज ४५७ पर है, उसका जो फुट नोट (D) है उसको मैं पढ़ देता हूं :--

"See also the speaker's remarks in ruling out of order the discussion of allegations of bribery and corruption at an election before the expiration of the period during which an election petition could be lodged.—A matter decided to a court but open to appeal is not subjudice unless notice of appeal has been given."

(व्यवधान)

इसके माने [illegible] क अगर अपील न हुई हो....

[***] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार हटा दिया गया ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

श्रीमन्, आप तो एक प्रकार से नवल किशोर जी को प्रोत्साहित करते जा रहे हैं। कभी आप उनसे अंग्रेजी पढ़वाते हैं, फिर उसकी हिन्दी करने के लिये उनसे कहते हैं। माननीय नवलकिशोर जी इतने योग्य हैं कि वे स्वयं हिन्दी अनुवाद करते जायेंगे, अंग्रेजी में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री नवलकिशोर--

मैं यह अर्ज कर रहा था कि अगर जजमेंट के बाद अपील न हुई हो, वह मामला तब तक सबजुडिस नहीं है जब तक कि अपील का नोटिस न आ जाय। इस मामले में चूंकि अपील का नोटिस मिल गया है इसलिये यह मामला सबजुडिस हो गया । हमारे पार्लियामेंट के अन्दर भी लोक सभा के स्पीकर्स द्वारा दिये गये निर्णयों का संकलन जो १९५१ से १९५७ तक का है उसके निर्णय संख्या १४ में भी यह दिया हुआ है कि "अगर कोई मामला न्यायालय के सामने हो तो सदन उसके ऊपर बहस नहीं कर सकता ।"

(व्यवधान)

श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, अगर आप नवल किशोर जी को एक घंटे का समय देना चाहते हैं तो मैं कहता हूं कि आप उनको एक घंटा दे दें, लेकिन सब्र की भी कोई इन्तहा होती है । इस पर बहस करने के लिये सीमित वक्त है और आप उनको असीमित टाइम दे रहे हैं। यह प्वाइंट आफ आर्डर पर बहस हो रही है और लोग घबड़ा रहे हैं, और आप उनको एलाउ करते जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

मैंने उनको ५ मिनट का समय दिया है, अगर बीच में आप लोग न बोलें और उनको चुपचाप सुनें।

श्री नवलकिशोर--

मैंने मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस से आपको बतलाया तथा और भी जो दूसरे कामन वेल्थ कंट्रीज हैं उनके यहां की जो विधान सभायें हैं या और हमारे यहां से प्रान्तों की विधान सभायें हैं उन सब के यहां इसी तरह के रूल्स बने हुए हैं जिनके अन्तर्गत यदि कोई मसला न्यायालय के सामने हो तो उस सम्बन्ध में कोई सवाल या किसी किस्म का कोई मोशन या प्रस्ताव सदन में नहीं आ सकता है और न उस पर बहस हो सकती है । इसलिये मैं आपकी आज्ञा से बता दूं कि यह इंगलैन्ड का जनरल आफ दि क्लार्क आफ दी हाउस है इसके पेज ६० से ७० तक दस पन्ने आप पढ़ लें तो इसमें दिया हुआ है कि....

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

श्रीमन्, जो प्रश्न नवलकिशोर जी उठा रहे हैं उस पर अब वह बहस बन्द करें....

श्री नवलकिशोर--

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि इन दस पन्नों में कामनवेल्थ मुल्कों के तमाम स्टैन्डिंग आर्डर्स हैं और उन में सब जगह यही दिया है कि जो मामला सब जूडिस हो जाय उस पर सदन में बहस नहीं हो सकती और न उस प्रश्न का आना चाहिये । अपील के पैरा १२,१९ व ५६ से ६४ को यदि आप देखें तो आप पायेंगे कि जजमेंट के सभी मसलों पर अपील दायर हुई है।

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र--

श्रीमन्, पहले मैं ही खड़ा हुआ था ।

श्री अध्यक्ष--

नेता विरोधी दल बोलें ।

श्री नेकराम शर्मा--

श्रीमन्, मैं उनका उत्तर दूंगा, क्योंकि कामरोको प्रस्ताव मैंने रखा था ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

ठीक है उन्हीं को उत्तर देने दें ।

श्री नवलकिशोर--

मेरी बात तो श्रीमन् अभी खत्म ही नहीं हुई, अभी तो २ मिनट भी नहीं हुये हैं ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

श्रीमन्, मेरा काल अटेंशन मोशन था इसलिये आप पहले मुझे ५ मिनट सुन लें ।

श्री दीपनारायणसिंह--

श्रीमन्, मेरा प्रस्ताव है, मैं भी तो उस पर कुछ कहूंगा ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

पहले मेरी बात संक्षेप में आप सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

तो पहले श्री नवलकिशोर को २ मिनट में खत्म करने दें ।

श्री नवलकिशोर--

श्रीमन्, चूंकि अपील भी हो गई है और आप के पास भी उसकी सूचना व कापी आ गई है । मैं उसमें नहीं पड़ूंगा ।

श्री उग्रसेन--

अभी इनके ५ मिनट नहीं बीते हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष--

वह अभी २ मिनट में खत्म कर रहे हैं ।

श्री उग्रसेन--

श्रीमन्, यह घर से तय कर के आये हैं, यह हमारी बगल में रहते हैं, मैं इन्हें आपसे ज्यादा जानता हूं ।

श्री नवलकिशोर--

श्रीमन्, अब एक आर्गूमेंट यह हो सकता है कि इन नियमों को निलम्बित किया जाय तो यह अच्छी परम्परा नहीं होगी ।

श्री अध्यक्ष--

उसको आप छोड़ें ।

श्री नवलकिशोर--

आप के पास अपील की कापी आई है और ईश्यू जो जजमेंट में हैं वह सब हैं उस अपील में और उससे यह सिद्ध है कि मामला सब-जुडिस हो गया है और फिर जो विवाद वह करना चाहते हैं उसका कोई परपज होना चाहिये । जो निगम साहब थे वह सस्पेंड हो गये, बाकी लोगों के खिलाफ भी जांच हो रही है और जो जरूरी होगा वह किया जायगा और जो माननीय सदस्य चाहते थे वह सब हो गया फिर अब कोई और परपज रह नहीं जाता है और नियम भी जो अभी तक मौजूद हैं उनके होते हुए सलिये इस पर वादविवाद नहीं हो सकता ।

*श्री नेकराम शर्मा--

अध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े ध्यान से माननीय नवलकिशोर जी की बात को सुना। जहां तक सब-जुडिस होने की बात है उसके बारे में हम इस सदन में कोई चर्चा नहीं करना चाहते, हमारा जो प्रमुख सवाल है जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि न गवर्नमेंट इस में पार्टी थी और न है। सवाल यह है कि जिस तरह से निगम साहब को तरक्की दी गई वह सब-जुडिस नहीं है। उनको ४० दिन के लिये जून में कमिश्नर बनाया गया, वह पार्टी नहीं है। मार्च सन् १९६२ में और मई, जून में उनको प्रोमोशन दिया गया। अगस्त में जबकि उनको वार्निंग दी गई और फिर नवम्बर में उनको कमिश्नर बना दिया गया। यह सब उसमें ईश्यूज नहीं हैं। १३ तारीख को बनारसी दास जी ने सुन्दरम् साहब को खत लिखा कि सुन्दरम् साहब गोंडा में इनक्वायरी करने न जायं, बनारसी दास उस समय सेक्रेटरी थे। यह चीज रिट में नहीं है।

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)--

यह बिलकुल झूठ है।

श्री नेकराम शर्मा--

मैं सबूत दूंगा ।

श्री अध्यक्ष--

एक प्रश्न कामरोको प्रस्ताव द्वारा उठाया गया था....

श्री नेकराम शर्मा--

मैं कह रहा था कि जो प्रश्न सब-जुडिस नहीं हैं वे भी कैसे मौलिक हैं। सुन्दरम् साहब यहां आये हैं ।

श्री अध्यक्ष--

वह तो रेकार्ड पर नहीं आया कि श्री सुन्दरम् को श्री बनारसीदास ने खत लिखा....

श्री नेकराम शर्मा--

श्री जवाहरलाल नेहरू का जो खत सदन में प्रस्तुत किया है उसमें स्पष्ट है :

"Your letter of the 18 th March about the election in Gonda constituency. I saw Sundram, the Election Commissioner on his return from Gonda, and he was much troubled over this election. A number of other people also have spoken to me about it. I am naturally distressed that such charges should be made."

तो जवाहर लाल जी ने गुप्ता जी को पत्र लिखा ....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

यह तो जवाहर लाल जी का पत्र है ।

श्री नेकराम शर्मा--

श्री सी० बी० गुप्ता गोंडा गये प्रथम और सेकेन्ड काउन्ट के बीच में, यह भी इलेक्शन पेटीशन में नहीं है और श्रीमन्, टेलीफोन हुआ....

श्री अध्यक्ष--

यह बातें रेकार्ड पर नहीं हैं।

श्री नेकराम शर्मा--

यह बातें सब-जुडिस नहीं हैं जिन पर हम बहस करना चाहते हैं। एक भूतपूर्व मंत्री श्री सी० बी० गुप्ता के पास बैठे थे तो एक टेलीफोन आया। तो कहा कि राम रतन गुप्ता ठीक कहते हैं, कर दो, कर दो ।

श्री अध्यक्ष--

यह तो गलत बात है। माननीय जेड० ए० अहमद के दो ग्राउन्ड्स थे । पहला यह कि निगम साहब को पारितोषिक दिया गया कि उन्होंने वहां पर बेईमानियां कीं; दूसरा ग्राउन्ड यह था कि यह भी विदित होता है कि सरकार के खास-खास आदमी उसमें शरीक थे। यह दोनों बातें उसमें हैं। और जहां तक जजमेंट का सवाल है और ग्राउन्ड्स आफ अपील, का, तो उस में सरकार के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख भी है । इसलिये मैं कह रहा था कि इस तरह कहना...

श्री नेकराम शर्मा--

माननीय कमलापति त्रिपाठी और माननीय विचित्रनारायण शर्मा के बारे में वक्तव्य में कहा गया कि उन्होंने जांच की। तो इस पर हम बहस कर सकते हैं, क्योंकि यह सब-जुडिस नहीं है । यहां एक कानफ्रेंस १३ तारीख को हुई, उसमें एडवोकेट जनरल बुलाये गये। मुझसे श्री डांडेकर ने कहा कि एक जज भी थे, श्री बनारसी दास जी थे, माननीय सी० बी० गुप्ता जी थे और श्री कौशल पाल गुप्त भी थे, ताकि सुबह श्री सुन्दरम् गोंडा न जाने पायें। रिट दायर की गयी और बंगले पर सवा ८ बजे दायर की गयी जबकि १४ तारीख को वर्किंग डे था.....

श्री अध्यक्ष--

यहां प्वाइंट सिर्फ यह है कि सब-जुडिस है या नहीं। तो सब-जुडिस के बारे में ग्राउन्ड्स देखने हैं। उनमें यह दिया हुआ है कि जो सरकार पर आक्षेप हैं वह यह कि, सरकार के आदमी और सरकार षडयन्त्र में शरीक थी, गलत है। आधार ५६ से ६४ में यह है।

श्री नेकराम शर्मा--

आप यह फ़ैसला करेंगे कि जो प्वाइंट मैं दे रहा हूं अगर सब-जुडिस हैं तो कह दें कि बहस नहीं होगी, लेकिन अगर नहीं हैं तो बहस होने दें।

श्री काशीनाथ मिश्र--

श्रीमन्, कालिंग अटेन्शन मोशन मैंने दिया था और जो आक्षेप हुआ था, जिस पर मुख्य मंत्री का जवाब हुआ, उस पर हमारा पहले अधिकार है जवाब देने का ।

श्री अध्यक्ष---

वह समाप्त कर लें।

श्री नेकराम शर्मा---

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि जो सब-जुडिस मैटर नहीं है तो सदन को अधिकार है कि बहस कर सकता है। ५ चार्जेज ऐसी हैं जिनको मैं कहना चाहता हूं। श्री निगम जो चुनाव के समय गोंडा में थे, उनका प्रोमोशन हुआ। उनकी १९५९ में इन्क्वायरी हुई और १९६२ तक चली। क्या वह लांग पीरियड नहीं था? फिर अगस्त में सजा मिली और नवम्बर में प्रोमोशन मिला, इसे लम्बा पीरियड बताया गया। ऐसे करप्ट आफिसर को गोरखपुर में, जबकि चीन हमला कर रहा था, पोस्ट किया गया।

श्री अध्यक्ष---

यह तो आप डिस्कस कर रहे हैं।

श्री नेकराम शर्मा---

श्रीमन्, मेरे पास एक खत आया है। उस खत में लिखा हुआ है....

श्री बेचनराम (जिला मिर्जापुर)---

पंडित नेहरू या श्री सी० बी० गुप्त के लेटर की बात कर रहे हैं।

श्री नेकराम शर्मा---

श्रीमन्, जो कुछ गोंडे में हुआ, उसकी जिम्मेदारी सारे मंत्रि मंडल की और माननीय सी० बी० गुप्त जी की है। जहां तक सब-जुडिस का सवाल है, जैसा कि माननीय नवल किशोर जी ने भी कहा है, उसमें लिखा हुआ है कि:

"Provided that the Speaker may, in his discretion, allow such matter being raised in the House as is concerned with the procedure or subject or stage of enquiry if the Speaker is satisfied that it is not likely to prejudice the consideration of such matter by the Tribunal or Commission or Court of Enquiry."

(श्री काशीनाथ मिश्र के खड़े होने पर)

श्री बेचनराम---

श्रीमन्, आपने माननीय काशीनाथ जी को समय दिया था। उनको भी सुन लीजिए।

श्री नेकराम शर्मा---

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में पार्लियामेंट की एंसाइक्लोपीडिया के पृष्ठ १४१ का नियम (६) देखने का कष्ट करें। इसमें दिया हुआ है कि:

"(6) A member may not refer to matters pending a judicial decision. This rule is sometimes relaxed, and it is for the Speaker to intervene if he feel there is a danger of a debate prejudicing the conduct of judicial proceedings."

श्रीमन, आप इसको रिलेक्स कर सकते हैं। आपने सदन में आश्वासन भी दिया था, जब मैंने निवेदन किया था कि अपील हो रही है, कि हम डिवेट करा लेंगे। इन शब्दों के साथ मेरा निवेदन है कि यह मामला सब-जुडिस नहीं है। आप बहस करा लें।

*श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चा हता हूं कि कोई मसला अगर सब-जुडिस हो तो उस पर विचार नहीं हो सकता। इस प्रोपोजिशन को मैं स्वीकार करता हूं लेकिन जो विवाद आज हम प्रारम्भ करना चाहते हैं वह यह है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया, इसी हाउस में दिया और फैक्चुअल स्टेटमेंट दिया। उसके ऊपर हम चर्चा करना चाहते हैं। यह आपको अधिकार है जो पेटीशन दायर हुआ है उसके हम किसी भी मेरिट्स आफ दी केस पर नहीं जाना चाहते हैं। उस में हम नहीं जाना चाहते हैं कि श्री रामरतन गुप्ता जीते या श्री डांडेकर जीते। हम जो आज की चर्चा का विषय बनाना चाहते हैं वह सरकार की उस नीति को विषय बनाना चाहते हैं जिसके द्वारा चुनाव में निष्पक्षता नहीं बरती गयी। यह एक ऐसा उदाहरण हमारे सामने आ गया है और यह उन हजारों तथ्यों का एक उदाहरण है जिसके आधार पर हम सरकार की उस नीति पर विचार करना चाहते हैं कि इस लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव होने चाहिये। सरकार ने कहा कि वह उसमें पार्टी नहीं थी। यह भी कहा गया गया कि निगम साहब उस में पार्टी नहीं थे। यह भी कहा गया कि पिटीशन के जो मेरिट्स हैं और उसके आधार पर जो सरकार पर आक्षेप लगाये गये हैं, उसमें सरकार किसी तरह साथी नहीं है। अगर माननीय मुख्य मंत्री जी का भी बयान पढ़ा जाय, तो उसमें पेटीशन के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है। केवल प्रारम्भ करते हुये यह कहा है कि सरकार के ऊपर यह आरोप लगाया गया है और श्री फलां-फलां ने निष्पक्ष चुनाव नहीं कराये, यह कहते हुये उन्होंने सारी परिस्थिति सदन के सामने रखी है। उनका कहना यह था कि चुनाव निष्पक्ष वह कराना चाहती हैं और जो आरोप लगाये गये हैं वे निराधार हैं। मैं विरोधी दलों की ओर से कहना चाहता हूं कि बराबर हमने इस बात को कहा है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए हैं उत्तर प्रदेश में, और सरकार द्वारा अपने साधनों का दुरुपयोग किया गया है और कई प्रकार से प्रभाव डाला गया है ताकि चुनाव निष्पक्ष न हों। इसीलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डांडेकर के एक सवाल को हम नहीं उठाना चाहते हैं। हम जानते हैं कि प्रदेश में ही नहीं वरन् सारे देश में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो इन उपायों के कारण चुनाव को नहीं जीत सके। इसलिये हम इस नीति पर विचार करना चाहते हैं और हमेशा के लिये इस बात का निश्चय करना चाहते हैं, सदन में विचारों को प्रकट कर के, कि चुनाव निष्पक्ष होने चाहिये और सरकार की ओर से किसी प्रकार से साधनों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिये।

मैं इसी सम्बन्ध में जो संकलन है १९५२ से १९५८ तक का है, उस के खंड १९७ के पृष्ठ १८६–१८७ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में केस सब-जुडिस होते हुए भी बहस की गयी है। उसमें अरेस्ट का प्रश्न नहीं उठाया गया। पालिसी पर बहस की गयी। सेंट्रल असेम्बली में माननीय पटेल की रूलिंग से भी स्पष्ट है कि इस प्रकार की गिरफ्तारियों के सम्बन्ध में आम चीज पर बहस हो सकती है। सब-जुडिस होने की वजह से उसे सब-जुडिस नहीं माना गया। मैं इसे पढ़े देता हूं:

"As I understand the opposition benches, they propose to discuss the policy underlying the large number of raids and arrests, and not the merits of the cases that are to come before the court of law for adjudication."

इसलिये डांडेकर के चुनाव के सम्बन्ध में या उससे सम्बन्धित जो पेटीशन है, उस के मेरिट्स के सम्बन्ध में हमें कुछ कहने की इच्छा नहीं है बल्कि चुनाव के सम्बन्ध में बार-बार जो प्रश्न इस सदन में उठाये जा चुके हैं जैसे लूमामऊ कांड हो चुका है और कई चुनाव हो चुके हैं उनकी पालिसी के सम्बन्ध में विवाद करना चाहते हैं और सरकार की उस नीति के सम्बन्ध में विवाद करना चाहते हैं जिसके लिये वह कहती है कि वह पार्टी नहीं है और वह निष्पक्ष चुनाव कराना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शारदाभक्तसिंह]

चाहती है, किन्तु जिसके द्वारा निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए हैं और लोकतंत्र की रक्षा करने हेतु जिस पर विचार करना नितान्त आवश्यक है। सब-जुडिस होते हुये भी हम केवल पालिसी पर विचार करना चाहते हैं, न कि उसके मेरिट पर।

मैं विरोधी दल की ओर से आपको अधिकार भी देता हूं कि अगर कोई इस परिधि के बाहर जाय और केस के मेरिट्स पर बोलने लगे तो आप को अधिकार होगा कि उसे रोक दें। लेकिन जो नीतियां हैं उन पर आवश्यक है और मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री ने भी कहा है कि हम किसी कानूनी बारीकी का आश्रय लेना नहीं चाहते हैं और उनकी उदारता की उम्मेद करते हुए मैं एक, दो शब्द कह देना चाहता हूं कि शायद आज बहस न होती तो हम इसको हटा देते, लेकिन जिस तरह से वह चलती है वह इस तरह से है कि पहले दिन हम बहस करना चाहते थे और उस समय मामला सब-जुडिस नहीं था और हमने उस समय आग्रह भी किया था कि कहीं यह सब-जुडिस न हो जाय। लेकिन मुख्य मन्त्री ने कहा कि हम स्टेटमेंट दे देंगे तो अच्छा होगा। स्टेटमेन्ट हाउस में आ गया और हमने कहा कि इसकी अपील हो जायगी और शायद यह सब-जुडिस हो जायगा। लेकिन मुख्य मन्त्री ने कहा कि हम अपील करना नहीं चाहते हैं और हम इस पर विचार करना चाहते हैं। इसी लिये इस पर बहस के लिए सोमवार निश्चय किया गया। सारे हाउस का विचार होते हुये और आपकी आज्ञा होते हुये भी, अगर हम लोग विचार न कर सकें तो गलत होगा। सब-जुडिस होते हुये भी हम नीति पर विचार कर सकते हैं। आपके एश्योरेंस के बाद और मुख्य मन्त्री के एश्योरेंस के बाद भी हमें मौका नहीं दिया जाता है, तो प्रदेश की जनता के मन में यह होगा कि सरकार अपनी नीति से निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देना चाहती है और जब कभी भी विवाद का मौका आता है तो कानूनी बारीकियों का फायदा उठा कर सरकार बहस नहीं होने देना चाहती है।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

श्रीमन्, आखिर में मैं आपसे व्यवस्था चाहता था और आपने मुझे समय देने के लिये वायदा किया था। इसलिये दो मिनट मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

आप बोल लीजियेगा।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

श्रीमन्, मैंने दो तीन बार व्यवस्था का प्रश्न उठाया।

श्री अध्यक्ष—

अभी व्यवस्था खत्म कहां हुई है?

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय लेना नहीं चाहता हूं। लेकिन मैं यह अपील करना चाहता हूं, खास तौर से डाक्टर जेड० ए० अहमद और माननीय नेकराम शर्मा से, जो भारतीय संविधान और रूल्स के बड़े भारी प्रेमी हैं, कि जब कभी भी विधान का प्रश्न आये तो आप भावावेश में न आ कर लोगों की बात सुनने का प्रयत्न करें। माननीय विरोधी दल के नेता और नेकराम जी ने अभी कहा है कि हम इस प्रश्न पर विचार करना चाहते हैं जो सब-जुडिस है। लेकिन जो एजेंडा हमारे सामने रखा है उसमें साफ लिखा है कि गोंडा लोक सभा में हुये निर्वाचन के सम्बन्ध में चुनाव ट्रिब्यूनल के निर्णय के विषय पर चर्चा। अब चाहे नियम ५३ में आये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

या किसी भी तरह से आये, एजेंडे के बाहर हम बहस नहीं कर सकते हैं। अगर नीति पर उनको बहस करना है तो उसके लिये वे दूसरा प्रस्ताव ले आयें। लेकिन जब तक गोंडा के चुनाव का प्रश्न है तब तक इस पर विचार नहीं कर सकते हैं।

श्रीमन्, एक निवेदन और करना चाहता हूं। इस सदन में बहुत चर्चा हुई है कि हमारे जो रूल्स आफ प्रोसीजर हैं उनमें इफ ऐन्ड बट्स बहुत हैं जिससे, श्रीमन्, आपके डिसक्रेशन पर भी बहुत-सी ऐसी बातें कहीं जाती हैं जो संविधान के विरुद्ध जायं। जब केस सब-जुडिस है और अपील हाई कोर्ट में पेंडिंग हो जाती है तो संविधान भी हमें रोकता है कि हम लोग उस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। मैं आपके द्वारा इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि यह भारतीय संविधान हाउस आफ कामन्स और जितने भी दुनिया के लेजिस्लेचर्स हैं उन सब की परम्परा के विरुद्ध होगा यदि उस फैक्ट पर विचार किया जाय, जो सब-जुडिस हो।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि एजेंडे पर गलती हो सकती है। आपने नियम ५३ में स्वीकार किया है।

श्री कृष्णानन्द राय—

मैं आप के द्वारा माननीय सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि वे संविधान के आर्टिकिल १९४(१) को पढ़ लें। वह इस प्रकार है कि :

"Subject to the provisions of this Constitution and to the rules and standing orders regulating the procedure of Legislature there shall be freedom of speech in the Legislature of every State."

अब हमारा यह रूल्स आफ प्रोसीज्योर क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो सारे रूल्स आपने बता ही दिये हैं।

श्री कृष्णानन्द राय—

मैं यह कहना चाहता हूं कि सदन में जो हम लोग भाषण देते हैं और जिसको कहा जाता है कि वह प्रिविलेज के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं वे भाषण अपने रूल्स आफ प्रोसीज्योर के द्वारा हम यहां पर कहते हैं और उसी के अनुसार प्रिविलेज के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं लेकिन यदि हम कोई बात कांस्टीट्यूशन के खिलाफ कहते हैं, तो क्या वह कन्टेम्प्ट की बात नहीं ? इसकी नियमावली के २८९ (२) में यह है कि :

"No member can express any opinion or make any comment on any matter of fact on which a judicial decision is pending."

मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पेज ४०० पर जो दिया है उस को देखने का कष्ट करें और ४५७ पेज पर जो लिखा है वह भी हमारी बात को ही पुष्ट करता है।

श्री अध्यक्ष—

यह सब बातें नवलकिशोर जी कह चुके हैं।

श्री कृष्णानन्द राय—

इंडियन कांस्टीटयूशन और रूल्स आफ प्रोसीज्योर, ये दोनों हमारे प्रिविलेज को प्रोटेक्ट करते हैं। इस बात को हमें याद रखना चाहिये।

*श्री काशीनाथ मिश्र—

अध्यक्ष महोदय, जो सवाल माननीय नवलकिशोर जी ने उठाया है कि यह सब-जुडिस है उसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सब-जुडिस नहीं है। पहली बात तो यह है कि यहां पर कोई साधिकार इत्तिला नहीं है कि इसकी अपील हुई है। श्री कन्हैयालाल मिश्र सरकारी एडवोकेट जनरल हैं लेकिन वह श्री रामरतन गुप्त के वकील रह चुके हैं। वह इस केस में एक पार्टी हैं और आज भी हैं। उन की कोई भी सूचना इस सदन में इस सम्बन्ध में मान्य नहीं होनी चाहिये, यह नेचुरल ला आफ जस्टिस है।

दूसरी बात यह है कि मैंने जो कालिंग अटेन्शन का नोटिस दिया था उसमें मैंने दो प्वाइंट उठाये थे। एक तो यह कि जो सरकारी अफसर हैं उनके चरित्र के बारे में और दूसरी सत्ताधारी पार्टी के बारे में। दोनों विषयों के बारे में हर हालत में हर समय यहां पर बहस हो सकती ह। यह लोक सभा की रूलिंग है जिसको मैं आप की सेवा में पेश करना चाहता हूं। वह यह है कि

"Members desiring to make allegations against individual officers on the floor of the House should give prior notice to the Minister."

इसका प्रोवियस नोटिस हो चुका है कि निगम ने ५, ६ चुनावों के मामलों में किस तरह से चरित्र भ्रष्टता का परिचय दिया है और निरन्तर कई चुनावों के सिलसिले में सी० एम० निगम का चरित्र पिछले ५, ७ वर्ष से संदिग्ध रहा है और वह सवाल इस सदन में भी उठाया जा चुका है। उसने बनारस में २ हजार रुपये की कार को चोरी की। इस अफसर के खिलाफ इतनी शिकायतें हैं कि इनकी चर्चा यहां पर की जा सकती है।

जहां तक सत्ताधारी पार्टी का प्रश्न है, उस के विषय में लोकसभा में रूलिंग हो चुकी है कि सत्ताधारी पार्टी के विषय में आलोचना हो सकती है :—

"Criticisms of political parties in order."

राजनैतिक पार्टी की आलोचना किसी भी वक्त हो सकती है चाहे वह मामला किसी भी अदालत के विचाराधीन हो। लोग सभा के अध्यक्ष ने इस पर कहा है कि दोनों हालतों में इस पर बहस हो सकती है। एक और मैं आप को हो रूलिंग को पढ़ देना चाहता हूं। जिस समय यहां पर केशव सिंह का सवाल उठाया गया था तो उस समय आपने रूलिंग दी थी। उस समय हाई कोर्ट में यह विषय था और मैंने ही यह सवाल उठाया था और कहा था कि इस आदरणीय सदन को कोई अधिकार नहीं है कि जो सवाल जज के विचाराधीन है उस पर किसी तरह से सदन में विचार नहीं हो सकता। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ने उस समय स्वयं इसी कुर्सी पर पर विराजमान रहते हुये जो कहा था उस को पढ़ना चाहता हूं। वह यह है कि।

"अब अगर सारे जन समुदाय को यह अधिकार प्राप्त है कानूनी दृष्टि से कि यह अफसर हमें सही नहीं लगता है, अगर बसु की कमेन्टरी को ही आप उठा कर देखें तो उनको यह कमेन्ट करने का अधिकार है कि अमुक फैसले से जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हो, उससे हम सहमत नहीं हैं। उसमें गलती मालूम होती है। कोई भी जब फेयर कमेंटरी कर सकता है तो मैं समझता हूं कि सदन को भी अधिकार प्राप्त है कि वह कहे कि हम इस जजमेंट से सहमत नहीं हैं।" श्रीमन्, आप ने यहां तक अधिकार दे रखा है कि हम किसी हाई कोर्ट के जजमेंट के बारे में अपनी असहमति जाहिर कर सकते हैं, उनके गलत या सही होने के बारे में अपनी राय प्रकट कर सकते

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं। मैं तो अपनी उसी राय से बंधा हुआ हूं। मैं नहीं चाहता कि सदन में किसी जज के निर्णय की टीका-टिप्पणी हो, जब कि आपकी व्यवस्था उस का अधिकार सदन को देती है। लेकिन मैं केवल उन्हीं दो सवालों पर बहस कराना चाहता हूं और उस की आप अनुमति दें कि किस तरह से श्री चन्द्रभानु गुप्त ने टेलीफोन पर कहा कि श्री रामरतन गुप्त को जिताओ। मुझे इत्तिला है कि उन्होंने कहा कि निगम खाने-पीने वाला आदमी है, उसे पटा लो।

श्री अध्यक्ष—

आप तो मेरिट पर आ गये।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं आफिशियल्स का कार्य डिस्कस कर रहा था और उसका हमें अधिकार है। उसी सिलसिले में मैंने कहा। यह तमाम बातें जजमेंट में नहीं आयी हैं; एक लाख रुपया दिया गया जिसमें से ५०,००० रु० निगम साहब को मिला .....

श्री अध्यक्ष—

यह असंगत है। आप तो प्वाइंट आफ आर्डर पर बोल रहे हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

तो आपकी व्यवस्था के अंतिम भाग को पढ़ रहा हूं। उसमें आपने कहा है निर्णय के बारे में कि "इट इज नाट ए क्लरटर्ड वरच्यू।" वह ऐसी चीज नहीं है कि जो परदे की आड़ में रखी जा सके। तो आज कैसे आपने माननीय नवलकिशोर जी को इजाजत दे दी ?

मैं समझता हूं कि जो आपने कहा है उस पर आप सदैव दृढ़ रहने वाले हैं और मैं कतई नहीं कहता कि आप उससे हट रहे हैं। मैं तो नवलकिशोर जी से कह रहा हूं कि उन्होंने आपकी व्यवस्था के रहते हुये कैसे हिम्मत की इस बात को कहने की। अंत में मैं माननीय शारदा भक्त सिंह जी तथा माननीया सुचेता कृपालानी जी की इस बात से सहमत हूं कि यह एक अहम सवाल है। यह सवाल हाई कोर्ट के स्टेट्स से, एलेक्शन कमीशन के स्टेट्स से और आदरणीय सदन के स्टेट्स से ऊंचा सवाल है और मैं समझता हूं कि इस सवाल के निर्णय पर ही हमारा जनतंत्र निष्पक्ष रह सकता है या नहीं रह सकता है, यह निर्भर है। इसी पर हमारे हाई कोर्ट का, एलेक्शन कमीशन का गठन निर्भर करता है। इसके अन्तर्गत ही हमारे प्रदेश में ऐसी संस्थाएं खड़ी होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

यह सब मेरिट की बातें ह।

श्री काशीनाथ मिश्र—

लेकिन यह मौलिक प्रश्न है जिस पर सरकार के आदर्श, विरोधी दल के आदर्श आधारित हैं। ऐसे बड़े सवाल को आप टालें मत। आज भी सरकार की मनोवृत्ति यह दिखायी पड़ती है कि रामरतन गुप्त जैसे लोग चुनाव जीतते रहें। इसलिये मैं मांग करता हूं कि आप इस पर बहस करावें।

श्री जे० पी० मिश्र—

माननीय नेता विरोधी दल ने, मेरा जो व्यवस्था का प्रश्न स्टैंड करता था, पिछले वीक से, उसके बीच में उन्होंने एक नयी बात पैदा कर दी कि कांग्रेस और सरकार के खिलाफ यह आरोप प्रस्तुत किया कि जनतंत्र में निष्पक्ष चुनाव आवश्यक है, वह असम्भव हो गये हैं, केवल एक चुनाव के नतीजे पर। मैं आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, नेता विरोधी दल का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी पिछली बार अमरोहा में सेंट्रल मिनिस्टर चुनाव लड़ रहे थे और फर्रुखाबाद में एक भूतपूर्व मिनिस्टर लड़ रहे थे, उनके नतीजे वह नहीं होते जो

[श्री जे० पी० मिश्र]

सामने आये, अगर निष्पक्ष चुनाव न होता और सरकार गड़बड़ी करती (व्यवधान)। मैं कह रहा हूं कि १८४ आप लोग निष्पक्ष चुनाव से ही चुनकर आ सके हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप प्वाइंट आफ आर्डर पर बोलिये।

श्री जे० पी० मिश्र—

माननीय नवल किशोर जी ने सही बात पेश की है। पूरा सदन जानता है कि हाई कोर्ट में अपील आयी। एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला है, जो इर्रेलेवेन्ट रिमार्क्स उसमें हैं उनको एक्सपंज कराने की भी कार्यवाही स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से होने को है। जब तक सारी कार्यवाहियां फाइनल न हो जायं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल की अपीलें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से पूरे तौर से फैसल न हो जांय तब तक हम क्या बहस कर सकते हैं? बिलफर्ज इलेक्शन ट्रिब्यूनल के खिलाफ अपील हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली तो इस बहस का क्या नतीजा होगा, इसलिये मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय नवल-किशोर जी ने जिस इश्यू को रेज किया है, सही है और बहस नहीं होनी चाहिये।

*श्री जेड० ए० अहमद—

अध्यक्ष महोदय, जिस चीज का अन्देशा था ४–५ दिन पहले, वही हो गया। एक मेरे कांग्रेस के दोस्त ने यह कहा कि उस दिन आपने इस चीज को मान लिया, यह आपकी हिमाकत का सबूत था। मैंने कहा कि आपने जब एक चालाकी का सबूत दे दिया, तो हम क्या करें। मेरा इशारा उन लोगों की तरफ था, आपकी तरफ नहीं था, जो इस पर आंख लगाये बैठे थे कि शनीचर या सोमवार को अपीलें हो जायंगी और उसके बाद हम इस सवाल को खड़ा कर देंगे कि मामला सब-जुडिस हो गया। खैर, हम लोग अपनी हिमाकत जो की उसकी सजा भुगत रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, हम अपनी हाई कोर्ट के जजमेन्ट को सर आंखों पर रखेंगे, चूंकि कचहरी और हमारे जजेज हमारे कांस्टीट्यूशनल राइट्स के कस्टोडियन्स हैं, लेकिन मैं माफी चाहता हूं कि हमारे कांस्टीट्यूशनल राइट्स के कुछ पहलू हैं जिनके हम भी कस्टोडियन्स हैं। आज गोंडे के इलेक्शन में इतना जबरदस्त इम्पैक्ट हमारी प्रदेश की जनता के दिमाग में पैदा हो गया है कि एक-एक आदमी सवाल अपनी जगह पर करता है कि क्या हिन्दुस्तान डिमोक्रेसी में तरक्की कर सकेगा या नहीं, डिमोक्रेसी में जिन्दगी कायम रहेगी या नहीं। अगर ऐसी हरकतें हो रही हैं, और आज यू० पी० के सदन के जो ७ करोड़ इन्सानों के नुमाइन्दे हैं यहां, वे जुबान बन्द किये बैठे रहें, इस प्रश्न के किसी पहलू पर राय न दें और कहें कि हम गूंगे हैं चूंकि हम सब-जुडिस हैं, तो, श्रीमन्, ऐसा नहीं हो सकता। इसके सियासी पहलू पर हमें बहस करने का अधिकार है। मैं कहता हूं कि यह जो घटना हुई है, इसके पीछे सियासी हाथ हैं। हम उनको मजबूती से पकड़ें और रोकें।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि उस वक्त जो कुछ हुआ, सो हुआ। मैं तो आज मुख्य मंत्री, सुचेता कृपालानी जी से कहना चाहता हूं कि मैं किसी प्रिजूडिस से नहीं कहता, बल्कि इस स्टेटमेंट के आधार पर कहता हूं— कि उनका रवैया कलप्रिट को बचाने का है। यह सब-जुडिस नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी से कि जब आप सब-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जुडिस की बात करती हैं तो निगम का कन्डक्ट भी सब-जुडिस है। किस आधार पर कल आपने निगम को कुछ कहा और आज निगम से ऐक्शन ले लिया? जज तय करेंगे कि निगम ईमानदार हैं या नहीं। आज आपने इस सदन के समक्ष कहा कि ट्रिब्यूनल की फाइन्डिंग्स के आधार पर हमने उसे सस्पेंड कर दिया। आपने कैसे कर दिया जब कि वह सब-जुडिस है? आज राज्य सभा के अन्दर ला मंत्री, श्री अशोक सेन, ने बयान दिया है कि ट्रिब्यूनल का रिमार्क सही नहीं था इसलिये कि य० पी० गवर्नमेंट को पार्टी नहीं बनाया गया था। उस हालत में उन्होंने बयान दिया है, जब कि यह अपील हाई कोर्ट के सामने थी। तो जो आप चाहें, कर लें. जो मिनिस्टर चाहें, कर लें लेकिन जहां तक ७ करोड़ जनता के नुमाइन्दों का सवाल है, उनकी जबान पर डबल ताला लगा दिया जाय क्योंकि वह सब-जुडिस है।

तो, अध्यक्ष महोदय, मैं आज चार्ज करता हूं यू० पी० गवर्नमेंट को कि रियल कलप्रिट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस मसले पर काफी बहस होनी चाहिये। मैं अपनी बहन सुचेता जी से कहता हूं कि आप कभी गवर्नमेंट स्टेटमेंट पढ़ लिया करें, यही नहीं कि खाली चीफ सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी का ड्राफ्ट पढ़ लिया। छोटी वार्निंग दी गई, बड़ी वार्निंग दी गई और फिर एग्जोनरेट कर दिया गया। क्या यह सब-जुडिस नहीं है?

अब देखिये उनके स्टेटमेंट को। जब यह दलील दी कि निगम साहब का प्रमोशन सही हुआ तो फरमाती हैं:—

"These enquiries had since been completed and the final result was only minor warning recorded in his character roll."

सब कुछ करने के बाद क्या निकला? "माइनर वार्निंग" उस समय जब कि दलील यह थी कि इसका जस्टीफाई करना कि निगम साहब का प्रमोशन सही हुआ है।

उसके बाद जब निगम साहब को सजा देने का सवाल उठाया गया तब उनका स्टेटमेंट है :—

"Government, far from rewarding anyone after the elections, awarded severe punishment to Sri Nigam and that he was only promoted long after he had been punished, and when it appeared that he was the right person to hold a post of difficulty and danger."

माइनर वार्निंग, सीवियर पनिशमेंट, सीवियर पनिशमेंट, माइनर वार्निंग और फिर एग्जोनरेशन। हमने उनको मुकर्रर कर लिया है, आप कौन बला हैं? तो, श्रीमन्, आज यह स्थिति है। ऐसे सेल्फ कान्ट्रडिक्टरी बयान आते हैं।

दूसरी तरफ देखिये, सरकार का लीगल एक्सपर्ट कौन हैं, वही जो कि उस केस में वकील हैं। मैं तो कहता हूं कि इसके खिलाफ एक घूंसा सरकार के अन्दर देना होनी चाहिये...

श्री अध्यक्ष—

देखिये, अब तो आप मेरिट्स पर बहस कर रहे हैं।

श्री जेड० ए० अहमद—

बिलकुल मेरिट्स पर नहीं जा रहा हूं। (शोर) अगर श्री कन्हैयालाल मिश्र आज सरकार के मुख्य ऐडवाइजर हैं तो समझ लेना चाहिये कि वह कौन हैं। इधर वह यह ऐडवाइस करते हैं, उधर यह करते हैं। अगर मैं यह कहूं कि यह मिली-भगत है तो शायद कोई बेजा बात न होगी। (शोर)

एक सदस्य—

केशवसिंह कांड में उन्होंने हमारा मुकदमा तक नहीं देखा।

श्री जेड० ए० अहमद—

अध्यक्ष महोदय, मैं इस चार्ज को आपके सामने रख रहा हूं कि सरकार जान-बूझकर असली कलप्रिट को छिपाना चाहती है। उसको इस चार्ज पर बहस करनी चाहिये हाउस में। इसी चार्ज पर डिस्कशन होना चाहिये।

*श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

अध्यक्ष महोदय, एक मेरा निवेदन सुन लें। मेरा कुछ अपना निजी तजुर्बा है कि अपील हाईकोर्ट में फाइल कर देने के बाद भी अक्सर जजमेंट्स लागू रहा करते हैं। जहां तक मेरी सूचना है, माननीय डाडेकर ने संसद में ओथ ले ली है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि माननीय कन्हैयालाल मिश्र ने क्या सूचना दी है और जब ट्रिब्यूनल के जजमेंट्स का पालन हो रहा है तो यह कोई जरूरी नहीं है कि हाईकार्ट में अपील एडमिट होने के बाद भी यहां हम बहस न कर सकें। मेरा अपना निजी तजुर्बा है कि सन् ५७ में हाई कोर्ट से हार जाने के बाद भी मैं इस माननीय सदन में चार महीने काम करता रहा। मेरा निवेदन है कि हाई कोर्ट के आर्डर भी विभिन्न प्रकार के हुआ करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वह ट्रिब्यूनल की फाइंडिंग्स को रोक दें और अगर नहीं रोकते हैं तो हमारे लिये यह आवश्यकता नहीं है कि सदन में उस पर बहस न करें। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने या किसी माननीय सदस्य ने हाई कोर्ट का जजमेंट देखा है और अगर देखा है तो वह शब्दशः क्या है ? वह मालूम हो जाय उसके बाद ही इसको सब-जुडिस मानें। जब तक वह शब्दशः न मालूम हो जाय तब तक इसको सब-जुडिस न मानें।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा है उस पर मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। जब जनसंघ के माननीय सदस्य बिना आपकी इजाजत के खड़े होते हैं और बोलते हैं तो उनको आप आदेश दे देते हैं और हम खड़े होते हैं तो हमको आदेश नहीं देते।

श्री लखपतराम शर्मा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी दो बातों पर व्यवस्था चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था का प्रश्न तो चल ही रहा है।

श्री लखपतराम शर्मा—

मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा और उसके लिये कुछ कारण पेश करूंगा क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ..(व्यवधान).... इसी पर कह रहा हूं। इसके पहले भी कई बार आपने इस तरह की व्यवस्था दी.....

श्री अध्यक्ष—

यह माननीय काशीनाथ जी कह चुके हैं।

श्री लखपतराम शर्मा—

आप मेरी बात सुन लें। आपने अनेक बार इस सदन में व्यवस्था दी कि मामला सब-जुडिस है जबकि जुडिशियल मैजिस्टेट जैसे कोर्ट में मामले थे। हम लोग भी महसूस करते हैं कि जुडिशियरी का एक विशेष स्थान है, उसका एक दायरा है और पूरे केस पर बहस नहीं होनी चाहिये। आपने कभी-कभी यह व्यवस्था दी कि सब-जुडिस मामले पर बहस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं हो सकती और हम लोग आलोचना नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि जजेज के मामले में आपने अलग-अलग कुछ फैसले किये इसलिये आज यह प्रश्न उठा कि हमें बहस करने का अधिकार है या नहीं। मैं सिर्फ आपके द्वारा यह फसला चाहता हूं कि जो मामला हाई कोर्ट में नहीं है उस पर बहस करने का अधिकार है या नहीं है। मसलन यह जिक्र हुआ कि माननीय कमलापति त्रिपाठी और माननीय विचित्रनारायण शर्मा ने जो जांच की वह तो सब-जुडिस नहीं है, निगम साहब को सस्पेंड किया गया, वह तो सब-जुडिस नहीं है, उनके विरुद्ध कुछ चार्जेज हैं, कुछ इंक्वायरी की गई, यह तो सब-जुडिस नहीं है। मैंने दोपहर में भी यह प्रश्न उठाया था। इसी प्रकार जनतंत्र पर कितना विश्वास एलेक्शन के जरिये हो सकता है....

श्री अध्यक्ष---

यह बातें तो सब कही जा चुकी हैं।

श्री लखपतराम शर्मा---

इसीलिये लोगों के दिमाग में यह प्रश्न आया कि इस पर बहस हो। मैं सिर्फ इन चीजों पर आपका निर्णय चाहता हूं आखिरी। जो मामला सब-जुडिस है, अगर वह मामला तहसील अदालत में भी है तो हमें उस पर बहस करने का अधिकार नहीं है। अगर हमें जुडीशियरी को जिन्दा रखना है तो हमें इस तरह की बात करना चाहिये। लेकिन जो मामला सब-जुडिश नहीं है, उन पहलुओं पर तो हमें बहस करने का अधिकार है ही।

श्री श्यामलाल---

श्री जे० पी० मिश्र ने जो कुछ कहा है उससे यह सदन मिसलीड हुआ है। उसके बारे में क्लेरीफिकेशन देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

मैं आपको फिर मौका दूंगा।

*श्री बृजभूषणशरण (जिला देहरादून)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नवलकिशोर जी ने प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाया है एजेन्डे के आइटम नंबर १३ के खिलाफ। मान्यवर, पहल इसके कि मैं उन बातों को आप के सामने रखूं, एक बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय जेड० ए० अहमद साहब ने यह गलत कहा है कि कांग्रेस पार्टी और माननीया मुख्य मंत्री इस पर बहस होने से घबड़ाते हैं, इस तरह स जनता क ७ करोड़ व्यक्तियों का गला घोटा जा रहा है। हालांकि, अध्यक्ष महोदय, आपकी तरफ से यह व्यवस्था दे दी गयी थी कि उन कागजात का पेश करना आवश्यक नहीं है फिर भी माननीय सुचेता कृपालानी ने उनको सदन के समक्ष पेश कर दिया। उन्होंने जो बात कही है, इसलिये मैं उनका कान्ट्रेडिक्शन करता हूं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

जब माननीया मुख्य मंत्री स्वयं यहां बैठी हुई हैं तो शरण साहब को कान्ट्रेडिक्शन का कोई अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने कान्ट्रेडिक्शन शब्द गलत इस्तेमाल किया है, वह रिपयूट है, इसी से उनका मतलब था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बृजभूषणशरण---

उन दो खतों को आपने रखने के लिये उनको मजबूर नहीं किया था लेकिन माननीया सुचेता कृपालानी ने बगैर हिचक के उनको सदन के सामने रख दिया और फिर आप कहते हैं कि वह तथ्यों को छिपाना चाहती हैं। ट्रिव्यूनल के फैसले के अनुसार निगम को सस्पेंड कर दिया। जब तक एक ट्रिव्यूनल का फैसला लागू है उनको ओवर-रूल नहीं किया जा सकता। वह फैसला काबिले पाबंदी है। यह माननीया सुचेता कृपालानी कानून की मर्यादा को रखने के लिये ही किया है। (शोर) अगर आप व्यवस्था के प्रश्न पर नहीं बोल रहे थे तो मैं भी नहीं बोल रहा हूं और अगर आप व्यवस्था पर बोल रहे थे तो मैं भी बोल रहा हूं। आपने कहा कि निगम का मामला सब-जुडिस नहीं है। क्यों नहीं है ? उस फैसले से तो ताल्लुक ही रखता है। उस फैसले को मान कर ही तो उसको सस्पेंड किया गया है। (शोर)

श्री अध्यक्ष---

क्या आप नहीं सुनना चाहते हैं ? आप खामोशी से नहीं बैठेंगे तो कोई बोल न सकेगा। दीपनारायण जी, आप बोल लेते हैं लेकिन दूसरों को सुनने के लिये तैयार नहीं है।

श्री नौनिहालसिंह चौधरी---

मान्यवर, मेरा कहना है कि इनसे कह दें कि वे धीरे-धीरे बोलें, इतनी तेज गाड़ी न चलावें।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है, आप धीरे-धीरे बोलें।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)---

श्रीमन्, माननीय नवलकिशोर जी और शरण जी द्वारा सदन में बहुत देर तक बोलने की वजह से ही अव्यवस्था पैदा होती है।

श्री अध्यक्ष---

आप भी तो उसमें साझीदार बनते हैं।

श्री बृजभूषणशरण---

मैं यह निवेदन कर रहा था कि श्री सी० बी० गुप्ता, माननीया सुचेता कृपालानी व माननीय बनारसी दास के खतों का जिक्र करके अगर यहां व्यवस्था के प्रश्न पर बोला जा सकता है तो इस पर क्यों नहीं बोला जा सकता है ? जैसा कि माननीय कृष्णनन्द राय जी ने कहा कि यह मामला सब-जुडिस है इसलिये कि इस पर बहस यहां होने नहीं देना चाहिये। अगर डिस्कशन का मतलब यह हो कि किसी तरह से दो घंटे का समय बिता दिया जाय तब तो आप डिस्कशन करा लें, लेकिन अगर डिस्कशन कराने का मंशा यह हो कि इस से गवर्नमेंट पर इम्पैक्ट पड़ेगा तो इसका इम्पैक्ट हाई कोर्ट पर भी जरूर होगा और उन तमाम अधिकारियों पर भी इम्पैक्ट होगा जिनके खिलाफ माननीय सुचेता जी इंक्वायरी इंस्टीट्यूट कराने जा रही हैं। अगर आप समझते हैं कि सब-जुडिस मामले पर डिस्कशन नहीं होना चाहिये तो इस मामले पर डिस्कशन करने की इजाजत आपको नहीं देनी चाहिये थी। यह कहा गया कि आप पहले रूलिंग दे चुके हैं कि जजमेंट के बाद भी इस पर डिस्कशन हो सकता है और आपके ऊपर यह आक्षेप लगाया गया कि रूलिंग देने के बाद भी आप इसकी इजाजत नहीं दे रहे हैं.....

श्री अध्यक्ष---

आक्षेप नहीं लगाया गया। कहा गया कि आप जो रूलिंग दे चुके हैं उसी रूलिंग से आप इसको भी स्वीकार करें।

श्री बृजभूषणशरण—

जहां तक रूलिंग की बात है, उस पर तो डिस्कशन किया जा सकता है लेकिन जिस मामले में हाई कोर्ट व जुडीशियरी इंवाल्व है उस पर डिस्कशन नहीं होना चाहिये। अगर आप लोग सिर्फ गाल बजाना ही डिस्कशन समझते हैं तो ठीक है, डिक्कशन कर लीजिये लेकिन मैं समझता हूं कि यह इस हाउस की मान व मर्यादा के खिलाफ होगा और बुनियादी सिद्धान्तों व परम्पराओं का हनन् होगा ।

श्री श्यामलाल—

श्रीमन्, सदन के सामने माननीय जे० पी० मिश्र ने जो बयान दिया उससे सारा सदन मिसलीड हो गया। उन्होंने कहा कि फर्रुखाबाद में एलेक्शन हुआ, अमरोहा में एलेक्शन हुआ उसमें विरोधी दल जीत गया इसलिये एलेक्शन निष्पक्ष हुआ। मेरा कथन यह है कि वहां विरोधी दल ज्यादा चौकन्ना था इसलिये वहां कांग्रेस की दाल नहीं गल सकी।

श्री अध्यक्ष—

यह तो विषयान्तर हो गया ।

(व्यवधान)

अगर व्यवस्था के प्रश्न पर कुछ बोलना हो तो बोलें, इधर उधर की बात न करें।

श्री श्यामलाल—

मैं व्यवस्था के प्रश्न पर ही बोल रहा हूं। यह ठीक है कि जजमेंट के बाद अपील हो गयी, लेकिन सरकार अगर इसी को मद्देनजर रखते हुए इस पर सदन में बहस नहीं होने देना चाहती तो मैं समझता हूं कि यह तर्क कोई सुन्दर तो नहीं है। उस दिन माननीय नरसिंह नारायण पांडेय जी ने परसों, नरसों इसी प्रकार की आवाज उठायी थी कि सरोज काजिये, अगर कल को अपील हो जाय तो फिर आप यहां कैसे डिस्कशन कर सकेंगे। मुख्य मंत्री जी ने भी और आप ने भी सदन को यह बार-बार आश्वासन दिया था कि अपील होने दीजिये, सदन स्वयं सक्षम है बहस के लिये। हम केस के मेरिट पर बहस करना नहीं चाहते लेकिन और चीजों पर बहस अवश्य हम कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह सब बातें तो कही जा चुकी हैं। अब मुझे निर्णय भी देने देंगे या नहीं ?

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

अध्यक्ष महोदय, आप को याद होगा कि इसी सदन में जब जस्टिस सुब्बा के निर्णय पर बात हो रही थी तो आप ने कहा था और स्पष्ट कहा था कि हम किसी भी जज के निर्णय पर बहस कर सकते हैं, आप ने उस वक्त आफ्टर डिक्टा की बात कही गई थी कि स्वेच्छा-पूर्वक.....

श्री अध्यक्ष—

यह सब तो काशीनाथ जी कह चुके हैं ... (व्यवधान)

श्री दीपनारायणसिंह—

बहस इस पर हो सकती है ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

हमारी मांग है कि इस पर बहस का समय दिया जाय और आप अपनी रूलिंग दें कि...

श्री राधेश्याम शर्मा—

अध्यक्ष महोदय, मैं सरकारी पक्ष के लोगों को बताना चाहता हूं कि धारा २०९ संविधान की और पर्लियामेंटरी प्रैक्टिस का हवाला माननीय नवलकिशोर जी ने दिया और केशव सिंह कांड में इस तरह की तमाम बहस सदन में हो चुकी है और वह सारा मामला विधायिका बनाम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फैसले के लिये गया हुआ है। आप अभी हारे नहीं हैं, वह तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। पहले गलत किया है या नहीं और दूसरे गलत करने में या न करने में क्या दिक्कत है। (व्यवधान)

श्री दीपनारायणसिंह—

श्रीमन, मेरी बात आप सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

बाद में कह लीजियेगा।

*श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, जिस समय यहां पर जूडीशियरी और लेजिस्लेचर की पावर का विषय उपस्थित था उस समय यहां निर्णय हुआ था कि हम सुप्रीम बाडी हैं और हमारे सर्वोपरि राइट्स हैं, जो चाहें हम डिस्कस कर सकते हैं और शरण जी ने स्वयं कहा है कि हमें माननीय न्यायाधीशों के आचरण पर टीका करने का अधिकार प्राप्त है..... (व्यवधान)

श्री ब्रजभूषणशरण—

मेरी बात पूरी नहीं सुनी गई, मैं ने कहा था कि.....

(व्यवधान)

श्री भानुप्रतापसिंह—

उस वक्त जब मैं ने विरोध किया था तो उन्होंने यहां तक कहा था कि हाई कोर्ट के जजेज को यहां कस्टडी में भी लाया जा सकता है। कहा यह जा रहा है कि चूंकि अब यह मामला सब-जुडिस हो गया इसलिये हम इस पर कैसे बहस कर सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि यह जो ट्रिब्यूनल का फैसला हुआ है इस का सारे देश पर एक व्यापक प्रभाव पड़ा है और जिस तरह से कि अखबारों में समाचार और टिप्पणियां निकली हैं उसने भारत के संसदीय इतिहास में एक लैंडमार्क पैदा किया है। इसके अलावा आप ने और मुख्य मंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में बहस करने का आश्वासन दिया था और आप अपने शब्दों की पवित्रता को ध्यान में रख कर अपने आश्वासन के अनुसार इस बहस को चलने दें और यदि कोई नियम बाधक होते हैं तो उन को भी निलम्बित कर दें। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि.....

श्री अध्यक्ष—

यह बतायें कि यह सब-जुडिस है या नहीं और इस पर बहस होना चाहिये या नहीं?

श्री भानुप्रतापसिंह—

सदन की जो परम्परा रही है उसको देखते हुये इस पर बहस होनी चाहिये और जिस समय मुख्य मंत्री बयान दे रहे थे और उन्होंने यहां तक कह डाला कि जो ट्रिब्यूनल का फैसला है वह निराधार है, उस समय आपने उनको टोका तक नहीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

आपका गलत खयाल है। उस समय टोका गया था।

श्री भानुप्रतापसिंह—

लेकिन उस पर कोई अमल नहीं किया गया।

श्री उग्रसेन—

कार्यवाही से निकालने का आदेश नहीं दिया, यह गलती की।

श्री भानुप्रतापसिंह—

हमारी इस बहस की मांग के पीछे जो जजमेंट हुआ है वह नहीं है बल्कि यह बयान है। इसमें इतनी गलतबयानी है, उसको हम एक्सपोज करना चाहते हैं। स्वयं अपने ही स्टेटमेंट में माननीय मुख्य मंत्री ने कितने ही कंट्रेडिक्शन किये हैं और यदि आप इसको रोक देंगे तो मैं कहूंगा कि जो थोड़ा बहुत विश्वास जनतंत्रीय प्रणाली में बाकी है वह भी मिट जायगा। आज जनता में उत्तेजना पैदा होगी। अभी कुछ ही महीने में म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव होने को हैं। वह कैसे होंगे? मैं विरोधी पक्ष का हूं और उसकी आलोचना भी करता हूं फिर भी इन सब बातों के होते हुये मैं मुख्य मंत्री का आदर करता हूं, परन्तु मुझे खेद है कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के कुकर्म की सफाई देने की कोशिश की जिसकी सफाई हो नहीं सकती। मैं पूछना चाहता हूं कि वह तो मुख्य मंत्री नहीं थी; उनको कौन-सी जरूरत थी इस वक्तव्य को देने की। असली मुलजिम अगर कोई है तो वह माननीय चन्द्रभानु गुप्त हैं। वह इस सदन के सदस्य हैं। वह अपनी सफाई दें आकर। लेकिन आज उनमें साहस नहीं है कि यहां आकर सफाई दे सकें।

मैं फिर कहता हूं कि जो मामला सब-जुडिस है उस पर विवाद हम नहीं करना चाहते। हम तो उस बयान पर और सरकार के रवैये पर....

श्री अध्यक्ष—

यह तय हो गया कि सब-जुडिस मामले पर विवाद नहीं करना चाहते।

श्री भानुप्रतापसिंह—

सब-जुडिस पर बहुत कुछ हुआ है। आपने यहां तक आदेश दिये हैं कि हाई कोर्ट के जजेज को कस्टडी में लाया जाय और यह सदन सब कुछ कर सकता है।

श्री दीपनारायणसिंह—

श्रीमन्, माननीय नवलकिशोर और श्री बी०बी० शरण जैसे....

श्री अध्यक्ष—

आपने यह लिखकर दिया है कि नियम ५३ के अन्तर्गत.....

श्री दीपनारायणसिंह—

मैं उसको पढ़ दूंगा। उनके सुनने के बाद मैं आश्चर्यचकित हो गया। उनके नेता ने श्री जवाहरलाल को जो पत्र लिखा है उसका यह पोर्शन पढ़ने से इस विषय की गम्भीरता साफ जाहिर हो जायगी।

"As far as I can gather, the Chief Election Commissioner has a vague feeling that there has been some tampering with the ballot papers between the

[श्री दीपनारायणसिंह]

first count and he recount. I personally adhere firmly to the principle that elections must be completely free and fair, if democracy has to prosper. If there has been any tampering wi h ballot papers between the two counts, the culprits must be brought to book."

श्री अध्यक्ष—

आपने जो लिखा है ...

श्री दीपनारायणसिंह—

मैं उसी पर आता हूं। इस गोंडा के चुनाव को १८ मार्च, १९६२ को ही इनके नेता ने समझ लिया था, उसकी इम्पार्टेंस को समझा था, तभी यह कहा कि थोड़ा भी सस्पिशन हो....

श्री अध्यक्ष—

जो आपने लिख कर भेजा है उसी पर बोलें।

श्री दीपनारायणसिंह—

मैं वही कह रहा हूं। जब इसको आप देखेंगे तो समझेंगे कि गोंडा के इलेक्शन के संबंध में जो ट्रिब्युनल का निर्णय हुआ उसकी आशंका देश में फैली हुयी है। नेहरू जी के पत्र से विदित है कि गुप्ता जी ने इन्क्वायरी के लिए लिखा था। उस पर पंडित नेहरू ने वार्निंग दी थी ....

श्री अध्यक्ष—

३१५ में आपने प्रार्थना की थी। आप कहिए कि आपको क्या कहना है।

श्री दीपनारायणसिंह—

३१५ में मैंने इसलिए दी है कि यह चर्चा हो सकती है। नियम ३१५ के अनुसार नियम निलंबित किये जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जाइये।

*श्री वीरसेन (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने एक महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल में २–३ सवाल उलझे हुए हैं। एक तो सवाल यह है कि रिटर्निंग आफिसर श्री निगम ने जानबूझकर टैम्परिंग किया। दूसरा यह है कि गवर्नमेंट लेविल पर लखनऊ से इंफ्लुएन्स किया गया और उसके असर में आकर सब-टैम्परिंग किया। तीसरा यह है कि.....

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

श्रीमन्, यह तो केवल जजमेंट की मैरिट बता रहे ह।

श्री अध्यक्ष—

इस समय केवल सवाल यह है कि सब-जुडिस है या नहीं। उसी के लिए ये तीन प्वाइंट्स ले रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक सदस्य—

श्रीमन्, इस पर बहस हो चुकी है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं कह रहा हूं कि मैं व्यवस्था करने जा रहा हूं। वीरसेन जी समाप्त कर लें।

श्री वीरसेन—

अब सवाल आपके सामने यह है कि यह खयाल सब-जुडिस है इसका निश्चय कैसे हो सकता है ? इसके पहले मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि पार्लियामेंटरी प्रोसीजर है कि जो सदन के फ्लोर पर अपने को डिफेंड नहीं कर सकता है उसको इस सदन में नहीं लिया जा सकता है । अगर श्री निगम के बारे में यह आरोप लगाया जाता है कि उसने जानबूझकर टैम्पर्रिंग किया है यह एक बहुत बड़ा आरोप है और जिसमें श्री निगम को सफाई का मौका नहीं मिल सकता। यह सबजुडिस है कि नहीं इस बारे में आप हवा में बात नहीं कर सकते हैं जब कि यह पता नहीं कि पेटीशन जो कोर्ट में दाखिल हुआ है उसमें क्या बातें उठाई गयी हैं । मेरे पास पिटीशन की कापी है जो हाई कोर्ट में पेश की गयी है । मैं उसमें से कुछ पैरा पढ़ कर सुनाऊंगा ताकि उधर के बैठने वाले यह तय कर सकें कि यह मामला सब-जुडिस है या नहीं है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

आपके पास भी पेटीशन की कापी है या नहीं, अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष—

आप सुनते नहीं हैं । मैंने कई बार यह कहा कि मेरे पास अपील की कापी श्री कन्हैया-लाल मिश्र ने भेजी है ।

श्री वीरसेन—

मैं पैरा १२ पढ़ता हूं ।

"Because the tribunal, probably because of the helplessness in which it found itself in reaching a conclusion, that the ballot papers rejected at the recount could have been accepted by the returning officer appears to have adopted a shorter cut by reaching a conclusion without any evidence that the returning officer was himself concerned in the tampering, but it failed to see that such a finding could be substituted for a quantitative conclusion reuqired by law."

इसके अलावा और कई पैरा है जो बिल्कुल इन सवालों से ताल्लुक रखता हो ?

श्री अध्यक्ष—

कुछ पैरा माननीय नवलकिशोर रेफर कर चुके हैं। पैरा ५६ से ६४ तक और १२ और १९ ।

श्री वीरसेन—

मैं समझता हूं कि उनको पढ़े बगैर काम नहीं चलेगा । पैरा ६४ इस प्रकार है....

श्री अध्यक्ष—

आप उन पैराज का रिफ्रेंस दे दें और उनको मेरे विचार पर छोड़ दें।

श्री वीरसेन—

तो जो दो, तीन सवाल एडजर्नमोशन के जरिये से विरोधी दल डिस्कस करना चाहता है वे सभी सवाल हाई कोर्ट में पिटीशन के जरिये से एजीटेट किये जा रहे हैं और इस प्रकार वे सवाल सबजुडिस हैं और दूसरे जिस आदमी के खिलाफ यहां आरोप लगाये गये हैं वह यहां जवाब नहीं दे सकता है। इसलिये मैं यह समझता हूं कि इन दोनों कारणों से सदन में इस के ऊपर बहस नहीं होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

डेढ़ घंटा हो चुका है। अब मुझे व्यवस्था देने दीजिये।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

इतना समय तो व्यवस्था के प्रश्नों में लग गया और बाकी समय व्यवस्था के प्रश्न पर निर्णय देने में लग जायगा तो इस पर बहस कब होगी?

श्री अध्यक्ष—

पहले मैं व्यवस्था दे दूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

मैं पहले एक वाक्य कहना चाहता हूं। सरकार के ऊपर ट्रिब्यूनल ने आक्षेप किया है और उसकी सफाई माननीय मुख्य मंत्री ने अपने वक्तव्य में दी है। बहस इतनी ही है कि माननीय मुख्य मंत्री ने सरकार पर जो आक्षेप लगाये गये हैं उनकी सफाई दी है और ट्रिब्युनल के जो निर्णय हुये हैं उन पर सरकार की अभी कोई अपील नहीं हुई है। जब सरकार की ओर से कोई अपील नहीं हुयी है तो फिर सदन में इस पर बहस करने में क्या दिक्कत है? यह व्यवस्था का सवाल गलत है और इसपर बहस करने के लिये कोई रुकावट नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

दो बातें विशेष रूप से मैं आदरणीय सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। एक यह है कि मैंने सदन के समक्ष जो कहा है वह आपको सुना दूं। दूसरी बात काशीनाथ जी ने कही है कि मैंने फैसला दिया है उसकी रू से मैं दूसरा विचार प्रकट नहीं कर सकता हूं। यह दो बातें खास हैं जिनके बारे में मैं कहना चाहता हूं। जब यह प्रश्न आया तो पहली मर्तबा माननीय श्रीपालसिंह जी ने प्रश्न उठाया कि "अध्यक्ष महोदय, अगर अपील हो गई तो क्या फिर भी मुख्य मंत्री अपना वक्तव्य दे देंगी।" मैंने कहा कि "काल्पनिक प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। ऐसी परिस्थिति हुई भी तो हम लोग इस पर विचार कर लेंगे। लेकिन मेरा ऐसा मत है कि अगर अपील हो भी जाय तो जो फैक्टस गवर्नमेंट के सामने हैं, वह तो आपके सामने आ ही सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी।" पहले दिन यह हुआ। इसके पश्चात् माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी ने जब वक्तव्य हो रहा था तब आपत्ति की कि "मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि यह कोर्ट पर आक्षेप हो रहा है। मैंने कहा कि मैंने जैसा कि आपसे निवेदन किया था कि कल जब माननीय श्रीपालसिंह ने यह प्रश्न उठाया और माननीय सरन जी ने एक बात कही थी कि यह मामला अपील में जा सकता है तो मैंने कहा था कि यह होते हुये भी जो सरकारी पक्ष है उसको तो सरकार रख ही सकती है।" तो अब सरकारी पक्ष रखा जा रहा है।

अब इसी सिलसिले में जब यह सवाल किया गया कि मैंने काम रोको प्रस्ताव को अस्वीकार किया और माननीय काशीनाथ जी द्वारा दिये गये नियम ५२ का प्रस्ताव स्वीकार किया, तो अपील होने पर क्या होगा, तो माननीय नवलकिशोर जी ने कहा, कि उस दिन प्रश्न यह था कि अपील हो जायगी तो क्या होगा। अब उस दिन स्थिति क्या होगी यह न आपके हाथ में है न हमारे हाथ में है। विरोधी पक्ष को संतोष होना चाहिये कि बहस की जो उनकी मांग थी वह मान ली गई है। तो आपके सामने जो प्रश्न था उस रोज, वह यह था कि हम, जो ट्रिब्युनल का फैसला हुआ है, उसके ऊपर बहस करना चाहते हैं, और बहस होनी चाहिये। अब यह प्रश्न किसने उठाया वह मैं आपको पढ़कर सुना दूं। "माननीय नरसिंह नारायण पांडेय ने प्रश्न उठाया था कि श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने सोमवार के लिये सदन में बहस की इजाजत दे दी है। लेकिन बीच में हाई कोर्ट में अगर मामला चला जाता है और स्टे आर्डर्स आ गये, तो बहस का क्या हश्र होगा, जारी रहेगी या स्थगित हो जायगी? वह अपील करने जा रहे हैं। इसलिये उस समय यह बात सामने आयगी। इसलिये इस पर व्यवस्था दे दें कि उस समय आप बहस करने की इजाजत देंगे?"

मैंने कहा कि आप काल्पनिक प्रश्न रख रहे हैं। इसके बाद माननीय नेकराम शर्मा बोले। आपने प्रेस किया कि आप बताइये कि क्या करने जा रहे हैं और माननीय डाक्टर जेड०ए० अहमद, माननीय नवलकिशोर और माननीय टम्बेश्वरप्रसाद बोलें। मैंने जो उद्धरण पढ़े हैं श्री नवल किशोर के भाषण के कि अब उस दिन स्थिति क्या होगी यह न आपके हाथ में है न हमारे हाथ में है। विरोधी पक्ष को इससे संतोष होना चाहिये कि इस पर बहस की जाय, यह उनकी मांग स्वीकार कर ली गई है।

अब उसके ऊपर मैंने अपना निर्णय इस प्रकार दिया है। रहा प्रश्न अपील का जैसा मैंने निवेदन किया कि यह काल्पनिक प्रश्न है लेकिन हो सकता है कि अपील हो जाय। माननीय नरसिंह नारायण ने दो बातें उठाई थीं। एक बात तो यह उठाई थी कि वहां स्टे आर्डर हो जाय तो आप क्या करेंगे और दूसरे कि अपील हो जाय तो आप क्या करेंगे। अब मैं दोनों उत्तर दे रहा हूं। मैंने कहा कि अपील होते हुये भी किसी अदालत को यह अधिकार नहीं है कि हमें अपनी कार्यवाही से रोके। अगर हम चाहते हैं इस पर बहस करना तो हमें कोई दूसरा रोक नहीं सकता। यह मैंने कहा था इस स्टे आर्डर के बारे में कि किसी अदालत को अख्तियार नहीं है कि हमें रोकें।

अब रहा यह कि अपील होगी तो क्या होगा। मैंने स्पष्ट कहा है कि अगर अपील होगी तो जो नियम हैं, उसको हम देख लेंगे लेकिन हाईकोर्ट को अधिकार नहीं है कि हमको रोक सके। इसलिये इस पर ७ तारीख को बहस होगी। दूसरी बात यह है कि माननीय नेकराम शर्मा ने ....

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

अभी ६ बजकर २५ मिनट हो गये हैं तो इस पर बहस कब होगी?

श्री अध्यक्ष--

दूसरी बात यह है कि नेकराम जी ने जैसा कि दीपनारायण जी ने कहा एक काल्पनिक प्रश्न उठाया कि वह अपील में जायगा तो क्या होगा। कल भी मैंने निवेदन किया था जब माननीय पांडेय जी ने प्रश्न उठाया था और माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किये थे कि यह काल्पनिक प्रश्न है। मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी भी अदालत को यह अधिकार नहीं है कि हमारे खिलाफ कोई निषेधात्मक आज्ञा प्रसारित करे और उस आज्ञा के होने पर हम यहां पर बहस न करने के लिए विवश हो जायं। मैं तो जानता नहीं। अगर कोई बात हो गई होती और तत्काल यह प्रश्न उठाया गया होता तो मैं निर्णय द देता।

[श्री अध्यक्ष]

इस समय आप कहें कि बिना समस्त परिस्थिति को जाने हुये, बगैर जाने हुये कि कौन सी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई, कौन से ऐसे तथ्य आ गये कि जिन तथ्यों और परिस्थिति के आधार पर मुझे निर्णय देना है, मैं निर्णय करूं तो मैं समझता हूं कि मेरे लिये यह उचित न होगा और न्याय भी न होगा। कैसे मैं निश्चय या निर्णय दे दूं जब तक कि परिस्थिति में कोई परिवर्तन न हो। इस वजह से मेरा निवेदन है कि इस बात को हम बाद में समझ लेंगे। लेकिन मेरे इस निर्णय का मतलब यह नहीं है कि अगर सरकार कुछ करना चाहती है तो न करे या करे। इसके बाद माननीय मिश्र जी ने फिर प्रश्न उठाया कि मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है कि एक एलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला हो गया और.... (व्यवधान)

श्री उग्रसेन--

अब अपना अंतिम निर्णय दे दीजिये (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैंने उस पर जो निर्णय दिया, उसे आप सुन लीजिये। "माननीय मिश्र जी, यह प्रश्न परसों आप उठाते। आज बहस नहीं हो रही है जो आप उठा रहे हैं। माननीय नेकराम जी प्रश्न उठा रहे हैं कि अपील हो जायगी तो क्या होगा और अगर अपील न हुई तो ? आपको कैसे मालूम कि अपील हो जायगी। इस वक्त नेता सदन ने कहा है कि मैं चाहती हूं कि यहां बहस हो और कोई कानूनी आपत्ति होगी तो देखा जायगा। लेकिन आप बिला वजह यह प्रश्न उठा रहे हैं व तो जितनी भी मेरी बातें इस सदन में हुई हैं स्पष्ट रूप से हुई हैं कि काल्पनिक प्रश्न आप नहीं कर सकते हैं व आप जो प्रश्न उठा रहे हैं वह ऐसा प्रश्न है कि जो उस समय उठाया जा सकेगा जबकि अपील हो जायगी, तभी निर्णय होगा।

श्री नेकराम शर्मा--

मैंने यह कहा था कि इसीलिये आप आज बहस करा दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

तो परसों काशीनाथ मिश्र जी ने जो प्रश्न उठाया उसके लिये मैं उन को बधाई दूंगा। उन्होंने बड़ी मेहनत से इस बात को निकाला। मैं काशीनाथ जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आइये, हम उस बात को तौलें। एक फैसला है कि जो अंतिम हो चुका है जिसके खिलाफ कोई अपील नहीं है और वह सारी दुनिया के सामने रखा है कि यह फैसला अंतिम है। लेकिन जब तक फैसले में अपील करने की गुंजायश है, जब तक कि उसकी मियाद है तब तक उस फैसले पर कोई टीका नहीं हो सकती। उसके बाद हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि नम्रतापूर्वक जो उस फैसले में तय हुआ है कि उसके संबंध में वह अपने विचार प्रकट करे।

श्री शारदाभक्तसिंह--

पालिसी डिस्कस नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष--

हां, मैं आपसे एग्री करता हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र--

उस वक्त भी वह मामला जिस पर आपने निर्णय दिया था सुप्रीम कोर्ट में सब-जुडिस हो चुका था।

श्री अध्यक्ष--

मुझे याद है । मैंने जो कहा कि अगर सही कहा है, तो सदन को मानना चाहिये कि वह सही है । मैं आपको एक बात और सुना देना चाहता हूं ।

श्री उग्रसेन--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस फैसले को अनुचित और खेदजनक कहा था और क्यों नहीं आपने उसे कार्यवाही से निकाल देने की आज्ञा दी ?

श्री अध्यक्ष--

मैं मेज के पेज ४५७ का फुट नोट डी आपके सामने प्रस्तुत करता हूं जिसमें कहा गया है कि स्पीकर ने यह रूलिंग दी कि उन विषयों पर कोई चर्चा नहीं हो सकती जो विषय एक निर्वाचन याचिका में उठाये जा सकते हैं। जो प्रश्न सदन में उठाये गये थे वह यह थे कि उस निर्वाचन में भ्रष्टाचार हुआ है, उस निर्वाचन में घूसखोरी हुई है । यह आरोप निर्वाचन याचिका में उठाये जा सकते थे । उसके संबंध में यह नियम है कि यदि इलेक्शन पेटीशन की मियाद बाकी है तो वह प्रश्न नहीं उठाया जा सकता....

श्री नेकराम शर्मा--

ऐसा मालूम होता है कि आप इस डिबेट को कराने वाले नहीं हैं, इस विरोध में हम वाक आउट करते हैं ।

(निर्दलीय दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री रामसुन्दर पांडेय--

हमारा यह निवेदन है कि.....

श्री अध्यक्ष--

मैं अपनी व्यवस्था दे दूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

आपकी व्यवस्था हम लोगों को मालूम हो गयी, आधे घंटे से दे रहे हैं ...

श्री अध्यक्ष--

मैं निवेदन कर रहा था कि अपील के संबंध में यही नियम है.....

श्री रामसुन्दर पांडेय--

आपकी व्यवस्था को जान चुके, उसके विरोध में हम वाक आउट करते हैं।

श्री उग्रसेन--

आपकी भावी व्यवस्था के विरोध में हम सभी विरोधी दल के सदस्य बाहर जाते हैं ।

(संयुक्त समाजवादी दल के सदस्यों ने सदन का परित्याग किया ।)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

कन्हैयालाल मिश्र जी ने जो आपको इंटीमेट किया है वह हमारे खयाल से अपील की नकल आपको नहीं भेजी है, खाली यह कहा है कि अपील हो गयी है, जरा स्पष्ट हमें इस संबंध में बतला दीजिय कि स्थिति क्या है ?

श्री अध्यक्ष---

मेरे पास अपील के ग्राउन्ड्स हैं, आप बैठ जाइये ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

मैं जानना चाहता हूं कि कन्हैयालाल मिश्र ने जजमेंट के संबंध में क्या सूचना दी है ? अगर आपके पास हो तो हम सब-जुडिस के संबंध में कुछ सुने, नहीं तो नहीं ।

श्री अध्यक्ष---

अपील के बारे में यह कहा है कि अपील हो जाने पर वह विषय जो अदालत इब्तदाई का था वह विचाराधीन हो जाता है और उस पर विवाद नहीं हो सकता ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

यह आप ऐडवोकेट जनरल की राय पर चलियेगा ? डांडेकर आज एक मेम्बर की हैसियत से लोक सभा में बैठते हैं तो किस कानून पर बैठते हैं, क्या जजमेंट उनके लिये रुक गया ?

श्री अध्यक्ष---

अगर आप बैठ जायं तो मैं बता दूं, माननीय टम्बेश्वरप्रसाद चूंकि वकालत नहीं पढ़े है और कानून नहीं पढ़े हैं इस वजह से यह मिसग्रंडरस्टैंडिंग है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

मैं कानून पढ़ाने वालों को पढ़ा सकता हूं । यहां सदन के सदस्यों के लिये कानून पढ़ना आवश्यक नहीं है । आप अपने रिमार्क्स वापस लें ।

श्री अध्यक्ष---

टम्बेश्वरप्रसाद जी, सदन छोड़िये, आप फौरन सभा छोड़िये ।

(श्री टम्बेश्वरप्रसाद ने सदन का त्याग किया ।)

श्री शारदाभक्तसिंह---

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं कहा था कि विवाद करने में हमें कोई चीज बाधक नहीं हो सकती । पौने दो घंटे तो आपको व्यवस्था सुनाने में लग गये.....

श्री अध्यक्ष---

अगर बीच में न बोलें तो ५ मिनट में खत्म कर दूं ।

श्री शारदाभक्तसिंह---

जो व्यवस्था के संबंध में प्रश्न उठाते हैं तो आप हर एक का अलग अलग जवाब देना चाहते हैं । निर्णय आपका है, आपको निर्णय देना है, उसमें इतनी देर लगाने की क्या बात है ? मैं यह सोच रहा हूं.....

श्री अध्यक्ष---

जाना चाहते हैं तो दूसरी बात है ।

श्री शारदाभक्तसिंह---

मुझे बड़ा दुःख है कि आप व्यवस्था तो चाहते हैं और आप कहते हैं कि जाना चाहें तो जायं । हैं मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं बिलकुल नहीं जाना चाहता हूं । लेकिन आपके शब्द जो .....

श्री अध्यक्ष--

मैंने तो कोई ऐसे शब्द नहीं कहे ।

श्री शारदाभक्तसिंह--

श्रीमन्, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके इस पद की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, विशेषकर यह कि अध्यक्ष किसी पार्टी का सदस्य नहीं होता । इसलिये आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है, उसका न खयाल करके, आप एक पार्टी के हो जायं और हम से कह दें कि आप चाहते हैं तो चले जायं . . . .

श्री अध्यक्ष--

मैं तो नहीं चाहता ।

श्री शारदाभक्तसिंह--

तो अगर आपकी यही इच्छा है कि मैं बाहर चला जाऊं . . . . (व्यवधान) श्रीमन्, मैं आप से कहता हूं कि यह बड़ी गंभीर बात है कि आप एक पार्टी के अध्यक्ष हैं और एक पार्टी के होने के कारण आप विरोधी पक्ष के सदस्यों से इस तरह व्यवहार करते हैं और इसलिये मैं आपकी आज्ञा का विरोध करता हूं और मैं बाहर जाता हूं ।

(श्री शारदाभक्तसिंह ने जनसंघ दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया ।)

श्री अध्यक्ष--

मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि इससे स्पष्ट है कि अपील अगर हो जाती है तो अपीलाधीन विषय विचाराधीन हो जाता है । तो अब यह विषय विचाराधीन हो गया है, इसमें कोई शक नहीं है । लेकिन माननीय शारदा भक्त सिंह तथा और कुछ माननीय सदस्य, माननीय जेड० ए० अहमद आदि कहते हैं कि हम तो नीति डिसकस करना चाहते हैं, इसीलिये मैंने उसी दिन कह दिया था कि नियम ५३ के अन्तर्गत जो कुछ आप कहना चाहते हों, लिख कर दे दें । किन्तु लिख कर नहीं दिया और जब इसी विषय पर उन्होंने बहस करने की घोषणा की, तभी माननीय नरसिंहनारायण पांडेय ने कहा था कि अगर अपील हो जावेगी तो क्या होगा । उसके बाद भी यही तय हुआ कि हमारी सारी बहस में गोंडा इलेक्शन पिटीशन के संबंध में जो निर्णय हुआ और जो आरोप लगाये गये हैं, उन्हीं के संबंध में विचार व्यक्त करना चाहते हैं । तो जब स्वयं घोषणा की कि इस पर आप बहस करना चाहते हैं और उसके अनुरूप हमने अजेंडा में बहस रखी, तो अब कहते हैं कि नीति पर बहस करेंगे । इस पर नहीं करेंगे, उस पर करेंगे । यह गलत बात है । मैंने बार बार कहा था कि आप लोग लिख कर दे दें, लेकिन वह नहीं दिया गया । तो मामला स्पष्ट है और जो कुछ मेरे रिकार्ड में है उससे स्पष्ट है कि गोंडा काण्ड पर जो ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया था उसी पर आप लोग बहस करना चाहते थे । अतः वर्तमान स्थिति में, मैं समझता हूं कि मामला सबजुडिस है और उस पर विचार नहीं हो सकता ।

अब हम कल ११ बजे तक के लिये उठते हैं ।

(इसके बाद सदन ६ बजकर ४१ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मिश्र,
सचिव, विधान सभा
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
७ सितम्बर, १९६४ ।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३० (४) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५३ पर]

वाराणसी डिवीजन के जिलों में जून व जुलाई माह में गेंहूं, आटा और चावल की मांगी गई मात्रा और सप्लाई की गई मात्रा की तालिका

(आंकड़े मैट्रिक टनों में)

जिला	जून, १९६४		जुलाई, १९६४	
	मांगी गई मात्रा	वितरण की मात्रा	मांगी गई मात्रा	वितरण की मात्रा
१	२	३	४	५
१—वाराणसी ..	७,९४०	६,४३१	७,९४०	७,०५९
२—जौनपुर ..	१,४८०	२,५४३	१,६८०	२,४४९
३—गाजीपुर ..	३,९००	२,२७७	४,५००	१,९७०
४—बलिया ..	७,८५०	२,४२५	८,४००	१,२१३
५—मिर्जापुर ..	४,८६०	१,९२३	४,८६०	१,५५३
६—आजमगढ़ ..	३,८००	३,६६५	४,३५०	२,०५४
७—देवरिया ..	६,६००	२,६२५	१०,६००	१,२२८
८—गोरखपुर ..	५,२००	३,३६९	५,२००	३,०५३
९—बस्ती ..	४,५००	१,२६२	५,५५०	१,१८९
योग ..	४६,१३०	२६,४२०	५३,०८०	२१,७६८

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३६ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६२ पर]

सूची—क

क्रम-संख्या	जिले का नाम	जिन दिनों गल्ला न पहुंचने से जून, ६४ के अन्त में तथा जुलाई, ६४ के प्रथम सप्ताह में जितने सस्ते गल्ले की दूकानों का गल्ला देना बन्द कर दिया गया, उनकी संख्या	इस गल्ती के लिये उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
१	२	३	४
१—बरेली	..	१८४	गल्ले की व्यवस्था न होने की जिम्मेदारी किसी विशेष व्यक्ति की नहीं थी। वास्तव में कारण यह था कि भारत सरकार से किन्हीं मजबूरियों से विशेष कर बन्दरगाह पर हड़ताल के कारण प्रदेशीय सरकार तथा रोलर फ्लोर मिल्स को गेंहूं कम मात्रा में अथवा देर से मिला जिससे कुछ दूकानों को सप्लाई नहीं की जा सकी।
२—बदायूं	..	७३	
३—शाहजहांपुर	..	६०	
४—उन्नाव	..	१६०	
५—आजमगढ़	..	४००	
६—मुरादाबाद	..	७४	
७—सुल्तानपुर	..	१२५	
८—फर्रुखाबाद (फतेहगढ़)	..	११४	
९—कानपुर	..	१०५	

नोट :—अन्य जिलों के संबंध में वांछित सूचना शून्य है।

नत्थी "ग"

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६२ पर]

क्रम-संख्या	जिले का नाम	१५ जून, ६४ से लेकर जिलाधीश द्वारा दी गई रिपोर्ट तक लूटी गई सस्ते गल्ले तथा पूरे किस्म की दूकानों की संख्या	लूटी गई दूकानों की संख्या जिसकी सूचना दूकानदारों ने दी	लूटी हुई दूकानों के विवरण की संख्या जिसकी सूचना अन्य लोगों ने दी
१	बाराबंकी ..	३	३	..
२	फतेहपुर ..	१	..	..
३	अलीगढ़ ..	२	..	२
४	आगरा ..	१	१	..

नोट--अन्य जिलों की वांछित सूचना शून्य है।

नत्थी 'घ'

[देखिये नियम ३६ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६३ पर]

Copy of Circular D. O. no. K-3993/XXIX-A, dated July 8, 1959 from Secretary to Government Uttar Pradesh, Food and Civil Supplies (A) Department to all Regional Food Controllers, Uttar Pradesh.

---

* * *

7. In the mill towns the District Supply Officers will release quota in favour of the retailers to be lifted direct from the mills. In the case of towns other than the mill towns, Retailers' Associations should be formed. The District Supply Officer will ensure lifting of atta from the Roller Flour Mills by these associations in time for distribution to card holders.

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७१ पर)

प्रश्न संख्या १५ का संलग्नक (क)

कोटा जो बी० डी० ओ० को बाटने के लिये दिया गया [संख्या बोरों में]

क्रम संख्या	नाम व स्थान बी० डी० ओ०		नवम्बर, १९६३	दिसम्बर, १९६३	जनवरी १९६४	फरवरी, १९६४	मार्च, १९६४	अप्रैल १९६४	मई, १९६४	जून, १९६४	जुलाई, १९६४	अगस्त, १९६४ तक	योग
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
१	सिकरारा	..	३५०	४००	१८०	१००	३२५	१,४००	९००	—	१००	—	३,७५५
२	वक्शा	..	२२५	१००	३८०	१६०	१५०	१,१४०	८५०	—	१००	—	३,१०५
३	करंजा कलां	..	१२६	१६४	१८८	३१०	१५०	१,२००	४००	६००	१५०	—	३,२८८
४	धर्मापुर	..	१५०	२००	२६०	१७५	१६०	१,३९६	१,०३०	१५५	१६०	१००	३,७८६
५	मड़ियहूं	..	४००	२३५	३००	१००	—	४००	—	३४०	४०	—	१,८१५
६	रामपुर	..	४००	३२०	१६०	५०	—	४५०	—	—	—	१५०	१५३०
७	रामनगर	..	४७६	१४२	३७५	१३५	—	५६५	—	४००	२६०	—	२,३५३
८	बरसठी	..	—	४९७	२००	१३५	—	१५०	—	४५०	१००	१५०	१,६८२
९	शाहगंज	..	२६४	२८०	१००	७६८	—	२७०	१,२००	३००	३२०	—	३,५०२
१०	सुइया कलां	..	१००	—	—	२७०	—	३००	—	६००	२००	—	१,४७०
११	खुटहन	..	२२५	१००	१७७	१५०	—	८१०	४६०	१८०	४००	—	२,५०२
१२	बदलापुर	..	३७५	—	७४०	२३५	२४०	१,९२०	५६०	—	७३५	—	४,८०५

१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
१३	मुंगरा बादशाहपुर	..	—	१२२	१५०	५०	२५०	२८०	—	३६०	७५	—	१,२८७
१४	मछलीशहर	..	—	२३२	१९०	५०	—	२००	३००	—	७५	—	१,०४७
१५	सुजानगंज	..	१५०	५०	२३८	२००	—	—	१५०	६००	—	—	१,३८८
१६	महराजगंज	..	२२५	—	७८०	—	—	९६०	१५०	२००	१२५	—	२,४४०
१७	केराकत	..	२००	२७५	१२५	२१०	—	३००	—	—	२८०	—	१,३९०
१८	डोभी	..	—	२००	१७६	१००	—	१४०	—	—	१६०	—	७७६
१९	मुफ्तीगंज	..	२१०	२००	३५०	२००	—	६००	—	४५०	२००	६०	२,२७०
२०	जलालगंज	..	३८०	३३०	३५०	१००	—	४९५	—	१५०	२३५	—	२,०४०
	योग	..	४,२५६	३,८४७	५,४१९	३,४९८	१,२७५	१२,९७६	६,०००	४,७८५	३,७१५	४६०	४६,२२१

प्रश्न संख्या १५ का संलग्नक (ख)

कोटा जो तहसीलदारों को बांटने के लिये दिया गया [संख्या बोरों में]

क्रम संख्या	स्थान व नाम तहसील		नवम्बर, ६३	दिसम्बर, ६३	जनवरी, ६४	फरवरी, ६४	मार्च, ६४	अप्रैल, ६४	मई, ६४	जून, ६४	जुलाई, ६४	अगस्त, ६४	योग
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
१	शाहगंज	..	३७६	—	४२	३६०	—	३५०	—	—	२००	—	१,३२८
२	मड़ियाहूं	..	—	९६	१२०	—	—	१२०	—	—	१५०	—	४८६
३	मछलीशहर	..	—	१३६	१९२	—	—	—	—	—	—	१५०	४७८
४	केराकत	..	—	३८५	—	१२०	—	१५०	—	—	१००	१००	८५५
	योग	..	३७६	६१७	३५४	४८०	—	६२०	—	—	४५०	२५०	३,१४७

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७४ पर)

क्रम-संख्या	नाम	क्रम-संख्या	नाम
१	श्री विद्या शंकर पांडेय	१६	इमामिया मकतब
२	श्री राम कृष्ण शुक्ला	१७	श्री सादत हुसैन
३	श्री ओंकार नाथ मिश्रा	१८	श्री देवतादीन
४	श्री भोला प्रसाद तिवारी	१९	श्री शिवशंकर वर्मा
५	श्री मुन्शी राम	२०	श्री अली हुसैन
६	श्री त्रिलोक चन्द	२१	श्री राज करन सिंह
७	श्री राम नयन सिंह	२२	श्री राम नरेश वर्मा
८	श्री इज़ाज हुसैन	२३	सेक्रेटरी बार असोशियेसेशन
९	श्री रामनाथ वर्मा	२४	श्री राम हरख चौधरी
१०	श्री सन्त राम	२५	श्री अवध खादी भन्डार
११	श्री हौसिला प्रसाद	२६	श्री राम देवा
१२	श्री बुद्धीराम मिश्रा	२७	श्री गुलाम हुसैन करबलाई
१३	श्री राम लौटन	२८	श्री हाफिज लाल मुहम्मद
१४	श्री राजा सैयद अहमद	२९	श्री सरोम
१५	श्री बीपत राम	३०	श्री जगेश्वर सिंह ।

विधान परिषद

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७७ पर)

असिस्टेन्ट वाल्इड लाइफ वार्डन की ड्यूटीज़

(१) सुरक्षित पशु-पक्षियों के नाजायज बिक्री को रोकना और यह देखना कि उत्तर प्रदेश वन्य पशु–पक्षी संरक्षण अधिनियम की व्यवस्था का अतिक्रमण तो नहीं किया जा रहा है। इसके संबंध में वह लखनऊ के आस पास पक्षी मंडियों का तथा आस पास के क्षेत्रों का निरीक्षण करते हैं और देखते हैं कि कोई भी पक्षी बन्द समय में पकड़े और विक्रय तो नहीं किये जाते ?

(२) वे गुप्त रीति से प्रदेश भर के नाजायज शिकार खेलने वालों के संचरण तथा वे कहां रहते हैं और वे क्या करते हैं इसका पता लगाकर गुप्त रीति से मुख्य वन्य जन्तु प्रतिपालक को सूचित करते हैं।

(३) वे मुख्य वन्य जन्तु प्रतिपालक को दौरे पर जंगलों में गुप्त जांच तथा गश्त लगाने में सहायता देते हैं।

(४) वे नजदीक के तालाब तथा झीलों में विचरण करने वाले जल पक्षियों के ऊपर भी निगरानी रखत हैं।

(५) वे वन्य जन्तु रक्षा सप्ताह समारोह की व्यवस्था, प्रचारार्थ सामग्री का वितरण तथा स्कूल और कालेजों में फिल्म शो का आयोजन करते हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०–१३२ एल० ए०—१९६४—८६०।